18

# Punjab Legislative Assembly Debates

17*th May*, 1954.

VOL. II—No. 1

**Official Report**






CONTENTS

*Monday*, 17*th May*, 1954.



CHANDIGARH :
Printed by Controller of Printing and Stationery, Punjab
1954

**Price** : *Re 0-2-0*

# PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

*Monday, 17th May, 1954.*

*The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 2 p.m. of the clock.*

## ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY RE. DEATH OF THE SPEAKER, DR. SATYAPAL.

**Secretary** : With deep distress, I have to inform the House of the sad death of Dr. Satyapal, Speaker, and consequently of a vacancy in the office of Speaker. The Deputy Speaker will, therefore, take the Chair.

**(Sardar Gurdial Singh Dhillon, Deputy Speaker, then occupied the Chair)**

## REFERENCES TO THE DEATH OF THE LATE DR. SATYAPAL.

**Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar)** : Sir, I beg to move—

> **That the Assembly be adiourned today as a mark of respect to the memory of the late Dr. Satyapal.**

डिप्टी स्पीकर साहिब, आज इस सभा के लिये यह एक बहुत शोकदायक दिन है। एक आवाज़ जिस को हम ईवान में शेर की तरह गजर्ते हुए सुना करते थे, हमेशा के लिये खामोश हो गई है। डाक्टर सत्यापाल साहिब को यह सौभाग्य प्राप्त था कि आज़ाद हिंदुस्तान में जो पहले General Elections पंजाब में हुए उन के बाद आप पहले स्पीकर थे। आप को अच्छी तरह से इल्म है कि उन्होंने इस थोड़े से अरसे में जो कि केवल दो साल का था इस कुर्सी को ज़ीनत बख्शी बतौर इस ईवान के स्पीकर के। डाक्टर साहिब ने कोई दकीका फरोगुज़ाश्त न किया इस हाऊस की शान को, इस हाऊस की ताकत को, इस हाऊस के दबदबे को ऊंचे से ऊंचा रखने के लिये। जिस तरह एक आदमी को अपनी चीज़ प्यारी होती है और वह उस की हिफाजित करता है इसी तरह वह इस चीज़ की हिफाज़त करते रहे। खाह उन की तहरीर में, खाह तकरीर में और खाह सरकारी खतोकिताबत में—एक चीज़ डाक्टर साहिब के सामने थी वह यह कि ईवान की शान को किस तरह ऊंचा रखा जा सकता है और वह इस की शान को बचाने में और ऊंचा रखने में कहां तक मददगार हो सकते हैं। वे हमेशा इस बात को सामने रखते थे कि वह अमीन हैं इस हाऊस की आज़ादी के, इस हाऊस के गौर्व के और इस हाऊस की Authority के। इस गौर्व को ऊंचा रखने के लिये उन्होंने जो बन पड़ता था किया।

यह खुशी की बात है—मुबारक बात है कि जो जो रवायात उन्होंने कायम कीं इस हाऊस में वे और कहीं नहीं मिलतीं। अगर हम इन रवायात का मुकाबला दूसरे राज्यों की असेम्बलियों की रवायतों से करें तो पंजाब असेम्बली की रवायात नीचे दर्जे की दिखाई नहीं देतीं। डाक्टर साहिब ने

[मुख्य मंत्री]

स्पीकर होते हुए इस बात को हमेशा अपने सामने रखा कि वह एक कौमी खादम हैं। कौमी खादम होने के नाते उनकी निगाह में हाऊस की दोनों Sides बराबर थीं। डाक्टर साहिब ने हाऊस में opposition को उसी मान और इज्जत से देखा जिस तरह के Treasury Benches को देखा। जहां बराबर की चीज नजर आती थी वहां उन की ruling और interpretation opposition के हक में हुआ करती थी। यह कोई हैरानी की बात न थी क्योंकि जिस ने अपनी जिन्दगी के दिन बगैर किसी खौफ़ोखतर के, बगैर किसी डर के गुज़ारे हों और जो एक जरनैल हो उस से ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती। हमें सख्त रंज है कि डाक्टर साहिब हमारे दरमियान नहीं रहे। हम उन की राहनुमाई से महरूम हो गए हैं। डाक्टर साहिब को तारीख जानेगी न सिर्फ शानदार स्पीकर के नाते से बल्कि अमली नाते से भी। ऐसा कोई भी भाई गालबन. न होगा जो 1919 की याद को भुला सके। 1919 में अंग्रेज का पूरा पूरा दबदबा था। उन की शकलोसूरत देख कर लोग घबराते थे। उन को आज़ादी का दम भरने वालों को कुचलने का पूरा इख्तियार था। उस वक्त एक जरनैल ने कहा था कि इन हज़ारों लोगों को जो आज़ादी का दम भरते हैं जिन्दा रहने का हक नहीं। उन लोगों पर गोलियों की बुछाड़ कर दी। उस वक्त ललकारने वालों में डाक्टर साहिब थे। उन लोगों में जिन्होंने गोलियों की बुछाड़ को ललकारा और देश की आज़ादी की तारीख में शानदार नाम पैदा किया, डाक्टर सत्यपाल एक थे। 1919 से लेकर आज तक इस बहादुर जरनैल के देश प्रेम में कोई कमी न आई। आप जानते हैं कि डाक्टर साहिब आर्थिक तौर पर किस हालत में थे? मगर हमारा सौभाग्य है कि उन के नज़दीक सब बराबर थे। डाक्टर साहिब की निडरता, डाक्टर साहिब की बेखौफ़ी और अथाह देश प्रेम में कोई फ़र्क न पड़ा। वे वह हिम्मत रखते थे जो और किसी में न थी। वह अपने असूलों पर अमल करने में परेशान न होते थे। यह कुदर्ती बात है कि जो बेखौफ़ी का मुजस्समा हो, जिस ने निडरता को पूरे तौर पर अपने आप का हिस्सा बनाया हो, जिस की चमड़ी में डर न हो, वह समझ सकता है कि वह डरेगा तो इस लिये कि लोग क्या कहेंगे। डाक्टर साहिब ने मुकाबला किया हर उस दिक्कत का, हर उस ताकत का जो देश की आज़ादी की राह में रुकावट डालने वाली थी। वह साथियों के साथी थे। एक खूबी जो मैंने उनमें देखी वह यह थी कि वह साथी की मुश्किल को, साथी की दिक्कत को अपनी दिक्कत समझते थे। उन्होंने वह काम किए जिन के करने से दूसरों की मुश्किलें दूर हुईं। जब एक बार कोई दोस्त अपनी मुश्किल उन के पास ले आए फिर वह उस की मुश्किल न रहती थी बल्कि डाक्टर सत्यपाल की मुश्किल बन जाती थी। फिर जो शख्स दोस्तों के साथ इस शानदार तरीके से चल सकता हो वह भारत माता का आखरी दम तक क्यों साथ न देता! उन से तो यही तवक्को हो सकती थी।

आप जानते हैं 1919 में Rowlett Act के खिलाफ तहरीक शुरु हुई तो उस सिलसिले में पंजाब को किस तरह उस आन्दोलन में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिस को इतना शानदार होना था कि एक बहुत बड़े साम्राज्य को लहू की एक बूंद गिराए बगैर उखाड़ के फैंक दे। अगरचि कोई भी लहू गिराने से न डरता था मगर मुल्क ने महान नेता बापू की राहनुमाई

में फैसला किया था कि अगर खून गिराना पड़े तो अपना गिराया जाए किसी दूसरे का नहीं। इस शानदार तहरीक में पंजाब ने जो हिस्सा लिया आने वाली नस्लें उसे हमेशा याद रखेंगी। हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला कोई शख्स भी पंजाब के शानदार काम को नहीं भुला सकता और इस शानदार काम को शुरु करने वाले थे हमारे प्यारे डाक्टर सत्यपाल जो आज हम में नहीं हैं। उन की जबान और कलम में वह ताकत थी कि छोटे बड़े सब उन के असर से एक शमा की तरफ़ परवानावार दौड़ते थे। वह खुद मुजस्समाए कुरबानी थे और सब को कुरबानी देना सिखाते थे। यह कोई एक दिन, दो दिन, दो साल, पांच साल या दस साल की बात नहीं बल्कि उन की जिन्दगी ही एक मुसलसल कुरबानी थी। यही कुरबानी की स्पिरिट उन को हमेशा और हर हाल में सहारा देती रही।

आप जानते हैं कि उन में बहुत सी खूबियां थीं जिन में से एक बड़ी खूबी यह थी कि वह फैसला बहुत जल्द कर लेते थे। जो भी बात हो वह फौरन फैसला कर के अपना हाथ खड़ा कर देते थे कि यूं होना चाहिये। वह वक्त बिल्कुल जाया न करते थे। एक जरनैल, एक लीडर में यह खूबी जरूर होनी चाहिये। मैं सिर्फ एक मिसाल पेश करता हूं। डाक्टर साहिब एक छोटे से कमरे में बैठे जो उन का दफतर था अखबार के लिये Editorial लिख रहे थे। किसी ने आकर खबर दी कि अनारकली में बच्चियों के एक जलूस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और बहुत जबरदस्ती की। अभी पैग़ाम लाने वाले की बात खतम भी नहीं हुई थी कि वह कुर्सी से उठे, पगड़ी सिर पर रखी और अनारकली जाकर वहीं से जेल में पहुंच गये। इसी तरह वह हमेशा खिदमत और कुरबानी के लिये आमादा रहते थे। हमें रंज है कि आज वह हमारे दरमियान नहीं हैं। आप जानते हैं कि यह रंज हमें ही नहीं बल्कि सारे मुल्क ने कितने रंज और अफसोस का इज़हार किया उन की मृत्यु पर। मेरे पास बेशुमार पैग़ाम और तार आए जिन में Bar Associations और दूसरी Associations और सभाओं ने उन की मौत पर बहुत ही अफ़सोस किया है। और क्यों न हो? सत्यपाल हिंदुस्तान की जिन्दगी का एक हिस्सा थे और उस की तारीखे आज़ादी का हिस्सा थे। आज भी वह देखने में हमारे दरमियान नहीं हैं मगर मैं यह समझता हूं कि वैसे वह हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। हम अपने देश की तरक्की चाहते हैं और वह जानबाज़ जो उमर भर अपने मुल्क ही के बारे में सोचता रहा वह जरूर हमेशा हमें हौसला देता रहेगा। मैं अब ज्यादा वक्त न लेता हुआ उन की याद और स्मरण करते हुए यह तहरीक करता हूं कि उन की याद में आज का इजलास मुलतवी कर दिया जाए।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘ** (ਜਗਰਾਓਂ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਫ਼ ਹਰਫ਼ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਚ ਮੁਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ]

ਮੈਂਬਰੀ, ਸਪੀਕਰੀ ਯਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਟਾਣ ਵਾਂਗੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1931 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 1954 ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤੁਅੱਲਕਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਯਾਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਸ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤਹਰੀਕ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਅਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** (ਟਾਂਡਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ House ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ House ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਬੜੇ ਨੁਮਾਇਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ Heroes ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਤਹਰੀਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਦ ਗੁਲਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਇਕ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਨਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਉਹ ਅਦਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Rowlett Act ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ challenge ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਟ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ

ਲਾਟ ਬਣਨਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ Community ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖਿਆ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀ ਸੀ ਤੋੜ ਸਕਿਆ।

ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਸਦਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਐਨਾ ਮਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ Leader ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ Hero ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ Constitution ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ Assembly ਦਾ Speaker ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੌਜ਼ੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕ ਸੀ। ਫੇਰ Speaker ਬਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੂਬੀ ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਇਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। Opposition ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ accommodate ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕੈਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ House ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ Dignity ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਵਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ financial ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰਾ

[ਸਰਦਾਰ ਦੋਨਣ ਸਿੰਘ ਗੁਤ]

ਤੇ ਮੇਰੀ party ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ House ਨੂੰ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਟ ਲਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਰੀਕ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

**चौधरी श्री चंद** (बहादुरगढ़) : साहिबे सदर! जिस अचानक तौर पर हमारे स्पीकर साहिब की मौत हुई है उस से आज यहां बैठे यह एहसास नहीं होता कि वह सचमुच आज कुर्सी पर नहीं। अफ़सोस तो इतने बड़े आदमी की मौत पर हरेक को होता है लेकिन अगर मौत अचानक हो जाये तो अफ़सोस और भी ज़्यादा होता है। पिछले session में यह किसी को एहसास न था कि अगले session में डाक्टर साहिब न होंगे। उन की सेहत बहुत अच्छी थी। उन की अचानक मौत का हमें बहुत अफ़सोस है। जो कुछ Chief Minister साहिब और दूसरे साहिबान ने फ़रमाया है मैं उन से लफ्ज़ बलफ्ज़ इत्तफ़ाक रखता हूं। यह ठीक है कि डाक्टर साहिब पंजाब के ही नहीं हिंदुस्तान के बहुत बड़े Leader थे। वे जलीयांवाला बाग़ के Hero थे। उन्होंने अपनी तमाम ज़िन्दगी कौम के लिये कुरबान कर दी।

साहिबे सदर! मैं सच अर्ज़ करता हूं कि जब तक वे कुर्सी पर थे opposition समझती थी कि अगर कोई रियायत हुई तो वह opposition को होगी। उन्होंने House की dignity को हमेशा कायम रखा और ऐसी रिवायतें पैदा कर दीं कि अगर हम उन पर चलते रहे तो House की इज्जत हमेशा बढ़ती रहेगी। वे कभी कभी नाराज़ हो जाते थे लेकिन उन की नाराज़गी बहुत जल्द दूर हो जाया करती थी। दो मिनटों के लिये नाराज़ होते और फिर मैम्बरों के साथ प्यार से बातें करने लगते। वह हरेक मैम्बर की शिकायत को सुनते थे और उसे दूर कर देते थे। अगर कोई मैम्बर यह कहता कि उसे वक्त नहीं मिला तो उसे सब बात समझा देते थे। वे किसी को यह मौका न देते थे कि वह उन से नाराज़ हो। हम सब को उन की मौत का बहुत अफ़सोस है। इन शब्दों के साथ मैं Chief Minister साहिब की तहरीक की ताईद करता हूं।

**प्रोफ़ैसर मोता सिंह आनन्दपुरी** (आदमपुर) : स्पीकर साहिब! डाक्टर सत्यपाल की मौत से न सिर्फ़ पंजाब या हिंदुस्तान को सदमा पहुंचा है बल्कि इस दुनिया को वह सदमा पहुंचा है जो सियासियात में इनकलाबी नज़रिये से दुनिया को आगे ले जाने वाले इनसानों की कमी से पहुंचा करता है। ऐसे इनसान की कमी इस मौके पर जब कि दुनिया को ऐसे इनसानों की ख़ास ज़रूरत हो जो सच्चाई पसन्द हों, जो बेख़ौफ़ी से, दलेरी से, बहादुरी से जुरअत से आगे ले जाने के लिये अपना सब कुछ निसार कर देने वाला हो ; बहुत महसूस होती है। इस ज़ुमरा में डाक्टर सत्यपाल का नाम आता है। तख़यल रखने वाले, दुनिया को ऊपर ले जाने वाले इनसानों में से मैं समझता हूं कि पंजाब में स्वर्गीय लाला लाजपतराय के बाद डाक्टर सत्यपाल ही थे जिन्होंने पंजाब के वकार को ऊंचा किया है। सियासी दुनिया में बतौर Journalist के और मुकर्रर के डाक्टर साहिब ने एक अहम पार्ट अदा किया। सियासी जिन्दगी में उन्होंने अपना काम निहायत तदब्बुर के साथ निभाया।

एक चीज़ का ज़िक्र मैं खास तौर पर करना चाहता हूं। वह यह है कि डाक्टर सत्यपाल की ज़िन्दगी के पहले हिस्से के मुतअल्लिक जब वह शुरु शुरु में सियासत के मैदान में उतरे मुझे पूरी पूरी जानकारी है क्योंकि मेरा उन के साथ शुरु से ही गहरा सम्बन्ध रहा है। उन का ताल्लुक पहले सरदार भगत सिंह के पिता सरदार हरकिशन सिंह से हुआ और उस के बाद सरदार अजीत सिंह के साथ उन के गहरे ताल्लुकात पैदा हुए। उस वक्त से उन के ख्यालात revolutionary होते गये। वह आज़ादी की जद्दोजहद में आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन balanced तरीके से। वह अपना दमागी तवाज़ुन कभी छोड़ना पसन्द नहीं करते थे। इस बात पर मेरा उन से इखतलाफ था। मैं उन्हें कहा करता था कि जल्दी से आगे कदम बढ़ाना चाहिये लेकिन वह मुझे कहा करते थे कि ऐसा करने से ग़लती कर बैठोगे और गढ़े में गिर जाओगे। अब मैं उन की बातों को सोचता हूं और महसूस करता हूं कि वह जो कुछ कहा करते थे बिल्कुल दुरुस्त था। मैंने उन के साथ 1914 से ले कर 1919 तक काम किया है और सियासी तहरीकों में हम दोनों शाना बशाना काम करते रहे हैं। मैं रंजीत अखबार का बतौर Editor मैं खुद काम किया करता था लेकिन वह इस अखबार में मुझ से ज्यादा मज़मून लिखते थे। और मैं उन से काफी सबक लिया करता था। बतौर मुकर्रर के वह हमेशा balance minded थे और अपनी वलवला अंगेज तकरीरों से सोसाईटी को बुलन्द किया करते थे। जब पंजाब में 1914-15 में तूफान बरपा हुआ तो हमारे साथी पंडित जगत राम जी ने जो इस वक्त हमारे दरमियान बैठे हुए हैं अपने आप को कुर्बानी के लिये पेश किया। वह ज़माना बहुत खतरनाक था। अंग्रेज़ उस वक्त हमारी ज़िन्दगी को खत्म कर देना चाहता था। हिंदुस्तान की ज़िन्दगी खत्म हो जाती थी अगर पंजाब खत्म हो जाता। सदियों से पंजाब हिंदुस्तान का Gateway रहा है और हिंदुस्तान की इस ने राहनुमाई की है। 1914-15 में पंजाब के नौजवानों ने मुल्क की आज़ादी के लिये बड़ी बड़ी कुर्बानियां कीं। इस सिलसिले में डाक्टर सत्यपाल और डाक्टर किचलू का नाम पंजाब की तारीख में हमेशा याद रहेगा। इन्होंने आगे बढ़ कर मार्शल-ला (Martial Law) के दिनों में बड़ी बड़ी कुर्बानियां कीं। उन दिनों Rowlett Act पास हुआ जिस में लोगों को न अपील, न वकील और न ही दलील का मौका दिया जाता था। पुलिस जिस को चाहती थी गिरफ्तार कर लेती थी। अगर अमृतसर की सारी Tragedy को अपनी आंखों के सामने लाया जाये तो उन दिनों जो काम हमारे स्वर्गीय डाक्टर सत्यपाल ने किया उस की कोई शख्स बिना सराहना किये नहीं रह सकता। उन्होंने पंजाब के अन्दर एक नई ज़िन्दगी पैदा कर दी और अपनी सियासी सरगर्मियों से अंग्रेज़ की हकूमत के तख्ते को हिला दिया। जहां आज हम स्वर्गीय डाक्टर सत्यपाल की मौत पर बतौर असेम्बली का स्पीकर होने के इज़हारे अफसोस करते हैं तो इस पर मुझे खुशी भी होती है और यह कहता हूं "कि डाक्टर सत्यपाल, तू ने पंजाब को बचाने के लिये एक भारी कदम उठाया। अगर तू ने कुर्बानी न की होती तो पंजाब कब का खत्म हो गया होता।" जब मैं आज उन्हें homage pay करता हूं तो मुझे उन का बतौर दोस्त ख्याल आता है, सियासी साथी के तौर पर ख्याल आता है। जब वह यहां स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान होते थे तो मेरे साथी उन से कहा करते थे कि आप सरदार मोता सिंह को खास रियायत देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वह इस ख्याल से मुझे बोलने के मामले में खास रियायत देते थे क्योंकि वह समझते थे कि कहीं उन के साथी इनकलाबपसन्द का दिल टूट न जाये। हमें इस किस्म का आदमी मिलना मुश्किल है।

[प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी]

जब हम कांग्रेस से अलहदा हुए तो स्वर्गीय डाक्टर सत्यपाल की हमेशा यही कोशिश रही कि हमें फिर वापस आने के लिये आमादा करें। इन खूबियों के होते हुए भी उन की मौत से हमारे दिलों पर गहरा असर हुआ है। जहां तक उन की इखलाकी ज़िन्दगी का ताल्लुक है वह जो कहते थे सच कहते थे। वह सत्य के पालन करने वाले सत्यपाल थे। इस हाऊस के सब माननीय मैम्बरों ने उन की ज़िन्दगी से शिक्षा हासिल की है। जो कुछ उन्होंने मैम्बरों को कहना होता था वह साफ तौर पर कह देते थे और अगर किसी वक्त किसी को चैम्बर में घूरते थे तो बाहिर उन के चेहरे पर हर वक्त मुस्काहट रहती थी। हमारे पंजाब को फ़ख्र है कि लैजिस्लेटिव असैम्बली का स्पीकर एक Revolutionary स्पीकर था और आज़ादी के बाद इसी पंजाब ने इस हाऊस की कुर्सी की ज़ीनत को बढ़ाने के लिये ऐसा आदमी इस गद्दी पर बिठाया। Revolutionary आदमी के पास दौलत नहीं होती। ऐसा इनकिलाब पसन्द इनसान सच्चाई के लिये अपनी ज़िन्दगी कुर्बान कर देता है। स्वर्गीय डाक्टर सत्यपाल ने गरीबी की जिन्दगी बसर की। उन के पास मकान भी नहीं था। साल 1947 के बाद में ने डाक्टर गोपी चंद जो उस वक्त मुख्य मंत्री थे से कहा कि डाक्टर सत्यपाल के पास रहने के लिये मकान भी नहीं तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इस बात का पता नहीं था नहीं तो वह अपना मकान उन के लिये खाली करवा देते। इतने इख्तिलाफ होते हुए भी डाक्टर गोपी चंद के दिल में उन की काफी इज्ज़त थी। डाक्टर साहिब की मौत न सिर्फ इस हाऊस के लिये बल्कि तमाम सियासी दुनिया के लिये रंजो अलम पैदा करने वाली है। ज़ाती तौर पर मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मेरे Blood Relation की मृत्यु हो गई है। जो ख्यालात हमारे लीडर श्री भीम सेन सच्चर ने ज़ाहिर किये हैं मुझे उन से पूरा इत्तफ़ाक है और मैं इस Motion की ताईद करता हूं।

**श्री मनी राम** (फ़तहबाद) : डिप्टी स्पीकर साहिब! यहां पुरुषों को श्रद्धांजलि आंसुओं के कतरों से नहीं बल्कि हृदय की शुभ कामनाओं और भावनाओं से दी जाती है। डाक्टर सत्यपाल अंग्रेज़ी साम्राज्य के बाग़ी और आज़ाद हिंदुस्तान के मेमार थे। आज उन जैसे नेता का हिंदुस्तान में न होना दुःख का मुकाम है। वैसे तो भारत को पहले ही बहुत से महापुरुषों से जुदाई मिल चुकी है। मगर अब कुछ दिल टिकाया जा रहा था कि हमारे महान पुरुष इस कौम की नय्या को किनारे ले जायेंगे। लेकिन हमारी यह बदकिस्मती है कि यहां ऐसे अच्छे इनसानों की बहुत कमी थी और इस समय हम ने एक और महापुरुष को अपने आप से जुदा होते देखा।

डाक्टर सत्यपाल साहिब आज़ादी के जरनैल थे। वह इस हाऊस के स्पीकर थे। उन्होंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि आप के इस ऐवान की इज्ज़त और वकार को कायम रखा जाए और कभी यह सवाल पैदा नहीं हुआ कि कोई सदस्य Opposition का है या दूसरी पार्टी का है। यह ठीक है कि हर आदमी का अपना अपना नुकता निगाह हुआ करता है। यह हो सकता है कि मैं एक बात को सच्ची समझ कर स्पीकर साहिब से सहमत न हूं और वह भी अपने असूलों पर डटे रहते थे। हमारे Hon. Leader सच्चर साहिब ने डाक्टर सत्यपाल जी के बारे में जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उस का स्वागत करता हूं। डाक्टर साहिब की नागहानी मौत से जो कमी पैदा हो गई है उस का सब को दुःख है। परन्तु उन के लिये सही

श्रद्धांजली यह होगी कि उन के पैगाम को देश के हर कोने तक पहुंचाया जाए और जिन असूलों से वह माने जाते हैं, जिन के लिये उन का सम्मान किया जाता है और जिन के इनहराफ से आज भारत के बच्चे बच्चे को दुःख होता है, उन को आगे ले जाया जाए। यह वे असूल हैं जिन का सहारा ले कर कौम आगे बढ़ सकती है। जो शहीद होते हैं उन की मौत कौम की जिन्दगी होती है।

जिन में रकसां है रूहे आज़ादी,
राक्बे इनकलाब हैं वह लोग ।
मौत उन से पनाह मांगती है,
ज़िन्दगी का शबाब हैं वह लोग ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** साहिबान! जिन ख्यालात का इज़हार Leader of the House और दूसरी पार्टियों के नुमाइन्दों की तरफ से इस ऐवान में किया गया है मैं भी अपने आप को उन अफ़सोस और रंज के ख्यालात के साथ शामिल करता हूं। पिछले इजलास में हम देखते थे कि डाक्टर साहिब की सेहत बहुत अच्छी थी और वह बहुत बशाश नज़र आते थे। उस वक्त हमें कभी यह ख्याल नहीं आता था कि वह इतनी जल्दी हम से जुदा हो जायेंगे। उन की अचानक मौत सारे सूबे में बड़े रंज और अफ़सोस के साथ सुनी गई। जिस ने सुना उस ने आंसू बहाए। बच्चा बच्चा उन की जुदाई को महसूस कर रहा था। डाक्टर साहिब देश के उन पुराने सिपाहियों में से थे जो दिन-ब-दिन हम से जुदा होते जा रहे हैं। पंजाब की हिस्टरी के साथ और खास तौर पर पंजाब की Freedom Movement के साथ डाक्टर साहिब का केवल साधारण सम्बन्ध नहीं है बल्कि वह इस के बानी समझे जाते हैं। लाला लाजपत राए के बाद अगर पंजाब में किसी को वाहिद लीडर होने का फ़खर हासल था तो वह डाक्टर सत्यपाल जी थे। जो जो कुरबानियां उन्होंने कीं, जिन तकलीफों का उन्होंने सामना किया और जिस दलेरी और बहादुरी से अंग्रेज़ी साम्राज्य का उन्होंने मुकाबला किया वह हरेक हिंदुस्तानी के लिये बाइसे फ़खर है। आम पंजाबी उन को और उन के कारनामों को देख कर एक रौशनी के मीनार की तरह उन से रौशनी लेता है। डाक्टर साहिब न केवल एक पुराने और मशहूर नेता थे बल्कि पंजाब के जितने मौजूदा लीडर हैं खाह वह सरकारी बैंचों पर बैठते हैं खाह मुखालिफ़ बैंचों पर, उन्होंने अपनी सियासी तरबियत डाक्टर साहिब के चरणों में बैठ कर पाई थी और उन से राहनुमाई ली थी। इसलिये उन की जुदाई का दुःख सब को हुआ है।

जहां तक उन के स्पीकर होने का सम्बन्ध है हम दो साल से देखते आए हैं कि जिस कोशिश से इस हाऊस की शान और इस के हकूक को उन्होंने बुलन्द किया वह योग्य है। अगर किसी मैम्बर को कभी कोई शिकायत होती थी तो वह ग़ौर से सुनते थे और दोबारा उस को उस मौज़ूह पर कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलता था।

आप को यह भी याद है कि जब वह गवालियार में स्पीकरज़ कानफ़रेंस (Speakers Conference) में शामिल हुए थे तो वहां जो शान और इज्ज़त पंजाब के स्पीकर को हासिल हुई वह अपनी मिसाल आप थी। डाक्टर साहिब तमाम स्पीकरज़ में एक खास हैसियत रखते थे और ऐसा कोई मामला नहीं था जो उन की राए के बग़ैर होता था। Subject Committee में या दूसरी जगहों पर हर एक फैसला उन की राए से होता था

[उपाध्यक्ष महोदय]

स्पीकर के तौर पर भी उन की राए की बड़ी कदर की जाती थी। इस के इलावा उन की वैसे भी एक महान नेता के तौर पर बड़ी इज्जत की जाती थी। वहां मालूम होता था कि डाक्टर साहिब की इज्जत उतनी हमारे अपने सूबे में नहीं जितनी कि बाहर के सूबों में है।

डाक्टर साहिब के बेवक्त मौत के कारण हम से जुदा हो जाने का हर एक मैम्बर को बहुत अफ़सोस है। मैं भी अपने आप को इस के इज़हार में शामिल करता हूं। इस से पहले कि मैं कुछ और अर्ज़ करूं मैं सभा को वह शोक प्रस्ताव पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो प्रेस गैलरी कमेटी की तरफ से जिस के प्रधान श्री बाली हैं आया है।

"This meeting of the Press Gallery Committee places on record its deep sense of grief at the sad and sudden demise of the Speaker of the Punjab Legislative Assembly, the hon. Dr. Satyapal.

In Dr. Satyapal while the State Legislature has lost its illustrious Speaker and the Punjab State has lost a worthy and patriotic son, the members of the Press Gallery of the Punjab Legislative Assembly have lost a friend who always upheld the dignity of the profession. In him, the members of the Press Gallery always found a sympathiser who showed to the Press the utmost courtesy and accommodation and was found always willing to do whatever was possible to help the members of the profession individually as also collectively. The Press will always remember with a sense of deep gratitude the interest which Dr Satyapal, as Speaker of the Punjab Legislative Assembly took in the welfare of the Members of the Press Gallery in particular and the Mombers of the profession in general.

The Press Gallery Committee, while praying for the departed soul, wishes to be associated with the tributes that may be paid by the Members of the Legislature on the floor of the House and requests the Acting Speaker to kindly convey this Resolution to the Punjab Legislative Assembly and to the Members of the bereaved family."

इस के अलावा देश के कोने २ से नेताओं, विधान सभाओं के अध्यक्षों और राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों से पैग़ाम आये हैं। असेम्बली सेक्रेटेरियेट के कर्मचारियों ने भी, जिन के साथ स्वर्गीय डाक्टर साहिब बड़ी रवादारी और मुहब्बत के साथ पेश आते थे, बड़ा शोक प्रकट किया है।

पेशतर इस के कि जैसे कि Leader of the House ने प्रस्ताव किया है, सभा adjourn हो, मैं अर्ज़ करूंगा कि हम सब दो मिनट के लिये चुप चाप खड़े हो कर प्रार्थना करें कि परमात्मा उन की आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

*(All the Members then rose in their seats and stood silent for two minutes.)*

*The Assembly then adjourned till 2 p.m. on Tuesday, the 18th May, 1954.*

789 PSLA—283—8-10-54—CP and S., Pb., Chandigarh

# Punjab Legislative Assembly Debates

**18th May, 1954.**

VOL. II—No. 2

OFFICIAL REPORT




CONTENTS

*Tuesday*, 18*th May*, 1954.




CHANDIGARH :
Printed by the Controller of Printing & Stationery, Punjab
1954

**Price : Re. 0-7-0**

# PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

**Tuesday, 18th May, 1954.**

*The Assembly met in the Assembly Hall, Sector* 10, *Chandigarh Capital, at* 2 *p.m. of the Clock. Mr. Deputy Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

## STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

### MOTOR ACCIDENT ON DELHI-ALWAR ROAD.

*3524. **Shri Babu Dayal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) whether he is aware of the fact that a serious motor accident occurred on the 4th February, 1954, on the Delhi-Alwar Road near Ferozepore-Jhirka ; if so :—

(i) the facts of the accident and the total number of casualties that occurred together with the number of those injured seriously ; (ii) whether the injured persons were removed to the hospital ; if so, how long after the said accident and the nature of medical aid provided to them with the details thereof ; (iii) the registration number of the truck which collided with the bus ;

(b) the action, if any, taken by the police authorities concerned, in the matter ?

**Shri Prabodh Chandra** (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Yes,

(i) On 4th February, 1954, at about 11 a.m., Bus No. RJI-2817, collided with truck No. PNG-633, near Maholi, some 3 miles from Police Station Ferozepore-Jhirka, on Alwar-Delhi Road. The Bus was loaded with passengers and belonged to the Bus Association Limited, Alwar. It was proceeding from Alwar to Delhi. The truck belonging to Jaipur Golden Transport Company, was going in the opposite direction towards Alwar. As a result of this collision, 2 persons died on the spot, 1 died in Civil Hospital, Gurgaon and another two died in Alexandra Hospital, Alwar. Five passengers sustained grievous injuries and 8 received simple injuries.

(ii) Yes. The report of the incident reached the police at 11-30 a.m. and the Station House Officer of Ferozepore-Jhirka at once rushed to the spot and all the injured were removed to the Civil Dispensary, Ferozepore-Jhirka, in a special bus by 12-30 p.m. for medical aid. Civil Surgeon, Gurgaon, who happened to be on tour at Ferozepore-Jhirka also reached the Dispensary on hearing the news and rendered first aid to the injured with the assistance of the Sub-Assistant Surgeon, Gurgaon, Incharge Civil Dispensary. Thereafter, 7 persons were removed to the Civil Hospital, Gurgaon, on the same evening for further treatment. Another 7 persons were removed after first-aid to Alexandra Hospital, Alwar, by their relatives. Three persons whose injuries were minor, were discharged after first-aid had been rendered to them at Ferozepore-Jhirka.

[Chief Parliamentary Secretary]

(iii) The registration No. of the Truck involved in this accident is PNG-633.

(b) Tehla Ram, driver of the Bus and Puran Singh, driver of the Truck, have been prosecuted under sections 304-A/279/337/338 I.P.C., and cases are pending in the court of A.D.M., Gurgaon.

**राम्रो गजराज सिंह** : क्या मैं पूछ सकता हूं कि उन को हस्पताल पहुंचाने का इन्तज़ाम accident से कितने घंटे बाद किया गया ?

**चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी** : 11 बजे accident हुआ 11-30 बजे उस की इत्तलाह मिली और 12-30 बजे तक सब को वहां से ले जाया गया ।

**राम्रो गजराज सिंह** : क्या आप उन अफसरों के नाम बतायेंगे जो उन को ले गये थे ?

**चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी** : इस का नोटिस दीजिये ।

**राम्रो गजराज सिंह** : जो इत्तलाह गवर्नमेंट को भेजी गई अगर वह गलत साबित हो तो क्या आप उन अफसरों के खिलाफ action लेंगे जिन्होंने गलत इत्तलाह दी ?

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या मैं पूछ सकता हूं कि accident की इतलाह किस महकमे के दफतर में पहुंची और जो लोग बस ले कर पहुंचे वह किस महकमे से ताल्लुक रखते थे ?

**Chief Parliamentary Secretary :** As I have stated in my reply to the original question, the report of the incident reached the police at 11-30 a.m. and the Station House Officer of Ferozepore-Jhirka at once rushed to the spot and all the injured were removed to the Civil Dispensary, Ferozepore-Jhirka in a special bus by 12-30 p.m. for medical aid.

---

AUDIT REPORT OF LOHARU STATE'S FINANCES.

***3529. Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Chief Minister be pleased to lay on the Table the Audit Report of the Loharu State's finances at the time of its merger into the State of Punjab ?

**Shri Prabodh Chandra** (Chief Parliamentary Secretary) : It is regretted that it is not in the public interest to disclose the information asked for.

---

MERGER OF LOHARU STATE IN PUNJAB.

***3530. Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount received by State Government from the Government of Loharu at the time of the merger of Loharu State in the Punjab ;

(b) whether the amount so received was earmarked for some specific purpose according to the terms of the Instrument of Accession of the Loharu State to the Indian Union ; if so, the purpose for which it was earmarked ?

**Shri Prabodh Chandra** (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Rs 4,30,961-11-6.

(b) No ; the instrument of Accession of the Loharu State does not contain any such terms. The second part of the question does not arise.

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो रकम लोहारू के merge होने पर बची क्या वह किसी खास काम के लिये earmark की गई थी ?

**मुख्य मंत्री** : जो इत्तलाह सवाल में मांगी गई थी वह दे दी गई है। अगर माननीय मैम्बर कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हों तो उस के लिये नोटिस दें।

---

REINSTATEMENT OF AN OFFICIAL OF GOVERNMENT LIVE-STOCK FARM, HISSAR.

***3489. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether any dismissed official of the Dairy Section of the Government Live-stock Farm, Hissar, has been reinstated in service as a result of some subsequent enquiry ; if so, the name of the official and the charges on which he was first dismissed and the reasons for his reinstatement ;

(b) the officer who held the said enquiry ?

**Sardar Partap Singh Kairon** : (a) It is a fact that S. Gurbhagwant Singh, Ex-Farm Overseer (Dairy) Government Live stock Farm, Hissar, was reinstated on an appeal preferred by him to Government. He was dismissed from Service by the Director, Animal Husbandry on account of the following charges :—

(i) Embezzlement of Government money to the extent of Rs 2,367-4-0 being the value of separated milk fed to calves.

(ii) Maintenance of improper record.

(iii) Mis-statement.

(iv) Negligence in duties entrusted to him.

He was reinstated because :—

(i) the charges could not be proved.

(ii) this dismissal was found against the rules.

(b) No regular enquiry was held.

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब पहली मर्तबा उस के खिलाफ charges लगा कर उसे dismiss किया गया तो क्या वह charges उस वक्त साबित हो चुके थे ?

**विकास मंत्री :** अफसोस है कि आप ने मेरा जवाब अच्छी तरह नहीं सुना। मैंने कहा है कि—

He was reinstated because the charges could not be proved and his dismissal was found against the rules. No regular enquiry was held.

**पंडित श्री राम शर्मा :** मैं तो यह पूछता हूं कि जब इस अफसर को पहले पहल charge लगा कर *dismiss किया गया तो क्या महकमे ने यह समझ लिया था कि वह charges साबित हो चुके हैं और क्या अपील होने पर वह ग़लत हो गये ?

**मंत्री :** अपील होने पर ही तो पता चला कि वह ग़लत थे।

**पंडित श्री राम शर्मा :** क्या अपील होने पर दूसरी inquiry के लिये कोई अफ़सर बाकायदा मुकर्रर किया गया था ?

**मंत्री :** जो inquiry की गई थी वह ग़लत साबित हुई। उस के बाद और कोई inquiry नहीं की गई।

**पंडित श्री राम शर्मा :** क्या inquiry कराने की बजाए वज़ीर साहिब ने खुद ही सरसरी तहक़ीकात के बाद फैसला कर दिया था कि charges ग़लत हैं ?

**मंत्री :** जब आप पहले ही इतना कुछ जानते हैं तो फिर पूछने की क्या ज़रूरत है ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप सवाल पूछें suggestion न दें।

**पंडित श्री राम शर्मा :** मैं suggestion नहीं दे रहा बल्कि वज़ीर साहिब के दिये गये जवाब के बारे में तसल्ली करने के लिये पूछ रहा हूं कि क्या यह ठीक है कि महकमे के Director ने तहक़ीकात करके उसे dismiss किया था मगर वज़ीर साहिब ने किसी से inquiry कराए बिना या किसी का कोई बयान लिये बग़ैर खुद ही उसे reinstate कर दिया ?

**Minister :** No regular enquiry was held. The action taken by the Director of Veterinary Services was wrong. Therefore, the Minister had every right to reinstate him.

**पंडित श्री राम शर्मा :** मैं मंत्री साहिब के right को challenge नहीं करता। मैं तो केवल यह दरियाफ़त करना चाहता हूं कि क्या पहली बाकायदा inquiry के बाद कोई दूसरी बाकायदा inquiry हुई।

**ਮੰਤ੍ਰੀ :** ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਚੁਕਾ ਹਾਂ।

---

TOBACCO PLANTATION, HOSHIARPUR DISTRICT

*3519. **Shri Jagat Ram Bhardwaj :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total acreage of land under tobacco plantation during the years 1950-51, 1951-52, 1952-53, respectively in Hoshiarpur Tehsil ;

(b) whether the acreage of such plantation is decreasing ; if so, the causes thereof ?

**Sardar Partap Singh Kairon** : (a)—

| | Acres |
|---|---|
| 1950-51 .. | 400 |
| 1951-52 .. | 200 |
| 1952-53 .. | 200 |

(b) Part (i) Yes.

Part (ii) 1.—

Increase in Excise Duty on tobacco.

(2) Larger area than before put under food crops in pursuance of the Grow-More-Food policy, which meant corresponding reduction in the area under tobacco plantation.

(3) Migration of Muslim cultivators.

**श्री जगत राम भारद्वाज** : क्या मंत्री साहिब बतायेंगे कि यह कमी जो हर साल वाकिया हुई है इस की वजह यह भी है कि Inspectors वगैरा लोगों को harass करते रहते हैं ।

**मंत्री** : हो सकता है छोटे अफसरों की harassment भी एक कारण हो ।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਘਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ Excise Duty ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਹਾਸੋਂ-ਹੀਣੀ ਗਲ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਚੇਚੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ Duty ਘਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या यह रकबा इसलिये तो कम नहीं हूआ कि सिक्खों की आबादी बढ़ गई है ।

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਵੀ smoke ਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਰਕਬਾ ਤੇ ਆਪੇ ਘਟਣਾ ਹੋਇਆ ।

---

## CO-OPERATIVE LABOUR AND CONSTRUCTION SOCIETY, CHANDIGARH.

***3490. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the members of the Co-operative Labour and Construction Society, Chandigarh, are not getting their wages either properly or in time ; if so, the reasons therefor ;

[Pandit Shri Ram Sharma]

(b) whether any representation in this connection was received by the officer-in-charge from Shri Ganga Singh, President of the Society, referred to in part (a) above ?

**Chaudhri Lahri Singh** : The answer to this Assembly Question is not yet ready. The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

पंडित श्री राम शर्मा : यह तो चंडीगढ़ का मामला था । इस में देरी क्यों लगे ?

मंत्री : Representations को examine भी तो करना हुं ।

CO-OPERATIVE BANKS IN THE STATE.

*3518. **Shri Jagat Ram Bhardwaj** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total amount of the working Capital of the Co-operative Banks in the State.

(b) the total amount subscribed by members of co-operative societies ;

(c) the total amount of the deposits by the said members ;

(d) the total amount of loan advanced to the members ;

(e) the total amount of loans taken by the co-operative banks from other banks ;

(f) the total amount of deposits of non-members ?

**Chaudhri Lahri Singh** : —

| | Rs. |
|---|---|
| (a) (i) The total amount of the working Capital of Co-operative Banks (i.e. Co-operative Central Institutions) .. | 14,68,34,990 |
| (ii) Total amount of the working Capital of all kinds of primary co-operative societies .. | 6,17,27,170 |
| (b) the total amount subscribed by members of Co-operative Societies (Paid-up Share Capital) .. | 1,92,85,843 |
| (c) and (f) (i) the total amount of deposits by members of Agricultural and Non-Agricultural Co-operative Credit Societies .. | 79,40,929 |
| (ii) the total amount of deposits by non-members of Agricultural and Non-Agricultural Co-operative Credit Societies .. | 52,16,555 |

(iii) the total amount of deposits by members and non-members of other kinds of primary co-operative societies (separate figures in respect of members and non-members are not available) .. 45,98,843

(d) the total amount of loans advanced to the members of Co-operative Societies .. 2,76,94,054

(e) the total amount of loans taken by the Co-operative banks from other banks .. 45,12,896

---

ALLOTMENT OF LAND IN VILLAGE KALSIAN KALAN, DISTRICT AMRITSAR.

***2169. Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any area was made available in Village Kalsian Kalan, Tehsil Patti, District Amritsar, as a result of the re-checking of the land allotment during the year 1953 or 1952 ; if so, its total ;

(b) whether a representation from Sardar Chanan Singh and others referred to in unstarred Assembly Question No. 339, printed in the list of questions, dated 11th March 1954, was received by the Deputy Commissioner, Amritsar, under Registered Post on 9th January, 1953, which was received in his office on or about 11th January, 1953, for the consolidation of their areas at village Kalsian Kalan ; if so, the action taken by him in the matter while allotting the available area referred to in part (a) above ;

(c) whether any of the persons referred to in part (b) above were the temporary allottees of Village Kalsian Kalan ; if so, their list ;

(d) (i) the list of the persons to whom the available area has been allotted or is proposed to be allotted.

(ii) the area to which each of them is entitled ;

(iii) the reasons for allotting the area in each case or the basis of the claim put forward by each of them ;

(iv) the reasons for giving them preference over the persons referred to in part (c) above ;

(e) whether the allotment of this available area had been made under section 9 of the Chapter IV page 84 of the Land Resettlement Manual ; if not, the reasons therefor ?

**Sardar Ujjal Singh** : The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

---

CHILD WELFARE AND HEALTH CENTRES IN THE STATE.

***3357. Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Education be pleased to state the number of maternity child welfare and health centres in each district of the State and the total amount spent by the Government on them during the year 1953 ?

**Shri Jagat Narain** : A statement is given below—

STATEMENT

**Number of Health Centres District-wise**

| Name of district | | Number of Health Centres | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Community Project | Provincial | Non-Provincial |
| 1. Hissar | .. | .. | 3 | .. |
| 2. Rohtak | .. | 3 | 2 | 5 |
| 3. Gurgaon | .. | 1 | 3 | 1 |
| 4. Karnal | .. | 2 | 3 | 2 |
| 5. Ambala | .. | 4 | 6 | .. |
| 6. Simla | .. | .. | 1 | 3 |
| 7. Kangra | .. | .. | 6 | .. |
| 8. Hoshiarpur | .. | .. | 7 | 1 |
| 9. Jullundur | .. | 3 | 2 | .. |
| 10. Ludhiana | .. | .. | 5 | 9 |
| 11. Ferozepore | .. | .. | 5 | 8 |
| 12. Amritsar | .. | 1 | 5 | 3 |
| 13. Gurdaspur | .. | 3 | 4 | 2 |
| Total | | 17 | 52 | 34 |
| Grand Total | .. | | 103 | |

Approximate amount spent by Government on the maintenance of Health Centres in the Punjab during 1953,—Rs. 1,08,340.

NON-ANGLO-INDIAN SCHOOLS IN THE STATE.

*3418. **Shri Rala Ram** : Will the Minister for Education be pleased to state the total number of Government Non-Anglo-Indian Schools at present in the State where infants are taught English right from the start ?

**Shri Jagat Narain** : Three.

**पंडित श्री राम शर्मा** : कौन असहाब हैं जिन के बच्चे इन तीन स्कूलों में पढ़ते हैं।

**मंत्री** : जो लोग पैसे खर्च करते हैं उन के बच्चों के लिये इन्तज़ाम किया जाता है।

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या यह सरकार की settled policy के मुताबिक हैं कि जो लोग पैसे दें उन के बच्चों के लिये ऐसा इन्तज़ाम कर दिया जाये ?

**मंत्री** : ऐसी बात तो नहीं। लेकिन इस पर सरकार का खर्च कुछ नहीं होता।

REMOVAL OF EXECUTIVE OFFICER, PATTI, DISTRICT AMRITSAR.

***3475. Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to state:—

(a) with reference to the reply to part (e) (ii) of Starred Assembly Question No. 2781, printed in the list of questions, dated 9th March, 1954, whether any decision has been taken by the Government in the matter ;

(b) the date since when the case is pending with the Government ?

**Sardar Gurbachan Singh Bajwa** : (a) Yes.

(b) 18th January, 1954.

REMOVAL OF EXECUTIVE OFFICER, PATTI, DISTRICT AMRITSAR.

***3480. Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Public Works be pleased to state with reference to the reply to parts (c) and (d) of starred question No. 2781, during the Budget Session 1954, the reasons for which the resolution of the Municipal Committee, Patti, District Amritsar, was withheld by the Deputy Commissioner, Amritsar, for about two months ?

**Sardar Gurbachan Singh Bajwa** : Since the irregularities on the basis of which the Municipal Committee, Patti, had proposed to request Government to terminate the services of its Executive Officer were of a vague nature the Deputy Commissioner, Amritsar, considered it necessary to make further inquiries into these before giving his own comments thereon to Government.

**पंडित श्री राम शर्मा** ; क्या इस म्यूनिसिपल कमेटी ने खुद ही Executive Officer को हटाने का फैसला किया था या उसने सरकार को दरखास्त की थी कि इसे हटाया जाये।?

**मंत्री** ; इस बारे में कमेटी ने resolution पास किया था। लेकिन जिस बिना पर Executive Officer को हटाया जा रहा था उस बारे में Deputy Commissioner को कुछ शक था। उन को पूछताछ में देरी लग गई।

AUDIT OBJECTIONS IN THE ACCOUNTS OF MUNICIPAL COMMITTEE, PATTI.

***3481. Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the accounts of the Municipal Committee, Patti, District Amritsar, for the year 1951-52 and 1952-53, respectively, were audited by the Government Auditors up to 1st April 1954, if so, when ;

[Shri Ram Kishan]

(b) whether any objections were raised by the auditors about these accounts; if so, a copy thereof relating to each of the years referred to above be laid on the Table together with the replies thereto ;

(c) whether the Examiner, Local Funds Accounts has withdrawn any of the objections raised by the auditors, if so, the details of objections that have been withdrawn ?

**Sardar Gubachan Singh Bajwa :** The information is being collected and it will be supplied to the Member concerned when ready.

---

SCARCITY OF DRINKING WATER AT LOHARU, DISTRICT HISSAR.

***3531. Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) whether the Government is aware of the acute scarcity of drinking water in Loharu, Tehsil Bhiwani, District Hissar ;

(b) whether any scheme for supplying drinking water to the public has been worked out by the Loharu Town Committee ; if so, the contribution, if any, the Government intends to make towards the cost of such scheme ?

**Sardar Gurbachan Singh Bajwa :** (a) Yes.

(b) Yes. The matter is under the consideration of Government.

**पंडित श्री राम शर्मा :** क्या मैं दरियाफत कर सकता हूं कि क्या कमेटी की तरफ से कोई resolution आ चुका है जिस पर सरकार गौर कर रही है ?

**मंत्री :** मैं ने कहा है कि complaint आई है। इस के बारें में हमारे Public Health के सुप्रिण्टेंडिंग इंजीनियर साहिब estimate तैयार कर रहे हैं।

**पंडित श्री राम शर्मा :** क्या इस स्कीम के लिये सरकार कुछ माली इमदाद देगी ?

**मंत्री :** यह देखना है कि इस बारे में क्या हो सकता है।

**पंडित श्री राम शर्मा :** क्या सरकार कोई इमदाद करेगी ?

**मंत्री :** मुमकिन है कि करे।

---

REGULARIZATION OF MECHANICAL WORKS STAFF.

***3544. Shrimati Sita Devi :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether any provision has been made in the current year's budget for bringing the mechanical works staff of the Public Works Depart-

ment to the regular establishment ; if so, the names of the post which have been thus brought on the regular establishment, and since when ?

**Sardar Gurbachan Singh Bajwa:** Yes. Provision to meet the extra expenditure involved in bringing the various categories of work-charged establishment (including Mechanical workers) employed on a regular and normal basis in the P.W.D., Buildings and Roads Branch, has been made in the current year's budget. The question as to which of the posts could be brought on to regular establishment within the budget provision is under consideration of Government.

**श्रीमती सीता देवी :** मंत्री महोदय ने बताया है कि मामला गवर्नमैण्ट के ज़ेरग़ौर है । क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि इस के मुतअल्लिक rules and regulations बनाने में कितना समय लगेगा ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ :** ਜਿਹੜੀਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

**श्रीमती सीता देवी :** क्या गवर्नमैण्ट ने महकमे को हिदायत की है कि वह फलां फलां तारीख़ तक अपनी तजवीज़ें गवर्नमैण्ट के पास भेज दे ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ :** ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਏ ।

---

STRENGTH OF OFFICIALS EMPLOYED IN LABOUR DEPARTMENT IN THE STATE.

***3355. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total number of officials in the Labour Department, in each category, employed so far against permanent vacancies ;

(b) the number of officials in each category who have completed their probationery periods along with the dates when the periods in question had been completed by each one of them ;

(c) the number of officials in each category who have been confirmed and the reasons for the non-confirmation of the rest ?

**Chaudhri Sundar Singh** : A statement is given below—

| | | *Part* (*a*) | | *Part* (*b*) | | *Part* (*C*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial No. | Category | No. of permanent posts | No. of employed | No. who have completed probation period | Dates when probation period expired | No. of officials who have been confirmed | Reasons |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Superintendent | 1 | Nil | Nil | Nil .. | Nil | |
| 2 | Head Assistant | 1 | 1 | 1 | 12th April, 1951 .. | 1 | |
| 3 | Head Clerks | 2 | 2 | 2 | 4th November, 1950<br>12th April, 1952 | 2 | |
| 4 | Assistants .. | 4 | 3 | 3 | 9th May, 1951 ..<br>1st February, 1951<br>11th July, 1953 | 3 | |
| 5 | Stenographer | 1 | 1 | 1 | 2nd November, 1950 | 1 | |
| 6 | Senior Clerks | 9 | 9 | 8 | 4th November, 1951<br>4th November, 1950<br>8th November, 1950<br>18th November, 1950<br>22nd December, 1950<br>22nd January, 1952<br>12th April, 1951<br>11th July, 1953 | 8 | |
| 7 | Junior Clerks | 31 | 29 | 19 | 23rd November, 1951<br>23rd November, 1951<br>1st December, 1951<br>2nd December, 1951<br>3rd December, 1951<br>3rd December, 1951<br>5th December, 1951<br>7th December, 1950<br>9th December, 1950<br>20th December, 1951<br>21st December, 1951<br>1st January, 1951<br>13th February, 1952<br>25th April, 1952<br>2nd May, 1952<br>25th May, 1952<br>12th June, 1951<br>23rd July, 1953<br>28th July, 1953 | 19 | |
| | CHIEF INSPECTOR OF FACTORIES' OFFICE STRENGTH | | | | | | |
| 1 | Head Clerk | 1 | 1 | 1 | 15th February, 1946 | 1 | |
| 2 | Senior Clerks | 2 | 2 | 2 | 15th February, 1946<br>20th December, 1948 | 2 | |

| Serial No. | Category | Part (a) No. of permanent posts | No. of employed | Part (b) No. who have completed probation period | Dates when probation period expired | Part (c) No. of officials who have been confirmed | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Junior Clerks | 7 | 7 | 5 | 22nd November, 1947<br>20th December, 1948<br>24th May, 1951<br>1st August 1951<br>19th August, 1951 | 5 | |
| | CHIEF INSPECTOR OF SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENT OFFICE | | | | | | |
| 1 | Head Clerk | 1 | 1 | 1 | 20th December, 1948 | 1 | |
| 2 | Junior Clerks | 3 | 3 | 3 | 20th December, 1948<br>28th May, 1951 | 2 | One official could not be confirmed for want of medical certificate of fitness. |
| | FIELD STAFF | | | | | | |
| 1 | Factory Inspector | 3 | 2 | 2 | 20th December, 1948<br>19th March, 1953 | 2 | |
| 2 | Labour Inspectors | 13 | 12 | 12 | 1st August, 1951 ..<br>10th October, 1951<br>14th October, 1951<br>14th October, 1951<br>11th October, 1951<br>15th October, 1951<br>14th October, 1951<br>11th October, 1951<br>6th May, 1952<br>26th May, 1952<br>29th May, 1952<br>10th January, 1953 | 4 | Case of remaining 8 Labour Inspectors recommended to Government for confirmation —*vide* No. Est/3/2635, dated 24th March, 1954 |
| 3 | Deputy Chief Inspector of Shops | 2 | 2 | 2 | 12th May, 1950 ..<br>17th November, 1950 | 2 | |
| 4 | Inspectors of Shops | 28 | 27 | 22* | 20th December, 1948 of 18 Inspectors<br>14th December, 1949<br>17th July, 1949<br>21st July, 1953 | .. | *One Shri J.D. Mehta recently reinstated by Government vide No. 744-C-LP-54/5914, dated 15th March, 1954. |

REPRESENTATION REGARDING GRADES AND ALLOWANCES OF THE WORKERS OF DHARIWAL MILLS.

***3491. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) whether the Government has received any representation regarding basic wage, annual increment, grades and dearness allowances from the workers of the Dhariwal Mills, District Gurdaspur ; if so, the action, if any taken thereon ;

(b) whether in the said Mills there exists any difference of treatment between the European and Indian Employees ; if so, what ;

(c) the total number of disputes referred to and settled so far by the Industrial Tribunal relating to the workers of the said Mills ?

**Chaudhri Sundar Singh** : (a) Yes. The matter has been referred to the Industrial Tribunal, Punjab.

(b) Government are not aware of any such differential treatment.

(c) (i) No. of disputes referred to the Industrial Tribunal .. 2

(ii) No. of disputes settled .. Nil

**पंडित श्री राम शर्मा** : सवाल के भाग (ख) में दरियाफ्त किया गया है कि क्या Dhariwal Mills में अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के दरमियान इमत्याज़ी सलूक किया जाता है। क्या इस किस्म की कोई शिकायत गवर्नमैण्ट के पास पहुंची है और इस के मुतअल्लिक गवर्नमैण्ट ने कोई तहकीकात कराई है ?

**मंत्री** : कोई ऐसी शिकायत नहीं पहुंची।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अपना सवाल clear करें।

**पंडित श्री राम शर्मा** : मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या मज़दूरों या यूनियन वालों की तरफ से गवर्नमैंट के पास कोई शिकायत पहुंची है कि Europeans और हिंदुस्तानी मुलाज़मों के साथ differential सलूक किया जाता है, अगर ऐसा हो तो क्या इस बारे में गवर्नमैण्ट ने कोई तहकीकात कराई है ?

**मंत्री** : गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। जहां तक Europeans का ताल्लुक है फैक्टरी में Europeans मज़दूर नहीं होते। अगर Labour की तरफ से कोई शिकायत आये तो तहकीकात की जाती है।

**पंडित श्री राम शर्मा** : मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि क्या गवर्नमैण्ट के पास इस किस्म की शिकायत किसी ने की कि Dhariwal mills में अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के साथ इमतियाज़ी सलूक होता है। अगर कोई ऐसी शिकायत मौसूल हुई तो क्या गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई पूछताछ की।

**Minister** : The Government are not aware of any such differential treatment.

**पंडित श्री राम शर्मा** : बात यह है कि मिनिस्टर साहिब ने जवाब दिया है कि Europeans और हिंदुस्तानियों के दरमियान कोई इमत्याज़ी सलूक नहीं होता । मैं यह दरियाफत करना चाहता हूं कि क्या किसी ने इस किसम की शिकायत नहीं की और न पता लगाने की कोशिश की और अगर किसी ने शिकायत की हो कि वहां इमत्याज़ी सलूक होता है तो क्या गवर्नमैंट ने तहकीकात करके पता लगाया कि वहां Europeans और हिंदुस्तानी मुलाज़मों में इमत्याजी सलूक नहीं है ?

**ਸਰਦਾਰ ਦੇਨਣ ਸਿੰਘ ਪੁਤ** : ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪਾਰੀਵਾਲ ਫੇਕਟਰੀ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ?

**श्रम मंत्री** : किसी ने कोई शिकायत नहीं की ।

EMPLOYMENT EXCHANGES.

***3543. Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the percentage of expenditure contributed by the Punjab Government towards the expenses incurred on the Employment Exchanges in the State ;

(b) the names of the Departments in which applications for recruitment to vacancies are received through these Exchanges ?

**Chaudhri Sunder Singh** : (a) The Punjab Government is contributing 40 per cent of the expenditure on the Employment Exchanges in this State, the remaining being borne by the Government of India. However, rent for office buildings and hire for fans is paid entirely by State Government.

(b) Vacancies, which are not filled on the advice of the Punjab Public Service Commission and the Subordinate Services Selection Board, are notified by all the Departments of the State to the Employment Exchanges for submission of names of applicants.

**श्रीमती सीता देवी** : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि कितनी फी सदी नौकरियां Employment Exchange द्वारा पुर की जाती हैं ?

**मंत्री** : 75 फी सदी नौकरियां Employment Exchange की मार्फत पुर की जाती हैं ।

**श्रीमती सीता देवी** : इस का मतलब यह है कि सिर्फ 25 फी सदी नौकरियां Services Selection Board द्वारा पुर की जाती हैं और 75 फीसदी Employment Exchange वाले पुर करते हैं ।

**मुख्य मंत्री** : मैं हैरान हूं कि माननीय Lady member जो लेबर के साथ गहरा ताल्लुक रखती हैं वह इस चीज़ को गलत तरीके से क्यों समझती हैं । दरखास्तें Employment Exchanges के पास registered होती हैं और recruitment Services Selection Board करता है ।

**चौधरी श्री चंद** : क्या यह सच है कि अगर कोई आदमी directly apply करे और नौकरी लेना चाहे तो उसे नौकरी नहीं मिल सकती जब तक कि वह employment exchange की मार्फ़त दरखास्त न दे ?

**मुख्य मंत्री** : यह बात नहीं ।

## UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

### CULTURABLE AREA UNDER THE COMMAND OF RASULPUR DISTRIBUTARY.

**587. Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total culturable area under the command of Canal outlet R. D. 107,123, Rasulpur Distributary which irrigates the lands of village Maan, Tehsil Patti, District Amritsar according to the Chakbandi of 1911-12 and 1937-38, respectively, and thereafter;

(b) whether any representations were recieved by the Executive Engineer, Jandiala Division, asking for sanctioning the warabandi under Section 68 of the Canal Act, on 16th November, 1952 and 11th December, 1952 from Dharam Singh, Naranjan Singh and other share-holders of the Canal outlet referred to above ; if so, the action, if any, taken in the matter by the Canal authorities ;

(c) whether the statements of the persons referred to in (b) above were recorded by the Zilladar, Patti, on 29th December, 1953 ; if so, the details thereof ?

**Chaudhri Lahri Singh** : (a) The total C. C. A. of outlet R. D. 107,123-L, Rasulpur Distributary as per sanctioned chakbandi of 1911-12 is 587 acres and as per proposed chakbandi of 1937-38 is 592 acres.

(b) Yes. An application was received but as sanctioned warabandi under Section 68 of the Canal Act already existed, the applicants were informed that there were no grounds for preparing fresh warabandi.

(c) Yes. The statements of the applicants were recorded who desired that warabandi should be framed on the basis of chakbandi of 1937-38. As, however, chakbandi of 1937-38 has not been implemented, therefore, no warabandi could be prepared on the basis of that chakbandi and the applicants were informed accordingly. The chakbandi proposed in 1937-38 can only be implemented after the channels have been remodelled so as to provide water on the basis of 1937-38 chakbandis.

### DISCHARGE OF CANAL OUTLET R. D. 69213/R, KHEM KARAN DISTRIBUTARY.

**589. Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the authorised discharge of canal outlet R. D. 69213/R, Khem Karan Distributary which irrigates the lands of village Asal Autar, Tehsil Patti, District Amritsar ;

(b) (i) whether any complaint regarding the shortage in the authorised discharge of the outlet under reference was received by the Canal authorities during the last 5 years from Nihal Singh, son of Jawand Singh, Wadhawa Singh, son of Kahan Singh and others of village Asal Autar ; if so, when and whether any enquiry was made on this complaint ;

(ii) the result of this enquiry and the action taken so far by the Canal authorities in the matter ;

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, the time since when this case is pending ;

(d) whether the actual discharge of this outlet was ever recorded by the Sub-Divisioal Officer (Canal) after spot inspection during the last 2 years, if so, the date of such inspection and the actual discharge recorded each time ?

**Chaudhri Lahri Singh :** (a) Authorised discharge is 1.99 Cs.

(b) (i) No.

(ii) Does not arise.

(c) Does not arise in view of (b) (i) above :

(d) Discharge was observed by the Sub-Divisional Officer on 16th May, 1954 and found to be 1.99 Cs. against 1.99 Cs. authorised.

## ADJOURNMENT MOTIONS

**पंडित श्री राम शर्मा** : स्पीकर साहिब ! गुज़ारिश यह है कि मैं ने तहरीक इलतवा का नोटिस दिया हुआ है और अगर इस तहरीक को आज की बजाए कल ज़ेरे बहिस लाया जाये तो मुझे कोई एतराज़ न होगा क्योंकि आज स्पीकर का चुनाव होना है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं चाहता हूं कि आप Adjournment motions आज ही पेश कर दें और मैं इन्हें बतौर Deputy Speaker ही dispose of कर दूंगा । मैंने आप को एक लिस्ट भेजी है जो कि आप को मिल गई होगी । अब हम एक तहरीक इलतवा को ले कर उस की admissibility के बारे में फैसला करते जायेंगे । I don't think you have any objection to this.

Adjournment motion के Notices पर जो नम्बर दिया हुआ है वह मेरी list के मुताबिक है। आप की पहली motion "Official interference in the conduct of the recent elections to the Punjab Legislative Council" के बारे में है । मैं इस बारे में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस के लिये एक और remedy available है; वह है election petition की । इस लिये इस मामले पर motion for adjournment स्वीकार नहीं हो सकती । दूसरे यह motion general terms में पेश की गई है । हमारे Rules में यह प्रबन्ध है कि ऐसी motion "must relate to a single

[उपाध्यक्ष महोदय]

specific matter" इस के इलावा इस बारे में petition हो सकती है। इन वजूहात की बिना पर यह Adjournment motion rule out की जाती है।

**पंडित श्री राम शर्मा** : On a point of order, Sir. अगर मुझे थोड़ी opportunity rules के बारे में कुछ कहने की मिल जाए, तो आप को अपनी opinion form करने में मदद मिलेगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब तक कोई Adjournment motion admit न हो जाए आप कोई argument नहीं दे सकते।

**Sardar Chanan Singh Dhut** : On a point of order, Sir......

**Chief Minister** : You cannot raise any point of order when the Speaker is on his legs. (Noise)

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ adjournment motion rule out ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ motion ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : This cannot be done under the rules. पंडित श्री राम शर्मा की दूसरी Adjournment Motion Reorganisation Advisory Committee के बारे में है। मेरा जवाब यह है कि इस के लिये remedy is open—organizations or individuals can send in their view point to Government as also to the Committee. इसलिये यह motion out of order है।

तीसरी Adjournment Motion "Failure of the timely medical help at Chandigarh to the late lamented Speaker of this House, Dr. Satya Pal" के बारे में है। यह भी out of order है क्योंकि bringing in the Speaker directly or remotely is undesirable.

**पंडित श्री राम शर्मा** : On a point of order, Sir. जनाब, मैं आप की ruling को चैलेंज नहीं करता हूं। मैं तो आप का ध्यान rules की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। Rules of procedure के सफ़ा 12 पर Rule 53 में यह लिखा है—

> "Leave to make a motion for an adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance must be asked for after questions and before the list of business for the day is entered upon."

मेरी गुज़ारिश यह है कि Question Hour खत्म हो चुका है। अब मुझे इस rule के अनुसार leave मांगने के लिये कहा जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तब हो सकता है जब motion in order हो। मैंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद इन motions को rule out किया है। किसी motion को in order या out of order करार देना मेरा फ़र्ज़ है।

**पंडित श्री राम शर्मा :** मैं किसी ruling को challenge नहीं कर रहा। मैं तो यह अर्ज़ करता हूं कि कायदों की पाबन्दी नहीं हो रही है। मुमकिन है कि मेरी बात सुन कर आप इसे मान लें। सफ़ा 12 पर जो 52 से 57 नम्बर तक rules हैं वह adjournment motions के बारे में हैं। Rule 52 leave के बारे में है। उस में लिखा है—

> "Leave to make a motion for an adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance must be asked for after questions and before the list of business for the day is entered upon."

मेरी गुज़ारिश यह है कि Question Hour अब खत्म हो चुका है। इस लिये अब मुझे leave of the House मांगने की आज्ञा दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने आप से पूछा था कि आप अपनी motions move करते हैं या नहीं। आपने कहा कि मैं move करता हूं। तब मैं ने उन को rule out किया है।

**पंडित श्री राम शर्मा :** मैंने जिन motions के notices दिये हैं वह मैं one by one move करूंगा। अगर आप उन को reject कर देंगे तो वह खत्म हो जायेंगे। अगर आप उन को पेश करने की इजाज़त दे देंगे तो इस के बाद का procedure follow किया जाएगा।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने आप से कहा था कि आप adjournment motion आज ही पेश कर दें। आपने कोई एतराज़ न किया। तब मैंने यह ruling दी है।

**Shri Dev Raj Sethi :** On a point of Order, Sir. I may also be allowed to speak on this point. It involves the question of privileges of the House. Sir, I can say from my parliamentary experience of the last 20 years that the procedure that has been followed in respect of adjournment motions during that period is this. When a motion is made, the mover is allowed an opportunity to show that the motion is (i) definite ; (ii) urgent and (iii) of public importance. After he has put his case before the House, it is for the Speaker to give a ruling whether that motion is definite or not or whether that is urgent or not.......

**वित्त मंत्री :** डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आप का और सभा के सदस्यों का ध्यान Rule 53 और 54 की ओर दिलाना चाहता हूं। नियम 53 में तो सिर्फ यह है कि अगर इजाज़त मांगनी है तो Question Hour के बाद मांगी जाए। मेरे दोस्त इस के साथ ही अगर नियम 54 को भी पढ़ें तो उन्हें पता लगेगा कि अगर मामला जिस के बारे में adjournment motion का नोटिस दिया गया है in order होगा तो स्पीकर साहिब उस के बारे में मैम्बर की ओर से दिये गये statement को पढ़ेंगे। इस नियम में यह नहीं रखा गया कि मैम्बर साहिब इजाज़त लेने के समय प्रस्ताव सम्बन्धी statement को खुद पढ़ सकते हैं। इजाज़त लेते समय तो मैम्बर साहिब सिर्फ यह कह सकते हैं कि उन्हें adjournment motion पेश करने की आज्ञा दी जाए। इस के बाद स्पीकर

[ वित्त मंत्री ]
साहिब ने फैसला करना होता है कि वह मामला in order है या नहीं। अगर स्पीकर साहिब उसे in order समझेंगे तो पढ़ देंगे। मैम्बर साहिब के उसे खुद पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मामला in order ही नहीं समझा गया हो और न ही statement पढ़ा गया हो, तो किसी मैम्बर को एतराज़ उठाने का, कि यह urgent है या नहीं है, definite है या नहीं है सवाल ही पैदा नहीं होता। डिप्टी स्पीकर साहिब इस वक्त जो पोज़ीशन ले रहे हैं बिल्कुल ठीक है।

**मुख्य मंत्री** : Sir, may I, with your permission, make a submission in this connection ? डिप्टी स्पीकर साहिब, adjournment motions के लेने का यह तरीका जो इस वक्त आप follow कर रहे हैं इतना पुराना है, कि मैं इस विषय पर बोलने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं करता था परन्तु अब जब कि सवाल खड़ा हो चुका है और आपने बोलने की आज्ञा भी दे दी है तो मैं कुछ अर्ज़ कर देना चाहता हूं। इस के मुतअल्लिक दो ज़रूरी चीज़ें हैं। पहली तो यह कि leave मांगी जाए। Rule 53 में provide किया गया है कि leave कब मांगी जाए। उस से पहले नियम 52 में 'method of asking leave' दिया हुआ है। वह यह है:—

> "A member asking for leave must, not less than half an hour before the commencement of the sitting of the day, hand to the Speaker a written statement of the matter proposed to be discussed."

Leave लेने का वक्त Question Hour के बाद होता है। उस वक्त नोटिस देने वाला मैम्बर motion को वापिस लेना चाहे तो ऐसा कर सकता है। अगर वह ऐसा न करे तो स्पीकर साहिब को देखना होता है कि वह motion in order है या नहीं। अगर Chair उसे out of order declare कर दे, तो उस के पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वह move ही नहीं की जा सकती। साल ब साल यही तरीका चला आ रहा है। आज rules की नये सिरे से interpretation करना ठीक न होगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर मज़ीद बहस की कोई ज़रूरत नहीं। पहिले स्पीकर के पास adjournment motion का नोटिस आता है, अगर वह इसे in order समझें तो move करने की इजाज़त देते हैं, वरना नहीं। इस बात पर बहस नहीं की जा सकती कि किसी adjournment motion को out of order क्यों करार दिया गया।

**पंडित श्री राम शर्मा** : माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बहुत देर से विधान-सभा के मेम्बर चले आ रहे हैं अपनी राए ज़ाहिर की है और मुख्य मंत्री जी ने भी rules की अपनी interpretation सभा के सामने रखी है। चूंकि यह मामला मेरी गुज़ारिश पर शुरु हुआ था, इस लिये मैं आप की आज्ञा से सभा का थोड़ा सा और समय लेना चाहता हूं ताकि position clear हो जाए। जहां तक 'method of asking leave' का ताल्लुक है House of Commons से ले कर छोटी से छोटी legislature

में भी यह कायदा है कि अधिवेशन शुरु होने से लग-भग आधा घंटा पहले मैम्बर जो adjournment motion पेश करना चाहता हो उस के सम्बन्ध में एक Statement लिख कर स्पीकर को भेज दे। पंजाब में 15, 20 साल से यह तरीका चला आ रहा है कि जिस मैम्बर ने नोटिस दे रखा हो वह Question Hour के खत्म होने के बाद सभा को अपनी motion पढ़ कर सुनाए। उस के बाद स्पीकर अपना फैसला देता है कि motion in order है या नहीं। हमेशा यही दस्तूर चला आता रहा है। पहले सभा के सामने वह तहरीक आती थी जिस के पेश करने के लिये leave मांगी जाती थी और उस के बाद स्पीकर साहिब अपना फैसला देते थे। दुनिया भर की विधान सभाओं में यही practice है। पंजाब में भी इसी पर अमल होता रहा है। जब rules में कोई definite मनाही नहीं की गई, तो मैं नहीं समझता कि पुराने तरीके पर क्यों न अमल किया जाये. . . .अच्छा, जनाब, आप पहले सेक्रेटरी साहिब के साथ मश्वरा कर लीजिये।

**श्री प्रबोध चंद्र :** On a point of order, Sir. मैं आप की तवज्जुह पंडित जी के इन शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं 'आप पहले सेक्रेटरी साहिब से मशवरा कर लीजिये, This is a reflection on the dignity of the chair.

**पंडित श्री राम शर्मा :** मेरे ख्याल में इन शब्दों पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। सेक्रेटरी साहिब का काम ही स्पीकर साहिब का वक्तन-फवक्तन मशवरा और advice देना है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं चाहता कि इस मामले पर मज़ीद बहस हो। दो साल से यही procedure रायज है। आप adjournment motions के नोटिस पहले भी भेजते रहे हैं और स्पीकर साहिब इन के सम्बन्ध में यही procedure follow करते आये हैं। Parliament में भी इसी दस्तूर पर अमल होता है। माननीय मैम्बर किसी वक्त मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं कि Parliament में भी यही procedure follow किया जाता है।

**श्री देव राज सेठी :** On a point of order, Sir.

**उपाध्यक्ष महोदय :** इस मामले पर अब और बहस की इजाज़त नहीं दी जा सकती।

**श्रीमती शन्नो देवी :** On a point of order, Sir. अगर कोई साहिब खड़े हो कर point of order पर बोलना चाहें तो उन को बोलने की इजाज़त होनी चाहिये। आप को इन्हें बिठा देने से पहले उन की बात तो सुन लेनी चाहिये।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ :** On a point of order, Sir. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ House of Commons ਦੇ rulings ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ rulings ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ interpret ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** गुज़ारिश यह है कि न सिर्फ House of Commons का बल्कि पार्लियामैण्ट का भी यही procedure है जो हम ने इख्तियार कर रखा है। इस लिये इस बात पर लम्बी चौड़ी बहस की ज़रूरत नहीं है।

**पंडित श्री राम शर्मा :** श्रीमान् जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने adjournment motion No. 3 को किस बिना पर out of order करार दिया है ? इस की क्या वजह है ?

**Mr. Deputy Speaker .** The hon. Member is challenging my rulings.

**पंडित श्री राम शर्मा :** यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं कोई Adjournment Motion पेश नहीं करना चाहता। जब तक मुझे इस बात का पता न लग जाये कि आप ने Adjournment Motion No. 3 और 4 को किन वजूहात पर out of order करार दिया है। मैं कोई भी adjournment motion पेश नहीं करना चाहता।

**उपाध्यक्ष महोदय :** हमारी पार्लियामैण्ट का यही procedure है और फिर House of Commons में भी यही practice रायज है।

**पंडित श्री राम शर्मा :** स्पीकर साहिब ! मेरी गुज़ारिश है कि आप कृपा करके यह बतलाइये कि Adjournment Motion No. 3 को किस बिना पर out of order करार दिया गया है ? यह जो लिखा है—

'The failure of the timely medical help at Chandigarh to the late lamented Speaker of the House. Dr. Satyapal.'

**उपाध्यक्ष महोदय :** जिस motion पर chair की ruling दी जा चुकी है माननीय सदस्य उसी को बार बार दोहरा रहे हैं। मैं उन से अर्ज़ करूंगा कि वे बैठ जायें।

**पंडित श्री राम शर्मा :** जनाब मैं उन rulings के बारे में ही तो पूछना चाहता हूं।

**श्रीमती शन्नो देवी :** On a point of order, Sir.

**उपाध्यक्ष महोदय :** Yes, please.

**श्रीमती शन्नो देवी :** आप कुर्सी पर विराजमान होंगे तो मैं तभी बोल सकूंगी। मेरा point of order यही है कि या तो आप माननीय सदस्यों को बोलने की इजाज़त न दें। और अगर आप उन को बोलने की इजाज़त देते हैं तो आप को बैठ जाना चाहिये। होता यह है कि आप भी खड़े रहते हैं और मैम्बर साहिबान भी खड़े हो जाते हैं। यह सदन की रिवायात के विरुद्ध है। इस मामला में घबराने की आवश्यकता नहीं। आप Parliament का procedure देखें और हाऊस आफ कामन्ज़ का procedure भी देखें, बाद में अपनी rulings दें। यही मेरा point of order है। (Voices: It is not a point of order. It is an advice to the Chair).

**Mr. Deputy Speaker :** The fourth adjournment motion of the hon. Member relates to the failure of the Jail Administration in detecting and preventing the recent riots in the Central Jail, Ambala,

Since the murder has taken place, the matter must be *sub-judice.* I, therefore, rule this adjournment motion out of order.

His fifth adjournment motion is in connection with the lawless behaviour of the Rohtak Police in recovering unlicensed arms from the villages.

I rule this adjournment motion out of order because it does not relate to a single specific case. An adjournment motion should not be framed in general terms. It must deal with a particular case.

The sixth adjournment motion of the hon. Member is about the transfer of Shri Khushi Ram Bhandari, Executive Engineer, Canal, Haryana Division.

The transfer of an Officer from one place to another can hardly be a matter of bringing forward an adjournment motion. Moreover, it is neither urgent nor of public importance.

The seventh adjournment motion of the hon. Member is about the refusal of the District Magistrate, Rohtak, to the deputation of the backward classes of District Rohtak to hold their conference in the last week of April.

Refusal of a District Magistrate to agree to the request of a certain deputation is not a matter of such a significance as to be raised by way of an adjournment motion...........

(Interruptions from Pandit Shri Ram Sharma)

**Mr. Deputy Speaker**: Order please, order. how can you speak while I am standing ?

**पंडित श्री राम शर्मा**: आप थोड़ी देर के लिये तशरीफ रखें तो मैं कुछ अर्ज़ कर सकूं।

**Mr. Deputy Speaker**: Yes, please.

**पंडित श्री राम शर्मा**: मेरी गुज़ारिश है कि यह जो लिखा है:—

'....the refusal of the District Magistrate, Rohtak to the deputation of the backward classes of District Rohtak to hold their conference in the last week of April. The Conference was to be held to formulate their demands to be presented to the Backward Classes Commission appointed by the Government of India.'

आपने इसे कैसे out of order करार दिया है ?

**Mr. Deputy Speaker** : As I have already said, refusal of a District Magistrate to agree to the request of a certain deputation is not a matter of such a significance as to be raised by way of an adjournment motion.

Moreover, the conduct of a District Magistrate cannot be discussed on the floor of the House as he will not be able to defend himself here.

On these grounds, I have ruled your seventh adjournment motion out of order.

**Chief Minister** (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, with your permission, I want to make one submission. I would suggest that either no indication of the matter intended to be brought on the floor of the House should be given or the whole adjournment motion should be read. As the Leader of the

[Chief Minister]
House, I have no objection to the latter course being adopted. If the Chair thinks that a gist of an adjournment motion can be given, then I think there should be no objection to its being completely read out. This is just a mere suggestion.

मेरी गुज़ारिश यह है कि चूंकि Chair hon. Members को accommodate करना चाहती है और इस लिये इन Statements का gist भी दिया जा रहा है। बेहतर यह होगा कि बजाए gist देने के सारी की सारी statement पढ़ ली जाए ताकि हाऊस के सामने सारी चीज़ आ जाए। बतौर लीडर ऑफ दी हाऊस मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर statement सारे का सारा पढ़ लिया जाये। और उस के बाद declare किया जाए कि वह out of order है या उस को accept कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।

**उपाध्यक्ष महोदय**: मैं leader of the house का मशकूर हूं कि उन्हों ने फराखदिली से काम लेते हुए इस मसले पर रोशनी डाली है। मैं adjournment motions को पूरी तरह पढ़ दिया करूंगा। लेकिन बाज़ दफा सारी statement की बजाए gist से भी काम लिया जाता है।

**पंडित श्री राम शर्मा**: इस में फराखदिली की कोई बात नहीं है, यह तो तथ्य है।

**Mr. Deputy Speaker** : Now I come to the eighth adjournment motion of the hon. Member. It is about the recent hushing up of the case of the murder of one Gugan Jat of village Gorra, Police Station Salhawas, District Rohtak in the unlawful custody of the police in February last.

This matter is no longer urgent. There was an ample opportunity of bringing forward this matter during budget discussion and the discussion of Governor's Address. I, therefore, rule this adjournment motion out of order.

His ninth adjournment motion is in connection with the *mala fide* arrest of Shri Ram Chander, Manager, Haryana, Tilak Weekly, Rohtak.

This matter is not of public importance. The motion must raise a larger issue than merely an individual grievance. I, therefore, rule this adjournment motion out of order.

The tenth adjournment motion of the hon. Member relates to the promulgation of Section 144, Cr.P.C., throughout the State for prohibiting the Pulbic activities in connection with the reorganisation of States.

**Pandit Shri Ram Sharma** : Sir, I would request you to permit me to explain this adjournment motion before you give your ruling on it.

**Mr. Deputy Speaker** : No, I am sorry I cannot accede to your request. A discussion on an adjournment motion can take place only after it has been admitted by the Chair.

**Pandit Shri Ram Sharma** : Sir, you are fully competent to allow the Mover to explain his motion even before it has been admitted by the Chair.

**Mr. Deputy Speaker :** No, please. The hon. Member should resume his seat.

**पंडित श्री राम शर्मा :** मैं यह Adjournment motion और बाकी की adjournment motions भी protest के तौर पर वापस लेता हूं। मैं समझता था कि यह इतनी जरूरी है कि इस को जरूर admit किया जायगा। लेकिन जब इस मामले की importance को नजरअन्दाज किया जा रहा है तो मैं इसे वापस लेता हूं।

**Mr. Deputy Speaker :** Then these adjournment motions should be considered as if they have not been moved.

---

PANDIT SHRI RAM SHARMA, M.L.A. to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the wholesale official interference in the contest of the recent election to the Punjab Legislative Council from the local bodies Constituency.

2. PANDIT SHRI RAM SHARMA, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public imprctance, namely, the appointment by the Government of the Advisory Committee representing only one point of view in respect of the reorganisation of State concerning the Punjab.

3. PANDIT SHRI RAM SHARMA, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a mateter of urgent public importance, namely, the failure of the timely medical help at Chandigarh to the late lamented Speaker of this House, Dr. Satyapal.

4. PANDIT SHRI RAM SHARMA, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely the failure of the Jail Administtration in detecting and pereventing the recent serious riot in the Central Jail, Ambala resulting in the murder of two persons and serious injuries to several others.

5. PANDIT SHRI RAM SHARMA, M.L.A. to asks for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the lawless behaviour of the Rohtak Police in recovering unlicenced arms from the villages.

6. PANDIT SHRI RAM SHARMA, M.L.A. to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the transfer of Shri Khushi Ram Bhandari, Executive Engineer, Canal, Haryana Division to please certain persons with a view to secure votes for a certain candidate of the Punjab Lagislative Council from the local bodies Constituency.

7. PANDIT SHRI RAM SHARMA, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the refusal of the District Magistrate, Rohtak to the deputation of the backward classes of district Rohtak to hold their conference in the last week of April. The conference was to be held to formulate their demands to be presented to the Backward Classes Commission appointed by the Goverrmtment of India.

8. PANDIT SHRI RAM SHARMA, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the recent hushing up of the case of the murder of one Gujan, Jat of Village Gorra, Police Station Salhawas, District Rohtak, in the unlawful custody of the Police in February last.

9. PANDIT SHRI RAM SHARMA, M.L.A. to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the *mala fide* arrest of Shri Ram Chandar, Manager, Haryana Tilak, Weekly, Rohtak, at Village Silana, District Rohtak by the A.-S.I Kesar Singh, on account of the grudge for the complaint of misbehaviour made by the former against the latter to the Inspector of Police.

10. PANDIT SHRI RAM SHARMA, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the promulgation of Section 144, Cr.P.C throughout the State for prohibiting the Public activities in connection with the reorganisation of State.

## ELECTION OF SPEAKER.

**Chief Minister** (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to move —

That Sardar Gurdial Singh Dhillon, who is present in the House, do take the Chair as Speaker of the Assembly.

जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, यह तजवीज़ पेश करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। सरदार साहिब का नाम जो मैंने हाऊस के सामने रखा है, मैं समझता हूं कि यह हर लिहाज़ से और हर मियार के मुताबिक इस कुर्सी को ज़ीनत बख्शने के अहल हैं।

**श्रीमती शन्नो देवी सहगल** : On a point of order Sir, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो भाषण चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने शुरू कर दिया है, यह procedure के खिलाफ है। इस के इलावा, इस वक्त आप का स्पीकर की कुर्सी पर बैठे रहना भी procedure के खिलाफ है। असल में, इस वक्त किसी दूसरे मैम्बर को इस कुर्सी पर बैठना चाहिये। और उसके बाद जब आप स्पीकर चुनें जायें तो आपको तभी इस कुर्सी पर विराजमान होना चाहिये। (विघ्न)।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप ने क्या कहा ? शोर होने की वजह से मुझे सुनाई नहीं दिया।

**श्रीमती शन्नो देवी सहगल** : मैंने यह अर्ज़ किया है कि यह जो procedure आज adopt किया जा रहा है, वह गलत है। असैम्बली के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कायदा तो यही है कि ऐसे अवसर पर जब स्पीकर का चुनाव हो रहा हो तो वही सदस्य सभापति की कुर्सी पर न बैठे। किसी दूसरे सदस्य को सभापति की कुर्सी पर बैठना चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप procedure के कौन से नियम का हवाला दे रही हैं ?

**श्रीमती शन्नो देवी** : नियम कोई भी हो, conventions के मुताबिक भी आप को इस मौके पर इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। इस वक्त किसी और माननीय सदस्य को preside करना चाहिए। (विघ्न)।

**मुख्य मंत्री** : जनाब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस पहलू से भी आप देखें मैंने एक निहायत मौज़ू नाम हाऊस के सामने रखा है। इस के साथ ही मैं समझता हूं कि इस मौके पर उन मुख्तलिफ किसम के ख्यालात का इज़हार किया जाता है, इस लिये मैं कुछ कहने के लिये हाऊस का थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूं।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, इस सूबे में यह हमारी बद-किस्मती है कि कुछ लोग जो चीजें.............

**श्रीमती शन्नो देवी** : On a point of order, Sir, डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं इस हाऊस की पुरानी मैम्बर हूं। इस लिये मैं अपना फ़र्ज समझती हूं कि जो irregularity हो रही हो, उसकी तरफ़ मैं आप का ध्यान दिलाऊं। यह तरीका भी जो कि अब चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने इख्तियार किया है, ग़लत है। दर असल पहले इस ओहदे के लिये नाम propose किया जाता है। फिर उस को second किया जाता है। नाम तजवीज़ करते वक्त

कोई तकरीर नहीं की जाती। जब कोई मेम्बर स्पीकर के तौर पर चुना जाता है तो तभी उस को मुबारकबाद देने के लिये कोई तकरीर की जाती है। इस लिये यह तरीका ही ग़लत है क्योंकि यदि एक तरफ़ तारीफ़ की जा रही हो तो कोई दूसरा मैम्बर निन्दा के लफ़्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता है।

**श्री सिरी चंद :** आप की आज्ञा से मैं भी यही अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक तरफ़ अगर उम्मीदवारों की तारीफ़ की जाए तो दूसरी तरफ से उस की बुराई भी की जा सकती है। इस लिये पहले सिर्फ़ नामों को propose ही किया जाए तो अच्छा है। इस लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले सारे नामों को propose किया जाए और उस के बाद राए ले ली जाए। इस वक्त कोई तकरीर वग़ैरा नहीं होनी चाहिए।

**श्री देव राज सेठी:** जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं इनकी राए से इत्तफ़ाक नहीं करता। दर असल propose करने वाले को हक है कि वह अपने nominee की अपनी तकरीर में तारीफ़ करे। इस के इलावा यह भी जरूरी नहीं कि अगर वह मैम्बर जिस का नाम propose किया गया हो और वह डिप्टी स्पीकर हो तो वह ऐसे मौके पर preside न करे। वह preside कर सकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं हैरान हूं कि आप क्यों इन छोटी २ बातों को तूल दिये जा रहे हैं।

**मुख्य मंत्री:** मेरी राए में यह बात ग़लत है। खैर ऐसा कहने का स्पीकर साहिब को ही हक है। मगर मैं यह नहीं मान सकता कि इस तजवीज़ को पेश करते वक्त तकरीर न की जाय। मैंने दो चार मैम्बर साहिबान के एतराजात को सुना है उन के एतराज़ात को सुनते हुए मैं भली प्रकार उन के ख्यालात का अन्दाज़ा लगा सकता हूं कि यहां जो स्पीकर की इलैक्शन हो रही है वे किस सतह पर करना चाहते हैं मगर मैं उस सतह पर जिस पर कि कुछ भाई तथा बहिनें इलैक्शन कराने के ख्वाहाँ हैं नहीं कराना चाहता। मगर यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे मौके पर तजवीज़ रखते हुए तकरीर का हक नहीं होता। इस लिये मैं अपनी मर्ज़ी से अपने तकरीर करने के हक को इस्तेमाल न करते हुए इस तजवीज़ को पेश करता हूं।

**Minister for Development** (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I second the proposal made by the Chief Minister.

**Mr. Deputy Speaker :** Is there any other proposal ?

**ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ** (ਜਗਰਾਓਂ) : ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਮੈਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਓਹਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਦਾਰ ਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਦਾਰਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਈਵਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੇਰਠ conspiracy case ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਦਾਰ ਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ]

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਈਵਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

**ਸਰਦਾਰ ਚਨਣ ਸਿੰਘ** (ਟਾਂਡਾ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਦਾਰ ਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਪੀਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਪਾਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ respect command ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਉਹ respect ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ command ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਸ ਓਹਦੇ ਦੇ ਜੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਦਾਰ ਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਠ conspiracy case ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿ ਪਾਲ ਵਾਂਗ ਕੌਮੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿ ਪਾਲ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੋਭਦੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਤਹਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹਨ ਅੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ respect command ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਜਿਸ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਿਤ੍ਰ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਦਾਰ ਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਓਹਦੇ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹਨ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਓਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਦਾਰਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।

Now according to Rules, I take up the first proposal. The question is—

That Sardar Gurdial Singh Dhillon who is present in the House do take the Chair as Speaker of the Assembly.

Those who are in favour of the motion please rise in their seats. (Members rose in their seats). Those who are against the motion please rise in their seats (Some Members rose in their places).

Since an overwhelming majority of Members have supported the motion moved by the Leader of the House and seconded by the Minister for Development, I declare that it is carried. (*Cheers*).

Now I request Sardar Gurdial Singh Dhillon to occupy the Chair (*Laughter and renewed cheers*).

**मुख्य मंत्री** (श्री भीम सेन सच्चर) : स्पीकर साहिब, आप को इस मुमताज़ ओहदे पर चुने जाने पर मुबारकबाद देने में मुझे दिली खुशी है। आप हमारे हाऊस के लिये कोई नये नहीं हैं। आप को हम ने इस से पहले काफी अरसा से इस कुर्सी पर अपने फराइज़ को सरअंजाम देते हुए देखा है। आप की काबलियत, आप की impartiality और आप की यह ख्वाहिश कि हाऊस में अच्छी अच्छी रवायात कायम हों यह सब कुछ मैम्बर साहिबान के इल्म में है। आप जो इस मुमताज़ कुर्सी पर बैठे हैं तो इस में कोई शक नहीं है कि अपना काम इस तरीके से सरअंजाम देंगे जिस से हमारे हाऊस का वकार ज्यादा बढ़ जायेगा। बतौर Leader of the House मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि यह हाऊस सिदक दिली से आप के काम में आसानी पैदा करने में मदद देगा और वह इस लिये कि जो काम यहां पर होता है वह सिर्फ इस चार दिवारी में नहीं रहता बल्कि उस को दुनिया देखती है कि यहां पर मैम्बर साहिबान किस तरह से काम करते हैं कहां तक रूलज़ की पाबन्दी होती है, कहां तक majority के बल बोते पर कानून पास किये जाते हैं, कहां तक इस मुअज़िज़ ईवान के काम को Rules of Procedure के मुताबिक किया जाता है और फिर लोग इन बातों से अन्दाज़ा लगाते हैं कि इस राज्य के जो नुमाइंदे हैं वे कैसे हैं और कैसे काम करते हैं क्योंकि उन्होंने राज्य के अपने अपने इलाके के मुतअल्लिक अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ली होती है। इस लिये यह एक बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी कार्यवाही होती है। आप की वसातत से अपने उन साथियों से मुझ को उस मौके पर यह अर्ज़ करनी है कि हम में से हर कोई यह अपना फ़र्ज़ समझे कि स्पीकर का जो काम है उस को हमने आसान करना है और मुझे यह यकीन है कि बावजूद मुखालिफ़ पार्टी के होने के जो यहां पर Opposition की शक्ल में हैं इस हाऊस के हर पार्टी के लोगों का यह ख्याल होगा, ख़ाहिश होगी और कोशिश होगी कि आप की सरकर्दगी में जो काम किया जाए वह ऐसा हो कि उस से इस ईवान की इज्ज़त बढ़े। अन्त में मैं आप को फिर दिल से मुबारकबाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप speakership के मियार को ऊंचा रखें और सब तरफ से यह आवाज़ आए कि पंजाब की speakership अच्छे से अच्छे हाथों में चली जा रही है।

**ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ** (ਜਗਰਾਉ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਦਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ Opposition ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨ ਕਿ Speaker ਨਾਲ। ਇਸ

[ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ]
ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੱਤ ਪਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। Opposition ਵਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ rulings ਦਾ ਪੂਰਾ ੨ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।

**श्री सिरी चंद** (बहादुर गढ़) : श्रीमान जी, आप के असैम्बली का प्रधान चुने जाने पर मैं आप को तहेदिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और आप को यकीन दिलाता हूं कि हम आप के हुकम को मानेंगे और आप के साथ पूरी तरह co-operate करेंगे। लेकिन इसके साथ २ यह दरखास्त करूंगा कि बाहर आप चाहे किसी भी party के मैम्बर हों लेकिन इस House के अन्दर इस की dignity, शान और रवायात सब आप के हाथ में हैं और हमें यह उम्मीद है कि आप पार्टी का ख्याल छोड़ कर Opposition के साथ वही सलूक करेंगे जो Government Benches के साथ बल्कि उस से भी अच्छा सलूक करेंगे (*Interruptions*) उन से अच्छा सलूक मैं इसलिये कहता हूं कि उन के हाथ में ताकत है, Government है और इसलिये वह ज्यादतियां करते हैं। स्पीकर साहिब, इस हाऊस में आज तक हमने जो रवायात कायम की हैं अगर वह कायम रखी जायें तो Opposition को हकूमत के खिलाफ कोई शिकायत न होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा दोनों तरफ के मैम्बरों को बराबर समझेंगे और उन के साथ impartiality का सलूक करेंगे। मैं आप को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं और यकीन दिलाता हूं कि हम सब आप के साथ co-operate करेंगे।

**ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ** (ਅਜਨਾਲਾ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਓਹੁਦੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ democracy ਵਿਚ opposition ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ opposition ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਦੀ business ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੋਇਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਗਲ ਸਮਝਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ Deputy Speakership ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ business conduct ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ Opposition ਬੈਂਚਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ treat ਕਰੋਗੇ। Opposition ਲਈ ਆਪਣਾ role ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪ ਤੇ ਮੁਨਹੱਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, party spirit ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਗੇ। ਆਪ ਦੀ

ਐਨੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ respect ਹੈ। ਆਪ leader ਅਤੇ ਸਦਰ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹੋ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ business ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਅਤੇ rulings ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ।

**दीवान जगदीश चंद्र** (लुधियाना शहर, उत्तरी) : श्रीमान जी, आप के इस ओहदे पर चुने जाने पर मैं आप को दिली मुबारकबाद देता हूं। अपने तजरबे की बिना पर मैं कह सकता हूं कि आप एक मज़बूत इन्साफ पसन्द और एक गैर-जानिबदार इनसान हैं। जैसा कि पहले मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है आप के कंधों पर एक भारी ज़िम्मेदारी आ पड़ी है। आपने इस ईवान की कार्यवाही को चलाना है। आप ने आज तक कांग्रेस में शानदार काम किया है और इस शानदार जमायत की शानदार रवायात को ऊंचा किया है। उम्मीद है कि इस हाउस की रवायात को आप उसी तरह कायम रखेंगे जैसे कि डाक्टर साहिब ने इन्हें रखा। जैसा कि Opposition के मेरे दोस्तों ने कहा है कि उन्हें इस बात का हक है कि उन के साथ बराबर का सलूक हो। आप कांग्रेस की training को सामने रख कर उन से सलूक करें क्योंकि कांग्रेस का यह असूल रहा है कि इनसाफ और ग़ैरजानिबदारी से काम लिया जाए। मैं आखिर में एक बार फिर मुबारिकबाद देते हुए इस बात की आशा रखता हूं और यह ख्वाहिश ज़ाहिर करता हूं कि आप इस कुर्सी पर आ कर इस ईवान की शान को और भी बढ़ायेंगे।

**श्री मनी राम** (फतेहआबाद) : श्रीमान जी, आप के स्पीकर चुने जाने पर मैं आप को बधाई देता हूं। आज से आप पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाली गई है। आने वाले वक्त में आप के कन्धों पर चंद फ़रायज़ का बोझ डाला गया है जिन्हें कि आपने मतानत और शान के साथ निभाना है ताकि आप इस ईवान की इज्ज़त जो आज तक कायम है उसे बनाए रख सकें। उस वक्त मुझे ही नहीं बल्कि सारे देश को खुशी होगी। आप को जो बधाई मैंने दी है उस के पीछे यही बात नहीं कि आप स्पीकर बन गये हैं बल्कि उन नतायज का भी ख्याल है जो इस मुअज़िज़ ईवान की रवायात को कायम रखने की ज़िम्मेदारी आप पर डाले जाने से निकलेंगे। इस ईवान को न सिर्फ पुरानी रवायात कायम रखनी होगी बल्कि आने वाले युग के लिये नई और अच्छी रवायात कायम भी करनी होंगी। इस से मुझे बड़ी खुशी होगी। बाकी Opposition जो criticism करती है तो वह शौक के लिये नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से होती है। इस से Opposition को खुशी नहीं होती। यह उस वक्त की जाती है जब इस के सिवाए कोई चारा नहीं होता। श्रीमान् जी, मुझे खुशी होगी जब Opposition वाले आप की तारीफ़ करें कि स्पीकर साहिब ने कभी Opposition को शिकायत का मौका नहीं दिया।

मुझे आशा है कि आप लोगों के जीवन की भलाई का पूरा ध्यान रखेंगे। Opposition को अगर नुक्ताचीनी करने का मौका मिलता है तो वह इस लिये नहीं कि वह Opposition में हैं बल्कि इस लिये कि वह लोगों की भलाई के लिये नुक्ताचीनी करते हैं। नुक्ताचीनी के लिये मौका वैसे ही Leader of the House के लिए है जैसा कि Leader of the

[श्री राम किशन]

Opposition के लिये । डिप्टी स्पीकर के नाते भी आप की जो position थी उस का मुझे उतना ही एहतराम है जितना कि और किसी का है । अगर, स्पीकर, साहिब नुक्ताचीनी होती है तो इस लिये कि यह एक रास्ता है गवर्नमैण्ट को सुधारने का । मुझे पूरी आशा है कि आप ऐसे मौकों पर अपना काम योग्यता से चलाएंगे । यह मेरी आशा है और मैं फिर एक बार आप को बधाई देता हूं ।

**ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ (ਨੂਹ)** : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਜੋ ਇੰਤਖ਼ਾਬ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਭੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ । ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੋਗੇ ।

ਪਹਿਲੇ Opposition ਨੂੰ ਭੈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੀ eye ਨੂੰ catch ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Opposition ਦੀ eye ਵੀ catch ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਦਬ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋਗੇ । ਮੈਂ Opposition ਵਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸਿਫ਼ਾਨਾ rulings ਦੇਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਖੋਗੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ।

**ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ** (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਸਾਂ । ਹੁਣ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਾਪਤੀ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਕਿਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੀਕਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹੋ । ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਦਵੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਆਪ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਓ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਓਣ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖਾਂ ਅਗੇ ਕੀ ਰਖਿਆ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਿਤਰ Opposition ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭੇ ਰਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਪਖ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਆਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਚ ਸਚਾਈ, ਬੁਰਦਬਾਰੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਸਭ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਭੇ ਨਹੀਂ ਕਿਓਂ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਧਾਕ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲੇ ਘਟ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋ ਕਿ ਜਿਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਹੀਂ ਪੌਂਹਦੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 126 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ 56 ਲਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਵਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਨਜੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਿਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ।

**श्री राम किशन** (जालन्धर शहर, उत्तर पश्चिमी) : स्पीकर साहिब, आज इस हाऊस ने जो overwhelming majority से आप का इन्तखाब किया, उस पर आप को मुबारकबाद पेश करता हूं। स्पीकर साहिब, आपका ताल्लुक उस खानदान से है जो अंग्रेजों के ज़माना में भी मुअज़्ज़ज़ था और बावजूद इस के उन्होंने देश की आज़ादी के लिये कुर्बानी की। मुझे आशा है कि आप की रहनुमाई में पंजाब तरक्की करेगा। आप इस हाऊस में ऐसी traditions और रवायात कायाम करेंगे जिन से लोगों के दिलों में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास पैदा होगा।

[श्री राम किशन]

स्पीकर साहिब, सब जानते हैं कि आप एक कामयाब journalist थे । आपने जो काम देश की एक भारी organisation अर्थात् कांग्रेस कमेटी, अमृतसर के प्रधान के तौर पर किया है उसे सब जानते हैं । स्पीकर साहिब, मैं यह नहीं भूल सकता कि आपने किसानों को बरसरेइकतदार लाने में क्या क्या काम किया है । आप उन के सच्चे हमदर्द हैं । उस तरीके को कोई भी नहीं भूल सकता जिस तरह से आपने किसानों की रहनुमाई की । आपने अमृतसर में किसानों की वकालत निहायत संजीदगी से की ।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, स्पीकर साहिब, कि आपने छः सात साल में पंजाब के लोगों में, अपने ज़िले के लोगों में और किसानों में शानदार सेवा की है । मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां भी शानदार तरीके से हाऊस की खिदमत करेंगे Treasury Benches और opposition से एक जैसा सलूक करेंगे और किसी मैम्बर को शिकायत का मौका न मिलेगा ।

स्पीकर साहिब, जैसा कि आपने कल कहा था सारे हिंदुस्तान में पंजाब के स्पीकर को बहुत बड़ा दर्जा हासिल रहा है । स्पीकर कान्फ्रेंस में भी हमारे सूबे के स्पीकर शानदार रवायात कायम कर चुके हैं । मेरा ख्याल है बल्कि मुझे यकीन है कि आप अपनी लियाकत, काबलियत और दूसरी खूबियों से सारे पंजाब को और खास तौर पर इस हाऊस को जहां पहले स्पीकर साहिब शानदार रिवायत कायम कर चुके हैं और भी चार चांद लगायेंगे और पंजाब इस बात पर फख्र करेगा कि उस के नुमाइंदों ने आप जैसा स्पीकर चुना । इन अलफ़ाज़ के साथ मैं आप को मुबारिकबाद देता हूं ।

**ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ** (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿ ਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ । ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਏ । ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਇਨਕਿਲਾਬ ਆ ਗਿਆ । ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ । ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਬੜੇ ਲੀਡਰ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ । ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ inspiration ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਲੀਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ । ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਹੱਥ ਸੀ । ਓਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ career ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ law ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਰਹੇ । ਫੇਰ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਐਡੀਟਰ 'ਸ਼ੇਰ ਭਾਰਤ' ਵਿਚ ਤੁਸਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ

ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਰਆਈਆਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਧੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਕੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸਾਂ Amritsar Journalist Association ਦੇ president ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸਾਂ ਬੜੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦਰਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਭ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗਲ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਪਹਿਲੀ election ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ Deputy Speaker ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣੇ ਹੋ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਅਕਲ ਅਸਤ ਨਾ ਬਸਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਗਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੁਣਾਓ ਬਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਇਹ ਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ Deputy Speaker ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ-ਗੋ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਹਿਮੋ-ਫ਼ਰਾਸਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਦਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਣਗੇ। Opposition ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਪੀਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਓਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਨਾਓ secularism ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਡੀ ਜਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ guide ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਗ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

चीफ पालियामेंट्री सक्रैटरी (श्री प्रबोध चंद्र) : स्पीकर साहिब, आप को मुबारक देने के बाद मुझे अपने House को भी मुबारिक देना है जिस ने एक नौजवान को अपना स्पीकर चुना है। मुझे आप को इस लिये भी मुबारक देना है कि आपके ताल्लुकात Press Gallery से बहुत अच्छे रहे हैं। किसी भी House की शान उस वक्त तक कायम नहीं रह सकती जब तक कि Press Gallery और स्पीकर के relations बहुत अच्छे न हों। Press Gallery के साथ आप के ताल्लुकात बहुत शानदार हैं और यह और भी ज्यादा अच्छे होते जायेंगे क्योंकि आप खुद एक अच्छे पाये के journalist हैं।

[चीफ पार्लीमैन्टरी सैक्रेटरी]

स्पीकर साहिब, आप पर इस House की dignity बरकरार रखने की ही जिम्मेवारी नहीं, आप पर पंजाब की dignity बरकरार रखने की ही जिम्मेवारी नहीं, आप पर एक और बड़ी जिम्मेवारी है। आपने यह साबत कर दिखाना है कि एक नौजवान भी यह काम पूरा कर सकता है। आप को स्पीकर होते हुए हिंदुस्तान के नौजवानों का सिर ऊंचा करना है। आपने इस तरह काम करना है कि आने वाले लोग नौजवानों पर ही अपनी उम्मीदें रखें। आपके सामने नौजवानों की इज्ज़त और शान को बरकरार रखने का सवाल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे बरकरार रखेंगे। मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि हम आप को पूरा तआवन देंगे। इन लफ़्ज़ों के साथ मैं आप को फिर मुबारिकबाद देता हूं।

**ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ** (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ Opposition ਇਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ Opposition ਨੂੰ ਗਡੀ ਦੀ brake ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Opposition ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ brakes ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਨਾਂ ਜਾ ਪਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ Opposition ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਡੀ ਧੱਕੇ ਧੁਕੇ ਖਾਂਦੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Opposition ਜਾਂ brakes ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਲੋਗ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Opposition ਦੀ ਤੇਜ਼ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾ ਨ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੁਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਢਿਆ ਨ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਢੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੁਢੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਬੁਢੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ House ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੁਢੇ ਹਨ ਮਸਲਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨ ਦਿਉ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ rulings ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ

ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਫਰਜ਼ ਭੀ ਹਨ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਆਵਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

**प्रोफ़ैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर)** : स्पीकर साहिब, मैं इस वक्त आपकी कामयाबी पर जहां मुबारकबाद देता हूं वहां यह प्रार्थना भी करता हूं कि आप उस शानदार तरीके से अपने फरायज़ अदा करें और अपने career को उस तरीके से ऊंचा करें जैसे दुनिया के अन्दर स्पीकर की dignity का रिवाज है। मैं यहां प्रार्थना का लफ़ज़ इस लिये इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि एक ऐसे नौजवान को इस chair में बिठाया गया है जो legislature की जिन्दगी में ऊंचा दर्जा रखता है। ऐसे नौजवान का इस जगह पर पहुंचना उस मुल्क के लिये बाइसेफख़र होता है जिस में यह नौजवान पैदा होता है। Democracy के तरीके के मुताबिक बेशक हरेक का हक है कि किसी औहदे के लिये किसी का नाम पेश करे। लेकिन जब एक candidate कामयाब हो जाता है तो दूसरा candidate उस के गले में हार डालता है और उसे honour करता है। मैं आप को बता दूं कि मेरे माननीय साथी सहगल साहिब ने मुझ से कहा है कि वे आखिर में बोलेंगे ताकि वे दूसरे साथियों की बातें सुन लें। लड़ाई में हमेशा एक आदमी को हार होती है और एक को जीत। परन्तु हारे हुए का फर्ज होता है के जीते हुए को मुबारिकबाद दे और उस के साथ पूरा तआवन करे।

इस वास्ते आप को यकीन दिलाता हूं कि हम हर काम में आप को तआवन देंगे। जो मुश्किलें आप के सामने आयेंगी उन्हें हल करने में सिदक दिली से आप का साथ देंगे। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ यह कहना मेरे लिये अच्छा मालूम नहीं होता कि Chair बेखौफ़ी से काम करे और अपने हाथ में तराज़ू ले कर देखे कि कहीं party prejudice से तो काम नहीं लिया जा रहा। उसे चाहिये कि favouritism और partiality से बाला तर रहे। इन चीजों को देखना Chair के लिये बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि Deputy Speaker होते हुए आपने यह जाहिर कर दिया है कि आप बड़े impartial हैं। इस लिये मैं ऐसी बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं समझता। जब एक जनरल मैदान में दाखिल होता है तो उस की काबलियत का पता नहीं लगता जब तक वह जंग में फतह हासिल न कर ले। उस हालत में लोग उस की काबलियत की दाद देते हैं। अगर आप तराज़ू को पकड़ कर अच्छी तरह से हर बात को तोलेंगे तो हर आदमी यह कहेगा कि आपने एक progressive role अदा किया है। कई conventions पुरानी ऐसी हैं जिन्हें तबदील करने की जरूरत

[प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी]

है। मिसाल के तौर पर Rules of Procedure को बदलने के लिये स्पीकर के हाथ में बहुत ताकत दी गई है। Democracy के ज़माने में असेम्बली के स्पीकर को भारी ताकत मिल गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पुराने conventions को तोड़ेंगे और एक इनकलाब पसन्द आदमी की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बड़े ओहदे पर काम कर के अपना career ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। इन इलफाज़ के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं।

**श्री रणजीत सिंह कैप्टन** (हिसार सदर) : स्पीकर साहिब, मैं आप को स्पीकर के इन्तखाब पर दिली बधाई देता हूं। यह बधाई मैं एक रसमी तौर पर जैसे हर एक को उस की कामयाबी पर दी जाती है देने का आदी नहीं हूं। स्पीकर का ओहदा एक जनरल या हाई कोर्ट के जज की तरह होता है जिस पर एक बड़ी उमर का संजीदा आदमी तईनात किया जाता है लेकिन आज के चुनाव में इन तरीकों से इखतलाफ़ किया गया है और हमें खुशी है कि एक नौजवान इस ओहदे के फरायज़ को सरअंजाम देगा। इस में कोई शक नहीं कि यह ओहदा एक बड़ा अहम ओहदा है। इस की ज़िम्मेदारियां बहुत हैं। मैं इस चीज़ का भी आदी नहीं हूं जैसे मेरे कुछ भाईयों ने इस बारे में dos and don'ts आप के सामने रखे हैं, यानी ऐसा करें और ऐसा न करें। इस हाऊस में आप गवर्नमैण्ट का नुक्ता भी देखा करेंगे और Opposition का भी। हमें आप से यह नहीं कहना कि आप Opposition को ज्यादा मौका दिया करें क्योंकि हर एक मैम्बर इस हाऊस में आप के लिये यकसां है। मेरी खाहिश है कि आप इस हाऊस में ऐसी traditions कायम करें ताकि आने वाली नसलें उन रवायात की पैरवी करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जरमनी में २६ साल का जनरल रोमेल एक बड़ा नाम पैदा कर सकता है तो कोई वजह नहीं कि छोटी उमर का ढिल्लों parliamentary practice में नाम पैदा न करे।

**पंडित श्री राम शर्मा** : उन की उमर क्या है ?

**श्री रणजीत सिंह कैप्टन** : उन की उमर १२ साल की होगी (हंसी) मैं उम्मीद रखता हूं जैसाकि मेरे एक दोस्त ने फरमाया था कि हमने पूरी majority से आप को इस असेम्बली का स्पीकर elect किया है लेकिन मैं समझता हूं कि जिन साहिबान ने आप को वोट नहीं दिये वे भी आप की कुव्वते इरादा और फैसला करने की काबलियत को मानते हैं। कोई बात जब तक किसी के दिल में न हो वह बाहिर नहीं निकलती। पार्टी के फैसले के खिलाफ़ जो वोट दिये गये हैं वह मुखालिफ पार्टी आम तौर पर दिया ही करती है। उन को अब ऐसी practice छोड़ देनी चाहिये। अगर वह मुखालिफ पार्टी में न होते तो आप के खिलाफ वोट न देते। आजकल हिंदुस्तान में लीडरों की कमी महसूस की जा रही है और महसूस किया जाता है कि नौजवानों को मौका नहीं मिलता। हमने यह मिसाल पैदा कर देनी है कि पंजाब में नौजवान लीडर भी हो सकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे बहिन सीता देवी ने कहा है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि अगर श्री किदार नाथ सहगल और श्रीमती सीता देवी के बाद मैम्बर साहिबान अपनी तकरीरें बन्द कर दें तो मैं उन का मशकूर हूंगा।

**श्री कदार नाथ सहगल** (बल्लभगढ़) : स्पीकर साहिब, मैं कई रोज़ से बिमार हूं इस लिये खामोश था लेकिन यह मेरा फर्ज़ेअव्वलीन है कि मैं इस मौके पर आप को मुबारिकबाद पेश करूं। यह एक असूल की बात थी कि आप के चुनाव में मुझे कहा गया कि मैं अपना नाम propose करूं बावजूद इस के कि मेरे दोस्त जानते थे कि हमारे आपस में इखतलाफ़ हैं लेकिन वे यह देखना चाहते थे कि हमारे कांग्रेसी भाईयों में कितनी ज़मीर काम करती हैं और कितने वह पार्टी के पाबन्द हैं। मैं उन को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने पूरे तौर पर वोट दिये।

इस सिलसिले में मैं एक बात अर्ज़ कर देना चाहता हूं वह यह है कि स्पीकर की कुर्सी बड़ी शान वाली कुर्सी है। माननीय मैम्बरों को पता होगा कि Central Parliament में जब Mr. Vithal Bhai Patel स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान थे तो वह किस शान से अपना काम सरअंजाम देते थे। इस बारे में मुझे एक वाक्या याद आ गया है। एक दफा का जिक्र है कि उन के कमरे में Commander-in-Chief उस रास्ते से तशरीफ ले आये जिस रास्ते से स्पीकर आया करते थे। उन दिनों अंग्रेज़ों के इशारों पर toadies नाचते थे लेकिन Mr. Vithal Bhai Patel किसी से नहीं डरते थे उन्होंने कहा मि: कमांडर-इन-चीफ ! तुम पहले मुआफी मांगो फिर इस कमरे से वापस जाओ और आयंदा इस रास्ते से आने की ग़लती न करना। वह हर वक्त यही चाहते थे कि अपनी कुर्सी की शान को कायम रखा जाये। वह अंग्रेज़ों की परवाह नहीं करते थे। और ग़लत बात को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे।

मैं आप की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप को मालूम है कि हमारे वुज़रा में से जब कोई ऐसी नामुनासिब बात करता था तो डाक्टर सत्यपाल उस की परवाह नहीं करते थे। वह Opposition की बातों की उसी तरह से परवाह करते थे जिस तरह से Government Benches की ओर से कही गई बातों की करते थे। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप भी इस कुर्सी की शान को जिस पर आप विराजमान हुए हैं, कायम रखते हुए इस हाऊस को एक बड़ा भारी तोहफा दें। मेरे ख्याल में आप आयंदा भी ऐसे काम चलायेंगे जिस से किसी मैम्बर को, खाह वह Opposition का हो या Government Party का, कभी भी शिकायत का मौका न मिले। मैं आप को इस कुर्सी पर विराजमान होने पर मुबारिकबाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी शान से और रोअब से अपने काम को सरअंजाम देंगे और किसी मम्बर को शिकायत का मौका नहीं देंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर आप को मुबारिकबाद देता हूं और मुख्य मंत्री जी को भी मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि उन्होंने आप का नाम तजवीज़ किया है।

**श्रीमती सीता देवी** (जालन्धर शहर दक्षिण पूर्वी) : श्रीमान् स्पीकर साहिब, मैं सिर्फ एक बात कहने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं जहां आप को मुबारिकबाद देती हूं वहां Leader of the House को भी मुबारिकबाद देती हूं क्योंकि उन की नज़र एक जवान आदमी पर पड़ी है। पंजाब की रवायत यह रही है कि जब कभी किसी Minister या स्पीकर का इन्तखाब करना होता है तो किसी बूढ़े आदमी पर आम तौर पर नज़र पड़ती

[ श्रीमती सीता देवी ]

थी। मगर इस बार लीडर साहिब की नज़र एक जवान पर पड़ी है। यह बड़ी बात है। मैं लीडर साहिब को इस बात के लिये मुबारिकबाद देती हूं। वैसे तो आप हाऊस के लिये नये नहीं हैं और न ही हाऊस आप के लिये नया है। आप काफ़ी देर से डिप्टी स्पीकर चले आते हैं। आप ने जिस शान से डिप्टी स्पीकर के काम को निभाया है, मैं समझती हूं यही वजह है जिस के लिये आप इतने भारी बहुमत से स्पीकर चुने गए हैं।

जो बातें सरदार वरयाम सिंह और कई दूसरे साथियों ने आप के बारे में कही हैं जैसा कि यह कि आप compromising spirit के हैं, आदि वह सब ठीक हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस तरह डाक्टर सत्यपाल जी इस कुर्सी पर बैठ कर अपने लिहाज़ को छोड़ कर असेम्बली के rules को बदल कर भी किसी अच्छी बात को मनज़ूर कर लेते थे, आप भी उसी तरह से उस रवायत को कायम रखेंगे। अगर कोई ऐसी बात Ministerial Benches को पसन्द न हो, मुझे आशा है कि आप तब भी boldness से उसे स्वीकार कर लेंगे जैसा कि डाक्टर सत्यपाल किया करते थे। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं इस की बड़ी शान है और मुझे आशा है कि आप अपने काम को निहायत शान से निभायेंगे।

एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूं। इस हाऊस के १२६ मैम्बर हैं परन्तु वास्तव में १२३ ही समझे जाते हैं। तीन को हर चीज़ में ignore किया जाता है। मुझे आशा है कि भविष्य में उन को १२६ समझा जाएगा और सब के साथ equal treatment होगा। इन शब्दों के साथ मैं फिर आप को मुबारिकबाद देती हूं।

**प्रोफ़ैसर शेर सिंह** : (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, बधाई देने की बातें बहुत बज़ुर्ग मुझ से पहले कर चुके हैं। अगर मैंने केवल बधाई देनी होती तो मुझे खड़ा होने की ज़रूरत न थी। परन्तु मैं एक बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस चुनाव के लिये इस हाऊस के एक उमररसीदा सदस्य भी खड़े हुए परन्तु हाऊस के बहुत से मैम्बरों ने अपना वोट एक नौजवान को दिया। आप के elect हो जाने से आप पर बहुत ज़िम्मेदारी का काम आ पड़ा है जो आप से पहले बड़े उमररसीदा बज़ुर्ग ने निभाया है। मुझे आशा है कि आप भी इस कार्य को उसी शान से निभाएंगे। मैं आप को इस चुनाव पर बधाई देता हूं।

**श्रीमती शन्नो देवी** (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, मैं आप को स्पीकर चुने जाने पर मुबारकबाद पेश करती हूं। मैं आप से कहना चाहती हूं कि आप उन खुशकिस्मत नौजवानों में से हैं जिन को शेरे पंजाब डाक्टर सत्यपाल के डिप्टी रहने का अवसर मिला। आप का legislature का तजरुबा बहुत ज्यादा नहीं है। परन्तु आप को उस महान लीडर के साथ काम करने का मौका मिला है। इस लिये जिस तरह से आप ने वकालत पढ़ी है अगर उसी ढंग से आपने पार्लियामैण्ट्री procedure को study किया होगा तो निश्चय ही आप कामयाब हो सकते हैं।

इस हाऊस में आज एक भाई ने एक पुरानी याद ताज़ा कर दी है। इस हाऊस में बहुत से सदस्य हैं जिन्होंने श्री विट्ठल भाई पटेल के ruling सुने और फिर इस असेम्बली में डाक्टर सत्यपाल के ruling सुने। इस लिये, स्पीकर साहिब, आप को

अपने काम में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और फिर जिस तरह से आप की तारीफ की गई है उस से ज़ाहिर है कि आप को हाउस के मैम्बरों का पूरा सहयोग मिल सकता है और आप कामयाब हो सकते हैं। परन्तु मेरे सामने आप की ज़ात नहीं है। मेरे सामने कुर्सी की ज़ीनत है। जिस तरह डाक्टर सत्यपाल के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने इस कुर्सी को ज़ीनत बखशी, मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूं कि आप भी उन रवायात को जो उन्होंने कायम की हैं बरकरार रखेंगे। अगर आप उन रवायात को आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उन को कायम ज़रूर रखें। यह मेरी आप के लिये परमात्मा से प्रार्थना है।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂਦਾਸ ਹੰਸ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾ ਹਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਈਆ ਨੌਜੁਆਨ ਹੀ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਉਗੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਦੋਹਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ—

ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਅਕਲ ਅਸਤ ਨਾ ਬਸਾਲ
ਤਵੰਗਰੀ ਬਦਿਲ ਅਸਤ ਨਾ ਬਮਾਲ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

श्री सरूप सिंह (नरनौंद) : श्रीमान् जी, मैं आपके स्पीकर चुने जाने पर आप को हार्दिक वधाई देता हूं। मैं उन भाइयों से पूरी तरह सहमत नहीं जिन्होंने कहा है कि आप को इस पद के लिये चुन कर नौजवानों की कदर और इज्जत की गई है। वास्तव में इस कुर्सी का दो चीज़ों से गहरा सम्बन्ध है, एक तो तजरुबे से और दूसरा काबलीयत और कानूनदानी से। आप इन दोनों चीज़ों में सभा के किसी सदस्य से पीछे नहीं हैं। यह कुर्सी जो आप को

[श्री सरूप सिंह]

अता की गई है बजा तौर पर की गई है। लियाकत और तजुरबे की बिना पर इस कुर्सी पर आप का हक था। आप पिछले दो सालों से जिस प्रेम और मिलनसारी के साथ हमारे साथ पेश आते रहे हैं, हम भला उसे कैसे भूल सकते हैं। हमें पूर्ण आशा है कि आप की लियाकत और कानूनदानी से इस कुर्सी की शान बढ़ेगी और सभा को काफ़ी फायदा पहुंचेगा।

मुझे विश्वास है कि आप के स्पीकर चुने जाने पर पंजाब के तमाम लोगों को खुशी होगी क्योंकि आप की शखसीयत से इस प्रान्त का बच्चा २ परिचित है। Cpposition के भाई तसल्ली रखें कि आप सब सदस्यों के साथ हमेशा प्रेम, मिलनसारी और नर्मी के साथ पेश आते रहेंगे और यकसां सलूक करेंगे।

**श्री चांद राम एहलावत** (झज्जर) : प्रधान जी ! मुझे खुशी है कि आप को मुबारकबाद देते हुए सभा के सब सदस्यों ने कहा है कि आप एक काबिल जवान हैं। यह प्रशंसनीय है कि आप की काबलीयत और युवावस्था को सामने रख कर ही आप को इस कुर्सी का जिसे इस समय आप सुशोभित कर रहे हैं, कार्यभार सौंपा गया है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपके सभापतित्व में इस सभा में बड़े २ महत्वपूर्ण कानून पास किये जायेंगे जो हमारे प्रांत के लोगों को उन्नति के मार्ग पर बहुत आगे ले जायेंगे। ज्यादा बधाई के पात्र कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने एक नौजवान को सभापति बनने का अवसर दिया है। हम उमीद करते हैं कि जिस तरह उन्होंने एक नौजवान को महान पद प्रदान किया है इसी तरह वह इस सभा में भविष्य में क्रांतिकारी कानून भी ले आयेंगे जो नये पंजाब के बनाने में सहायक साबत होंगे। इन शब्दों के साथ, मैं आप को मुबारकबाद देता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : Leader of the House, Leader of the Opposition और दूसरे मेम्बर साहिबान ने मेरे इन्तखाब पर मुख्तलिफ तरीकों से जिन ख्यालात और जज़बात का इज़हार फरमाया है, उन के लिये मैं उन का तहे दिल से मशकूर हूं। मुझे यह जानकर वाकई बहुत खुशी हुई है कि मैं अभी एक नौजवान समझा जाता हूं। मैं तो इस ख्याल में था कि मैं नौजवानों के आलम से बहुत आगे बढ़ चुका हूं। चालीस साल की आयु पर आदमी का शुमार न तो बूढ़ों में होता है और न ही जवानों में। जहां तक इस हाऊस को चलाने का काम है, मैं तो अपने आप को पिछले दो सालों से उमररसीदा आदमी समझ रहा हूं।

हाऊस के मामलों, हाऊस के वकार और हाऊस के privileges को दुनिया की बाकी तमाम बातों पर तरजीह देनी मेरी आदत का हिस्सा बन चुका है। मैं मेम्बर साहिबान को विश्वास दिलाता हूं कि जो बातें उन्होंने सलाह मश्वरे के तौर पर कही हैं, मैं उन पर पाबन्द रहूंगा। स्पीकर का पद ऐसा पद है कि इसे संभालने वाले की हर अवसर पर प्रत्यक्ष रूप से आज़मायश होती रहती है। इस कुर्सी पर बैठने वाले को गाहे-बगाहे जिन पेचीदा मसलों, मुश्किलात और हालात का सामना करना पड़ता है, उन पर वह सभा के सदस्यों के सहयोग के बिना कभी काबू नहीं पा सकता।

मैं आप साहिबान से यह अर्ज़ करूंगा कि बजाए स्पीकर के काम में किसी प्रकार की रुकावट डालने के वे मुझे अपना काम चलाने में अपना पूरा २ सहयोग दें। मैंने मैम्बर साहिबान की तमाम तकरीरें बड़े ध्यान से सुनी हैं। मुझे मालूम है कि Deputy Speaker पार्टी का मैम्बर भी होता है, वह हाऊस में बतौर मैम्बर के बैठता भी है और बतौर मैम्बर के तकरीर भी करता है। इस माहौल का असर उस के दिलो दिमाग पर ऐसा होता है कि वह जब कभी इस कुर्सी पर बैठता है तो अपने आप को उस माहौल से detach करना शायद उस के लिये मुश्किल होता है। लेकिन जब कभी मुझे खुद मौका मिलता रहा है तो मैं पूरी impartiality से काम लेता रहा हूं। अब जब कि यह कुर्सी पूरे तौर पर मेरे हवाले कर दी गई है और हाऊस के वकार और privilege की जिम्मेदारी इस कुर्सी पर है तो इस माहौल में काफी तबदीली लानी होगी। इस सिलसिले में मैं Opposition वालों को खास तौर पर यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आज के बाद non-partyman हूंगा (*cheers*)। मैं अपने आप को party politics से ऊपर रखने की कोशिश करूंगा। मैम्बर साहिबान ने तरह तरह के विचार ज़ाहिर किए हैं कि स्पीकर हाऊस के बाहर पार्टी से ताल्लुक रख सकता है। लेकिन मैं इस विचार का हूं कि अगर स्पीकर हाऊस के अन्दर पार्टीमैन नहीं है तो उसे हाऊस के बाहर भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। खयालात का बदलना माहौल पर मबनी होता है। स्पीकर ideology या programme में तो यकीन रख सकता है लेकिन उन पर अमल नहीं कर सकता मेरा मतलब यह है कि The Speaker can follow any programme or ideology by convention, but he can never follow such things by action and expression. Democracy इस बुनियादी असूल पर कायम है कि Opposition ज़रूर हो और अगर Opposition न हो तो Democracy, Dictatorship में बदल जाती है। स्पीकर का यह फर्ज़ होता है कि hon. member के rights की हिफ़ाज़त करने के लिये जो असूल कायम किये गए हों उन का मुहाफिज़ बने और मैं Opposition वालों को इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मैं उन असूलों पर कारबन्द रहूंगा और उनके हुकूक की हिफ़ाज़त करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। (*cheers*) मैं फिर अर्ज़ करना चाहता हूं कि Leader of the House से Opposition वालों को चाहे कितना ही इखतिलाफ क्यों न हो, वैसे आप लोग हाऊस से बाहर उन इखतिलाफात का इज़हार कर सकते हैं मगर जहां तक हाऊस की कार्रवाई का ताल्लुक है वह निहायत constitutional और parliamentary तरीका से और हाऊस के procedure के मुताबिक होनी चाहिये। अगर मैम्बर साहिबान अपने legitimate rights से तजावज़ करेंगे तो उस से हाऊस के वकार को धक्का पहुंचने का खतरा होगा और जो ऊंची रवायात हम इस नये हाऊस में कायम करना चाहते हैं नहीं कर सकेंगे। हमारा एवान हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद कायम हुआ है और इस को चलाने के लिये हम जिन parliamentary तरीकों को इख्तियार कर रहे हैं उन को हम England के हाऊस आफ कामन्ज और अपने Parliament से ले रहे हैं। कई मसले ऐसे हैं जिन को हम हाऊस आफ कामन्ज की रिवायत क

[अध्यक्ष महोदय]

अनुसार हल करते हैं और कई ऐसे मामले हैं जिन को हम पार्लीमैण्टरी तरीका के अनुसार हल करते हैं। लेकिन कई मसले हाऊस में ऐसे खड़े हो जाते हैं जिन का हल conventions या जाबता के अनुसार मुश्किल हो जाता है। उस हालत में हाऊस की dignity को कायम रखने में मैम्बर साहिबान की तग्रावुन करने की spirit ही सहायक होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां तक ऐसे हालात का सम्बन्ध है आप लोग मुझे मुश्किल में नहीं डालेंगे। जहां आप लोग मुझ से निहायत impartial रहने की उम्मीद रखते हैं वहां मैं भी आप से उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे पूरा २ तग्रावन देंगे।

इस हाऊस में ऐसे बजुर्ग मौजूद हैं जिन के हाथों में बैठ कर मैंने तरबीयत पाई है। कुदरती तौर पर उन की मौजूदगी का असर मेरे दिलो दिमाग पर होता है। उन के सामने मैं out of respect खड़ा होता हूं और हाथ जोड़ता हूं और "Sir" तक कहता हूं। वे कहते हैं कि ऐसा न करो। बावजूद इस बात के कि मैंने उन से तरबीयत पाई है और जिन्दगी में काफी मदद उन से ली है इस हाऊस में मैं उन से तवक्को रखूंगा कि वे अपने आप को बतौर एक hon. Member के और मुझे Speaker के तौर पर समझेंगे। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हर किस्म के हालात में भी हाऊस का वकार ऊंचा रह सकेगा।

जहां तक हरिजन मैम्बर साहिबान का ताल्लुक है, उन को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस हाऊस में सब hon. Members के साथ यकसां सलूक किया जायेगा। बहिनों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो पहले ही डरता हूं कि मुझ पर यह बौहतान न लगाया जाए कि minority के साथ लापरवाही का सलूक किया गया है। और उन को यकीन दिलाता हूं कि हर मौके पर उन को accommodate करने की कोशिश करूंगा।

प्रेस वाले भाइयों से तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद उन के साथ शिमला में हाऊस की gallery में बैठता रहा हूं। इसी journalism की वजह से ही मैंने अपने ख्यालात में तबदीली की है। इसी की वजह से मुझे अपनी जिंदगी में ऊपर उठने का मौका मिला है। इसी journalism के नाते मैं आशा करूंगा कि वे इस हाऊस की proceedings को सही तौर पर publish करने का यत्न करेंगे। उन की हर एक तकलीफ को जो उन्हें इस हाऊस में होगी दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की जायेगी। और उन के legitimate rights की हिफ़ाज़त की जाएगी। मुझे अफ़सोस है कि adjournment motions पर पंडित जी ने आज काफ़ी गर्मी पैदा की है। इस के इलावा उन्होंने एक दम एक ही दिन में 18 adjournment motions का नोटिस दे दिया। तो भी मेरी यह दिली खाहिश थी कि उन को ज्यादा से ज्यादा accommodate करूं, लेकिन मुझे भी तो rules of procedure के मुताबिक चलना होता है। मैं भी उन का पाबन्द हूं। Adjournment motions में जिन मामलों का जिक्र किया गया था उन के सम्बन्ध में रूल्ज इजाजत ही नहीं देते थे कि कोई बहस शुरु की जाए। फिर भी मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि अपनी

powers के अन्दर जो कुछ भी हो सकेगा उन की मदद के लिये मैं हर वक्त तैयार रहूंगा । इस लिये आयन्दा के लिये जो भी ख़ादिशात उन के दिल में है वह उन्हें निकाल दें। इस के साथ ही मैं एक बार फिर अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां Leader of the House मुझे मेरे काम में अपना पूरा तआवन देंगे वहां Leader of the Oposition से भी यही आशा रखता हूं ।

मैं चाहता हूं कि उस अज़ीमुशान हस्ती स्वर्गीय डाक्टर सत्यपाल ने जिस शान के साथ इस हाऊस के वकार को बुलन्द किया था, मैं भी उन के नक्शेकदम पर चल सकूं। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि वह मुझ पर बहुत एतबार किया करते थे। मुझे याद है कि पिछले दिनों तो ख़ास तौर पर मुझे ज्यादा वक्त के लिये इस कुर्सी पर बैठाया करते थे। कई दफ़ा तो उन्होंने यह भी कहा कि अब तुम सही तौर पर trained हो गए हो। ख़ैर, इस वक्त मैं सिर्फ़ यही कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों ने मुझ पर जो उम्मीदें लगा रखी हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझ में इतनी ताकत हो कि उनपर पूरा उतर सकूं। इन इलाफ़ाज़ के साथ मैं आप सब का तहेदिल से मशकूर हूं कि आपने मुझे इतनी बुलन्द इज्ज़त बख़शी है। ईश्वर करे कि मैं इस एवान की शान और वकार को कायम रख सकूं।

---

## ELECTION OF DEPUTY SPEAKER.

**Mr. Speaker** : Under rule 8(ii) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I fix Wednesday the 19th May, 1954, for election of the Deputy Speaker.

---

## PANEL OF CHAIRMEN.

**Mr. Speaker** : Under Rule 11(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I have nominated the following four Members as Members of the Panel of Chairmen—

(1) Shrimati Dr. Parkash Kaur.

(2) Dewan Jagdish Chandra.

(3) Sardar Ajmer Singh.

(4) Shri Dev Raj Sethi

---

## GRANT OF LEAVE OF ABSENCE TO MEMBERS.

**Mr. Speaker** : I have received the following application from Principal Harbhajan Singh—

"I beg to inform you that I have been confined to bed since 7th April, 1954, on account of a big abcess on my waist and that it will take a month or so more to heal perfectly. I shall under the circumstances, be unable to attend the next Session of the Assembly to begin on 17th May. The certificate of the

[Mr. Speaker]

doctor attending on me is enclosed herewith. I shall be obliged if you kindly grant me leave for the whole of next session.''

Question is—

That the leave asked for be granted.

*The leave was granted.*

**Mr. Speaker :** I have received the following application from Sardar Shib Singh, M.L.A.—

I have come to know, as you have conveyed, that the Session of the Punjab Legislative Assembly is going to be held on 17th May, 1954. I am lying ill in this (V.J. Hospital, Amritsar) and, can not attend the Session. Therefore, it is requested that I may be allowed to remain absent during this Session

Question is—

That the leave asked for be granted.

*The leave was granted.*

**Mr. Speaker :** Now the Secretary will make an announcement.

---

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY RE. CERTAIN BILLS.

**Secretary :** In pursuance of Rule 2(ii) of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1952, I beg to lay on the Table of the House a copy of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill, 1954, which has been returned by the Punjab Legislative Council with amendment. This Bill was passed by the Punjab Legislative Assembly on the 2nd April, 1954 and transmitted to the Punjab Legislative Council for its concurrence.

I also beg to lay on the Table a statement showing the Bills which were passed by the Punjab State Legislature during its Budget Session, 1954, and assented to by the Governor.

STATEMENT

1. The Punjab State Legislature (Preventaion of Disqualification) (Amendment) Bill, 1954.
2. The Punjab Security of the State (Amendment) Bill, 1954.
3. The Sikh Gurdwaras (Amendmnt) Bill, 1954.
4. The Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, 1954.
5. The Punjab Urban Immovable Property Tax (Amendment) Bill, 1954.
6. The Punjab Urban Immovable Property Tax, (Second Amendment) Bill, 1954.
7. The Indian Forest (Punjab Amendment) Bill, 1954.
8. The Punjab Appropriation Bill, 1954.

9. The East Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1954.

10. The Punjab Tobacco Vend Fees Bill, 1954.

11. The East Punjab General Sales Tax (Fourth Amendment) Bill, 1954.

12. The Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill, 1954

13. The Punjab Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 1954.

14. The Punjab Appropriation (No. 2) Bill, 1954.

15. The Punjab Entertainments Tax (Cinematograph Shows) Bill, 1954.

16. The Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, 1954.

17. The Punjab Municipal (Amendment) Bill, 1954.

18. The Punjab Local Authorities Laws (Exercise of Powers) (Amendment) Bill 1954.

---

## THE PUNJAB REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL, 1954.

**Chief Minister** (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to introduce the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill.

**Cheif Minister** : Sir, I beg to move—

> That the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब, यह बिल जो पेश किया जा रहा है एक निहायत जरूरी बिल है। इस ऐवान के मोअज़्ज़िज मैम्बरान को पता है कि जो मौजूदा ऐक्ट है, यानी The Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act उसके मुताबिक यह प्रबन्ध है कि अगर कोई property requisition करनी हो तो उस के लिए पहले जायदाद के मालिक को एक नोटिस दिया जाता है कि आप बतलाएं कि क्यों न फुलां property को requisition कर लिया जाए? उस पर अगर किसी शख्स ने कोई एतराज करना हो तो एक खास मियाद के अन्दर ऐसा कर सकता है। अगर वह एतराज रद्द कर दिया जाए और उस के बाद property को requisition कर लिया जाए और उस हुक्म के खिलाफ अपील भी खारिज हो जाए जो कि एक मुकररं मियाद में हुई है तो उस property के मालिक के पास कानूनी तौर पर कोई चारा नहीं रह जाता कि वह उसे derequisition करवाने के लिये कोई और कदम उठा सके। मैंने यह देखा है कि लोगों के मकान requisition हुए अरसा गुज़र गया है। वह उसे derequisition कराने के लिये दरखास्त पर दरखास्त देते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कानून में कोई प्रबन्ध ही नहीं है जिस से ऐसे लोगों को किसी तरह से relief मिल सके। हां, अगर कोई तरीका किसी को दिखाई देता है तो

[Chief Minister]

वह यह है कि मिनिस्टर मुतग्रल्लिका के पास दरखास्त दे दे; उस से जाकर मिले और अपनी तकालीफ बयान करे। और वह executive तौर पर एक फ़ैसला दे दे कि हम को अब इस property की कोई जरूरत नहीं, लिहाजा इसे मालिक को वापस कर दिया जाए। इस के अलावा वह हक जो कि किसी को किसी कानून के मुताबिक होना चाहिए, इस एक्ट में नहीं है। इसलिये मैंने यह महसूस किया है कि इस चीज़ के लिये लोगों को बहुत तकलीफ पेश आ रही है। मैंने यह देखा है कि बहुत देर से requisition हुई property को कोशिश करने के बावजूद भी छोड़ने के लिये कोई कानूनी sanction नहीं है।

फिर, स्पीकर साहिब, यह भी देखा गया है कि अगर आज एक मालिक प्रापर्टी एक दरखास्त एक मिनिस्टर को देता है तो फिर जब वह दूसरे मिनिस्टर को मिलता है तो उसे भी उसी तरह की दरखास्त पेश की जाती है। इसी तरह जिस जिस मिनिस्टर या अफ़सर मुतअल्लिका को वह मिलता है अपनी दरखास्त की अलग अलग कापियां उन्हें दे देता है। इन हालात में ऐसा हो जाता है कि जब ऐक्ट के मुताबिक कोई इजाजत नहीं है तो उस पर क्या और कैसे फ़ैसला किया जाए, इस के लिये बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है।

स्पीकर साहिब, आप जानते हैं कि फ़ैसले भी दो किस्म के हुआ करते हैं। एक तो वे जो इन्तज़ामिया तौर पर होते हैं और दूसरे वे जो एक ऐक्ट की किसी दफ़ा के मुताबिक किए जाते हैं। तो, स्पीकर साहिब मौजूदा हालत में उस का नतीजा यह होता है कि लोगों को कई किस्म की तकलीफों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन का काफ़ी रुपया और वक्त ज़ाया होता है लेकिन फिर भी नतीजा तसल्लीबखश नहीं निकलता। लोगों की इन तकलीफों को देखते हुए इस बिल को हाऊस के सामने पेश किया गया है। इस बिल का मकसद यह है कि जब requisitioning का हुक्म नाफ़ज़ हो गया तो एक खास तारीख के बाद उस हुक्म के खिलाफ कोई दरखास्त नहीं ली जायगी। अब भी जो कानून लागू है उस के मुताबिक requisitioning order के नाफ़ज़ होने के बाद मालकाने मकान को दरखास्त देने का हक नहीं है। यह अलग बात है कि जो दरखास्तें दी जाती हैं उन फ़ैसलों पर नज़र सानी की जाए। लेकिन अब यह दस्तूर कानूनी तौर पर बन्द हो जाएगा और जब एक बार कोई जायदाद requisition हो जायगी तो कोई दरखास्त भी एक खास अरसा तक नहीं दी जा सकेगी। इस बिल के मुताबिक अब यह जरूरी होगा कि जब कोई मकान requisition करना होगा तो इस बात पर अच्छी तरह से गौर किया जायेगा कि क्या उस मकान का requisition करना निहायत जरूरी है और जब District Magistrate या Requisitioning Authority मालिक मकान की तरफ से पेश की गई दरखास्त को सही या माकूल न समझे और रद्द कर दे तो रद्द करने के बाद मालिक मकान को हक है कि वह उस फ़ैसले के खिलाफ़ अपील दायर कर सके। यह अपील गवर्नमेंट के पास दायर की जायेगी और अगर गवर्नमैण्ट यह फ़ैसला कर दे के जायदाद मुतग्रल्लिका मुनासिब तौर पर requisition की गई थी तो उस हुक्म के खिलाफ दो साल तक कोई

दरखास्त नहीं दी जा सकती मगर इस के बाद ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि जो हालात उस तारीख को न थे जब Competent Authority ने या गवर्नमैण्ट ने वह फैसला किया था। अगर कोई खास हालात रुनुमा हो जायेंगे तो बावजूद इस बात के इस सम्बन्ध में दो साल की मियाद का प्रबन्ध किया गया है फिर भी दरखास्त दी जा सकती है जिस में उन बदले हुए हालात का ज़िक्र किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी कलकत्ते में मुलाज़म है या फौज में नौकर है और उस का मकान requisition हो जाता है क्योंकि उस के बाल बच्चे उस के साथ रहते थे। लेकिन जब वह पैनशन पर आता है तो उसे मकान की ज़रूरत होती है। जब तक वह मुलाज़म था उस को मकान की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उस के बाल बच्चे उस के साथ थे। लेकिन जब वह पैनशन पर आ जाता है तो कोई वजह नहीं कि क्यों न उस का मकान फौरन खाली कर के उस को वापस दे दिया जाए। देखने में आता है कि ऐसे लोगों के मकानात derequisition नहीं किये जाते और ऐसे हालात का पैदा हो जाना ऐन मुमकिन है। इसी तरह और कई खास हालात हो सकते हैं। यानी किसी मालिक मकान ने अपना मकान बेचना हो तो उस का मकान बिक नहीं सकता जब तक उस का कब्ज़ा उसे न मिल जाये। ऐसी सूरते हालात में वह दरखास्त देने के हकदार होंगे। वह दरखास्त दे सकता है और जो फ़ैसला District Magistrate करेगा अगर वह उस से मुतमइन न हो तो वह उस के खिलाफ गवर्नमैण्ट के पास अपील दायर कर सकता है। अगर गवर्नमैण्ट भी उस की दरखास्त रद्द कर दे तो उस को हक हासिल है कि वह दो साल के बाद फिर इसी तरह की दरखास्त दे सके। सो हाऊस के सामने जो तरमीमी बिल पेश है इस का यही मतलब निकलता है कि मौजूदा कानून के मुताबिक मालकान को अपनी जायेदाद derequisition कराने के लिये दरखास्त देने का और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के फ़ैसले के खिलाफ गवर्नमैण्ट के पास अपील करने का कोई हक हासिल नहीं है। अब यह हक इस बिल में दिया जा रहा है और लोगों के लिये आसानी पैदा की जा रही है।

फिर मैं अर्ज़ कर दूं कि वाक्यात का सही जायेजा लिया जाता है और सही जायेज़ा लेने के बाद फिर फैसला किया जाता है। इस लिये मैं समझता हूं कि उस फ़ैसले का कुछ देर तक लागू रहना ज़रूरी है। यह नहीं होना चाहिये कि आज फ़ैसला हुआ तो कल उस के मुतअल्लिक दरखास्त दे दी जाए और परसों फिर एक दरखास्त और दे दी जाये। इस से लोगों को और गवर्नमेंट के कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और नतीजा भी कुछ नहीं निकलता। तो मैं अर्ज़ करता हूं कि यह बिल लोगों की सहूलियत के लिये लोगों की आसानी के लिये और लोगों को कुछ मज़ीद हक देने के लिये लाया गया है। यह उसी पालिसी का नतीजा है जो गवर्नमैण्ट ने इस बारे में बना रखी है यह तो इस लिये है कि जो मकान या दीगर immoveable property अपने तौर पर या महकमाना तौर पर requisition हुई हुई है उस के बारे में District authorities देखें कि क्या वह property derequisition की जानी चाहिये या नहीं। मैं यह नहीं चाहता कि एक दफ़ा requisition की गई जायेदाद हमेशा के लिये derequisition न हो सके। कई ऐसे लोग हैं जिन के अपने मकान requisition

[Chief Minister]

किये गये हैं और उन के हालात बदल जाने से उन्हें रहने को जगह नहीं मिल रही। यह तरमीमी बिल उन की मुश्किलात को हल करने के लिये लाया गया है। यह ठीक है कि अभी मकानात की किल्लत है और सरकारी अफ़सरों के लिये और सरकारी दफ़तरों के लिये उन्हें requisition करना जरूरी होता है। इस किल्लत की वजह से सरकारी मुलाज़मों को भी तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन लोगों की तकलीफ़ को भी हमने देखना है। सरकारी कामों के लिये चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों न हो हम ने लोगों को भी सहूलियतें देनी हैं। यह तरमीमी बिल इस नुक्ता निगाह से हाऊस के सामने पेश किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि हाऊस इसे कबूल करेगा।

**Mr. Speaker :** Motion moved—

> That the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**श्री श्री चन्द (बहादुरगढ़) :** साहिबे सदर, पिछले दिनों से हमारी असैम्बली का कुछ ऐसा रिवाज हो गया है कि जो रूलज़ हैं उन की बहुत कम परवाह की जाती है। हमारी असैम्बली के Rules of Procedure का Rule 95 बहुत clear है। मैं, जनाबे वाला, इसे आप की खिदमत में पढ़ना चाहता हूं कि जब यहां कोई बिल पेश होता है या जब यहां कोई motion पेश होती है........

> "When a bill is introduced or on some subsequent occasion the Member-in-charge may make one of the following motions in regard to his bill, namely :—
>
> (a) that it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified ; or
>
> (b) that it be referred to a Select Committee ; or
>
> (c) that it be referred to a Joint Committee of both Houses of the Legislature ; or
>
> (d) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion :
>
> Provided that no such motion shall be made until after copies of the bill have been made available for the use of Members and that any Member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available five clear days before the day on which the motion is made and such objection shall prevail *unless the Speaker, in the exercise of his power to suspend this rule, allows the motion to be made*."

साहिबे सदर ! अव्वल तो असैम्बली को इस सैशन के लिए बुलाए जाने का नोटिस ही हमें पांच छ: दिन हुए मिला था जो कि बहुत पहले मिलना चाहिये था और यह बिल जो आज introduce किया जा रहा है इस की copy गालबन आज सुबह हमें मिली है।

साहिबे सदर, rule यह है कि अगर बिल gazette हो जाए तो शायद copy देने की जरूरत न पड़े। मगर आप की खिदमत में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह एक special procedure है। Rules को avoid किसी खास मौके पर ही किया जाना चाहिए। यह चीज़ आपके खास इख्तियारात में शामिल है।

The objection shall prevail unless you in the excercise of your powers allow the bill to be introduced and taken into consideration.

हमारे हाथ यह बिल आज ही आया है तो इस में amendments क्या तजवीज की जा सकती हैं। बाकी यह कि बिल gazette हो चुका है तो उस की बाबत भी हमें मालूम है कि बिल gazette कैसे किये जाते हैं। कभी कोई बिल पहुंचता है और कभी नहीं पहुचता। हमें कभी कभी ठीक मौका नहीं दिया जाता कि हम अपनी amendments भेज सकें। Rules को इस तरह relax नहीं किया जाना चाहिए कि Opposition को अपनी राय जाहिर करने का मौका ही न मिले। Government के पास हाथ उठाने वाले मैम्बर बहुत हैं इस लिये उन्हें उसे पास करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन rules न तो Opposition के लिए हैं और न ही Government के लिए, बल्कि यह इस लिए हैं कि अगर कोई बिल आए तो मैम्बर इसे 5 दिन तक देख कर इस में अगर कोई amendment करानी ज़रूरी हो तो उस का नोटिस दफ़तर में भेज दे। दूसरी तरफ से यह कहते हैं कि यह बिल तो लोगों की सहूलियत के लिये है। मगर इस के बाद और बिल भी तो आयेंगे जो बिला नोटिस के होंगे। अगर इन rules की परवाह न करते हुए बिल झट-पट आते रहे तो इस का नतीजा वही होगा जो इस असैम्बली में पहले होता रहा है यानी एक Session में बिल पेश किया तो अगले में amendment पेश कर दी। फिर किसी ने एतराज किया, तो वज़ीर साहिब ने फिर amendment पेश कर दी। यहां पर बिल झट पट पेश कर दिया, किसी ने एतराज किया कि साहिब यह नुक्स रह गया है तो कह दिया कि Upper House में ठीक हो जाएगा। वहां से भी नुक्स रह गया तो अदालत में ठीक हो जायगा। ऐसा तो हुआ ही करता है। मगर यह ठीक बात नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप को बता दूं कि यह बिल 14 अप्रैल को असेम्बली के दफ्तर में पहुंचा और 20 अप्रैल को मैम्बरों के पास भेज दिया गया था।

**श्री श्री चन्द** : श्रीमान् जी, मेरा मतलब यह है कि इस बिल के बाद भी तो और बिल आयेंगे। मैं चाहता हूं कि Government यह assurance दिलाए कि उन के बारे में ऐसा नहीं होगा।

**अध्यक्ष महोदय** : इस वक्त जो बिल House के सामने हैं आप उस की बात करें। दूसरे Bills के मुतअल्लिक अभी कुछ कहना दुरुस्त नहीं।

**श्री श्री चन्द** : गवर्नमैण्ट ने जो बिल एवान के सामने पेश किया है यह हमारे पास आ पहुंचा है। अगर कोई चीज़ कायदों के मुताबिक नहीं की जाती तो इस का गज़ट में 19 20 या 21 को शामिल करने का क्या फायदा। ऐसा मालूम होता है कि जिस वक्त सुबह हुई तो किसी को ख्याल आया और बिल को gazette में शाया करने के लिये भेज दिया। फिर झट उसे असैम्बली में पेश किया जाता है। यह असैम्बली है महज़ एक मज़ाक

[श्री श्री चन्द ]
हूं ? गवर्नमैण्ट ऐसे बिल असैम्बली के सामने जो gazette में भी न छपे हों, ले आती है। इसके अलावा Chief Minister साहिब ने फ़रमाया है कि requisition का बिल......

**पंडित श्री राम शर्मा** : स्पीकर साहिब, चौधरी साहिब के एतराज़ के सिलसिले में मैं कुछ गुज़ारिश करना चाहता हूं। गवर्नमैण्ट अगर rules पर अमल letter में न सही ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप point of order raise करें, लेकिन तकरीर नहीं कर सकते ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : जी हां मैं point of order के मुतअल्लिक ही अर्ज़ करूंगा। यह जो बिल हाऊस के सामने पेश किया गया है, मैं इस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो कुछ rules में लिखा हुआ है उस पर अगर letter में न सही spirit में तो गवर्नमैण्ट कम अज़ कम अमल करे। जिस वक्त यह बिल मैम्बरों के पास पहुंचा उस वक्त किसी को यह खबर नहीं थी कि असैम्बली का इजलास कब बुलाया जा रहा है । 15 दिन के अन्दर २ पता चला कि पंजाब असैम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है। उस वक्त questions भेजने के लिये 15 दिन का नोटिस देना भी मुमकिन नहीं था। इसी वजह से आप देखिये कि questions की list कितनी brief है। मैम्बरान यहां पहुंचे तो उन्हें पता नहीं था कि कौनसा बिल 18 तारीख को हाऊस में पेश हो रहा है । यहां आकर यह नए बिल देखे जो agenda में शामिल हैं। मेरे पास इन बिलों की कापी नहीं थी। मैं ने एक आदमी को सारी colony में भेजा कि किसी जगह से यह मिल जाएं। बड़ी मुशकिल से एक जगह से कापी मिली। इस तरह जब जल्दी २ बिल पेश किये जाते हों तो भला कब कोई अपनी तरमीम पेश करे और राय कायम करे। मैं मान लेता हूं कि हमारे rules of business में आप के वसीह इख़्तियारात हैं और ऐसे होने भी चाहियें, लेकिन इन का इस्तेमाल बिला लिहाज़ इस बात के कि कोई मैम्बर इधर के बैंचों पर बैठता है या उधर के बैंचों पर, इस तरह होना चाहिये कि सब को अपने फरायज़ सरअंजाम देने में पूरी २ सहूलियत मिले । अगर rules के मुताबिक बिल नहीं छपते और हमें ज़रूरी वक्त उन पर ग़ौर करने के लिये नहीं मिलता तो हम पंजाब के लोगों से और यहां के कानून पास करने में इनसाफ से काम नहीं ले सकेंगे। मैं चौधरी श्री चन्द जी के एतराज़ की ताईद करता हूं और अर्ज़ करता हूं कि जो rules में लिखा हुआ है उस पर अगर letter में नहीं तो spirit में तो ज़रूर अमल होना चाहिये और मैम्बरान को इतना मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वह resolutions और बिलों के बारे में अपनी राय कायम कर सकें और तरमीमें वग़ैरा भेज सकें वरना जो कुछ पिछले दिनों होता रहा है वही इस दौर में भी होता रहेगा और बिल जल्दी जल्दी पास हुआ करेंगे जिस से कुदरती तौर पर इन में खामियां रह जायेंगी।

एक और बात जिस की तरफ मैं हाऊस का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह है कि सरकार की कुछ ऐसी आदत हो गई है कि जितने unimportant bills होते हैं वह तो शुरु २ के दिनों में लाए जाते हैं और जब आखिरी दिन आता है, जिस दिन मैम्बरान घरों को जाने

के लिये तैयार बैठे होते हैं, उस दिन most important bills असैम्बली में लाए जाते हैं और इस तरह तेजी से काम लिया जाता है जिस की वजह से खामियां ज़रूर रह जाती हैं। मुझे उम्मीद नहीं कि ऐसी बात किसी और हाऊस में भी होती हो।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜ਼ੱਲ ਸਿੰਘ) : ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ point of order ਚੌਧਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ rule 95 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁਜਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲ ੮ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਾਸ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ।

श्री श्री चंद : स्पीकर साहिब, on a point of order, Sir. सिर्फ बिल भेज देना काफी नहीं। Bill should be sent with a notice.

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਦੋਸਤ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ੫ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ five days clear notice ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਵੇਖਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਜਾਂ ਰੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब मैं आपका ruling इस बात पर चाहता हूं कि बिल अगर किसी वक्त भी पांच दिन पहले मैम्बरों को आ जाए उसे नोटिस समझ लिया जाता है या क्या जिस दिन बिल नोटिस के साथ भेजा जाए उस दिन से नोटिस का period शुरू होता है ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਾਸ within time ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਲ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ definite ruling ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ rules ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ study ਕਰਕੇ ਦਸਾਂਗਾ।

पंडित श्री राम शर्मा : बहुत अच्छा, जनाब।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : On a point of order, Sir. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ session ਤੋਂ ਬਾਦ ਗਵਰਨਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ prorogue ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ lapse ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ੫ ਦਿਨਾਂ ਦੇ clear ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਲ ਤਕ ਇਜੰਡੇ ਤੇ co-operative societies ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਇਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੇਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਕੇਵਲ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ੫ ਦਿਨਾਂ ਦਾ clear notice ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਬਿਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ।

**ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੁਤੱਅਲਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ curtail ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ curtail ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ curtail ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

**श्री देव राज सेठी :** यह बिल जो पेश किया गया है..................

**श्री श्री चन्द :** On a point of order Sir. जब Chair की तरफ से एक बात पर ruling दी जा चुकी हो तो फिर क्या इस पर बोलने की इजाजत दी जा सकती है ?

**अध्यक्ष महोदय :** श्री देव राज सेठी point of order पर नहीं बोल रहे। वह बिल को support कर रहे हैं।

**श्री देव राज सेठी** (रोहतक शहर) : स्पीकर साहिब ! आज जो बिल हमारी सरकार की तरफ़ से पेश किया गया है यह बहुत अच्छा है। इस के सम्बन्ध में लोगों को बीसियों किसम की शिकायतें थीं। इस बिल में बहुत नुकस थे : अब इस बिल के पास करने से वह सब दूर हो जायेंगे, लेकिन इस में retrospective effect के बारे में कुछ नहीं कहा गया। क्या जिन लोगों ने दो साल पहले derequistion के लिये दरखास्तें दीं उन की दरखास्तों पर ग़ौर हो सकता है ? जिन लोगों के मकानों की derequisition लम्बे अरसे से हो चुकी है उन को relief नहीं दिया गया। इस शिकायत को दूर करने के लिये सरकार को amendment लानी चाहिए।

**श्री राम किशन** (जालन्धर शहर, उत्तर पश्चिम) : स्पीकर साहिब जो बिल चीफ मनिस्टर साहिब ने पेश किया है इस के मुतअल्लिक चीफ मिनिस्टर साहिब की तकरीर को मैंने सुना है। पिछले दो साल में इस सिलसिले में यह पहली amendment पेश हुई है। स्पीकर साहब, आप की वसातत से मैं गवर्नमैण्ट से अर्ज़ करता हूं कि इस एक्ट की working तसल्ली बाख्श नही थी, इस amendment के ज़रिये जो relief दिया जा रहा है वह relief नाकाफी है। कई मकान derequisition हो चुके हैं लेकिन अभी तक वापस मालकों को नहीं मिले। इस के बारे में कई मिसालें दी जा सकती हैं और मेरा तजुरबा है कि मकानों को requisition करके मालकों से अच्छा सलूक नहीं किया जाता। स्पीकर साहिब, मैं आप की वसातत से चीफ मिनिस्टर साहिब की तवज्जुह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पिछले आठ साल से जालन्धर में जिन मकानों को requisition किया गया उनका क्या हशर हुआ।

मैं इस सिलसिले में चार बड़ी मिसालें पेश करना चाहता हू जिन से पता चलता है कि जिन मकानों को requisition किया गया उनका क्या हशर हुआ। पांच साल हुए जालन्धर में एक मकान requisition किया गया। यह मकान चार कनाल जमीन पर बना हुआ है। इस को requisition कर के इसका 10 रुपये किराया मुकर्रर किया गया। इस के एक portion में एक और family रहती थी। requisition करते समय

उस family को कोई मौका न दिया गया कि वह अपनी रिहाईश का इन्तज़ाम कर सके। इस family को notice दिए बिना मकान को ताले लगा दिये गये और उन्हें seal कर दिया गया। कई दरखास्तें दी गईं लेकिन कोई सुनवाई न हुई। चार साल फैसला करने में लग गये। जब कोई फैसला न हुआ तो फैमली की तरफ से Senior Sub-Judge की अदालत में दावा दायर कर दिया गया कि जो नुकसान हुआ है इस को पूरा किया जाये। फैसला हुआ कि नुकसान की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की ज़िमेदारी है। Requisitioning Authority की नहीं। लेकिन अभी तक मकान का कब्ज़ा वापस नहीं मिला और न ही कोई रकम।

स्पीकर साहिब ! आप यह सुन कर हैरान होंगे कि requisition मकानों के मालिक बार बार दरखास्तें देते हैं कि आप किराया अगर नहीं देना चाहते, न दीजिये, कमज़कम मकान की मुरम्मत तो करवा दें लेकिन वह भी नहीं की जाती।

दूसरा मकान जालन्धर में अड्डा कपूरथला के पास जानकी देवी का है। यह requisition किया गया। जिस के लिये इसको requisition किया गया था उस के रिश्तेदारों का इस मकान पर ढाई साल से कब्ज़ा है। जानकी देवी को इस मकान का कब्ज़ा अभी तक नहीं मिला। जालन्धर के डिप्टी कमिश्नर की तवज्जुह इस तरफ दिलाई गई है कि मकान को derequisition हुए २॥ साल गुज़र चुके हैं लेकिन न तो मकान का कब्ज़ा मिला है और न ही इस ढाई साल के अरसे में एक पैसा तक किराए का दिया गया है।

इस के अलावा मैं चीफ मिनिस्टर साहिब की तवज्जुह गोविन्दगढ़ के एक केस की तरफ दिलाता हूं। एक मकान को कमिश्नर के स्टेनो के लिये requisition किया गया। इस steno को तबदील कर दिया गया और एक और steno को मकान अलाट कर दिया गया। पिछले 6 साल से इस के किराए का एक पैसा भी अदा नहीं किया गया। Home Secretary के पास गए। एक सौ के करीब दरखास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 6 साल से इस मकान की बिजली का किराया भी मालिक मकान को अदा करना पड़ा। मकान अब derequisition कर दिया गया है लेकिन अभी तक कब्ज़ा नहीं दिया गया।

चौथा वाकिया जो मैं आप की विसातत से उन के नोटिस में लाना चाहता हूं यह है कि एक शख्स ने नई कोठी बनाई और पिछली वज़ारत के जमाने में उसे requisition कर लिया गया। मालिक की सब कोशिशें और दौड़ धूप बेकार गई। आखिर मुआमिला गवर्नर तक पहुंचा तब कहीं जाकर ठीक हुआ।

मैं आप की विसातत से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो हालात इस बारे में नज़र आ रहे हैं उन का नतीजा अच्छा नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि मकानों की कमी है और गवर्नमैन्ट को कभी अफसरों के लिये और कभी दफतरों वगैरा के लिये मकानों की ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन जिस तरीके से इस Act पर अमल हो रहा है उस से गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत फैलती है। मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करता हूं कि इस बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाए और Act के working को ठीक किया जाए।

[श्री राम किशन]

अब में मुख़तसर तौर पर तीन चार बातें और कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जैसा कि सेठी साहिब ने कहा है आगे के लिये तो appeal का हक दे दिया गया है मगर पिछले सात साल में जो कुछ होता रहा है उस सिलसिले में इस बिल में कोई relief नहीं दिया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** आप सारे Act पर बहस न करें। जो amending bill इस वक्त हाऊस के सामने पेश है उसी के बारे में बात करें।

**श्री राम किशन:** मेरी अर्ज़ यह है कि पिछले सात साल के अर्से में जो मकान requisition किये गये उन के सम्बन्ध में यहां इस बिल में कुछ नहीं किया गया। इस लिये में चीफ मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करता हूं कि पांच सात आदमियों की एक Committee बना दी जाए ख़ाह वह Official Committee हो या गैर सरकारी आदमियों की हो। जैसी भी चाहें बना दें। वह कमेटी जांच पड़ताल कर के देखे कि Act पर किस तरह working हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिये।

दूसरी अर्ज़ यह है कि जब कभी किसी मकान को requisition किया जाए तो उस के बारे में एक हद मस्लन एक साल मुकर्रर कर दी जाए। अगर किरायादार इस मियाद तक किराया अदा न करे तो उस का हक automatically जाता रहे और उसे मकान से निकाला जा सके।

तीसरी बात यह है कि जैसा कि Planning Commission ने कहा कि मकानों की कमी है मगर बहुत से लोग डर के मारे नये मकान नहीं बनाते कि उन को requisition कर लिया जाएगा। इस लिये में दरख़ास्त करता हूं कि कम से कम पांच साल तक नये मकान requisition न किये जाएं।

चौथी अर्ज़ में यह करना चाहता हूं कि derequisitioning की दरख़ास्त पर competent authority के ग़ौर करने के बाद उस पर गवर्नमैण्ट के पास appeal का प्रबन्ध तो कर दिया गया है लेकिन पिछला तजरबा बताता है कि ऐसे कामों में जो फैसला incharge अफसर कर दे वही कायम रहा करता है। इस लिये मेरी गुज़ारिश है कि एक आदमी की जगह तीन चार आदमियों की एक Committee हो जो सब बातों की जांच पड़ताल के बाद ग़ौर करके फैसला किया करे।

पांचवीं बात यह है कि जिस मकसद के लिये कोई मकान requisition किया गया हो जब वह हल हो जाए तो फ़ौरन उस मकान को derequisition कर दिया जाए। लेकिन तजरबा यह बताता है कि एक बार जो मकान requisition हो गया बस फिर वह हो गया और derequisition होने की बजाए दूसरे लोगों के काम आता रहता है। इस सिलसिले में लोगों को बहुत तकलीफ है। में Planning Commission के अलफ़ाज़ की तरफ आप की तवज्जुह दिलाता हूं। लिखा है कि—

> "With regard to the acquisition of premises for public purposes, we would recommend that the practice should be resorted to only exceptionally. It cannot be denied that requisitioning of premises on an extensive scale in recent years has had a deterrent effect on the building activity in the private sector. We would, therefore, urge upon Government, both Central and State, to be cautious in having recourse to requisitioning house properties in times of peace."

स्पीकर साहिब, मैं आशा रखता हूं कि जिन वाकियात की तरफ मैं ने तवज्जुह दिलाई है, चीफ मिनिस्टर साहिब उन पर ग़ौर फरमायेंगे और Act के working को ठीक करने के लिये बहुत जल्दी मुनासिब action लेंगे ताकि लोगों की तकलीफ दूर हो जाए।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** (ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Treasury ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਉਸ ਤੇ amendments ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ! ਹੁਣ ਵੀ ਇਕ ਬਿਲ Disqualifications ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਦੇ ਹੀ amendment ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੈ ਓਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਹਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ Act ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ derequisition ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਓਹਦਾ ਮਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ Property-tax ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ tax ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ....

**मुख्य मंत्री** : On a point of order, Sir. मैं मैम्बर साहिब को टोकना नहीं चाहता मगर यह अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त सारा ऐक्ट हमारे सामने नहीं इस लिये मैं आप के द्वारा उन से दरखास्त करता हूं कि वे सिर्फ amending bill पर बहस करें।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਮੈਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਉਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ property

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ Bhākra Dam ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਗਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਹੀ ਸੁਣਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ** (ਸਮਰਾਲਾ): ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਐਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ Comrade ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ Act ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਜੋ bureaucracy ਜਾਂ Hitlerism ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਸ Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ Act ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ misuse ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ Act ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ emergency measure ਸੀ। ਇਹ war days ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ normal feature of the day ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਇਕ informer ਜਾਂ ਮੁਖਬਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Deputy Commissioner ਨੂੰ ਜਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ requisition ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੀ Property ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇ ਸਾਡੀ constitution ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਅਪਣੀ property ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ interference ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ Exceptions ਬਹੁਤ ਘਟ ਵਰਤੇਂ

ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ Constitution ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ democracy ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । ਹੁਣ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ requisition ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ । ਇਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਕੋਈ arbitrator ਹੀ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਓ । ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਕਰਾਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਫੇਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਢਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ । ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਕਾਨ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ । ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਕਮਰਾ ਗਿਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਾਮਾਨ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ । ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਤੀਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆਂ । ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਢਠ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਕੇ ਇਸ ਦੀ requisition ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ! ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ । ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇਕ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ report ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ Act ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ rent fix ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ requisition ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, requisitioned houses ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ । ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ । ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ Act ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ special case ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇਕ case ਭੇਜਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Deputy Commissioner ਤੋਂ report ਮੰਗੀ । ਉਸ report ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ derequisition ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਮਕਾਨ ਇਕ ਬੇਵਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਲਈ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]
ਮਕਾਨ ਨ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਫੇਰ requisition ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ Act ਦਾ ਬਹੁਤ misuse ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

**राम्रो गजराज सिंह** (गुड़गांव) : स्पीकर साहिब, इस तरमीमी बिल के मुतअल्लिक इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो appeal के बारे में relief दे दी गई है उस में काफी दिक्कतें होंगी । जहां तक इस ऐक्ट के working का सवाल है अपील गवर्नमैण्ट के पास आयेगी लेकिन ऐसी अपीलें मिनिस्टर साहिबान ने तो सुननी नहीं । यह इख्तियारात किसी को delegate करने होंगे । मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि ऐसे इख्तियारात किसी Judicial Authority के सुपुर्द कर दिये जायें । इस तरीके से फैसले जल्दी हुआ करेंगे । अगर अपील गवर्नमैण्ट के पास आई तो क्लर्क उन फाईलों को दबा कर बैठ जायेंगे और इस तरह से ऐसे cases के फैसलों में काफी देर लगेगी । गवर्नमैण्ट को चाहिए कि यह इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट जज को सौंप दे ताकि मुकदमों के फैसलों में देर न लगे । इस सिलसिले में मैं एक मिसाल बता सकता हूं कि गवर्नमैण्ट ने कुछ ज़मीन इस बिना पर requisition की कि शरणार्थी भाईयों के लिये Work Centre बनाना है । गवर्नमैण्ट ने 10,000 रुपये बतौर, मुआवजा देने का फैसला किया लेकिन अभी तक न उन लोगों को मुआवज़ा दिया गया और न ही Work Centre बना है । गवर्नमैण्ट ने वह ज़मीन कई लाखों रुपये पर बेच दी है । इस तरह से इस ऐक्ट पर अमल होता है । इस लिये मैं गवर्नमैण्ट से गुजारिश करूंगा कि वह इस मामले में पूरी एहतियात से काम ले ताकि लोगों को उसे बदनाम करने का मौका न मिले । गुड़गांव में मुआवज़ा दिये बिना गवर्नमैण्ट ने requisition की हुई ज़मीन बेच डाली है । यह ज़मीन कोई थोड़ी ज़मीन नहीं थी बल्कि दो तीन सौ बीघा ज़मीन थी जिस पर अभी तक कोई Work Centre नहीं बनाया गया। इस लिये मैं गुजारिश करूंगा कि Executive order होना चाहिये कि जिस purpose के लिये ज़मीन requisition की जाए वह किसी दूसरे purpose के लिये इस्तेमाल में न लाई जावे । कुछ अर्सा पहले गवर्नमैण्ट ने एक बिल्डिंग इस गर्ज से requisition की कि Civil Supplies के कर्मचारियों के लिये जगह चाहिये । वह बिल्डिंग अभी तक derequisition नहीं हो सकी। इस लिये गवर्नमैण्ट को चाहिये कि इस पर सख्ती से अमल करे और यह इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट जज के हवाले किये जायें । स्टेट गवर्नमैण्ट को यह इख्तियारात अपने पास नहीं रखने चाहियें ताकि किसी को उस के खिलाफ कहने का मौका न मिले । मैं नहीं समझता कि गवर्नमैण्ट यह इख्तियारात अपने हाथ में ले कर क्यों बदनाम होना चाहती है ।

**पंडित श्री राम शर्मा** (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, यह बिल जो पहले कानून में तरमीम करता है एक खास अहमियत का बिल है । बात यह है कि जब लड़ाई का ज़माना था तो अंग्रेजों को इस बात की ज़रूरत पड़ी कि अपने दफतरों के लिये और कारखानों के लिये जगह requisition की जाये । हमें यह ख्याल था कि यह कानून सिर्फ emergency

के वक्त इस्तेमाल में लाया जायेगा लेकिन यह कानून पास कर के गवर्नमैण्ट को मज़ा आया और जो कानून पहले लड़ाई या emergency के वक्त इस्तेमाल होता था उसको रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाने के लिये आज ज़रूरत महसूस हो रही है। आज जो तरमीम सरकार इस कानून में करने लगी है उस से पता चलता है कि सरकार अंग्रेज़ों की तरह वही कानून बना रही है जो जंग के वक्त या किसी खास emergency के वक्त बनाया जाता था। इस का अमल इस तरह से होता है कि जब गवर्नमैण्ट को अपने दफतरों या किसी और काम के लिये मकान या ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है तो उन के मालिकों को नोटिस दे कर उन जगहों को requisition कर लिया जाता है। पेश्तर इस के कि मालिक यह कहें कि यूं न किया जाये सरकार उन की जायेदादों पर कब्जा कर लेती है। इस मौजूदा कानून में जो तरमीम की जा रही है उस के मुतअल्लिक स्पीकर साहिब मैं यह कहूंगा कि यह कानून एक भारी Scandal की शकल इख्तियार कर चुका है। जिस ढंग से इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है उस से लोगों में काफी परेशानी पैदा हो चुकी है। इस के मुतअल्लिक गवर्नमेंट के पास बेहद शिकायतें पहुंची हैं और इन शिकायतों को कम करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री और मिनिस्टर इन्चार्ज के दिल में ख्याल आया कि लोगों के लिये कुछ आसानी कर दें। इस कानून को पास करते वक्त गवर्नमैण्ट ने इस पर ग़ौर करने की कोशिश नहीं की। अगर लोगों को शिकायत न होती, कोई तकलीफ न होती तो आज यह तरमीमी बिल लोगों को सहूलियत देने के लिये पेश करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस से साफ ज़ाहिर है कि गवर्नमैण्ट महसूस करती है कि पिछले कानून से लोगों को बहुत तकलीफ और परेशानी हो रही है। अब गवर्नमैण्ट को ख्याल आया है कि यह तरमीम की जाये। अगर कोई फायदा इस तरमीम से हो जाने वाला हो तो खुशी की बात है और मैं ऐसी हालत में इस बिल की हिमायत करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस कानून की तह में scandal और अंधेरगर्दी मौजूद है और मैं कहूंगा कि इस तरमीम के बावजूद रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हज़ारवां हिस्सा फर्क पड़ भी गया तो गवर्नमैण्ट कितनी भी भली बनना चाहे और लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करे कि इस कानून में तरमीम कर के लोगों की तकलीफों को दूर कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि पंजाब के लोगों को अफयून खिलाने से थोड़ी देर नशे में रख कर खुश नहीं किया जा सकता। शिकायत यह है कि अफसरान जब चाहते हैं जैसा चाहते हैं सरकारी दफतरों के लिये मुलाज़िमों के लिये या और कोई सरकारी काम के बहाने लोगों के मकान छीन लेते हैं। उन को किराया देना तो दरकिनार उन के मकान derequistion नहीं किये जाते और वह बेचारे चीखो पुकार करते रहते हैं। उन की ऐसी तकलीफें मेरे नोटिस में आई हैं और मैं उन्हें गाहे बगाहे अफसरान के नोटिस में लाता रहता हूं। (अध्यक्ष महोदय की घंटी की आवाज सुन कर) मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि अगर घंटी बजाने का यह मतलब है कि मैं बैठ जाऊं तो मैं कहूंगा कि बिल पर गैर महदूद वक्त के लिये बोलने का हर एक मैम्बर का unfettered right है और वह तब तक बोल सकता है जब तक कि वह irrelevant न हो। मुझे Rules of Procedure इजाज़त देते हैं कि जब तक मैं सही तरीके से बोलता जाऊं मुझे बिठाने

[पंडित श्री राम शर्मा]

की आप को जरूरत नहीं है । अगर कोई ऐसा कायदा है जिस की बिना पर मुझे दस बीस मिनट के बाद रोका जा सकता है और मुझे ऐसी बात महसूस हो कि मैं एक handicap के नीचे बोल रहा हूं तो मैं इस बिल पर और ज्यादा बोलूंगा । मैं जानता हूं कि resolution पर बोलते हुए या adjournment motion पर बोलते हुए time limit मुकरर की जा सकती है लेकिन जहां तक बिलों पर बोलने का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि हर मैम्बर का यह unfettered right है कि वह जितना चाहे बोल सकता है । अलबत्ता स्पीकर साहिब जब चाहें irrelevancy या repetition की बिना पर मैम्बर को रोक सकते हैं । मैं यह बात बड़े अदब से कहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मैम्बर ने कहा है कि मैम्बर का unfettered right है कि वह जितना चाहें बिल पर बोल सकते हैं लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि वह repetition न करें क्योंकि मुझे हाऊस के वक्त का पूरा पूरा ख्याल है ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : स्पीकर साहिब, अगर वक्त जाया हो तो आप कह सकते हैं, परन्तु अगर बड़े बड़े कानूनों के बारे में मुख्यमंत्री साहिब और हमारी सरकार यह ख्याल ले कर यहां आ जाए कि उन को एक दम पास करा लेंगे तो यह पंजाब के लोगों के साथ एक धोखा होगा ।

इस में शक नहीं कि यह बिल छोटा है । परन्तु इस के द्वारा उस ऐक्ट को amend किया जा रहा है जो scandalous बन चुका है और जिस की बिना पर लोगों के मकान और जायदादें सरकारी अफ़सर बिला वजह छीन लेते हैं जिस का उन लोगों के पास कोई इलाज नहीं । इस लिये मैं कहता हूं कि ऐसी तरमीम लाई जाए जिस से लोगों को कुछ relief मिले । यह मामला बहुत अहिम है । अगर इस बारे में लोगों को relief मिले तो वह आप को दुआएं देंगे और यह ईवान भी अपना फर्ज पूरा करेगा । आप, श्रीमान् जी, जानते हैं कि लोग सरकार के कानूनों पर हंसते हैं । हमारे यहां यह रिवाज बन गया है कि जो भी कानून पास होता है, उस की थोड़ी देर बाद तीन तीन और चार चार तरमीमें आ जाती हैं । लोग हंसते हैं कि हमारे legislator कानून पास करने में जल्दबाजी में काम लेते हैं । इस लिये मैं चाहता हूं कि इस बिल की अहमियत का अंदाजा लगाते हुए जो इस सम्बन्ध में relevant बातें कही जाएं आप उन्हें कहने की इजाजत दें । और इस बात की परवाह न करें कि जो बात किसी वजीर साहिब के दिल में आई है उसी के मुताबिक काम हो ।

दूसरे मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक किसी मिनिस्टर को कोई अहिम काम न हो उन को अपने महकमे के बारे में किसी बिल पर बहस के वक्त यहां मौजूद होना चाहिये । शराफ़त का तकाजा है कि जो वजीर उस महकमें का incharge है वह यहां मौजूद हो । इसी वजह से श्री विट्ठल भाई पटेल ने एक बार Commander in-Chief से मुआफ़ी मांगने के लिये कहा था क्योंकि वह उस वक्त हाऊस से बाहर चले गए थे जब उन के महकमे पर बहस हो रही थी ।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपा कर के बिल पर बोलिये ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : मैं श्रीमान् जी, कह रहा था कि यह तरमीम क्या है। मैं on principle इस की मुखालफ़त करता हूं। एक तरफ तो यह ढोल पीटा जा रहा है कि हम executive को judiciary से जुदा कर रहे हैं और हम सरकारी अफसरों को अदालती नौइयत के इख्तियार नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ इस किस्म के तरमीमी बिल लाए जाते हैं। अगर किसी आदमी का मकान requisition कर लिया जाए तो ऐक्ट के अधीन उस की न अपील होती है न कोई और सुनवाई। अब कहा जाता है कि क्योंकि बाकायदा तरीके से अपील नहीं हो सकतती है इस लिये आप को अपील का मौका देते हैं। अब कहा जाता है कि अगर कोई मकान requisition हो जाए तो दो साल तक उस की कोई अपील नहीं हो सकती। दो साल के बाद फिर वह आदमी competent अफसर के पास जा सकता है और गालबन वह competent अफसर वही होगा जिस ने वह मकान requisition किया था। यह कहा जाता है कि दो साल के बाद वही अफ़सर तुम्हारी बात सुनेगा। और अगर वह न सुने तो फिर तुम गवर्नमेंट के पास आ सकते हो। गवर्नमैंट का क्या मतलब है? चीफ़ मिनिस्टर: उन के पास पहले ही इतने महकमे हैं कि वह law and order के इलावा किसी में दिलचस्पी नहीं ले सकते। दिलचस्पी लेना तो दर किनार उन्हें तो महकमों को देखने की फ़ुरसत ही नहीं होती है। मुझे भी खुशकिसमती से या बदकिसमती से एक ऐसे महकमे का charge मिला जिस के incharge Chief Minister हुआ करते थे। मैंने देखा कि कई जेलों का पचास पचास सालों से किसी चीफ़ मिनिस्टर ने inspection नहीं किया था। जो महकमे चीफ़ मिनिस्टर के पास हैं, उन के बारे में किसी को अपनी शिकायत सुनाने के लिये उन तक रसाई नहीं होती। यह काम मातेहत अफसर ही करते हैं। यह मामला भी ऐसा है। अगर दो साल के बाद नीचे के अफसरों से कोई अपील नामनज़ूर हो जाए तो वह फिर चीफ़ मिनिस्टर के पास आएगी।

आजकल जो होता है वह सरकारी पार्टी के दो मैम्बरों ने बयान कर दिया है। वह सदस्य पार्टी के discipline को तो मानते हैं मगर ख्यालात के इजहार की आज़ादी उन्हें कुछ रास आगई है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने एक ज़मीन requisition की और बाद में उस को भारी कीमत ले कर बेच दिया। राओ गजराज सिंह और कामरेड रामकिशन ने आज जो administration का खाका खेंचा है वह ठीक है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से मकान requisition किये जाते हैं। उन की मुरम्मत और किराया तो दरकिनार उन के मालकों को छोटी छोटी सहूलियतें भी नहीं दी जाती हैं। दूसरी तरफ़ आबादी के करीब की ज़मीनें ले कर सरकार खुद ब्लैक मारकीट करती है। अब तक यह होता रहा है कि जो भी वज़ीर जाता है उस के सामने दरखास्तों वाले खड़े हो जाते हैं। अब यह प्रबन्ध कर दिया गया है कि दो साल के बाद उसी अफसर के पास जाओ जिस ने तुम्हारा मकान requisition कर तुम्हारा बेड़ा तबाह किया है, अगर वह वज़ीरों के पास आएंगे, तो उन्हें उन की बातें सुनने की फुरसत नहीं होगी। अपीलों के मुतअल्लिक

[पंडित श्री राम शर्मा]
काम उन के मातहित दर मातहित अफ़सर करेंगे और वही फैसला करेंगे। मैंने अपने जिले में सुना कि एक महकमे का वज़ीर एक छोटे दर्जे के एक अफ़सर के घर उसे मिलने गया। और वहां बरामदे में दस मिनट तक उसे इन्तज़ार करना पड़ा। फिर उस अफ़सर के चपड़ासी ने कह दिया कि वह खाना खा रहे हैं हालांकि वह खाना नहीं खा रहा था।

**अध्यक्ष महोदय** : जो बहस हो रही है उस का बिल से क्या सम्बन्ध है ?

**पंडित श्री राम शर्मा** : इस बिल के पास होने के बाद जो अमली तौर पर होना है उस का थोड़ा सा खाका सरकारी पार्टी के सदस्यों ने खेंच कर दिखाया है। गुड़गांव के लोगों ने एक सराए बनवाई परन्तु एक महकमे ने उसे requisition कर लिया और उस में अफ़सर बैठ गए। अब वह लोग और trustee कुछ नहीं कर सकते हैं।

मैं यह कहता हूं कि इस बिल के पास हो जाने से क्या फर्क पड़ जायगा। आज भी इस मामले में उन्हें पूरे इख्तियारात हासिल हैं। वह चाहें तो आज भी requisitioned मकानों को छोड़ सकते हैं मगर वह ऐसा नहीं कर रहे। अब कहते हैं कि इस बिल के पास हो जाने के बाद उन के पास बाकायदा अपीलें आयेंगी। मैं कहता हूं कि उन के पास बाकायदा अपीलें सुनने के लिये वक्त ही नहीं होगा। कोई भी वज़ीर ऐसे माहौल में नहीं रहता कि वह नीचे से आई हुई किसी चीज़ में कोई तबदीली कर सके। with the best of intentions, कोई, वज़ीर उस माहौल से नहीं निकल सकता।

जायदाद के requisition या derequisition करने का मामला इस नोईयत का है कि इस का फैसला अदालतों को करना चाहिये। Requisitioned जायदाद काफ़ी वजूहात दे कर छुड़ाई जा सकती है। ऐसे मामलों में अपीलें किसी न किसी तरीके से judicial officers या जजों के पास ज़रूर जानी चाहियें ताकि वह उन executive orders का जिन के मातेहत जायदाद को requisition किया गया है judicial, dispassionate और Independent तरीके से review कर सकें और देख सकें कि सरकार को किसी दफ़तर या किसी अफ़सर के लिये इतनी जगह की ज़रूरत थी या नहीं जितनी कि किसी case में requisition की गई है। गवर्नमेंट के पास अपीलें आयेंगी तो पोज़ीशन वही की वही रहेगी। गवर्नमैण्ट को अपीलें सुनने के रास्ते में अब भी कोई रुकावट नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपके हकूक की इज्जत करता हूं मगर repetition करने और गैर-ज़रूरी बातें कहने की इजाज़त नहीं दे सकता।

**पंडित श्री राम शर्मा** : मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि मैं बिल्कुल repetition नहीं करूंगा।

मेरा इस बिल में की गई provisions से असूली मतभेद है। मैं नहीं चाहता कि अपीलों का फ़ैसला executive तौर पर गवर्नमैण्ट करे। अगर अपीलें सैशन जजों के पास जायें तो लोगों को इनसाफ़ मिल सकता है वर्ना नहीं। हम देखते हैं कि जब पार्टी गवर्नमैण्ट कायम हो तो लोगों को अगर नीचे इनसाफ़ नहीं मिलता तो

ऊपर भी नहीं मिलता । अमली तौर पर इस मामला में काफ़ी खराबियां पाई जाती हैं । अगर वज़ारत को इन खराबियों को दूर करना है तो उसे अपीलों को सुनने का अधिकार judicial authorities को देने पर एतराज़ नहीं होना चाहिये ।

**Chief Parliamentary Secretary**: Sir, I beg to move—

That the question be now put.

**Mr. Speaker**: Question is—

That the question be now put.

*After ascertaining the votes of the House by voice Mr. Speaker said "I think the Ayes have it." This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.*

*The motion was declared carried.*

**ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ** (ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿਲ ਉਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨ ।

**पंडित श्री राम शर्मा**: मैं ने कहा है कि यह बिल ineffective है ।

**ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ**: ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਸਣ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ requisition ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਤਕ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ public purpose ਲਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ । ਜੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀਹ ਲੋੜ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ public servants ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ । ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਿੱਲਤ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ public purpose ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ।

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਫਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ requisition ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਇਸੇ ਖਾਤਿਰ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ requisition ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਅਤੇ ਸਤ ਸਤ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਫੇਰਨ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ derequisition ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਦਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ requisition ਨਾ ਹੋ ਜਾਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਨੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ requisition ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, । ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਨਾ requisition ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸਟੇਟ ਵਿਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ।

ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ appeal ਦੀ provision ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ derequisition ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ appeal ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਸੇ judicial authority ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ appeals ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Secretary ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਕਰਣਗੇ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं ने तो कहा था कि मुख्य मन्त्री को समय नहीं मिलता।

**ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਲਬੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਛਾਨ ਬੀਨ ਕਰਦੇ

ਹਨ । ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Secretary ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਖੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਕ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ file ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Secretary ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਦ ਵੇਖਦੇ ਹਨ । (*interruption*) I do not give way, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕ ਹਿਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲ ਹੁਜ਼ਤ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker** : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

**Mr. Speaker** : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

*The motion was carried*

CLAUSE 3

**अध्यक्ष महोदय** : सरदार सरूप सिंह की amendment मुझे वक्त पर नहीं मिली । इस लिये वे उस पर इस समय तकरीर नहीं कर सकते और उन की amendment admit नहीं की जा सकती ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : On a point of order, Sir. यह ठीक है कि amendment उचित समय पर दी जानी चाहिये । लेकिन आप को इख्तियार है कि आप कोई amendment किसी वक्त पर भी admit कर सकते हैं ।

**Mr. Speaker** : Very well, I use my discretion in his favour. Sardar Sarup Singh may move his amendmant.

**Sardar Sarup Singh** (Amritsar City, East): Sir, I beg to move that—

In the proposed Section 10 A (1), lines 4-8, for "within twenty one days.. ........State Government" substitute "within thirty days from the date of service of the order, prefer an appeal to the District Judge."

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ reject ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ appeal ਗਵਰਨਮੈਂਟ

[ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]

ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । Competent Authority ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ District Judge ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ । ਇਸ ਦੀ ਵਜਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ Competent Authority ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਗੀ ਕਿ ਮਕਾਨ derequisition ਕਰ ਦੇਵੇ । Competent authority ਦੀ definition Section 2 (b) ਵਿਚ ਇਉਂ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ —

"Competent authority" means any person or authority, authorised by the State Government by a notification in the Official Gazette to perform the functions of the competent authority under this Act for such area as may be prescribed in the notification."

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ Competent Authority ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਆਲਾ ਹਾਕਮ—ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ requisition ਕਰ ਲਵੇ । ਜੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ derequisition ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ derequisition ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ competent authority ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਕੋਈ practical effect ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਸ ਬਿਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਚੀਫ-ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ owners of the property ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ right ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ application ਅਪਣੀ property ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁੜਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣ । ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਿਰਫ applications ਦੇਣ ਦਾ right ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ Competent Authority ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ right of appeal ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ Competent Authority ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ property ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ necessity ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ derequisition ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਚ ਮੁਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, derequisition ਦੀਆਂ facilities ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ executive ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ right of appeal ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਉਸ property ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਛੁੜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ relief ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ requisition ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ headquarter ਤੇ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ district headquarter ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਏ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सरदार साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह मेहरबानी करके अब बैठ जाएं। आप की Amendment मुझे 5·55 p. m. पर मिली। हालांकि इस थोड़े से notice पर इसे admit नहीं किया जा सकता था, फिर भी मैंने as a Matter of good-will gesture आप को बोलने के लिये इजाज़त दे दी। अगर ऐसी कोई चीज़ सरकारी बैंचों की तरफ से इतने थोड़े notice में आती तो शायद मैं इस की इजाज़त न देता। इस लिए, आप बैठ जाएं।

**Mr. Speaker :** Motion moved —

> In the proposed Section 10-A (1), lines 4-8, for "within twenty-one days.... State Government" Substitute "within thirty days from the date of service of the order, prefer an appeal to the District Judge-"

**पंडित श्री राम शर्मा** : On a point of order, Sir. अगर किसी बिल पर कोई तरमीम पेश की जाए तो उस पर बोलने के लिये किसी तरह की कोई restriction नहीं लगाई जा सकती।

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन आप जानते हैं कि इस तरमीम को पेश करने की इजाज़त खास हालात में दी गई है।

**श्री श्री चन्द** (बहादुर गढ़) : साहिबे सदर ! मैं आप का अज़हद शुक्रगुज़ार हूं कि आपने इतने short notice पर इस amendment को move करने की इजाज़त दे दी है। यह इतनी ज़रूरी amendment है कि इस को कबूल करने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। मैं हैरान हूं कि बार बार गवर्नमैंट की तरफ से यह ढंढोरा पीटा जाता है कि वह executive के सभी इख्तियारात छोटे अदारों को सौंप देने के हक में है। लेकिन आप मुझे बतायें कि इस बिल में वह कौन सा provision है जिस में ऐसा किया गया हो? इस में तो जो Judiciary का scope था वह भी छीन कर executive को दे दिया जा रहा है। मैं आप के ज़रिए गवर्नमैण्ट का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह एक Judicial Act है Executive Act नहीं। यह ग़ैर सरकारी आदमियों की जायदाद का मामला है। इस लिये यह ठीक नहीं कि गवर्नमैण्ट के खिलाफ जो appeal की जा रही हो उस पर फैसला करने के इख्तियारात भी वह खुद acquire कर ले। स्पीकर साहिब ! आप खुद ही ख्याल फ़रमाएं कि क्या यह इनसाफ़ है कि लोगों से यह कह कर ज़मीन ली गई कि यहां पर refugees के लिये फुलां फुलां किस्म के कारखाने कायम किए जायेंगे लेकिन बाद में उसे लाखों रूपए की कीमत पर नीलाम किया गया? मुझे आप बताएं कि क्या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इस बात को जाइज़ करार दे सकती है कि शरणार्थियों के लिये चूड़ियों के कारखाने खोलने के लिये ज़मीन को acquire

[श्री श्री चंद]

किया जाए और अपने promise को fulfil करने की बजाए बाद में उसे लाखों रुपये पर नीलाम किया जाए? मुझे आप बताएं कि क्या किसी भी गवर्नमैण्ट को यह हक है कि ..........

अध्यक्ष महोदय : आप तो अब इस बिल पर general discussion करने लग पड़े हैं। मेहरबानी करके अपनी तकरीर को इस particular amendment तक महदूद रखें और जल्दी खत्म करें।

श्री श्री चंद : यह सब कुछ, स्पीकर साहिब, मैं इस लिये कह रहा हूं कि अगर appeal के लिए District Judge को authority बना दिया जाए तो वह देखेगा कि जिस गर्ज़ से गवर्नमैण्ट ने किसी property को requisition या acquire किया है, जाइज़ भी है या नहीं। वह यह देखेगा कि जिस बात का सहारा लेकर वह property ली गई है वह उसी purpose के लिये इस्तेमाल हो रही है या नहीं। क्या यह भी इनसाफ़ है कि लोगों से सस्ते दामों पर ज़मीन ली जाए और उसके बाद उसे बेच कर लाखों रुपया का मुनाफ़ा कमाया जाए ?

इस के इलावा मैं आप से एक गुज़ारिश करना चाहता हूं कि अगर बिल या amendment पर बोलने के लिए सारे हिंदुस्तान या दुनिया की किसी भी असैम्बली में पाबन्दी लगाने का कोई असूल हो तो आप बड़ी खुशी से मुझे अपनी speech जल्दी खत्म करने के लिये कह सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि लोक सभा या किसी भी प्रादेशिक असैम्बली में यह कायदा नहीं कि किसी भी मैम्बर की speech के लिये टाईम की पाबन्दी लगाई जाए। हां, अगर मैं irrelevant हूं या repetition करूं तो आप मुझे बेशक बैठ जाने का हुक्म दे दें। अगर यह कारण हो कि वज़ीर साहिबान के पास टाईम नहीं या मैम्बर साहिबान सैर करने के लिये बाहर जाना चाहते हों तो कोई वजह नहीं कि आप मुझे बोलने से बन्द करें या वक्त की पाबन्दी लगाएं। अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। लेकिन आप इस practice को यहां तभी जारी कर सकते हैं अगर देश की किसी असैम्बली में यह practice पहले भी कायम हुई हो।

अध्यक्ष महोदय : आप को मालूम होना चाहिए कि मैंने exceptional हालात में इस amendment को move करने की इजाज़त दी है। अगर आप अपने इस रवैये पर insist करेंगे तो इस का मतलब यह होगा कि आइन्दा के लिये मुझे भी यह concession देने से पहले...........

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order Sir. मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि जब किसी भी वजह से आप ने एक बार amendment को move करने की इजाज़त दे दी है तो आप इस इजाज़त पर इस stage पर कोई शर्त नहीं लगा सकते। इस तरमीम को पेश करने की इजाज़त आपने किसी भी वजह से ही क्यों न दी हो, लेकिन जब आपने यह मेहरबानी कर दी है तो इस पर वही कायदे और कानून लागू होंगे जो आम तौर पर किसी मैम्बर पर तकरीर करने के लिये होते हैं। इस लिए मैं आप की रूलिंग चाहता हूं कि आया ऐसे मौके पर आप की तरफ़ से वक्त की कोई पाबन्दी लगाई जा सकती है ?

**अध्यक्ष महोदय** : रूलिंग की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरे कहने की स्पिरिट शायद नहीं समझे। आप बेशक जितना बोलना चाहें बोलिये।

**श्री श्री चन्द** : आप की बहुत मेहरबानी। मैं हाऊस का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़े इलफ़ाज़ में अपनी बात को खत्म कर दूंगा।

साहिबे सदर ! मेरे कहने का मतलब यह है कि मिनिस्टर साहिबान के पास न टाईम है न वह माहौल और न ही वह तरबीयत जो कि असल में होनी चाहिए— (*Interruptions*) वह situation की seriousness को नहीं समझेंगे। डिप्टी कमिश्नर जो भी रिपोर्ट कर देगा उसी के मुताबिक वह कहेंगे कि फलां २ वजूहात की बिना पर property को छोड़ा नहीं जा सकता। इस लिये यह असूल कि गवर्नमैण्ट के फैसलों के खिलाफ appeal करने के लिये appellate authority भी गवर्नमैण्ट खुद रहेगी एक ग़लत असूल है। गवर्नमैण्ट को कोई हक नहीं कि लोगों से वे मकान लेकर जिनका आम तौर पर 100 रुपया माहवार किराया हो, 10 और 15 रुपया माहवार किराया पर अपने अफ़सरों को दे दे। इन हालात में आप मुझे बताएं कि इस अपील का क्या फ़ायदा होगा जो कि गवर्नमैण्ट के अपने फ़ैसले के खिलाफ गवर्नमैण्ट के पास ही दायर की जाएगी ? जो कुछ डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट कर देगा उसी के मुताबिक मिनिस्टर साहिब का हुक्म होगा। इन हालात में मैं दरखास्त करूंगा कि अपील की authority डिस्ट्रिक्ट जज के पास होनी चाहिए न कि मिनिस्टर साहिब के पास।

*The Assembly then adjourned till* 3-00 *P.m. On Wednesday the* 19*th May*, 1954.

899 PSLA—150—1-2-55—CP & S., Pb., Chandigarh

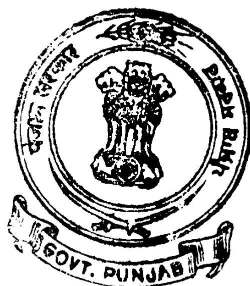
# Punjab Legislative Assembly

## Debates

**19th May, 1954**

VOL. II—NO. 3

**OFFICIAL REPORT**




CONTENTS




CHANDIGARH :

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab

1956

**Price : Re** 2/12/-

# PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

**Wednesday, 19th May, 1954**

*The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2 p. m. of the clock. Mr Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the chair.*

## STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

### TERRITORIAL ARMY IN THE STATE.

***3359. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of camps to be organized in the State in connection with the national drive to form a territorial army, along with the places where these camps are proposed to be organized or are being held in the State ?

**Chief Parliamentary Secretary** (Shri Prabodh Chandra) : There is no "National drive to form a Territorial Army" and therefore the question of the places where these camps are proposed to be organised or are being held in the State does not arise. If however, the Hon'ble member is referring to Auxiliary Territorial Army Camps, the required information is given below:—

List of Auxiliary Territorial Army Camps held so far in the Punjab—

(i) Achal Sahib (Gurdaspur)—7th to 14th January, 1954.

(ii) Khasa (Amritsar)—22nd to 29th January, 1954.

(iii) Ferozepore Cantonment—8th to 15th February, 1954.

(iv) Ambala Cantonment—9th to 16th March, 1954.

(v) Simla—2nd to 9th April, 1954.

More camps are expected to be held during next winter. Detailed programme of these camps is awaited.

### MACHINERY FOR LOCAL DEVELOPMENT WORKS.

***3482. Shri Ram Kishan :** Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government has received any instructions from the Planning Commission for setting up a machinery for the selection, execution, financing and accounting of the local Development works under the First Five-Year Plan; if so, the details of the instructions and the action taken by the Government for their implementation ?

**Sardar Partap Singh Kairon :** Yes. A copy of the Planning Commission, Government of India letter No. PC/PUB/52/53, dated the 11th August, 1953, together with a copy of Punjab Government letter No.1046-P-53/475, dated the 22nd September, 1953, to all Deputy Commissioners in this State

[Minister for Development]
containing the instructions issued for the implementation of local Development Works are given below :—

GOVERNMENT OF INDIA

PLANNING COMMISSION

No. PC/Pub/52/53

From

SHRI Y.N. SUKTHANKAR, I.C.S.,

Secretary Planning Commission.

To

ALL STATE GOVERNMENTS (THE DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF PUNJAB, DEVELOPMENT DEPARTMENT.)

*New Delhi, the 11th August*, 1954.

*Subject*:—ASSISTANCE FOR LOCAL DEVELOPMENT WORKS.

Sir,

I am directed to refer to the correspondence ending with the Planning Commission's letter No PC(VI) /SS/15/53, dated the 1st April, 1953, on the above subject.

2. The Government of India have been further considering the principles and procedure to be adopted in the selection, execution, financing the accounting of the works and their views are set out in the paragraphs below—

3(a) The term "Local Development Works" is intended to cover schemes which have their origin in the people themselves working through voluntary associations, village panrchayats, etc. The basic idea is to stimulate the enthusiasm of the people for the Five-Yeaer Plan through local schemes for the execution of which they will be prepared to contribute either in cash or in kind (by supply of materials) or through voluntary labour.

(b) The categories of works most suitable for assistance are : —

(i) drinking water-supply schemes;

(ii) permanent works for improvement of agriculture;

(iii) permanent works for the improvement of rural sanita tion;

(iv) village roads including small bridges and culverts;

(v) improvements to school or dispensary buildings where such institutions already exist, and are inadequately housed;

(vi) construction of godowns for storage of goods provided the benefit accrues to the public generally, and

(vii) schemes for enabling students to work in Community Projects.

The above list is meant to be illustrative rather than exhaustive and other schemes which are likely to improve conditions in the country-side or benefit the community as a whole would also be eligible for assistance.

(c) The local contribution in cash or kind or through voluntary labour together with any contribution that the State Government or a local body may make, should be a minimum of 50 per cent of the total cost of each work. The intention is to spread the benefit over as wide an area and to as many people as possible, and the maximum limit of the Central Government grant has been fixed at Rs 10,000 for each work. This implies that the cost of a scheme should not exceed Rs. 20,000. The nature of the work should be such as will not involve much recurring expenditure on subsequent maintenance. Where such recurring expenditure is unavoidable, one of the definite conditions of the grant should be that adequate and effective arrangements are made for the maintenance of the works after their

execution. It is expected that the schemes will be mainly in those parts of the country which do not stand to benefit directly from schemes already included in the plans of the Central Government and State Governments. Money should not be expended in buying tools and implements which may be obtained on loan from the P.W.D. or local bodies or hired, if this is not possible.

SELECTION, SCRUTINY AND APPROVAL OF STATE SCHEMES

4. The schemes should be selected by a mixed committee of officials and non-officials (the latter drawn on a representative basis) for every district/Sub-Division. The actual composition of the Committee is left to the State Government but in constituting it the need to secure the speedy disposal of business and effective supervision over the work by an agency which can be held accountable should be borne in mind. The Planning Commission will be glad if the State Government will furnish them, in due course, with a statement showing the composition and membership of the various committees.

5. In view of the large number of schemes likely to be involved and the fact that they will spread all over the country the Government of India must leave it to the State Government to arrange for the detailed scrutiny of the schemes before they are accepted and for making adequate provision for supervising their proper execution. The Planning Commission will be glad if particulars of the machinery which the State Government propose to set up for this purpose are intimated to them. In this connection, the Planning Commission also suggest that the State Government should nominate a Liaison Officer for each district or other suitable unit (generally a senior Revenue Officer) for the purpose of checking the execution of the works and for the maintenance of such initial accounts as may be necessary. In order to expedite the completion of the schemes the State Government may find it necessary to arrange to advance funds for meeting the expenditure. These advances should, as far as possible, be made through the Liaison Officer and an account of these advances and their recovery should be maintained for purposes of subsequent audit.

6. Subject to the broad principles set out above, individual schems will be scrutinised and sanctioned by the State Government.

PROGRESS REPORTS OF STATE SCHEMES

7. The State Governments should furnish quarterly progress report beginning from the quarter ending 30th September 1953 in the form in annexure 1 to this letter (with 12 spare copies) arranged by districts, and indicating the total cost of each scheme, the local contribution in each case, the amount contributed by the State Government or local bodies, the expenditure to date and, where necessary, the arrangements made for their future maintenance.

CENTRAL RESERVE GRANT

8. A slightly different procedure will be necessary in the case of schemes financed from the amount reserved by the Planning Commission for direct grant to voluntary associations. The Planning Commission will accord sanction to such schemes in consultation with State Governments, on specific points such as the Standing of the sponsoring associations, etc. The Planning Commission will be grateful if they could utilise the State machinery for payment. For this purpose a copy of each sanction issued by the Planning Commission to a sponsoring authority will be endorsed to the State Government concerned, and the necessary finance placed at the disposal of the State Government, as a specific grant.

FINANCING AND ACCOUNTING PROCEDURE

9. The Government of India propose to consult the Comptroller and Auditor-General regarding the arrangements for the accounting and audit of the expenditure on local works and, subject to the advice which the Comptroller and Auditor-General may give them, they propose the following procedure to be adopted;

(a) The amount earmarked for each State should be placed at the disposal of the State Government as a grant-in-aid in suitable instalments.

(b) The State Government should arrange to transfer these amounts to a special fund for financing local development works. Any contribution which may be made by a local authority for this purpose should be credited to State revenues and similarly transferred to the fund along with any cash contribution which the State Government may themselves wish to make.

[Minister for Development]

(c) The cash expenditure on individual schemes will take the form of expenditure directly incurred by Government or grant-in-aid to local bodies, or non-official organisations. Provision in either case should be made for the expenditure in the State budget in the ordinary way and an equivalent amount transferred to revenue from the fund mentioned in Para (b) above. At the end of each year a consolidated statement should be furnished to the Planning Commission showing the expenditure incurred on the various approved schemes with a view to keep a watch over the proper utilisation of the amount placed at the disposal of the State Government. The difference between the amount paid as grants-in-aid in any year to any State and half the expenditure on the Schemes, as explained in paras 3 and 4 above, will be refunded by or paid to the State Government as the case may be in the following year.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

10. For facility of correspondence it is requested that the State Government, designate an Officer to whom all matters relating to Local Development Works in the State might be referred. His name and designation may be intimated to the Planning Commission. In the Planning Commission, Shri O.K. Gosh, Deputy Secretary, will be the corresponding Officer.

11. A copy of any orders that the State Government might issue to District Officer/Liaison Officers, etc, in regard to these matters may please be forwarded to the Planning Commission for information and record.

INTIMATION OF APPROVAL OF PRINCIPLES AND PROCEDURE

12. The Planning Commission will be grateful if the concurrence of the State Government in the principles and procedure set out in this letter is communicated to them at a very early date.

Yours faithfully,

Y.N. SUKTHANKAR,
Secretary.

(ANNEXURE I)

**Quarterly Progress Report on Approved Local Development Works in ____________________ State.**
For the period ending ________________ 1953.

| Serial Number | Particulars of scheme | Total cost as approved | Cash contribution | | | | Value of Local contribution in supplies and labour. | | | | | | | Progress | | | REMARKS (special) features etc.). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Central Grant | State Grant | Local Bodies | People | Supplies | Labour | Total | Estimated time for completion | Arrangements for maintenance after completion | Date of commencement of work | Expenditure to the end of previous quarter | Expenditure during the quarter | Total Expenditure to the end of quarter | Percentage (column 16 to column 3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | | | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | |

NOTES.—(1) Schemes should be arranged according to accepted categories and under each category the scheme should be arranged according to types and districts. Abstracts covering statements giving the total expenditure by types may also be added for facility of reference.

(2) The return should reach the Planning Commission within two months of the quarter to which the progress report relates.

(3) Special features, for example, students' participation in schemes should be indicated in the "Remarks Column."

column 10 should tally with the cost shown at "column 3".

[ Minister for Development]
**IMMEDIATE** No. 1046-P-53/475

Dated Simla-2, the 22nd September, 1954.

From

SHRI M.D. AHUJA,

Under Secretary to Government,
Punjab, Development Department,
(Planning)

To

All Deputy Commissioners in the Punjab

*Subject*:— Local Development Works

SIR,

I am directed to forward herewith a copy of Planning Commission's letter No. PC/Pub/52/53, dated the 11th August, 1953, wherein the principle and procedure to be adopted for the selection, execution, financing and accounting for Local Development works, has been laid down. It will be observed that the local development works are intended to cover schemes which have their origin in the people themselves, working through voluntary association, village panchayats, etc. and the basic idea is to stimulate the enthusiasm of the people for the Five-Year Plan. With the object of spreading the benefits of the scheme over as wide an area and to as many people as possible the Planning Commission have fixed a maximum limit of Central Government Grant to Rs 10,000 for each scheme. This would mean that the total cost of any local works scheme should not exceed Rs 20,000 because 50 per cent of the total cost of each work is to be met by local contribution in cash, gifts or free labour, etc.

2. For the current year 1953-54, the Planning Commission, Government of India, have allocated a sum of Rs 8.9 lacs for local development works in this State. It was decided sometime ago to distribute this grant as follows —

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Kangra District | .. Rs. 3.0 lacs. |
| 2. | Hissar District | .. Rs, 1.00 lacs. |
| 3. | Gurgaon District | .. Rs. 2 lacs. |
| 4. | Rohtak District | .. Rs. 40,000 |
| 5. | Hoshiarpur District | .. Rs. 2.50 lacs. |

The Development schemes under this programme in the remaining districts of the State are likely to be taken up in the remaining years of the Plan.

3. It will be seen that paragraph 4 of the Planning Commission's letter referred to above, requires, that local development schemes should be selected by a mixed committee of officials and non-officials. It is, therefore, requested that the names of the local officials and non-officials for the constitution of the said Committee in your district may be submitted to Government for approval at an early date. This committee will, of course, function for the Schemes to be selected for the next year.

4. I am also to request you to designate an intelligent Extra Assistant Commissioner as District Development Officer *immediately*. He should be held responsible for the execution of local works schemes in the district specially and also for advising you on National Extension Service and Community Projects Programme, which might have been/or may be taken up in your district. It is suggested that preferrably the Revenue Assistant may be entrusted with this job, but if you consider that he is already over-worked, you may designate another officer for the purpose under intimation to Government. This officer will, of course, work also as the Liaison Officer, as mentioned in the Planning Commission's letter. As separately intimated, a proposal for provision of a whole-time Development Officer is under consideration of Government but seeing that Development work in districts is only gradually gaining pace, it is hoped that it will not be at all difficult for you to get the job done by an officer on your existing strength,

5. As a reply has to go *immediately* to the Planning Commission, you are requested to expedite intimation in regard to formation of the advisory committees and the particulars of the officer deisgnated as District Development Officer.

6. *For Deputy Commissioners, Hissar, Kangra and Hoshiarpur only.* The scheme already submitted by you are being examined to ensure that they conform to the principles laid do by the Planning Commission. A separate communication in the matter will however be made to you in due course, if necessary, for the revision etc. of such schemes, as are found in excess of the maximum financial limit prescribed.

7. *For the Deputy Commissioner, Gurgaon Only.* As Government have already made a commitment for the grant of Rs 2.00 lacs for the Rewari Town Water Supply Scheme, it has been decided to approach the Planning Commission to accord their approval to the grant of Rs 2.00 lacs for the purpose out of the total allocation of Rs 8.5 lacs for this State. In order, therefore, to enable this Department to make a suitable reference to the Planning Commission, a detailed note explaining the entire scheme, the cost involved and other necessary particulars may kindly be supplied *immediately*. The progress of collections of voluntary contributions by the people should also be intimated at once.

8. *For Deputy, Commissioner, Rohtak.* As any individual scheme to be taken up under the local development works is not to exceed Rs 20,000 it is requested that the desirability of splitting up the scheme relating to the construction of Gohana-Khandrai-Gangesar and Bichpari road into packets of less than Rs 20,000 each may kindly be considered and details thereof submitted to Government immediately. Government feel that it should be possible to split up the said scheme into four packets or even more if necessary, so as to bring it within the purview of the Local Development works.This can be done by dividing the scheme into four or more villages groups and the scheme split as (1) Village A to village B (2) Village C to D etc.

Yours faithfully,
Sd/ M.D. AHUJA,
Under Secretary, Planning.

**No. 1046-P-53/475-A.**

A copy with a copy of enclosure is forwarded to the Deputy Development Commissioner, Punjab. for information and guidance in regard to Schemes for enabling studente to work in Community Projects.

M.D. AHUJA,

Under Secretary, Planning.

**श्री राम किशन** : जो Statement मुझे मुहैया की गई है इस में Planning Commission की हिदायत है कि हर जिले में Officials और non-officials की एक कमेटी बनाई जाये । क्या हर जिले में ऐसी कमेटी बन गई है ।

**मुख्य मंत्री** : Local Development Works के बारे में Deputy Commissioners को लिखा गया है कि वे अपने ज़िले के M. L. A.s और दूसरे लोगों से मशवरा करके स्कीमें बनायें और सरकार को भेजें ।

**श्री राम किशन** : Planning Commission की चिट्ठी में लिखा है कि कमेटियां अपनी report भेजेंगी । क्या किसी जिले की कमेटी से सरकार को कोई report आई है ।

**मुख्य मंत्री** : अगर आपने notice दिया होता तो मैं सब बात तफसील से आप को बता सकता ।

**श्री राम किशन** : Planning Commission की तरफ से हिदायत है कि हर ज़िले में एक Liaison Officer मुकर्रर हो । क्या यह अफसर मुकर्रर किये गये है?

**मुख्य मंत्री** : मैं आप की तसल्ली के लिये अर्ज़ कर दूं कि Local Development Community Projects वगैरा का जितना काम है, कि इसे कैसे एक दूसरे से link करना है और इस स्कीम के बारे कैसे अफ़सर मुकर्रर करने हैं यह सब मामला ज़ेरे ग़ौर हैं ।

**श्री राम किशन** : Planning Commission की चिट्ठी में लिखा है कि हर ज़िले से Local Development Works की स्कीम के बारे में report आये कि आया वहां पर कोई scheme बनी है । मैं जानना चाहता हूं कि किस किस ज़िले में स्कीमें तैयार हो चुकी हैं ?

**मुख्य मंत्री** : आप को मालूम ही है कि Local Development Works क्या हैं। ये वे स्कीमें हैं जिन में ५० फी सदी Contribution सरकार की तरफ से होनी हैं । बाकी ५० फ़ीसदी Local Communities या Local Finances से आना है । इन तमाम बातों के बारे में Deputy Commissioners को लिख दिया गया है और स्कीमें तलब की गई हैं । जब स्कीमें आ जायेंगी तो उन्हें approve किया जायेगा और उस के बाद उन पर अमल होगा। Organization के बारे में मुझे यह कहना है कि सारी Organization का सिलसिला हमारे ज़ेरे गौर है । हमने Organization Committee बनाई है। इस सिलसिला में District Boards वगैरा से कैसे काम लेना है और Sub-Divisions और Development Centres कैसे बनने हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ज़ेरे गौर हैं ।

**श्री राम किशन** : Planning Commission की report के मुताबिक ९ लाख रुपया हमारी सरकार को केंद्रीय सरकार से मिला । क्या मैं जान सकता हूं कि इस में से कितना रुपया इस्तेमाल हो चुका है ?

**मुख्य मंत्री** : यह Fair तो न था कि आप यह सवाल पूछते । परन्तु मैं आप की तसल्ली के लिये इस का जवाब दे देता हूं । जब हमें यह रुपया मिला और हिंद सरकार ने हमें इस स्कीम के बारे में लिखा तो हमारे पास वक्त कम था इस लिये यह रुपया इस्तेमाल न हो सका। यही बात दूसरी States में भी हुई । लेकिन मैं आप को यह अर्ज़ किये देता हूं कि यह रुपया lapse नहीं हुआ । यह रुपया आगे चला जाता है और दूसरे साल इसका इस्तेमाल हो सकता है ।

**श्री राम किशन**: क्या डिप्टी कमिश्नरों को हिदायतें भेजी गई हैं कि कांगड़ा, हिसार और हुशियारपुर.........

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मैम्बर को चाहिये था कि वह इस सिलसिला में नोटिस दे देते ताकि मिनिस्टर साहिब इस का जवाब दे सकते । इस तरह से Supplementary Questions करना ठीक नहीं ।

**मुख्य मंत्री** : मैं अर्ज़ करूंगा कि जब लोकल वर्क्स के लिये रुपया अलाट किया गया था उस वक्त हमारे लिये यह जानना ज़रूरी था कि किन किन इलाकों को हम तरजीह दें । इलाकों को चुनते वक्त हमने उन इलाकों को तरजीह दी जो पसमांदा हैं और जहां development की ज्यादा ज़रूरत है । हमारी यह आम पालिसी है कि कांगड़ा, गुड़गांव और होशियारपुर वग़ैरा के जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन की तरफ ज्यादा तवज्जुह दी जाये । इस पालिसी के तहत लोकल वर्क्स की जो amounts हैं उन्हें इन इलाकों में ज्यादा बांटा गया है ।

**श्री राम किशन** : सितम्बर, १९५३ में कांगड़ा के मुतग्रल्लिक कुछ स्कीमें गवर्नमेंट के पास approval के लिये भेजी गई थीं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट ने उन्हें approve किया है, अगर किया है तो उस बारे में क्या कार्रवाई की गयी है ?

**मुख्य मंत्री** : पहिले स्कीमें गवर्नमेंट के पास ग्राती हैं। फिर भारत सरकार ने उन्हें approve करना होता है। यह स्कीमें approve हो कर हमारे पास देर से ग्राई इस लिये इन पर हम कोई steps नहीं ले सके। पिछले साल जो काम रह गया था, वह इस साल पूरा हो जायगा।

**श्रीमती शन्नो देवी** : प्लैनिंग कमीशन ने जो हिदायत जारी की हैं कि ग्रफ़सर District wise रखने हैं, इन के यहां सुना देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानना चाहती हूं कि क्या ये implement हो रही हैं या नहीं।

**मुख्य मंत्री** : मैं माननीय मेंबर को बता देना चाहता हूं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन की पूरी तरह implementation की जाये ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके।

**पंडित श्री राम शर्मा** : सवाल में पूछा गया है कि गवर्नमेंट ने प्लैनिंग कमिशन की हिदायत को implement करने के लिये क्या क्या काम किया है? चीफ़ मिनिस्टर साहिब के जवाब से मालूम होता है कि जो instructions ग्राई थीं वे डिप्टी कमिश्नरों को भेज दी गई थीं। मैं दरियाफ़्त करना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नरों को भेजने के ग्रलावा क्या ग्रौर कोई कार्रवाई भी गवर्नमेंट ने की है ?

**मुख्य मंत्री** : जो हिदायतें हमें मिलीं कि हम इतना रुपया खर्च कर सकते हैं उन के मुताबिक पहले हम ने यह फैसला करना था कि किस तरह से यह रुपया बांटें। हमने कुछ इलाके determine किये कि फुलां इलाके को हम इतना रुपया दें ग्रौर पिछड़े हुए इलाकों की ज़्यादा मदद करें। दूसरा step implementation का हमने यह लिया कि हमने डिप्टी कमिश्नरों को लिखा कि वे ग्रपनी स्कीमें भेजें। जब वे स्कीमें हमारे पास ग्राईं तो वक्त तंग था इस लिये भारत सरकार के पास भेजने ग्रौर approve कराने में देर लग गई। इन हालात में जो स्कीमें approve हुई थीं वे execute न हो सकीं। वह रुपया lapse नहीं हुग्रा वह इस साल में इस्तेमाल हो जायगा।

**पंडित श्री राम शर्मा** : ग्रब काम कब शुरु होने की उम्मीद की जा सकती है ?

**मुख्य मंत्री** : काम तो हो रहा है।

**पंडित श्री राम शर्मा** : जो काम हो रहा है..........

**ग्रध्यक्ष महोदय** : माननीय मैम्बर बोलने से पहले मेरी इजाज़त ले लिया करें।

**पंडित श्री राम शर्मा**—मेरे खड़े होने से पता लगता है कि मैं supplementary सवाल करना चाहता हूं। मैं दरियाफ़्त करना चाहता हूं कि District-wise क्या क्या काम हो चुका है ?

**Mr Speaker** : The Hon. Member should give a fresh notice of this question.

**श्री श्री चन्द** : क्या यह सच है कि रुपया उन इलाकों को दिया जा रहा है जो वज़ीरों की constituencies में आते हैं और इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि backward इलाकों को मदद की जाए ।

**मुख्य मंत्री** : यह बात बिल्कुल ग़लत है । मैं अर्ज़ करूंगा कि रुपया बांटते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो इलाके backward हैं और जहां कम development हुई हैं वहां ज्यादा रुपया दिया जाये ।

**श्री श्री चन्द** : रोहतक ज़िले में झज्जर तहसील को, जो backward इलाका है, कुछ नहीं दिया गया और सोनी पत के लिये रुपया अलाट किया गया है ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन्हें कितनी कितनी ज्यादा रकम दी गई है ।

**Mr. Speaker** : It does not arise out of the main question. The hon. Member should give fresh notice of this question.

**श्रीमती शन्नो देवी** : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया । मैं पूछना चाहती हूं कि district-wise जो अफ़सर रखने हैं वह services में से रखने हैं या बाहिर से रखने हैं ? इस के मुतअल्लिक गवर्नमेंट का क्या विचार है ?

**Mr. Speaker** : The hon, Lady member should give a fresh notice of this question.

---

MISAPPROPRIATION OF GOVERNMENT MONEY IN GOVERNMENT LIVE STOCK FARM, HISSAR.

***3492. Pandit Shri Ram Sharma**: Will the Minister for Development be pleased to state whether any cases of misappropriation of Government money, fire wood and milk were detected at the Government Live Stock Farm, Hissar during the year 1951-52; if so, the total loss of money sustained by the Government or defalcation in the accounts detected along with the action, if any, taken by the Government against the defaulters?

**Sardar Partap Singh Kairon**: The information is being collected and will be supplied to the member, when ready.

---

DAMAGE BY WILD ANIMALS IN HOSHIARPUR DISTRICT.

***3523. Shri Jagat Ram Bhardwaj**: Will the Minister for Development be pleased to state:—

(a) whether he is aware of the fact that wild animals have been multiplying in the Kandi illaqa of Hoshiarpur District and are damaging the crops and killing the cattle;

(b) whether he is also aware of the fact that the district authorities are very reluctant to issue gun licences;

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the steps Government has taken or proposes to take to protect the interests of the cultivators?

**Sardar Partap Singh Kairon**: The requisite information is being collected and will be supplied to the Member, as soon as possible.

---

BASIC SCHEDULE OF RATES FOR RIVER VALLEY PROJECTS.

*3484. **Shri Ram Kishan**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the Committee set up by the Union Government to recommend a basic schedule of rates for river valley projects has visited the State Projects; if so, the recommendations made by the committee and the action taken by the department concerned on those recommendations?

**Chaudhri Lahri Singh**: The Committee appointed by the Union Government has not so far visited Punjab Projects.

**श्री राम किशन** : क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि जो कमेटी भारत सरकार ने projects के बारे में basic schedule of rates मुकर्रर करने के लिये बनाई है गो उस ने हमारे projects को अभी visit नहीं किया,—उस सिलसिला में data इकट्ठा करने के लिये कोई instructions जारी की गई हैं ?

**मंत्री** : अभी ऐसी कोई instructions जारी नहीं की गईं। Government of India ने वह कमेटी यह देखने के लिये बनाई है कि आया सब projects के रेट uniform करने का कोई formula बन सकता है या नहीं। इस उद्देश्य के लिये वह कमेटी तमाम projects को visit कर रही है।

**श्री राम किशन** : इस सिलसिले में Government of India ने जो Chief Engineers की कानफ्रेंस की थी, क्या उस ने data इकट्ठा करने के बारे में कोई फ़ैसला किया था ?

**मंत्री** : नंगल में एक Engineers का seminar हुआ था। उस में इस उद्देश्य के लिये एक कमेटी बनाई गई थी।

**श्री राम किशन** : उस कमेटी में यह फैसला किया गया था कि data इकट्ठा किया जाए। क्या उस फैसले पर काम हुआ है या नहीं ?

**मंत्री** : मैंने कहा है कि वह कमेटी Union Government ने बनाई है। वह data इकट्ठा करने के लिये सब projects को inspect करेगी। वह हर जगह जा रही है।

**पंडित श्री राम शर्मा** : Union Government की बनाई हुई वह कमेटी पंजाब का दौरा करके क्या कोई recommendations कर चुकी है या नहीं ?

**मंत्री** : मैं कह चुका हूं कि पंजाब में वह कमेटी अभी तक आई नहीं। (हंसी)।

CHANGE IN THE LINING OF DUBBETA DRAIN.

*3494. **Pandit Shri Ram Sharma**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) whether any changes in the original lining of the said drain have been made; if so, the reasons therefor;

(b) whether it is a fact that the lining in the low level has been changed into high level; if so, the reasons therefor and the total estimated additional expenditure incurred by the Government in this connection?

**Chaudhri Lahri Singh**: (a) and (b) Scheme of Dobbeta Drain has not yet been finalised.

**पंडित श्री राम शर्मा**: क्या मैं जान सकता हूं कि वह स्कीम किस stage पर है? क्या वह Government तक नहीं आई या अभी Head of the Department तक भी नहीं आई है?

**मंत्री**: पहली स्कीम का मकसद यह था कि drain बनाया जाए। बाद में Engineers ने बताया कि खर्च ज्यादा आएगा। इस लिये वह काम बन्द किया गया। उस के बाद Engineers ने कहा कि pumping sets लगा कर वहां से पानी canal में डाला जाए। जब उस का estimate लगाया गया तो वह भी costly निकला। फिर drain के lining करने का फैसला किया गया।

**पंडित श्री राम शर्मा**: पहली जो lining की स्कीम थी वह क्यों छोड़ी गई है?

**मंत्री**: वह स्कीम finalise नहीं की गई थी। उस को approve नहीं किया गया था।

---

PERENNIAL SPRINGS IN HOSHIARPUR TEHSIL.

*3522. **Shri Jagat Ram Bhardwaj**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) whether he is aware of the fact that there are some perennial springs in the hills of Hoshiarpur Tehsil;

(b) whether these springs were to some extent utilized for Irrigation purposes before the partition;

(c) whether he is also aware of the fact that hundreds of acres of land can be irrigated from these sources; if so, the steps, if any, the Government proposes to take in this matter?

**Chaudhri Lahri Singh**: (a) Yes.

(b) No.

(c) No.

The schemes can be examined if specific springs that can do extensive irrigation are indicated.

**श्री जगत राम भारद्वाज** : क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस से पहले वहां पर इन चश्मों के पानी से पांच-पांच सात-सात सौ ग्रामों की ज़मीन सैराब हो रही थी परन्तु अब वहां कोई ज़मीन सैराब नहीं हो रही है ? इस की क्या वजह है ?

**मंत्री** : सरकार हर जगह पर मदद करने के लिये तैयार है । होशियारपुर में एक पार्टी survey के लिये भेजी गई है ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या सरकार जानती है कि United Punjab म सरकार इन नदियों के पानी से ज़मीन सैराब करने का इरादा कर रही थी ? अब यह क्यों नहीं किया जाता ?

**मंत्री** : पिछले २०० साल से इन नदियों का किसी ने प्रोग्राम नहीं बनाया था । अगर आप कोई ऐसी स्कीम बताएं तो हम ख़ुशी से उसे हाथ में ले लेंगे ।

**श्री जगत राम भारद्वाज** : Partition से पहले इन चशमों के पानी से जो जमीन सैराब हो रही थी वह अब नहीं हो रही । परन्तु उस पानी का आब्याना अभी तक क्यों लिया जा रहा है ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस के लिये नये नोटिस की जरूरत है ।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿਘ** : ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਭਾਗ (b) ਦਾ ਉਤ੍ਰ 'ਨਾਂ' ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 'ਨਾਂ' ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?

**मंत्री** : सवाल का part (b) यह है (b) Whether these springs were to some extent utilized for irrigation purposes before the partition. इस का जवाब है "No."

**श्री श्री चन्द** : क्या यह ठीक है कि इन चश्मों के पानी से जो आबपाशी होती है उस का आब्याना लिया जाता है ?

**मंत्री** : सरकार की तरफ़ से इन चशमों के पानी से irrigation नहीं होती। अगर कोई आब्याना लिया जाता है तो आप नोटिस दे दें । मैं पता करके बता दूंगा ।

**श्री जगत राम भरद्वाज** : क्या सरकार की ignorance दूर करने का कोई जरिया है जिसे यह नहीं पता कि पानी नहीं दिया जा रहा परन्तु आब्याना वसूल किया जा रहा है ?

**मंत्री** : अगर आप नोटिस दें तो मैं बता सकता हूं ।

**ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ :** On a point of information, Sir. ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਿਆਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

**मंत्री :** मेरा जवाब है कि इन springs के पानी से कोई आबपाशी नहीं होती । अगर कहीं आब्याना लिया जाता है तो आप मुझे बताएं गवर्नमेंट पता करेगी ।

---

DEVELOPMENT OF KANGRA DISTRICT.

*3483. **Shri Ram Kishan**: Will the Minister for Finance be pleased to state :—

(a) whether the Government has prepared any scheme for the exploitation and development of the hidden resources of Kangra District ;

(b) whether any correspondence has passed between the Union Government and the State Government for exploitation and financing of the said scheme; if so, the details of the scheme and the reply of the Union Government in the matter as it stands to day ?

**Sardar Ujjal Sigh**: (a) No.

(b) Does not arise.

Sir, with your permission I want to inform the House that the Geological Survey of India have included the following items relating to Kangra District at our request in their Field Programme for the year 1953-54. (The Survey year begins from the 1st November.) :—

(i) Continuation of systematic mapping of the Dharmsala-Mandi area ;

(ii) Investigation of the alleged occurrence of Mineral oil at Naba Bir Village ;

(iii) Study of lead, antimony, silver, copper, borax and sulphur in the Spiti Valley near Shigri ;

(iv) Mapping of structures suitable as potential oil fields in the Hoshiarpur and Kangra Districts ;

(v) Investigation of copper deposits near Gadsa in Mauza Bhalan and Naurol village in Kulu Tehsil, and

(vi) Collection of Primates and other vertebrate fossils in Kangra-Hamirpur area.

In regard to the following items, the Survey of India have intimated that the regional survey which is already on in this District will help to locate the deposits in due course :—

(i) Survey in Kangra District of Coal, Petroleum, Iron Ores, Calcium Carbonate and Sodium Chloride.

(ii) to tap sites for minerals like Zinc, Iron, Manganese etc, near about Joginder Nagar and Mandi in Kangra Valley.

**राए रघुबीर सिंह:** यह बात कि ज़िला कांगड़ा में कौन कौन सी मादनियात मिल सकती हैं, तो काफी समय से मालूम हो चुकी हैं। एक सवाल के जवाब में भी यह सूचना दी जा चुकी है कि क्या पंजाब सरकार केंद्रीय सरकार के साथ इस सिलसिल में अब कोई correspondence कर रही है ?

**मंत्री :** मैंने वे चीज़ें बताई हैं जो Geological Survey Department के उस प्रोग्राम में शामिल हैं जो उन्होंने १ नवम्बर, १९५३ से ले कर ३१ अक्तूबर १९५४ तक के लिए बना रखा है। इन minerals की तरफ़ ख़ास तौर पर तवज्जुह दी जा रही है। देखा जायेगा कि इन में से कौन २ सी चीज़ काफ़ी मिकदार में निकल सकती है।

**राय रघुबीर सिंह :** यह तो पांच दस साल पहले मालूम हो चुका था।

**अध्यक्ष महोदय :** यह सवाल नहीं है।

I can't allow you to make a statement.

**श्री राम किशन :** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि Central Mineral Research Committee की ओर से ज़िला कांगड़ा में survey के काम के लिये कोई grant मन्ज़ूर की गई है ?

**ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ :** ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਤਲਾਹ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ Geological Department ਦੇ Research Officers ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

**श्री राम किशन :** इस बात के पेशे-नज़र कि यह एक central subject है क्या Central Government की Minerals Research Committee ने ज़िला कांगड़ा के geological survey के लिये कोई grant मन्ज़ूर की है ?

**Mr. Speaker :** It does not arise.

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ :** ਮਾਦਨੀਆਤ ਦੇ survey ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : survey ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ commercial purposes ਲਈ exploit ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ।

**श्री राम किशन** : क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस सिलसिले में केंद्रीय सरकार की मुकम्मल रिपोर्ट कब तक उन के पास पहुंच जायेगी ?

**ਮੰਤਰੀ:** ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ । ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ survey ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ।

**श्री राम किशन** : Second Five-Year Plan के मातहत minerals को exploit करने के बारे में जारी की गई हिदायात के मुताबिक जो स्कीम बनाई जायेगी क्या उस में पंजाब सरकार इन मादनियात की, जिन का मंत्री जी ने जिक्र किया है, शामिल करेगी ।

**ਮੰਤਰੀ:** ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ Planning Commission ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੀਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆਂਗੇ ।

**श्री राम किशन** : अगर वित्त मंत्री जी के notice में यह हिदायत आयेगी, तो क्या उस के बाद mineral exploitation के सिलसिले में तहकीकात करवाई जायेगी

**Mr. Speaker** : It is a hypothetical question.

**श्री बाबु दयाल** : जिन मादनियात के बारे में survey होना है, क्या उस में, mica भी जो कि एक important mineral है, शामिल है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜੇ mica ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ । ਅਸੀਂ mica ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ।

**अध्यक्ष महोदय** : साहिबान ! मुझे Press gallary की तरफ से लिखा हुआ एक नोट आया है कि आवाज़ सुनाई नहीं देती । इस लिये मैम्बर साहिबान से मैं अर्ज़ करूंगा कि वे

कल से जो तकरीरें हो रही हैं वे सारे ऐक्ट पर हो रही हैं हालांकि वह इस बिल से सम्बन्ध नहीं रखती है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप की amendment Section 10-A के बारे में है, सलिये आप उसी पर बहिस को confine करें । सारे बिल पर बहिस नहीं हो सकती है ।

**श्री श्री चन्द** : साहिबे सदर ! मैं कह रहा था कि अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास होनी चाहिये । मैं यह बता रहा हूं कि ये हालात हैं जिन में मिनिस्टर साहिबान को सही हालात का पता नहीं लग सकता । ये हालात हैं जिन की बाबत अपील में किसी आदमी ने सब कुछ कहना है । चीफ़ मिनिस्टर साहिब कहते हैं कि हम सारे एक्ट पर बहिस कर रहे हैं । यह बात नहीं है । मैं केवल वे बातें और वे grounds बता रहा हूं जो किसी आदमी ने जिस का मकान requisition किया गया हो, अपील में देने हैं ।

यहां चंडीगढ़ में मिनिस्टरज़ को फ़ुरसत ही नहीं होती है कि वे किसी की बात सुन सकें । यह हाल बड़े आदमियों का है । और आम आदमी की बात यहां कैसे सुनी जायेगी यह आप खुद अन्दाज़ा लगा सकते हैं । इस के उलट सैशन जज के पास अगर अपील जाएगी तो वह उस के लिये तारीख देगा और वहां सारे हालात सुनने का माहौल होगा । वहां एक आदमी वकील ले जा सकता है । और फिर उन को ट्रेनिंग होती है यह देखने के लिये कि दोनों पार्टियों में से किस का case strong और ठीक है । अगर District Judge के पास अपील जाए तो यह बिद्दत और लानत, जिस से लोगों को तंग किया जा रहा है, खत्म हो सकती हैं । अब यह हो रहा है कि जिस मकान का २०० रुपये किराया होता है उसे २० रुपये पर requisition किया जाता है । इस वक्त इस मामले में डिप्टी कमिशनर जो हिटलरशाही कर रहे हैं वह डिस्ट्रिक्ट जज को अपील सुनने के इख्तियार दे कर खत्म की जा सकती है । और फिर जो अफ़सर मकान requisition करता है उसी को अपील सुनने के इख्तियारात नहीं दिये जाने चाहियें । अपील सुनने के इख्तियारात District Judge को होने चाहियें । इसी लिये मैंने यह amendment पेश की है ।

**प्रोफ़ेसर मोता सिंह आनन्दपुरी** (आदमपुर) : स्पीकर साहिब ! इस में शक नहीं कि इस मौके पर Requisitioning और Acquisition of Immovable Property Act के बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह amendment Section 10-A के बारे में है । Section 6-A के अधीन जब कोई application reject हो जाए तो 10-A के मुताबिक उस की अपील हो सकती है । बहस का मुद्दा यह है कि अपील करने वाले आदमी के साथ इनसाफ़ हो । जिस मसले को आज हम इस democratic age में हल करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस हम बरतानवी राज के समय से हल करने का यत्न करते आए हैं वह है Executive की Judiciary से अलहदगी । जब तक वह इकट्ठे रहेंगे, इनसाफ़ नहीं होगा । आज एक application दी जाती है । Competent Authority जो उस का केस सुनने वाली है वह executive है । वहां से इनसाफ़ की उम्मीद कैसे हो सकती है ? इस के अलावा मैं अर्ज़ करूंगा कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब आज खुद उस बात को violate कर रहे हैं जो वह खुद कहते आए हैं । Executive का काम है requisition करना ।

[श्री श्री चन्द]
उस का काम appellate court का नहीं हो सकता । अगर Executive ही appellate court का काम करेगी तो इनसाफ़ कभी नहीं होगा । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि अपील का हक सैशन कोर्ट को दिया जाये वरना किसी इनसाफ़ की तवक्को नहीं हो सकती । Opposition के मैंबरों ने बार बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि अगर अपील सुनने वाला वही हो जो इस केस में खुद पार्टी हो तो इनसाफ़ नहीं हो सकता । इसलिये मैं कहता हूं कि Section 10-A के मुताबिक अपील सुनने का हक State Government की बजाए Sessions Court को होना चाहिये ।

**ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ** (ਅਜਨਾਲਾ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ! ਇਹ ਜੇਹੜਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਿਸ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ? ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ higher authority ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜੋ ਗਲ ਥੱਲਿਉਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਰ ਤਕ ਉਹੋ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫ਼ਿਨਾਨਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਕ ਓਸੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਪੀਲ judicial branch ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ Executive Engineer ਪਾਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ crop destroy ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ S.D.O. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਐਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਉ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ judiciary ਅਤੇ executive ਅਡ ਅਡ ਹੋਣ । ਉਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕ authority ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇ ਅਪੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇਕ action ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ above suspicion ਹੋਵੇ ਅਤੇ justice administer ਕਰਨ ਵਾਲੀ authority ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨ ਹੋਵੇ । Justice ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਤਾਂ between citizen and citizen, ਅਤੇ ਦੂਜੀ between citizens and State । ਤੁਸੀਂ Rent Restriction Act ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਓ । ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਮਕਾਨ ਛੁੜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬ-ਜਜ First Class ਕਰਦਾ ਹੈ । ਐਕਟ ਵਿਚ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ District Judge ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਆਪ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ justification ਨਹੀਂ । Competent authority ਭਾਂਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਛਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਅਪੀਲ competent authority ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ objects and reasons ਦੇ statment ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ—ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇਵੇ । Competent authorities ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ judicial officers ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । Requisition ਤੇ acquisition ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ powers District Magistrates ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ State Government ਦੇ behalf ਤੇ exercise ਕਰਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ requisition ਕਰੇ ਜਾਂ acquire ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ District Magistrate aggrieved ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਝੱਟ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ applicant ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪ ਹੀ evidence ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ out of 100, ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Consolidation Act ਦੀ ਦਫ਼ਾ ੪੨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ misuse ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ citizens ਦੀ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ appellate ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਰਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਤੇ ਧੋਕਾ ਹੈ। Competent authority ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉੜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇਕ-ਨੀਯਤੀ ਨਾਲ ਲਕਾਂ ਦੀਆਂ grievances ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ District Judges ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Punjab Rent Restriction Act ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ revision High Court ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ requisition ਤੇ acquisition ਦੇ cases ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ writ ਦੇ ਕੋਈ aggrieved party High Court

ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮੈਨਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ confidence restore ਕਰੇਗੀ।

**ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ** (ਨੂਹ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੋਰਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ public ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੋਰੀਂ ਵੀ ਰੁਖ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਪੌੜਸੰਖ ਦੀ ਗਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ 'ਪੰਜ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਲਓ'। ਜਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ; ਪੰਜਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ', ਤਾਂ ਲਪੌੜਸੰਖ ਕਹਿਣ ਲਗਾ 'ਤੁਸੀਂ ੫੦੦ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰੋ'। ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤਕਣ ਲਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲਪੌੜਸੰਖ ਬੋਲਿਆ 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿਕਰ ਨ ਕਰੋ'। (ਹਾਸਾ) ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਬੜੇ੨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਚਮੁਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕ ਖੁਸ਼ਬਖ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ; ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਪੌੜਸੰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ

[ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ]

ਗੱਲਾਂ ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੱਲਾ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ red-tapism ਵਲ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप amendment पर बोलें, general discussion न करें।

**ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ :** ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ judiciary ਦਾ ਕੰਮ judiciary ਨੂੰ ਹੀ ਦਵੇ ਤੇ Opposition ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹਕ ਵੀ ਨ ਦੇਵੇ ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ fundamental rights ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ amendment ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚ confidence ਵਧ ਜਾਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

**मुख्य मंत्री ( श्री भीम सैन सच्चर)** : स्पीकर साहिब ! बहस का दायरा बहुत वसीह कर दिया गया है। असल में बात तो बहुत मामूली थी। बात को ५ रुपये से बढ़ा कर ५ हज़ार और १० हज़ार तक ले जाया गया। अगर उन को ज़रूरत ५ रुपये की थी तो फिर ५ हज़ार तक ले जाने का क्या मतलब था ? मैंने कल भी अर्ज़ की थी और आज फिर अर्ज़ करता हूं कि इस क्लाज़ का मतलब यह है कि जब requisition की सारी stage गुज़र जाती हैं यानी orders हो जाते हैं और property requisition हो जाती है फिर मालिक मकान गवर्नमैण्ट के पास appeal कर सकता है। यह सब बातें original Act में provide की गई हैं। इस के सिवाए मालिक मकान के पास कोई चारा नहीं होता था और property को requisition हुए सालों गुज़र जाते थे। यहां तक कि उसे requisition हुए कितना ही अरसा गुज़र जाता था लेकिन

जब तक authorities खुद नहीं move करती थीं तब तक derequisition करवाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी । जब मैंने देखा कि properties बहुत पुराने समय से requisition हुई हुई हैं तो मैंने अहकाम जारी कर दिये कि ज़िले के अफ़सरान न मामलों की देख भाल करें और मेरी तसल्ली करें कि एक property जो ५ साल से requisition हुई है क्यों derequisition नहीं हो सकती । उन को महकमाना तौर पर instructions दे दी गई हैं कि वे ऐसे केसों को तैयार करें और अब इन instructions को हम कानून की शकल देना चाहते हैं । अगर पहली बार किसी को कामयाबी नहीं होती तो वह दोबार मामला खड़ा कर सकता है । दो साल की मियाद का होना ज़रूरी है । यह बात उचित नहीं है कि हर वक्त पर दरख़ास्त दी जा सके । दो साल के बाद मालिक को दरख़ास्त देने का कानूनी हक मिल जाता है और फिर अपील का हक भी मिल जाता है । अब बात यह रह गई कि जो दरख़ास्त derequisition के लिये दी गई है अगर वह reject हो जाती है तो यह देखने का right कि वह दरख़ास्त मुनासिब तौर पर reject हुई है किस authority पर छोड़ा जाये । हमने यह हक गवर्नमैंट को दिया है । मैम्बर साहिबान को यह बात नहीं भूलनी चहिए कि original Act में requisition की गई property के बारे में जो appeal करनी होती है वह भी Government के पास ही करनी होती है । मैंने ज़िला के अफ़सरान को instructions दी हैं कि वे इन cases को light-heartedly न deal करें बल्कि पूरी छानबीन से और न्याय की दृष्टि से उन का फ़ैसला करें । स्पीकर साहिब ! यह कहा गया है कि District authority के फ़ैसलों के बरख़िलाफ़ appeal judicial authorities के पास होनी चाहिये तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जब किसी मामले का फ़ैसला judicial authorities करती हैं तो वह मामला बहुत लम्बा हो जाता है । शहादतें होती हैं, गवाहियां होती हैं और Lawyers को engage करना पड़ता है जो कि जरह करते हैं । इस तरह बहुत सारा additional ख़र्च हो जाता है । बहुत सारा material इकट्ठा करना पड़ता है । इस तरह इस procedure में काफ़ी दिक्कत पैदा हो जाती है । इसी लिये हमने appeal का right गवर्नमैण्ट के पास रखा है

स्पीकर साहिब ! उन की बहस का सारांश तो यही है कि लोगों को इन्साफ़ मिले, शीघ्र मिले और इन्साफ़ लेने में उन्हें तकलीफ़ न हो । इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर जनता की यह तकलीफ़ें हमारे पेशेनज़र न होतीं तो हम को यह तरमीमी बिल लाने की ज़रूरत ही न पड़ती । सरकार भी यही कुछ चाहती है और यही सरकार की पालिसी है । जब पालिसी नेक नीयती पर मबनी है तो फिर उन्हें चिन्ता किस बात की है ? मैं अपने इन दोस्तों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे उन के विचारों का बहुत इहत्राम है और मैं खुद देखूंगा कि उन के विचारों को सामने रख कर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कुछ किया जा सकता है । यह ज़रूरी नहीं है कि यह authority गवर्नमैण्ट के ही पास रहे, authority बादअज़ां delegate भी की जा सकती है । उन के ख़्यालात की ज़्यादा से ज़्यादा कदर हम किस तरह कर सकते हैं यह हम देख लेंगे । जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि affected persons के केसिज़ को light-heartedly न deal किया जाए, इस के बारे में मैंने पहले भी Deputy Commissioners को instructions

[मुख्य मंत्री]

की हुई हैं। अब दोबारा कर दूंगा कि उन को और भी rigidly follow किया जाए। स्पीकर साहिब! अन्त में मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि यह तरमीमी बिल लोगों के आराम के पेशेनज़र ही लाया गया है। इस लिये मेरी हाऊस से दरखास्त है कि इस को जल्दी ही पास किया जाए।

**Mr. Speaker** : Question is—

In the proposed section 10-A (1), lines 4—8,

For " within twenty-one days............State Government " substitute "within thirty days from the date of service of the order, prefer an appeal to the District Judge."

*After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said, "I think the Noes have it." This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places, declared that the division was unnecessarily claimed.*

*The motion was declared lost*

**Mr. Speaker** : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

*The motion was carried*

CLAUSE 1

**Mr. Speaker** : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried*

TITLE

**Mr. Speaker** : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried*

**Chief Minister** (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill be passed.

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill be passed.

**ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ** (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ objects and reasons ਦਾ purpose serve ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ statement ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹ

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ properties requisition ਜਾਂ acquisition ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ derequisition ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ relief ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ relief ਦੇ ਮੈਹਨੇ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ authority ਪਾਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ permission ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ relief ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ refined ਤੌਰ ਪੁਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ property ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੇਰੀ relief ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ।

ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਾਹਿਬ ! ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ derequisition ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੜੇ sympathetically ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿਹੜੀ competent authority ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਦਿੱਕਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ accommodation provide ਕਰਨਾ । ਇਹ ਦਿਕੱਤ ਇਤਨੀ compelling ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ property ਨੂੰ de-requisition ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਸਕਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ case genuine ਹੈ । ਇਸ ਦਿਕੱਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ minds ਕਦੇ ਵੀ open ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ—ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ biased ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ authority ਨੂੰ appellate authority ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ property ਨੂੰ requisition ਕੀਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ necessity ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ owner of the property ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ relief ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ the man at

[ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]

the spot ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ competent authority ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ mind ਕਦੇ ਵੀ open ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ influence ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ district headquarters ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ building ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ accommodation provide ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ perpetual necessity ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਹ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ competent authority ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ mind justly work ਕਰੇ ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ properties ਨੂੰ derequisition ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਹ problem ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਥੇ ਜਾਣ? ਇਸ compelling necessity ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਦਿਆਂ competent authority ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ mind moribund ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ property ਨੂੰ derequisition ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰ ਕੋਈ judicial ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ authority ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ necessity prevail upon ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੈਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ time wasting refinement ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

दीवान जगदीश चन्द्र (लुधियाना शहर—सदर) : जनाब स्पीकर साहिब ! इस बिल के ज़रिये उन इशखास को जिन के मकानात या properties को requisition किया गया है उन्हें derequisition कराने के लिये बाज़ाबता तौर पर दरख़ास्त करने का हक मिल गया है। इस के इलावा वे लोग बाज़ाबता तौर पर अपील भी कर सकते हैं

लेकिन मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी ओर से चीफ़ मिनिस्टर साहिब हैं की खिदमत में एकाध गुजारिश करना चाहता हूं ।

जनाबे वाला ! तजुरबा यह बताता है कि जब derequisition के लिये कोई दरखास्त दी जाती है तो अफ़सरान एक मरतबा भी उस पर हमदर्दी से ग़ौर नहीं करते और उसे एकदम नामन्जूर किया जाता है । सिर्फ एक बहाना सामने लाया जाता है कि क्योंकि कोई alternative accommodation available नहीं इसलिये इस मकान को derequisition नहीं किया जा सकता । नतीजा यह होता है कि दरखास्त कुनिन्दा की मुश्किलात पर कतअन ग़ौर नहीं किया जाता । इसलिये अगर इस वक्त judicial authority को ये अपील के इख्तियारात देने मुनासिब नहीं समझे गए तो कम से कम इस किस्म की हिदायात जरूर जारी की जाएं कि जब derequisition की कोई दरखास्त आए तो दोनों तरफ़ों से ग़ौर किया जाए । चीफ़ मिनिस्टर साहिब की तरफ़ से गो आर्डर किये गए कि लोगों की जो requisitioned properties हैं उन के मुतल्लिक अफ़सरान justification दें और बताएं कि क्यों अभी तक requisitioned रखी हुई हैं, लेकिन इस के बाद भी जब कोई दरखास्त अफ़सरान के पास जाती थी तो लिख दिया जाता था कि हमारे पास अफ़सरों के रहने के लिये मकान नहीं हैं इसी लिये उसे requisition रखा जा रहा है । लेकिन, स्पीकर साहिब, ऐसी कोई बात नहीं । दर असल मकान उन को और मिल सकते हैं—नए भी मिल सकते हैं । मगर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वे मकान या तो उन के दफ़ातर से दूर होते हैं या उन का किराया पहले मकानों की निस्बत ज्यादा होता है । इस लिये, मुझे यही अर्ज करना है कि जब लोगों की दरखास्त पर ग़ौर किया जाए तो चाहे यह Competent Authority हो या गवर्नमेंट, उसे मालकान property की मुश्किलात को जरूर सामने रखते हुए—उन पर जरूर ग़ौर करना चाहिये ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ** (ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਪੁਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੋ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ੨ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਮੇਰੇ ਕਈਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਰ ਨਾਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

[ ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ]

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ Superintendent Police ਦੇ ਪਾਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਉਹੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਉਸੇ ਥਾਨੇਦਾਰ ਪਾਸ ਰੀਪੋਰਟ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਨੇਦਾਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਝਾੜ ਝਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ? ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਪੁਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਖ਼ਿਆਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲਗੇਗਾ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਥਾਨੇਦਾਰ ਵਾਂਗੂ ਉਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਰ ਉਹੀ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ administration ਦਾ ਵਕੱਾਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਕੱਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲ ਬਣਨੀ ਬਣਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖਲੀ ਖਲੋਤੀ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਢ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਢ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਛੱਕੇ ਘਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪਸੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ—ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਿਸਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਤ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਸੂਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ.........

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ:** ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਕਿ ਸੂਅਰਾਂ ਦਾ requisition ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਅਲੁਕ ਨਹੀਂ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ:** ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਸੂਅਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਗੈਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਕਲ.........

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ:** ਆਪ ਬਿਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਅਰਾਂ ਨੂੰ discuss ਨਾ ਕਰੋ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ:** ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ acquire ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਹੋਰ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ acquire ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ requisition ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ

[ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਧਾਵਾ ਰਾਮ]

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ acquire ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਹੋਈ ਕਿ:

ਨਿਮਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਗਏ
ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਗਲ ਪੈ ਗਏ।

ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੁਛਣ ਲਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਨ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ:** ਆਪ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ irrelevant ਸੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ relevant ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਰੋ।

**खान अबदुल गफ़ार खां** (अम्बाला शहर) : जनाब स्पीकर साहिब ! इस requisition के सिलसिले में मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने यकीन दिलाया है कि उन्होंने हुकाम को instructions जारी कर दी हैं और उन्होंने गवर्नमेंट की पालिसी का इज़हार भी कर दिया है। जहां तक चीफ़ मिनिस्टर साहिब का ताल्लुक है, उन्होंने तहदिल से इस बात की कोशिश की है कि लोगों की तकलीफ को कम किया जाए। लेकिन मैं ज़ाती तजुर्बे की बिना पर अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में लोगों को बहुत तकलीफ़ पेश आ रही है। शिमला में एक सरकारी मुलाज़म एक मालिक मकान के पास गया और उस ने उसे कहा कि अपना मकान मुझे किराये पर दे दो और वह भी बिल्कुल मामूली किराये पर। मालिक मकान ने कहा कि वह उसे अपने लिये चाहिए। इस पर उस सरकारी मुलाज़म ने बड़े फ़ख़िया अन्दाज़ में कहा कि देखूंगा कि तुम किस तरह नहीं देते। यह कह कर व

चला गया और जा कर उस मकान को requisition कराने की कोशिश की। लेकिन जब इस बात का इल्म मालिक मकान को हुआ तो उस ने मुझ से ज़िक्र किया। मैं इस सिलसिले में चीफ़ सैक्रेटरी साहिब से मिला और उन्होंने बड़ी मेहरबानी करके हुक्म जारी कर दिया कि यह मकान requisition न किया जाए। आप मुलाहज़ा फ़रमाएं कि जिस शख्स की पहुंच सरकारी हुकाम के पास नहीं होती उसे अपने मकान को derequisition कराने में कितनी तकलीफ़ात और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उस का मकान derequisition हो भी सकेगा या नहीं। इसलिये बेहतर होगा कि यह इख्तियारात judiciary को दे दिये जाएं। अगर किसी हालत में यह इख्तियार judiciary को नहीं सौंपे जा सकते तो इस बात का कोई और हल देखना और परखना होगा। महज़ चीफ़ मिनिस्टर साहिब की instructions जारी करने से और पालिसी का इज़हार कर देने से लोगों की यह तकलीफ दूर नहीं हो सकेगी। मैं उन की खिदमत में अर्ज़ करता हूं कि उन के जो नीचे के ओहदेदारान हैं वह इन instructions की ज़रा भी परवाह नहीं करते। वह नीचे से ही ऐसी चीजें लिख कर भेजते हैं कि यह भी उन की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं।

(इस पर अपोज़ीशन वालों की तरफ से तालियां बजाई गईं)।

अपोज़ीशन वालों को इन बातों पर खुश नहीं होना चाहिये। क्योंकि हम जो कुछ अपने मिनिस्टर साहिबान की खिदमत में कहना चाहते हैं वह इसलाह के लिये कहना चाहते हैं और यह जो कहना चाहते हैं वह इसलाह के खिलाफ़ और प्रापेगेंडा के लिये कहना चाहते हैं। यह फ़र्क है उन के कहने और हमारे कहने में।

मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह उन ग़रीब लोगों को जिन की सरकारी अफ़सरान तक पहुंच नहीं होती और जिन्होंने मकानात अपने रहने के लिये, अपने मुफ़ाद के लिये या अपने रिश्तेदारों के फायदे के लिये बनाये हैं और वह requisition होगये हैं, इन्हें मुसीबतों से बचाने के लिये कुछ नए कदम उठाएं ताकि उन की यह मुसीबत दूर हो और उनको तसल्ली हो कि अब उन पर इस किस्म के मुज़ालिम न होंगे।

**मुख्य मंत्री** (श्री भीम सैन सच्चर) : स्पीकर साहिब, मैंने हाऊस में requisition करने और derequisition कराने के लिये दर्खास्त देने के फ़र्क को समझाने की कोशिश तो की थी। मेरे मुअज़िज़ दोस्त खान अब्दुल गफ्फार खां ने जो शिकायत की है वह requisition के सिलसिले में है। मैं अर्ज़ करता हूं कि जब किसी मकान को requisition किया जाता है तो सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता और रखा भी कैसे जा सकता है क्योंकि उस वक्त emergency होती है और यही वजह है कि यह काम judicial authority के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। हम जो कर सकते हैं वह यही है कि अफ़सरान को हिदायत जारी कर दें। और अगर मैम्बर साहिबान देखते हैं कि कहीं उन हिदायात की violation हुई है तो यह उन का फ़र्ज़ है कि वह केस हमारे नोटिस में लायें। अब जो चीज़ हाऊस पास कर रहा है वह derequisition के बारे में है। हम ने यह देखना है कि derequisitioning करने के वक्त जो authorities derequisition कर सकती है वह लोगों की दरखास्तों को हमदरदी से देखें और यह उन के लिये routine matter बन जाये कि जितनी तवज्जुह उन्हें दरखास्त में दर्ज की गई बातों

[मुख्य मंत्री]

की तरफ देनी चाहिये वह उतनी तवज्जुह दें। मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो जायेगा क्योंकि गवर्नमैण्ट की पोलीसी यही है कि दरखास्त में जितनी वजूहात दी गई हों उन सब का पूरी तरह से वज़न किया जाये। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि जो चीज़ गैर-सरकारी तौर पर समझी जा सकती है और appreciate की जा सकती है वह सरकारी तौर पर नहीं समझी जा सकती और appreciate नहीं की जा सकती। इस लिये मैं आप को बताना चाहता हूं और announce करना चाहता हूं कि derequisition की दरखास्तों पर कार्यवाही करने के लिये जो competent authority होगी उस में ३ आदमी होंगे—एक official जैसे Deputy Commissioner या और कोई और 2 non-officials जैसे M.L.A.s वगैरा। यह competent authority applications को receive करेगी और उन पर फैसला करेगी कि आया यह property छोड़ दी जाये या न। इसी के साथ साथ मैं यह भी ऐलान करता हूं कि वह competent authority सिर्फ उन्हीं दरखास्तों पर गौर नहीं करेगी जो इस बिल के पास होने और ऐक्ट बनने के बाद की जायेंगी बल्कि यह हुक्म जारी कर देंगे कि आज तक जितनी भी requisitions हो चुकी हैं उन तमाम को review करने के लिये competent authority की strength वही होगी यानी एक सरकारी और २ गैर-सरकारी मैम्बर (तालियां)। इस तरह यह कहा जा सकता है कि गवर्नमैण्ट ने इस तरफ पूरी कोशिश की है और मुझे आप से पूरा इत्तिफाक है कि लोगों को requisition के मामले में कम से कम तकलीफ होनी चाहिये। कम से कम property को requisition किया जाना चाहिये और मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि अगर कोई दूसरी property मिलती हो—चाहे उस का हमें ज़्यादा ही किराया देना पड़े—तो कोई वजह नहीं कि किसी मकान को requisition किया जाये। यह हुक्म मैं जारी कर चुका हूं और जिस तरह मेरे साथी ने निहायत मौज़ूं और मुनासिब इलफ़ाज़ में मुझे याद दिलाया है, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो announcement की मुझे उम्मीद है कि उसे House पसन्द करेगा और इस से लोगों की तकालीफ भी दूर हो जायेंगी।

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill be passed.

*The motion was carried.*

## THE PUNJAB STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) (SECOND AMENDMENT) BILL.

**Chief Minister** (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to introduce the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) (Second Amendment) Bill.

**Chief Minister** : Sir, I beg to move —

That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ** (ਸਮਰਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ piecemeal ਤਰੀਕੇ ਤੇ disqualifications remove ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿਚ amendments, ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਚਮੁਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸੇ individual ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ disqualification remove ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Receiver ਦੀ capacity official ਹੈ non-official ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ appointment ਅਤੇ removal ਵਗੈਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ insolvency ਦੇ cases ਵਿਚ property ਨੀਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕਦਮੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ official ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ non-official ਘਟ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲ Constitutions ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ Peoples Act ਦੇ ਤਹਿਤ election ਵਿਚ official ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ official position ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ election ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੀਆਂ official duties ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ official position ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਪੰਚੋਤਰਾ ਕਠਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। Elections ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ corruption ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ Receivers ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ elections ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਉਹ ਗਲ ਕਰੇ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨ ਰਹੇ।

**ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ** (ਅਜਨਾਲਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Cabinet ਦੀ ਇਹ practice ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ disqualification remove ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਰਦਾਰ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਲਏ ਗਏ, ਫਿਰ N.C.C. ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ Notary Public ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ Official Receiver ਦੀ disqualification remove ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਡਾ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ office of profit ਹੋਲਡ (hold) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੀ ਦਿਤੀਆਂ। ਅਸਲ purpose ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਪ ਜਾਂ ੬ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਬਿਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ Constitution ਦੇ Article ੧੯੧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। Office of profit, hold ਕਰਨ

ਵਾਲੇ election ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ official position ਦੀ ਵਰਤੋਂ elections ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ disqualifications remove ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ piece-meal ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਦਾ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ disqualifications remove ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ Notary Public ਅਤੇ N.C.C. ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ । ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ Official receiver ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਫੀਸ਼ਲ ਰੀਸੀਵਰੀ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੋ ਵੇਰ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ disqualifications remove ਹੋ ਜਾਣ । ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਡੀ ਪਵਿਤਰ Constitution ਦੀ ਦਫ਼ਾ ੧੯੧ ਅਧੀਨ ਆਫੀਸ਼ਲ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ office of profit ਦਾ holder ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ Constitution ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ in the name of justice, Constitution ਦੇ provision ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ Notary Public ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਵੋ । ਕਿਸ ਲਈ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਰੀਸੀਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ disqualifications remove ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਬੀਨਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਵੇਰ ਲਿਸਟ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ mania ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਲ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੁਲਾਨੀ category ਤੋਂ disqualifications remove ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਾ । ਇਹ Constitution ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜੰਤਾ ਨਾਲ injustice ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Constitution ਨੂੰ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਫੀਸ਼ਲ ਰੀਸੀਵਰ ਤੋਂ disqualifications ਨਾ ਹਟਾਓ । ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਫੀਸ਼ਲ ਰੀਸੀਵਰ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਵੀ ਰਹੇ । ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਕੋ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ । ਤੁਸੀਂ ਅਗੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਣ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ disqualifications remove ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹੀ repeat ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ repetition ਨਾ ਕਰੋ । ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ decision ਦੇ ਚੁਕੇ ਹੋ । ਇਸ ਲਈ Notary Public ਤੇ ਤੁਸੀਂ attack ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ attack- ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ; ਮੈਂ ਤਾਂ reference ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ disquali fications remove ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ disqualifications remove ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ disqualifications remove ਕਰਕੇ Constitution ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ amendment ਲਿਆ ਕੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਨਾ ਬਣਾਓ । ਇਸ ਨਾਲ favouritism ਅਤੇ nepotism ਵਧੇਗੀ ।

**श्री मूल चंद जैन** (संचालका) : स्पीकर साहिब, मेरे खड़े होने से Opposition के भाई जिन्होंने इस बिल की मुखालिफत की है परेशान हैं । पता नहीं कौन सा पहाड़ टूटने वाला है । उन्होंने जो नकशा इसके बारे में खींचा है उस से पता चलता है कि कोई भारी आफ़त आने वाली है । मैं इस बिल के बारे में कुछ बातें हाऊस के नोटिस में लाना चाहता हूं । यह बिल जो Leader of the House ने पेश किया है पहले ही Government of India Act, 1935 की क्लाज़ ३०७ में दर्ज है । इस लिये मेरे दोस्तों ने जो नक्शा खींचा है कि यह बिल एम. एल. एज़. के बचाने के लिये है बिल्कुल बेबुनियाद है । यह बिल पहले ही एक्ट की शक्ल में हमारे पास है । जो Removal of disqualifications का बिल पिछले सैशन में पेश किया गया था उसमें इसी कानून के मुताबिक तरमीम की गई थी । और अब भी तरमीम की जा रही है । यह कोई नई चीज़ नहीं । यह तरमीम पहले तरमीमी बिलके समय नहीं लाई गई और रह गई थी और अब लाई गई है । मैंने Government of India Act, 1935 का हवाला दिया था । स्पीकर साहिब, मैं आप की वसातत से ऐक्ट की क्लाज़ ३०७ के भाग "बी" को पढ़कर सुनाता हूं । सारा सैक्शन इस तरह है:—

> "307. For purposes of the first elections of persons to serve as Members of the Federal Legislature and of Provincial Legislatures no person shall be subject to any disqualification by reason only of the fact that he holds—
>
> (a)............................
>
> (b) an office which is not a whole-time office remunerated either by salary or by fees .."

स्पीकर साहिब ! इस क्लाज़ के मुताबिक आफ़ीशल रीसीवर का office whole-time office नहीं है । Part-time office है । अगर यह exempt हो सकता है तो होना चाहिये । फिर मेरे दोस्त कहते हैं कि यह बिल ठीक तरीके से नहीं लाया गया ।

१९३५ के ऐक्ट के बाद मध्य प्रदेश का १९५० का ऐक्ट है । जिस का पूरा नाम है 'Madhya Pradesh Offices of Profits, Removal of Disqualifications Act, 1952' । इस ऐक्ट में जो offices exclude किये गये हैं उनकी गिनती १३ है और आईटम नं. ७ है "Official Receiver-Appointed under Non-Provincial Insolvency Act, 1900".

तो मैंने दो कानूनों के हवाले दिये हैं । अब भी अगर मेरे अप्पोज़ीशन के भाई न समझें तो मैं क्या कहूं । अगर इसी तरह का कानून पहले पंजाब में नहीं लाया गया है तो इस में कोई हर्ज नहीं । यह कोई नई चीज़ नहीं जिस से favouritism और nepotism का डर मेरे Opposition के दोस्तों को हो । मैंने इसी लिय तो कानून भी पढ़ कर सुनाया है । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की पूरे जोर से ताईद करता हूं ।

**ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ** (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੂਰਬੀ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਓਨੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ

[ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]

ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੈਨ ਦੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ support ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ quote ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 1935 ਦਾ law ਤਾਂ inoperative ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ Constitution of India ਦਾ Article 191 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ Official Receiver ਦੇ office ਨੂੰ Office of Profit ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1935 ਦਾ ਐਕਟ quote ਕਰਨਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਤੇ ਭੁਲ ਸੀ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਅਸਾਡੀ Constitution ਨੇ contractors ਨੂੰ disqualify ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ exploit ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ Official Receiver ਖਵਾਜਾ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਸਨੇ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਫੀਸ਼ਲ ਰੀਸੀਵਰ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਹਨ these are officials of immense influence ਅਤੇ ਆਫੀਸ਼ਲ ਰੀਸੀਵਰ, ਨੰਬਰਦਾਰ; ਪਟਵਾਰੀ ਆਦ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੜ੍ਹਕੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, convass ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ Political Agent ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ requisite Law ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਦੀਦਾ ਦਾਨਿਸਤਾ amendment ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ Constitution ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ amendment ਕਿਸੇ ਸਜਨ ਨੂੰ M.L.A. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਨ ਤਾਂ ਇਸ amendment ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ sense ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ better senseprevail ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ disqualifications ਤੇ strictly ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਫੀਸ਼ਲ ਰੀਸੀਵਰ ਤੇ disqualifications

mike को मुंह के नज़दीक रख कर बोलें और ऊंची आवाज़ से बोलें ताकि उन को आवाज़ सुनाई दे ।

**श्री बाबू दयाल** : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस से पहले सरकार ने किसी विशेषज्ञ की राय नहीं पूछी कि आया इन पहाड़ों में mica उपलब्ध है या नहीं। सरकार ने किस बिना पर यह सर्वे ( survey ) शुरु करवाया है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ :** ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਸਰੀ survey ਕਰਵਾਇਆ 'ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ survey ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

---

## RESTORATION OF LAND TO UMAID AND OTHER MEOS IN DISTRICT GURGAON

*3493. **Pandit Shri Ram Sharma**: Will the Minister for Finance be pleased te state:—

(a) whether the names of Umaid and Chand Khan and others of Thana Alam, Police Station Tauru, District Gurgaon are entered in the special census of Meos;

(b) whether the lands of the said two persons and others have been restored to them ; if not, the reasons therefor ?

**Sardar Ujjal Singh**: (a) The names of Umaid and Chand Khan of village Thana Alam are not entered in the Special Census of Meos. The residents of this village whose names appear in the census Registers are (1) Khairati son of Khuda Bux (2), Chheetan, son of Wahid, (3) Chahat, son of Sukha and (4) Nur Mohammad son of Rasula.

(b) The lands of Umaid and Chand Khan were not restored because they could not prove themselves non-evacuees. The lands of Kharaiti Chheetar, Chahat and Nur Mohammad referred to in part (a) above were duly restored to them.

**पंडित श्री राम शर्मा** : वजीर साहिब ने यह फरमाया है कि उमेद और चान्द खान के नाम census रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं। तो क्या यह उन को इल्म नहीं है कि उन्हों ने सरकार को दरखास्त भेजी है और उस के साथ उन्हों ने इस बात का सबूत भी भेजा है कि उन के नाम census रजिस्टर में दर्ज हैं ?

**ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ :** ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Census Register ਵਿਚ

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ । ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਗਲ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ non-evacuees ਹਨ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

**पंडित श्री राम शर्मा :** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी तारीख को उन की दरख़ास्त पर किसी अफ़सर ने फ़ैसला भी किया था ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ :** ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਪਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਂ, hon. Member ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ।

**पंडित श्री राम शर्मा :** वास्तव में मेरा मतलब तारीख पूछने से नहीं है । मेरा मतलब तो यह है कि किसी stage पर उन की दरखास्तों पर कोई फैसला दिया गया था या नहीं ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ :** ਜੇਕਰ hon. Member ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

---

WIDOW HOMES IN THE STATE.

***3546. Shrimati Sita Devi :** Will the Minister for Finance be pleased to state :—

(a) the total number of Widow Homes in the State at present and the names of persons incharge of the same along with their salaries;

(b) the total number of widows and children kept in each of the said Homes at present ?

**Sardar Ujjal Singh :** (a) There are the following five Women Homes in the State. The names of the superintendents incharge of the Homes and their monthly emoluments are given against each—

| Serial No. | Name of the Home | Superintendent | Scale of pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Gandhi Vanita Ashram, Jullundur | Miss Krishna Thapar | Rs 250 (Consolidated) plus Rs 50 as special pay for Training-cum-Production Centre |
| 2 | Mahila Ashram, Hoshiarpur | Miss Damyanti Sehgal | Ditto |

[Minister for Finance]

| Serial No. | Name of the Home | Superintendent | Scale of pay |
|---|---|---|---|
| 3 | Mahila Ashram, Karnal | Miss P.K. Makhan Singh | Rs 250 (Consolidated) plus Rs 50 as special pay for Training-cum-Production Centre |
| 4 | Mahila Ashram, Rohtak | Miss Harbans Kaur Sundhuwalia | Ditto |
| 5 | Seva Sadan, Jullundur | Miss Shakuntla Kapur | Rs 175 (Consolidated) |

(b) The total number of widows and children kept in the these homes is as under—

1. Gandhi Vanita Ashram, Jullundur .. 1,262
2. Mahila Ashram, Hoshiarpur .. 1,378
3. Mahila Ashram, Karnal .. 1,445
4. Mahila Ashram, Rohtak .. 1,450
5. Seva Sadan, Jullundur .. 216

**श्रीमती सीता देवी** : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि इन Widow Homes में अब admission बन्द हो गई है या कि होती है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Widow Homes ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

**श्री मूल चन्द जैन** : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो महिला इन विडो होमज़ (Widow Homes) में दाखिल कर ली जाती है उस को indefinite period के लिये रखा जाता है या कि कुछ अरसे के लिये training देकर बाहर भेज दिया जाता है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ Widow Homes ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ compensation ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇ ਦਾਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ।

**श्रीमती सीता देवी** : क्या वज़ीर साहिब कृपया बतायेंगे कि इन विधवाओं को हमेशा के लिये रखा जाता है या कि जब वे कोई काम सीख लें तो उन को rehabilitate करने का भी प्रबन्ध किया जाता है ?

**ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਿਖ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ rehabilitate ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

**श्रीमती सीता देवी** : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट ने इस बारे कोई कमेटी मुकर्रर की हुई है जो यह देखे कि जिस औरत को काम सिखाया जाता है उस को rehabilitate किया भी गया है या नहीं ?

**ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਇਹ Supplementary question ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं hon. Lady Member से दरख़ास्त करूंगा कि वह ऐसे सवाल पूछे जिन का main question से कुछ ताल्लुक कायम किया जा सकता हो। जिन Supplementary questions का ताल्लुक main question से नहीं कायम किया जा सकता, ऐसे सवाल पूछ कर हाऊस का वक्त जाया न करें।

**श्रीमती सीता देवी** : मैं स्पीकर साहिब से यह जानना चाहती हूं कि जो जवाब वज़ीर साहिबान की तरफ़ से दिया जाता है उस में से जो Supplementary arise होते हैं वे पूछे जा सकते हैं कि नहीं ?

**अध्यक्ष महोदय** : कमेटी वगैरा का तो सवाल पैदा ही नहीं होता।

**श्रीमती सीता देवी** : श्री मूल चन्द जैन के प्रश्न में जो उत्तर वज़ीर साहिब ने दिया था उस में से यह Supplementary पैदा होता है कि क्या सरकार ने इस बात की जांच के लिये कोई कमेटी बनाई है कि नहीं ? मैंने irrelevant question नहीं पूछा।

**अध्यक्ष महोदय** : फिर भी मैं hon. Members को एहतियात रखने की गुज़ारिश करूंगा और hon. Ministers को तो ऐसे सवालों का जवाब देने की तकलीफ ही नहीं करनी चाहिए।

**श्री मूल चन्द जैन** : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जो औरतें सन् १९४८ में महिला आश्रमों में दाखिल हुईं और जिन के बच्चे अब नौजवान हो कर रोज़गार में लग गये हैं, वे अब इन आश्रमों में रह सकती हैं या इन्हें अब निकाल दिया जायेगा ?

**मंत्री** : इस का जवाब मैं ऐसे नहीं दे सकता। इस के लिये आप अलग नोटिस दें।

---

PAY AND ALLOWANCES PAID TO DIRECTOR REHABILITATION ETC.

*3547. **Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Finance be pleased to state :—

(a) the pay and allowances being paid at present to the Director, Rehabilitation and Directress, Rehabilitation, Women Section, respectively;

(b) whether they are being paid any conveyance allowance as well as free accommodation or any allowance in lieu thereof ; if so, the details thereof ?

**Sardar Ujjal Singh** :

(a) There is no Director, Rehabilitation in these days. There is only one Director, Women Section, who is being paid Rs 750 (consolidated) per month.

(b) No conveyance, accommodation or any other allowance is being paid to the Director, Women Section.

**श्रीमती सीता देवी** : जब वह बाहर दौरे पर जाती है तो क्या वह अपनी कार पर जाती है या गवर्नमैंण्ट की कार पर ? इस के इलावा क्या उन्हें कोई conveyance allowance भी दिया जाता है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਓਹ ਚੀਜ਼ conveyance allowance ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ Travelling allowance ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ rules ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

**ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰੀ** : ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਓਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ Under-Secretary (Rural) ਕਰਦਾ ਹੈ ; ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ।

WIDOW HOMES

*3548. Shrimati Sita Devi : Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the total expenditure so far incurred by the Government on the Widow Homes in the State ;

[Shrimati Sita Devi]

(b) the amount so far paid in cash to the Children and Women in these Homes together with the amount spent on the staff working therein ?

**Sardar Ujjal Singh :** (a) It is not possible to give separate figures of expenditure incurred on the administration and maintenance of Women Homes prior to the year 1950-51, as the expenditure on these institutions was booked collectively with the other expenditure on the Relief Camps in the State.

From April 1950, to March 1954, a total amount of Rs. 70,78,338 was incurred on Women Homes.

(b) Prior to July 1951, no cash allowances were paid to the inmates of the Homes as all of them were issued rations in kind, clothing, etc.

Under the instructions of the Government of India, cash doles are being paid to the inmates of the Homes from July 1951. A total amount of Rs 44,22,483 upto March, 1954 has been incurred on this account. A sum of Rs 5,91,346 was during 1950-54, spent on the administrative staff of the Women Homes.

**श्री मूल चन्द जैन :** क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि इन महिलाओं और बच्चों को जो cash allowance दिया गया था वह भी इसी 70,78,338 रुपए वाली रकम में शामिल है ?

**मंत्री :** जी हां, इसी में शामिल है ।

## FAMILY PLANNING.

*3358. **Shri Ram Chandra Comrade.** Will the Minister for Education be pleased to state whether the Government has received any grant from the Union Government for educating people in regard to family planning; if so, the terms and conditions thereof and the action taken so far by the Government in the matter ?

**Shri Jagat Narain :** No.

**श्रीमती सीतादेवी :** मिनिस्टर साहिब ने उत्तर में कहा है—"जी नहीं" । मैं जानना चाहती हूं कि क्या गवर्नमेंण्ट इस बात पर सोचना ज़रूरी समझती है या नहीं ?

**मंत्री :** सोच रही है ।

**श्रीमती सीता देवी :** यदि आप सोच रहे हैं तो क्या मैं पूछ सकती हूं कि गवर्नमेंण्ट ने इस उद्देश्य के लिये कोई स्कीम बनाई है या कोई स्कीम तैयार करने के लिये किसी को कोई आदेश दिया है ?

**मंत्री :** जी हां, कहा है ।

**श्री राम किशन :** क्या पंजाब गवर्नमण्ट की हिदायत के मुताबिक किसी जिला में कोई Family Planning Committee बनाई गई है ?

**मंत्री :** कई जगहों पर छोटे छोटे हस्पताल जरूर खोले गए हैं, कमेटियां कोई नहीं बनाई गई ।

**पंडित श्री राम शर्मा :** वज़ीर साहिब ने फ़रमाया है कि पंजाब गवर्नमेंण्ट इस सवाल पर ग़ौर भी कर रही है और कुछ किया भी गया है । क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है ?

**मुख्य मंत्री :** मेम्बर साहिब की इत्तलाह के लिये मैं यह कह देना चाहता हूं कि Family Planning की movement non-official तौर पर चलाई जा रही है, गवर्नमेंण्ट की तरफ से नहीं । कर्नल खोसला यह काम एक कमेटी की शकल में चला रहे हैं । इस लिये ज़ाहिर है कि यह एक non-official organisation है, सरकारी नहीं । हां, अगर इस कमेटी को किसी वक्त गवर्नमैण्ट की मदद की ज़रूरत हो तो वह उसे हासिल कर सकती है ।

**श्रीमती सीता देवी :** चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि यह scheme non-official तौर पर चलाई जा रही है । उन्होंने यह भी फरमाया है कि अगर उसे ज़रूरत हो तो गवर्नमैण्ट उस की मदद कर सकती है । मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आप इस बात की ज़रूरत महसूस करते हैं कि इस आन्दोलन को official तौर पर organise किया जाए ?

**मुख्य मंत्री :** यह कोई सवाल नहीं ।

**पंडित श्री राम शर्मा :** वज़ीर मुतअल्लिका ने बताया कि गवर्नमेंट खुद इस चीज़ पर सोच रही है और इस के लिये कुछ कर रही है लेकिन चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि यह काम non-official तौर पर किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह आन्दोलन official है या non-official और गवर्नमैण्ट ने अब तक इस सिलसिला में क्या मदद दी है ?

**मुख्य मंत्री :** सवाल में यह चीज बिल्कुल नहीं पूछी गई थी । सवाल तो सिर्फ यह था कि यूनियन गवर्नमेंट ने इस के लिये क्या ग्रांट दी है न कि यह कि पंजाब गवर्नमैंण्ट ने क्या मदद दी है ।

**पंडित श्री राम शर्मा :** जब मनिस्टर मुतअल्लिका ने बताया कि सरकार इस बात पर ग़ौर कर रही है, स्कीम बना रही है और काम हो रहा है तो लाज़मी तौर पर आप ने कोई न कोई मदद सरकारी तौर पर इस सिलसिला में दी होगी ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

**ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ :** ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ organisation non-official ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਓਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ lady member ਵੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ; ਤਾਂ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਓਂ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਾਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

---

FEE CONCESSION TO HARIJAN STUDENTS.

*3521. **Shri Jagat Ram Bhardwaj** : Will the Minister for Education be pleased to State —

(a) the total number of Harijan students whose fees have not been paid by the Government for the year 1953-54 ;

(b) the total number of those students whose scholarships have not been paid so far by the Government ;

(c) the steps, if any, that are under the consideration of the Government to equalise the pays of Government College Teachers and University Teachers?

**Shri Jagat Narain** : The required information is not ready. It is being collected and will be supplied to the member.

---

CONTRACT WITH KRISHAN TRADING COMPANY, PATTI, DISTRICT AMRITSAR.

*3476. **Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Public Works pleased to state :—

(a) (i) whether any resolution No. 113 regarding a contract about the supply of water for sprinkling purposes from the tube-well of Krishan Trading Company, Patti, District Amritsar, with the said Company was passed by the Municipal Committee, Patti, District Amritsar, during 1951 ; if so, when ;

(ii) a copy of the said resolution be laid on the table ;

(iii) the terms of the contract referred to in part (a) (i) above ;

(b) the list of the Municipal Commissioners who participated in the meeting in which the said resolution was passed ;

(c) whether any of the Members referred to in part (b) above were the share-holders of the Krishan Trading Company, referred to in part (a) (i) above, during the year 1951; if so, their list;

(d) whether any explanation was called for by the Government from the Members referred to in part (c) above for action under section 48 of the Municipal Act; if so, when, if not, the reasons therefor;

(e) (i) whether the President, Municipal Committee, Patti, referred to above, was called upon to explain his conduct in connection with certain Municipal affairs wherein certain allegations were made against him by the Deputy Commissioner, Amritsar,—vide his memorandum No. LFCI/3511-M-53, dated 29th March, 1954; if so, a copy of the allegations made therein be laid on the Table;

(e) (ii) whether any reply was submitted by him on or about 5th April, 1954 to the Deputy Commissioner, Amritsar ; if so, a copy of the reply received by the Deputy Commissioner be laid on the Table ;

(f) (i) whether in the reply referred to in part (e) (ii) above any charges of having entered into the contract were levelled by the said President against the Members referred to in part (e) above ; if so, their list ;

(ii) whether any enquiry was ordered by the Deputy Commissioner, Amritsar, on the basis of the said charges referred to in part (f) (i) above against the Members concerned ; if so, when ;

(iii) the name of the person who conducted the said enquiry ;

(g) the result of this enquiry, and the action, if any, taken by the Government in the matter ?

**Sardar Gurbachan Singh Bajwa :** The information is being collected and it will be supplied to the member when ready.

---

CATTLE FAIRS

***3532. Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the names of urban local bodies which hold, manage and derive income from the cattle fairs in the State ;

(b) whether the Government has recently received any complaint from the Town Committee, Loharu, regarding the income derived by it from the cattle fair, held within the Municipal limits of Loharu being taken away by the District Board, Hissar ; if so, the action, if any, taken by the Government in the matter ?

**Sardar Gurbachan Singh Bajwa :** (a) Information is being collected and will be supplied to the member when ready.

(b) *Part I.*—Yes.

*Part II.*—The matter is under the consideration of Government.

---

MEDICAL REPORT OF THE LABOUR COMMISSIONER

***3360. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) whether the present Labour Commissioner was declared medically unfit by the Civil Surgeon, Ambala ; if so, the grounds of unfitness recorded by him ;

(b) whether it is a fact that subsequently he was examined by the Medical Board at Amritsar and declared fit ; if so, the names of the members of the said Board along with their recommendations ?

**Chaudhri Sundar Singh** : (a) Yes, on account of Glycosurea by the Standing Invalidment Committee, Ambala, of which the Civil Surgeon, Ambala was the Chairman.

(b) Yes ; (1) Dr. Tulsi Das, P.C.M.S., Eye, Ear, Nose and Throat Specialist, V. J. Hospital, Amritsar.

(2) Dr. Hukam Chandra, P.C.M.S., Civil Surgeon, Amritsar.

(3) Dr. R. P. Malhotra, P.C.M.S., Assistant Professor of Medicine, Glancy Medical College, Amritsar,
were members of the Special Medical Board who declared Shri Nigam fit for Government service ; on the basis of the report of the Provincial Bacteriological Laboratory Department of Pathology, Glancy Medical College, Amritsar, which did not indicate existence of traces of Glycosurea in his urine. Apart from this there was no recommendation.

## SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

### POSTPONEMENT OF THE ELECTION TO SHIROMANI GURDWARA PRABANDHAK COMMITTEE

*3586. **Sardar Hari Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether he has received any request from a large number of Sikh Members of the Punjab Legislative Assembly requesting the Government to postpone the elections to Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee to sometime in winter ?

**Shri Bhim Sen Sachar** : Yes.

**ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ** : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ committed ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ elections ਇਸ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

**मुख्य मंत्री** : पंजाब गवर्नमैण्ट ने इस बात की रज़ामन्दी ज़ाहिर की थी कि वह elections कराने को तैयार है अगर कमेटी इस बात के लिये कोई तजवीज़ ले आए। चुनांचि पंजाब गवर्नमैंट ने ख्याल किया था कि जुलाई में elections करा दी जायें । अब मैम्बर साहिबान की तरफ़ से representations आई है और कुछ मिनिस्टरज़ का भी ख्याल यही है कि जुलाई का महीना elections के लिए मौसम के लिहाज़ से और चावल वगैरा लगाने का सीज़न होने की वजह से मुनासिब नहीं है । आप ने शायद देखा होगा कि अभी जो सरसा में elections हुई थीं वहां बहुत थोड़े वोटरज़ अपने वोट देने के लिये आए थे क्योंकि ज़िमींदार अपने काम में लगे हुए थे । इसी तरह वह अब जुलाई में अपने काम में लगे होंगे और अगर उन्हें अपने काम से हटाया जाये तो उनका नुकसान होगा और अगर वे न आयेंगे तो यह अन्देशा ज़ाहिर किया जायेगा कि जो लोग elect हुए हैं वे उन के ठीक representatives नहीं होंगे । इस बिना पर यह दरख्वास्त की गई है कि इस election को बजाए जुलाई के थोड़ा सा आगे कर दिया जाये जब कि मौसम कुछ थोड़ा

अच्छा हो जायेगा । अब आप समझ सकते हैं कि गवर्नमैण्ट को इस बारे में क्या फैसला करना चाहिये ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ election ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਏਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂਨ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

**मुख्य मंत्री :** माननीय मैम्बर ने बहुत मुनासिब सवाल किया है । मैंने यह देखा है कि बाज़ औकात Democratic तरीका को चलाने की बड़ी ख्वाहिश होती है और उसकी वजह से जल्दी हो जाती है । और शायद Leader of the Opposition के सवाल से इस चीज़ की ताईद होती है कि जुलाई के महीने में बरसात लग जाती है । मैं इस गलती को मान लेता हूं कि पहले इस बात का ख्याल नहीं किया गया कि जुलाई में बरसात शुरू हो जाती है और वोटरों ने मोटरों में सफ़र करना होता है । मैं माननीय मैम्बर को विश्वास दिलाता हूं कि आइन्दा के लिये इस बात का ख्याल रखा जायेगा ।

**श्री प्रोबोध चंद्र :** क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या यह सच है कि फाज़िलका सरसा की इलैकशन के सिलसिल में उन के पास इस बारे म कई शिकायतें आई थीं कि कटाई का मौसम होने की वजह से बहुत सारे वोटर अपने वोट नहीं दे सके थे और election उस वक्त मुकर्रर करके उनको वोट देने के हक से महरूम किया गया है ?

**ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ representations ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ elections ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ।

**मुख्य मंत्री :** थोड़ा अरसा हुआ है मेरे फ़ाज़िल दोस्त की तरफ़ से एक representation इस बारे में आई थी जिस में एक तो Trust के सिलसिले में कुछ लिखा था और दूसरा साथ ही election के बारे में लिखा था ।

**ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ :** ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ postponement indefinite ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ elections ਕੇਵਲ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ sowing seasons ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ।

**मुख्य मंत्री :** मैं हाउस को विश्वास दिलाता हूं कि यह Elections जरूर माह अक्तूबर या नवम्बर में हो जायेंगी। बहर हाल यह दिसम्बर से पहले पहले जरूर हो जायेंगी। ऐसा न करने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती।

**ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ :** ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਏਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ elections ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

**मुख्य मंत्री :** मैं पूरे तौर पर जोर से कह सकता हूं कि यह ३१ दिसम्बर १९५४ तक जरूर हो जायेंगी।

**पंडित श्री राम शर्मा :** मैं यह दरियाफ़्त करना चाहता हूं कि सितम्बर के महीने में जब कि मौसम अच्छा होता है यह Elections क्यों नहीं कराई जातीं ?

**मुख्य मंत्री :** वह बिजाई का मौसम होता है।

**ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

**मुख्य मंत्री :** माननीय मैम्बर को इस बात का पता होना चाहिए कि उस मौसम में किसी फसल की बिजाई नहीं की जाती है।

## PRIVILEGE MOTION.

**Mr. Speaker :** Pandit Shri Ram Sharma has given notice of a Privilege Motion, which runs like this :

> "I have to raise a question of breach of privilege of the House, namely, the anticiation of the decision of the House in the matter of the election of the Speaker, as published in the Tribune dated the 18th May, 1954, page 1, column 6 that— "Today Sardar Gurdial Singh Dhillon acted for the Great Dead. Tomorrow he will be elected by the House to step into his shoes."

My ruling on this Privilege Motion is as follows—

Privilege Motion is a fundamental right of the House and of its individual Members against the prerogatives and rights of other authorities which are generally accepted as necessary for the exercise of its constitutional functions by the House. Privileges of such rights are absolutely necessary for the due execution of its power by the House.

In the context of this definition, it is not understood how a privilege of the House has been breached. Breaches of privileges are distinguished as

"contempts". It is not understood how the alleged news amounts to a 'contempt'. Besides the House in the enjoyment of its privileges cannot and should not infringe or restrict the rights of freedom of speech and expression of any other body or individual unless that exercise violates in any way the dignity or prestige of the House. The alleged news in the Newspaper amounts at best to wishful thinking or guess on the part of the Paper and does not in my opinion amount to an anticipation of the decision of the House.

Therefore, under Rule 173(A) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in this Assembly, I do not give consent to this matter being raised as a breach of privilege either of a Member or of the House.

---

## ADJOURNMENT MOTIONS

**Mr. Speaker :** The first adjournment motion of Pandit Shri Ram Sharma is in regard to the partiality of the Government in allowing their own party functions and public meetings and refusing the permission to other political parties......

**पंडित श्री राम शर्मा :** इसे पूरा पढ़ देते तो अच्छा होता जैसा कि कल फैसला किया गया था ।

**अध्यक्ष महोदय :** फ़ैसला तो कुछ और होगा मगर मैं पूरा पढ़े देता हूं । वह adjournment motion यह है --

> " Pandit Shri Ram Sharma to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the partiality of the Government in allowing their own party functions and public meetings and refusing the permission to other political parties for instance at Sonepat and Rohtak Congress functions and meetings were held on the 4th and 15th May, while the Jan Sangh, Janta Congress and Backward Classes were not permitted to do so. "

Is the hon. Member now satisfied ?

**Pandit Shri Ram Sharma :** Yes, Sir.

**Mr. Speaker :** I declare this adjournment motion out of order on technical grounds. This matter should have been brought to the notice of the House on the 18th when other adjournment motions were taken up because " the Member who wishes to give notice of an adjournment motion must do so at the first available opportunity ". I am quoting this from an authority which, if the hon. Member so desires, he is welcome to see for himself.

This motion can be ruled out of order for another reason as well. This motion, although it has been worded in a different language, substantially raises that very matter, i.e., ban on holding public meetings, on which I gave my ruling yesterday. A matter identical with one already decided in the same Session cannot be raised again.

**श्रीमती शन्नो देवी सहगल :** On a point of order, Sir, मैं ने पहले भी गुजारिश की है कि आप अपनी seat पर खड़े न रहा करें ताकि और मैम्बरान को बोलने का मौका मिले ? और जब आप खड़े हों तो किसी मैम्बर को बोलने न दिया करें ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह तो advice है, Point of order नहीं । जब तक मैं कोई चीज पढ़ता हूं मैं कैसे देख सकता हूं कि कोई मैम्बर खड़ा हुआ है कि नहीं ।

**Mr. Speaker :** The second adjournment motion of the hon. Member is about the refusal of the District Magistrate, Ludhiana to grant licence to Sardar Gopal Singh Khalsa, Leader of the Opposition in this House and a prominent leader of a political party of the Punjab, who has a reasonable apprehension to his life and property.

यह एक individual का सवाल है और urgent public importance का मामला नहीं है। इस लिये इसे मैं out of order करार देता हूं।

---

**Mr. Speaker :** His third adjournment motion is in connection with the 'action of the Rohtak police in misinforming the Chief Minister through their touts and stooges whom they collected and brought to the Canal Rest House, Rohtak,on the 4th May last about the alleged atrocities during the anti-dacoit operations of January last'—

यह तो ज़रा language की बात है। अगर कोई आदमी Chief Minister साहिब से मिलने जाता है तो क्या मालूम वह क्या बात कहनी चाहता है और यह पता नहीं कि क्या इस में कोई बात अहम भी होगी कि नहीं। इस motion को भी मैं rule out करता हूं।

---

**Mr. Speaker :** The fourth adjournment motion of the hon. Member runs like this :

> " Pandit Shri Ram Sharma, to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the continued lapse of the Government in not making available copies of the Bills to the Members for five clear days before the day on which the Bills are taken up for consideration as for example in the case of the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 1954."

इस का फैसला तो कल ही कर दिया गया था।

**पंडित श्री राम शर्मा :** आपने आज ruling देने के लिये कहा था।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आप को सब कुछ समझा चुका हूं। Copies २० अप्रैल को दे दी गई थीं। अब पता नहीं आप इस .........

**पंडित श्री राम शर्मा :** आज ज़रा मुझे कुछ अर्ज़ करने के लिये मौका दें। मानना न मानना आप का इख्तियार है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप को मौका कल दफ़तर में दिया गया था।

---

**Mr. Speaker :** His fifth adjournment motion runs like this—

> " Pandit Shri Ram Sharma to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the unlawful obstruction by the Rohtak police in the way of Comrade Randhir Singh of the Praja Socialist Party, when he was going to be present at the place of recording the statements of the victimised women before the Chief Minister on the 4th May last."

यह ४ मई का मामला है और आज १९ मई हो गई है इसे पहले पेश किया जाना चाहिये था। इस लिये इसे मैं rule out करता हूं।

**Mr. Speaker :** His sixth adjournment motion runs like this—

" Pandit Shri Ram Sharma to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the favouritism of the Government in granting pensions and lands to the particular group of persons in the name of political sufferers and, national workers at the cost of the real sufferers. "

इस का फैसला तो कल ही कर दिया गया था । इस लिये इसे भी मैं rule out करता हूं ।

---

**Mr. Speaker :** His seventh adjournment motion reads like this—

" Pandit Shri Ram Sharma to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the improper and irregular re-instatement of Hissar Dairy Farm Assistant Gurbhagwant Singh who was dismissed after thorough enquiry and procedure as required in the Government Servants Conduct Rules."

ऐसी मामूली बातों पर तो adjournment motions नहीं लाई जातीं । अगर किसी official की transfer हो गई तो adjournment motions ले आए, appointment हो गई तो ले आए, demotion हो गई तो ले आए और promotion हो गई तो adjournment motion ले आये । यह बातें urgent public importance की नहीं हैं । इस लिये मैं इस adjournment motion को rule out करता हूं ।

---

**Mr. Speaker :** The eighth adjournment motion of the hon. Member pertains to the decision of the Education Department in reintroducing the principle of selection involving supersession of senior incumbents in the matter of departmental promotions from P.E.S. Class III to Class II.

इसे भी पहले दिन पेश किया जाना चाहिये था, इस लिये मैं इसे rule out करता हूं ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : श्रीमान जी ! आप मुझे मौका दें । मैं आप को satisfy कर दूंगा कि आया यह मामला urgent public importance का है या नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस की ज़रूरत नहीं । मैं इस मामले को बखूबी समझता हूं ।

**श्रीमती शन्नो देवी सहगल** : On a point of Order, Sir, स्पीकर साहिब ! आपने मेरी इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि adjournment motions का तर्जुमा भी अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी में पढ़ कर सुनाया जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप adjournment motions को समझ तो रही हैं ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : On a point of Order, Sir, यह एक रूल है कि किसी भी मामले पर जो अंग्रेज़ी में बात कही जाये उस का हिंदुस्तानी या पंजाबी में तर्जुमा होना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : ज़रूर होना चाहिए । (तालियां) ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : यह जो आप मेरी adjournment motions reject कर रहे हैं आप कहें तो इस का तर्जुमा मैं करता जाऊं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आप ही की मदद कर रहा हूं कि आपकी adjournment motions पढ़ रहा हूं । आपने पहले नहीं कहा । आप मुझ से दो काम लेना चाहते हैं । एक स्पीकर का और दूसरा translator का । आप मेरी मदद करने की बजाए काम को बढ़ा रहे हैं । अगर आप चाहें तो मैं हिन्दी में तर्जुमा कर सकता हूं । मगर एक बात है, अगर आपकी motions हिंदी में होतीं तो मैं उन्हें हिन्दी में ही पढ़ कर सुना देता ।

**ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ**
**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** } ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਹੋ ਜੀ ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** Adjournment motions ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕੇ ਮਚਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ?

---

**Mr. Speaker :** The last adjournment motion of the hon. Member runs like this—

> "Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the undue official pressure in raising the National Plan Loan for example the Deputy Commissioner, Gurgaon and the Additional District Magistrate, Ludhiana presided over the meetings called for this purpose."

इस adjournment motion के बारे में आप को कल मौका मिला था और आप इस को discuss कर चुके हैं । इस लिये it is ruled out of order.

**Pandit Shri Ram Sharma:** Thank you, Sir.

---

**Mr. Speaker :** Sardar Gopal Singh Khalsa and Sardar Sarup Singh have also given notice of an adjournment motion. It runs like this—

> "Sardar Gopal Singh and Sardar Sarup Singh to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the cancellation of the Arms Licence of the renowned Sikh leader Master Tara Singh Ji".

इस adjournment motion पर भी वही ruling है जो सरदार गोपाल सिंह खालसा के बारे में पेश की गई adjournment motion पर दिया गया था । यह कोई public importance का केस नहीं । Therefore, I rule it out of order.

---

**Mr. Speaker :** One adjournment motion stands in the name of Professor Mota Singh. It is in connection with the death of a seven year old child by the over-dosing of chloroform in the operation room of the Civil Hospital, Ambala, on the 24th April, 1954, when the child was going to be operated upon for Tonsilitis.

Since the incident occurred on the 24th April, the matter should have been brought forward on the " first available opportunity " i.e., on the 18th May, for which day it was received too late.

Before I give my ruling, I would like to know from the Minister for Education whether he is in a position to give any information in the matter.

**शिक्षा मंत्री** (श्री जगत नारायण) : स्पीकर साहिब ! ज्यों ही मुझे adjournment motion की कापी आप ने भेजी मैंने उसी वक्त Civil Surgeon, Ambala, को telephone किया..........

**पंडित श्री राम शर्मा** : On a point of order, Sir, क्या यह adjournment motion in order करार दे दी गई है और क्या इसी लिये मिनिस्टर साहिब तकरीर करने लगे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह adjournment motion technical grounds पर out of order है लेकिन मिनिस्टर साहिब ने इस के बारे में कुछ कहना था इस लिये उन्हें इजाज़त दी गई है ।

**शिक्षा मंत्री** : इस accident की पड़ताल के लिये एक senior officer मुकर्रर कर दिया गया है । इस adjournment motion के आने से पहले ही enquiry शुरु कर दी गई है । जब enquiry की पूरी रिपोर्ट आएगी तो आप को बता दी जाएगी ।

**प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी** : On apoint of Order, Sir. स्पीकर साहिब ! स बात को हुए एक महीने के करीब हो गया है और यह एक tragic death का केस है । अगर इस काम में देर की गई तो इस तरह और भी मौतें हो जाएंगी ।

---

## TRANSACTION OF GOVERNMENT BUSINESS ON THURSDAY, THE 20TH MAY, 1954

**Chief Minister** (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to move—

> That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 20th May, 1954.

मुझे इन साहिबान की तरफ से (आपोज़ीशन की तरफ इशारा करते हुए) कहा गया था कि मेहरबानी करके जल्दी छुट्टी करें । बिलों को एक ही दिन में dispose of कर दें और इस काम के लिये बेशक कल यानी वीरवार का non-official दिन भी ले लें । इन्हीं के कहने पर यह motion move की गई है । इस लिये अगर इन की यह ख्वाहिश है तो मुझे ऐसा करने में क्या एतराज़ हो सकता है ।

**Mr. Speaker** : Motion moved—

> That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 20th May, 1954.

**ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ** (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ motion ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਆਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀਹ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸਾਂ ੧੬ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਲਈ ੬੦ ਦਿਨ meet ਕੀਤਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਾਜ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਰ non-official day ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ non-official ਕੰਮ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ practice ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ Opposition ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ suggestions ਦੇ ਸਕਣ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ

ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਨਾ ਬਣਾਵੋ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ important bills ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ੨੧ ਤ੍ਰੀਕ ਤਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਨਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਹ ਲੋੜ ਸੀ ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ majority ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀ support ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਖਕੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ motion ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਵਾਜ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਬਿਲ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੀ honour ਅਤੇ prestige ਨੂੰ, ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) :** स्पीकर साहिब ! यह कोई नई बात नहीं है बल्कि बाकायदा रिवाज बन चुका है कि किसी इजलास में अगर इत्तिफ़ाक से कोई दिन ग़ैर सरकारी कार्रवाई के लिये रख दिया जाए तो उस से एक दिन पहले यह तहरीक पेश कर दी जाती है कि उस रोज़ सरकारी कार्रवाई हो। इस की हम ने हमेशा मुख़ालिफ़त की है। Opposition ने हमेशा इस बात का बुरा मनाया है कि इस बारे में यहां rules और regulations को मज़ाक बना दिया गया है। मगर आज यहां कहा गया है कि यह तहरीक खुद Opposition की दरख़ास्त पर की गई है और अगर मेरे दोस्त इस मामले की वज़ाहत न करते तो इस बारे में सब को गलतफहमी रहती। बात यह है कि जब बिल ठीक हालत में नहीं है Legislation के काम की ठीक तैयारी नहीं है और इस सिलसिले में कोई कार्रवाई भी ठीक नहीं तो इजलास जारी रखना कोई माने नहीं रखता। इसी लिये कहा गया था कि कार्रवाई के लिये पूरी तैयारी कीजिये, मैंबरों को भी मौका दीजिये कि वह तैयारी कर सकें और amendments भेज सकें। मगर यहां हमेशा यह किया जाता है कि agenda सिर्फ एक दिन पहले दे दिया या हमें मेज़ पर रखा हुआ मिल गया। ऐसी सूरत में .........

**अध्यक्ष महोदय :** सवाल तो यह है कि कल सरकारी काम किया जाए। इस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

**पंडित श्रीराम शर्मा** : मुझे यह बातें कहने की ज़रूरत न पड़ती अगर चीफ़ मिनिस्टर साहिब यह न कहते कि यह मोशन Opposition की दरखास्त पर पेश की गई है। मेरे दोस्त ने इसी लिये उन को टोका । अगर वह न टोकते तो इस House के अंदर और बाहर भी यही impression होता कि हम खुद चाहते थे कि गैर-सरकारी काम के दिन सरकारी काम किया जाए । हम ने तो कहा था कि खुद भी तैयारी करके काम करो और हम को भी तैयारी का मौका दो । इस हालत में उन को यह बात कहना मुनासिब न था ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस चीज़ को रिवाज न बना लिया जाए । हमारे हां यह permanent feature बन गया है । House की dignity और शान इसी में है कि सब काम पूरी तैयारी और बाकायदगी से हों । लेकिन जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा है हिंदुस्तान भर में कोई State ऐसी नहीं जहां इतने कम इजलास होते हों । मैं तो खुल्लम खुल्ला इलजाम लगाता हूं कि हमारी गवर्नमैण्ट नहीं चाहती कि एक दिन भी इजलास हो ।

आखिर में मैं इस मोशन की मुखालिफ़त तो नहीं करता मगर यह वाज़िह कर देना ज़रूरी समझता था कि यह बात क्यों कही गई थी ।

**मुख्य मंत्री** (श्री भीम सैन सच्चर) : स्पीकर साहिब, मैंने तो यह गुज़ारिश की थी कि Opposition ने ख़ाहिश ज़ाहिर की थी कि शुक्रवार का काम वीरवार को कर लिया जाए, और इस लिये मैं ने यह मोशन पेश की थी । बस इतनी सी बात थी । मुझे समझ नहीं आती कि इस में तैयारी या न तैयारी का क्या सवाल है । जहां तक वीरवार की कार्रवाई का ताल्लुक है उस के लिये resolution वगैरा determine हो चुके हैं और उन पर तकरीरों की तैयारी के लिये आप के पास काफी वक्त और सब material मौजूद था । इस लिये कोई यह बात नहीं कह सकता कि वीरवार के काम की तैयारी के लिये वक्त नहीं मिला । शुक्रवार के दिन का काम अगर ठीक वक्त पर तैयार न होगा आप को उस के लिये rules के मुताबिक तैयारी का मौका न मिले तो आप एतराज कर सकते हैं और अगर स्पीकर साहिब आप से agree करें तो वह out हो जायेगा । मैंने इसी लिये कहा कि Opposition कि तरफ़ से यह कहा गया था..........

**ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ** : On a point of Order, Sir. **ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲ Opposition ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਖੀ ਸੀ ।**

**मुख्य मंत्री** : तो बेशक गलती हुई । मैं यही समझा था कि यह बात सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि सारी Opposition की तरफ से कही जा रही है ।

**पंडित श्रीराम शर्मा** : On a point of Order, Sir. क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब को Leader of the Opposition से बात करके फैसला नहीं करना चाहिये था या कि वह हर एक मैम्बर से बात करके ऐसी मोशन पेश करने का फैसला कर सकते हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो आप खुद चीफ़ मनिस्टर साहिब से मिल कर फैसला कर लें कि क्या तरीका मुनासिब होगा ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : मैं आप का ruling चाहता हूं कि क्या चीफ़ मनिस्टर साहिब हर एक मैम्बर से मिल कर इस किस्म का फ़ैसला कर सकते हैं या उन्हें Leader of the Opposition से बात करनी चाहिये ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बारे में इस वक्त कोई ruling नहीं देता । आप मुझ से मेरे कमरे में सारी बात कर लें, उस के बाद आप को बता दूंगा ।

**मुख्य मंत्री** : यह बहस ही irrelevant है । Leader of the Opposition से बात करने की तो उस वक्त ज़रूरत होगी जब मैं कुछ करना चाहूं और उस के लिये उन की रज़ामंदी लेनी हो । यहां तो खुद मुझ से कहा गया था कि गैर-सरकारी काम के लिये रखा हुआ दिन सरकारी काम के लिये ले लो ।

**मौलवी अबदुल गनी डार** : On a point of Order, Sir. क्या आप इस बात की इजाज़त देंगे कि चीफ़ मनिस्टर साहिब सिर्फ एक मैम्बर से बात करके इस किस्म की बातों का सब की तरफ से फैसला कर लिया करें ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह आपका और चीफ़ मिनिस्टर साहिब का मामला है । अगर आप के आदमी उन के पास जाते और कुछ कहते हैं तो मेरा इस से कोई ताल्लुक नहीं ।

**श्री श्री चन्द** : On a point of order, Sir; यह सीधा सा सवाल था । चाहे एक से मिल कर फैसला किया चाहे दो से मिल कर किया । लेकिन .......

**अध्यक्ष महोदय** : आप का point of order क्या है ?

**मुख्य मंत्री** : मेरी इस मोशन का basis यह था कि मुझ से इस बारे में दरख़ास्त की गई थी । अब चूंकि पता चलता है कि मेम्बर साहिबान की यह राए नहीं है इस लिये मैं अपनी मोशन withdraw करता हूं ।

**Mr Speaker** : It is the pleasure of the House that the Motion be withdrawn?

*The motion was by leave withdrawn.*

---

## ELECTION OF DEPUTY SPEAKER

**मुख्य मंत्री (श्री भीम सैन सच्चर)** : श्रीमान जी, मैं तजवीज़ करता हूं कि चौधरी सरूप सिंह एडवोकेट आफ हिसार को जो कि इस हाऊस में हाज़िर हैं Deputy Speaker चुना जाये ।

**विकास मंत्री (सरदार परताप सिंह कैरों)** : मैं इस तजवीज़ की ताईद करता हूं ।

श्री श्री चन्द (बहादुरगढ़) : मैं तजवीज करता हूं कि श्री मामचन्द जी को जो इस हाऊस में हाजिर हैं Deputy Speaker चुना जाये । मैं उन के बारे दो लफ़ज कहना चाहता हूं । वे हमारे House के हरिजन मैम्बर हैं । क्योंकि हमारी सरकार ने हरिजनों के लिये १६ फी सदी आसामियां reserve कर रखी है, मैं समझता हूं कि उन्हें हरिजन होने हुए ज़रूर इस ओहदे के लिये चुना जाना चाहिये । हमारे हां ७ मंत्री हैं एक Chief Parliamentary Secretary और एक स्पीकर साहिब हैं । इसी तरह कुछ ओहदे वाले कौन्सल में हैं । दोनों Houses में १२ posts हैं । इन में से १६ फी सदी के हिसाब से २ posts हरिजनों को मिलनी चाहिये । लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक एक ही हरिजन Minister बनाया गया है । इन हालात में Deputy Speaker का ओहदा ज़रूर किसी हरिजन को जाना चाहिये केवल छोटी छोटी चपड़ासियों की आसामियां ले कर हरिजन खुश नहीं हो सकते । और फिर Deputy Speakership भी तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ।

चौधरी माम चन्द चार दफा जेल में गये । महात्मा गांधी जी का कहा करते थे कि जब Congress का राज होगा हरिजन लड़कियां प्रधान होंगी । अब यहां हरिजन लड़की तो है नहीं, लड़का है इसे Deputy Speaker बना देना चाहिए (हंसी)। चौधरी मामचन्द जी कांग्रेस कमेटी रोहतक के President रह चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस का काम बहुत अच्छी तरह से किया । म तजवीज करता हूं कि उन्हें Deputy Speaker चुना जाये ।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ (ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਫ਼ਰਾਖ ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਗ ਕਿ ਅਸੀਂ Opposition ਦੀ ਗਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਦ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਖ਼ੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਜਨੂੰ ਹੈ (ਹਾਸਾ)। ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜੁਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ Deputy Speakership ਦਾ ਔਹਦਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੀ ਵੀ ਬੇਲੀ ਤੇ ਜੁੰਡੇ ਵੀ ਰੁੱਖੇ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप तजवीज की ताइद कर रहे हैं या किसी stage पर तकरीर कर रहे हैं ?

**ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ :** ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਨਾਂ Deputy Speakership ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

**अध्यक्ष महोदय :** इस तरह आप सरकार को condemn नहीं कर सकते। आप ऐसा न कीजिये। मैं आप को सरकार पर नुक्ता चीनी करने के लिए बहुत मौका दूंगा। आप इस समय संजीदा तौर पर तकरीर करें।

**ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ :** ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੁਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮਜਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸਾਂ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਜਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

**Mr. Speaker** : Is there any other proposal ?

**Shri Sri Chand** : No. Sir.

**Mr. Speaker** : Then according to rules, I take up the first proposal. The question is—

> That Chaudhri Surup Singh, Advocate of Hissar who is sitting in the House be elected as Deputy Speaker of this House.

Those who are in favour of the motion please rise in their seats. (*Members rose in their seats*).

Those who are against the motion please rise in their seats. (*Some Members rose in their places*).

Since an overwhelming majority of the Members present in the House have supported the motion moved by the Chief Minister and seconded by the Minister for Development, I declare that it is carried. (*Cheers*).

**Mr. Speaker** : Now I request Chaudhri Sarup Singh to occupy the seat of the Deputy Speaker.

इस से पेश्तर कि हाऊस का काम शुरु किया जाये मैं चौधरी सरूप सिंह जो इस हाऊस के डिप्टी स्पीकर मुंतखिब हुए हैं को अपनी तरफ़ से मुबारिकबाद देता हूं।

[अध्यक्ष महोदय]

चौधरी सरूप सिंह हाऊस के उन मैम्बरों में से हैं जिन की जात के लिये और जिन की काबलियत का हाऊस को पूरा एहतराम है। वह हिसार के सरकर्दा ऐडवोकेट हैं और वहां की public life में नुमायां हिस्सा लेने वाले सज्जन हैं। उन को काफ़ी पार्लीमेंटरी तजुरबा भी है और मुझे खुशी है कि उन्हें थोड़ा बहुत तजुरबा हाऊस की proceedings को conduct करने का भी है। वह हिसार के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के Vice-Chairman भी हैं और छ: साल से ज्यादा अरसे से इस ओहदे पर काम कर रहे हैं। जहां तक मेरी उन से वाकफीयत है वह ठंडे स्वभाव वाले, समझदार और तमाम औसाफ़ के मालिक हैं। डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर मैं भी यहां रहा हूं और स्पीकर बनने के बाद इस ओहदे को काफी हसरत की निगाह से देखता हूं। यह बड़ा enviable office है। हाऊस में बतौर मैम्बर के भी बैठना, तकरीर भी करना, सवाल भी पूछना और फिर कभी कभी सभापति की कुर्सी पर विराजमान हो जाना; फिर चंडीगढ़ में न रहना और घर में practice को जारी रखना, यह सब सहूलतें उन्हें मिलेंगी। इस पोज़ीशन के लिये मैं उन्हें मुबारिकबाद पेश करता हूं।

**श्रीमती शन्नो देवी**: On a point of order, Sir......

**अध्यक्ष महोदय**: आप का point of order किस बात पर है ?

**श्रीमती शन्नो देवी**: क्योंकि बात करने का और कोई तरीका नहीं है इस लिये point of order raise करना पड़ता है।

**पंडित श्री राम शर्मा**: On a point of order, Sir. उनकी बात तो सुन लें।

**Mr. Speaker**: This is no point of order.

श्रीमती शन्नो देवी : मुझे किसी वकील की ज़रूरत नहीं। आप खड़े हैं इस लिये मैं खड़ी नहीं होना चाहती। अगर कोई बात कहनी हो तो सिर्फ़ point of order raise करके ही कही जा सकती है।

**Mr. Speaker**: The hon. Lady Member should maintain the diginity of the House.

## COMMITTEE ON PETITIONS

**Mr. Speaker** : Under Rule 177 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following Members as Members of the Committee on Petitions—

(1) Chaudhri Sarup Singh, Deputy Speaker—ex-*Officio Chairman*,

(2) Dewan Jagdish Chandra, M.L.A.

(3) Shri Chand Ram Ahlawat, M.L.A.

(4) Sardar Darbara Singh, M.L.A.

(5) Sarda Mohan Singh, Jathedar, M.L.A.

## LEAVE OF ABSENCE

**Mr. Speaker** : I have received the following application from Sardar Nidhan Singh, M.L.A.—

"I have not still recovered fully from my long illness and the Doctors have advised me complete rest for the time being. It will, therefore, be not possible for me to attend the May, 1954 Session of the Punjab Legislative Assembly. I, therefore, request that I be granted leave of absence from the the whole Session.

Thanking you".

Question is—

That the leave asked for be granted.

*The leave was granted*

---

## RULING BY THE SPEAKER

**Mr. Speaker** : Yesterday, a point of order was raised by Pandit Shri Ram Sharma to the effect that if a Bill is received by a Member from the Assembly Secretariat at any time for his information, should the period of notice, namely, five days, be counted from that date or from the date when a regular notice relating to that Bill is sent to him.

In this connection, I would like to draw the attention of the hon. Member to the relevant Rule. Proviso to Rule 95 of our Rules lays down—

"Provided that no such motion shall be made until after *copies of the Bill have been made available for the use of the Members,* and that any Member may object to any such motion being made *unless copies of the Bill have been so made available for five clear days before the day on which the motion is made* and such objection shall prevail unless the Speaker, in the exercise of his power to suspend this Rule, allows the motion to be made".

The position is perfectly clear. The period of notice is to be counted from the date of the receipt of the Bill by the Members.

**पंडित श्री राम शर्मा** : आप का ruling सिर माथे पर....

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाईए ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : On a point of order, Sir......

**अध्यक्ष महोदय** : Point of order raise करने की इजाजत नहीं । आप तशरीफ रखिये ।

**मौलवी अबदुल गनी** : On a point of information Sir, जनाब ने जो नाम पढ़े हैं क्या उस कमेटी में Opposition का कोई मैम्बर नहीं लिया गया ? हो सकता है कि मैं ने शायद नाम न सुना हो ।

## RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE PUNJAB REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL, 1954

### CLAUSE 3

**Mr. Speaker :** Yesterday when the Assembly adjourned, Shri Sri Chand was on his legs. He was discussing the amendment put forward by Sardar Sarup Singh to clause 3 of the Bill. I call upon him to resume his speech.

**श्री श्री चन्द** (बहादुर गढ़) : साहिबे सदर ! तरमीम यह है कि अपील बजाए इस के कि गवर्नमेंट के पास की जाये, डिस्ट्रिक्ट जज के पास होनी चाहिए और बजाए इस के कि मियाद २१ दिन की हो यह ३० दिन की होनी चाहिये। Section 3 पर यह मेरी तरमीम है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ़ से बार बार यह दावा किया गया है कि हम कोई इख़्तियारात के भूके नहीं हैं बल्कि हमारे पास जो इख़्तियार हैं वे हम नीचे वालों यानी पंचायतों को दे रहे हैं। हम उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते। साहिबे सदर ! यह एक ऐसा अहम मामला है कि जिस का सीधा लोगों की जायदाद से ताल्लुक है। गवर्नमेंट का किसी के मकान को requisition करना या किसी की ज़मीन को acquire करना कोई मामूली सी बात नहीं जब कि एक आदमी की सारी की सारी जायदाद एक मकान या थोड़ी सी ज़मीन ही हो। ज्यों ही एक आदमी अपने रहने के लिये मकान बनाना शुरु करता है, तो मैजिस्ट्रेट को झट पता लग जाता है और वह मकान मुकम्मल हो जाने पर वह डिप्टी कमिश्नर को कह कर उसे requisition करा लेता है। वह मकान मुकम्मल होता है और अगले ही दिन मालिक मकान को नोटिस मिल जाता है कि तुम्हारा मकान requisition किया जा रहा है और तुम खुद इस मकान में नहीं आ सकते। ऐसे मामलात की अपील इस बिल के मुताबिक गवर्नमेंट के पास होगी। वज़ीर साहिब ने खुद तो ऐसे मामलों की तहकीकात नहीं करनी होती। जो रिपोर्टें नीचे से आयेंगी, उन के मुताबिक ही गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर देना है।

हमारी amendment यह है कि बजाए इस के कि अपील सुनने के इख़्तियारात भी मिनिस्टर साहिब के पास हों, वे एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास होने चाहियें ताकि वह ग़रीब आदमी जिस का मकान requisition किया जाता है उस के सामने पेश हो कर अपनी मुश्किलात बता सके। इस तरह वह यह बता सकेगा कि उस की क्या ज़रूरियात हैं और उस का मकान किन हालात में requisition किया गया है। मैं इस बारे में दो मिसालें पेश करता हूं जिन से पता लगेगा कि मकान किस तरह से requisition किये जाते हैं। जिस आदमी का मकान requisition किया हुआ होता है उसे डिप्टी कमिश्नर का हैड कलर्क बुलाता है। वह उसे कहता है कि मेरे एक दोस्त को मकान किराये पर चाहिये। अगर तुम २५ रुपये माहवार पर मकान दे दो तो वह derequisition हो सकता है।

**मुख्य मंत्री** : On a point of order, Sir. इस वक्त clause 3 ज़ेर बहस है। इस वक्त यह सवाल नहीं है कि किस तरह से मकान requisition होते हैं और किस तरह से नहीं होते हैं। मामला ज़ेरे बहस यह है कि जो मकान requisition हो चुका हो उस को derequisition कराने के लिये अपील हो सकती है।

ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ Property ਨੂੰ misuse ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ Official Receiver ਤੋਂ disqualification remove ਕਰਨਾ Constitution ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਂਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ oppose ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

**प्रोफैसर मोता सिंह अनन्दपुरी** (आदमपुर) : स्पीकर साहिब, इस बिल को लाने का मकसद में उन अलफाज़ में नहीं बताना चाहता जिन में मेरे बाज़ दोस्तों ने बयान किया है। लकिन बार बार इस किस्म की तजवीजें लाने का मकसद साफ जाहिर है । स्पीकर साहिब, सैकशन १९१ में disqualifications की इसी नज़रिया से elucidation की गई है कि officials कोई influence न डाल सकें। अगर कोई official ऐसा करता है तो democracy फेल हो जायगी । आज अगर democracy के फेल होने के अलफाज़ सुनने में आ रहे हैं तो इस की वजह यह है कि elections ठीक नहीं हो रहे और जहां सरकारी influence और brandy और wine का मुआमला हो वहां elections का काम ठीक नहीं चल सकता । पस अगर वह official सिर्फ part-time official भी हो तब भी उस को यह हक न देना चाहिये क्योंकि वह influence तो hold करता है और इस लिये ठीक elections न हो सकेंग । पस अगर आप Democratic State बनाना चाहत हैं, अगर आप democratic हकूमत कायम करना चाहते हैं और अगर आप मुल्क में सचमुच democracy चलाना चाहते हैं तो किसी भी official को यह हक नहीं देना चाहिये ।

स्पीकर साहिब, बाज़ साथियों न इस बारे में बहुत कुछ कहा है, कि कोई मैम्बर Receiver बनने वाला है और यह बिल इस लिये पेश किया गया है। मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो principle की बिना पर कहता हूं कि अगर democracy चलाना चाहते हो तो ठीक तरीके से चलाओ नहीं तो वह autocracy बन जायेगी ।

**दीवान जगदीश चन्द्र** (लुधियाना शहर-उत्तर) : स्पीकर साहिब, अप्पोज़ीशन के दोस्तों न इस बिल की इस वजह से मुखालिफत की है कि Receiver लोगों पर नाजाइज़ दबाव डालेगा। मैं समझता हूं कि जो वकील मेंबर साहिबान practise करते हैं उन को मालूम होना चाहिए कि एक Receiver कितना नाजाइज़ दबाव डाल सकता है या डलवा सकता है । इस बिल का मकसद यही है कि democracy अच्छी तरह चल सके और लोग आजादी से election में हिस्सा ले सकें और राये दे सकें। स्पीकर साहिब, वकालत का पेशा ऐसा है कि इस में हर वक्त अफसरों और अदालतों से काम पड़ता रहता है । अदालतें उन की commission भी मुकर्रर कर देती हैं और इस काम के उन को पैसे भी मिलते हैं । इसी तरह auctioneer वगैरा भी हैं। ऐसे लोगों को अफसरों और पब्लिक दोनों से वास्ता पड़ता है । इन सब के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती कि वह पब्लिक पर नाजाइज़ असर डालेंगे ।

**Sardar Sarup Singh :** On a point of order, Sir, I think the hon. Member is confusing the Official Receiver with the lawyers who are given day to day commissions. He appears to be labouring under a wrong impression.

**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह प्वाइंट आफ़ आर्डर है ?

**दीवान जगदीश चंद्र :** मैं यह कहता हूं कि यह सब ऐसी चीजें हैं कि इन के बारे में कोई भी यह बात नहीं कह सकता कि इन्हें रखने वाला या यह काम करने वाला पब्लिक का नुमाईंदा नहीं बन सकता। पस जो पब्लिक के नुमाइन्दे बन सकते हैं और लोगों के ख्यालात यहां आ कर पेश कर सकते हैं उन को क्यों रोका जाये। इस तरह तो वकीलों के बारे में भी कहा जा सकता है कि उन को लोगों के नुमाईंदे बन कर आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिहे। क्या ऐसा करना ठीक होगा ? मैं अपने दोस्तों से पूछता हूं कि वह ऐसी बातें क्यों करते हैं।

स्पीकर साहिब, यह बात सब जानते हैं कि Receiver को सिर्फ property के मुताल्लिक काम करना पड़ता है और उस को सियासी बातों से कोई वास्ता नहीं होता। फिर उस पर यह पाबन्दी क्यों लगाई जाए ? वह तो लोगों पर किसी किस्म का नाजाइज़ दबाव नहीं डाल सकता। पस इस बिल को पेश करके यह नाजाइज़ पाबन्दी दूर की जा रही है।

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

CLAUSE 1

**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

TITLE

**Mr.Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Chief Minister : (Shri Bhim Sen Sachar) :** Sir, I beg to move—

**That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) (Second Amendment) Bill be passed.**

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) (Second Amendment) Bill be passed.

**ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ** (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੂਰਬ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Leader of the House ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ defend ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਕੱਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

**मुख्य मंत्री** (श्री भीम सैन सच्चर) : स्पीकर साहिब, तकरीरों का जवाब दो तरह से दिया जाता है। एक तो तकरीर का जवाब तकरीर से और दूसरे बाज़ तकरीरें ऐसी होती हैं कि उन का जवाब खामोशी से ही दिया जाता है । (*Hear, hear*)

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) (Second Amendment) Bill be passed.

*The motion was carried.*

(*The Assembly then adjourned till* 3 *p.m. on Wednesday the* 20*th May*, 1954.)

६२५ वी. एस. एल. ए.—२८३—३०-११-५५—कं. प्रि. एंड टे. पंजाब चंडीगढ़

# Punjab Legislative Assembly

## Debates

*20th May, 1954*

Vol. II—No. 4

**OFFICIAL REPORT**




**CONTENTS**

*Thursday, 20th May,* 1954




CHANDIGARH :
Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab,
1956


**Price : Re** 3-0-0

# PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

*Thursday*, 20*th May*, 1954.

The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 3 p. m. of the Clock. Mr Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

## STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

### RAID ON VILLAGE JALALABAD, DISTRICT AMRITSAR, BY STATION HOUSE OFFICER, PURAN SINGH

***3436. Sardar Darshan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Station House Officer, Puran Singh, Incharge, Police Station, Verowal, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar raided village Jalalabad in tehsil Tarn Taran on 25th December, 1953 in connection with the recovery of illicit liquor; if so, the quantity of illicit liquor recovered and the total number of persons arrested by him in this connection,

(b) whether it is a fact that the village panchayat in the Resolution of December 29, 1953, protested against the insulting behaviour of the said Puran Singh towards the members of the Panchayat and the residents of the village during the said raid if so, the action, if any, taken by the Government in the matter

**Chief Parliamentary Secretary** (Shri Prabodh Chandra) : (a) Yes. The houses of three persons in village Jalalabad were raided by the S. H. O., Verowal (S.I. Puran Singh), on 25th December, 1953, in connection with the recovery of illicit liquor and he recovered the liquor as under :—

(i) 76 Ozs. of illicit liquor.

(ii) About 45 seers of lahan in two pitchers.

(iii) Some implements of illicit distillation.

Three persons were arrested and challaned. All of them (including one Karnail Singh who confessed his guilt in the court) were convicted and sentenced to various terms of imprisonment.

(b) Yes. The village Panchayat passed a resolution against the behaviour of S. I. Puran Singh in this connection. A complaint was also lodged by one Jagir Singh, Jat of the same village, in the court of the Additional District Magistrate, Amritsar, which is still pending.

As the case is *sub judice*, no further action is contemplated till the decision of the court is announced in the complaint case.

**ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ :** ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਥਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਥਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

**चीफ़ पार्लीयामेंट्री सैक्रेटरी** : Case की समाअत अदालत में हो रही है और अगर अदालत ने थानेदार के खिलाफ कोई strictures पास किये तो गवर्नमैण्ट उस के खिलाफ़ action लेगी ।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ :** ਉਸ case ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

**चीफ़ पार्लीयामेंट्री सैक्रेटरी** : यह case *sub judice* है ।

**ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ :** ਥਾਨੇਦਾਰ ਦੇ insulting behaviour ਦਾ case ਅਡ ਹੈ ; ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ enquiry ਕੀਤੀ ਹੈ ?

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या चीफ़ पार्लीयामैंट्री सैक्रेटरी साहिब बतायेंगे कि वहां की गांव की पंचायत ने जो थानेदार के खिलाफ शिकायत की थी कि उस ने पंचों और दूसरे लोगों की बेइज्ज़ती की है, उस के बारे में कोई मुकद्दमा ज़ेरे समाअत है और क्या फैसला हुआ है कि थानेदार बेइज्ज़ती की है या नहीं ।

**चीफ़ पार्लीयामेंट्री सैक्रेटरी** : Part (b) में बताया गया है कि पंचायत के इलावा इस सिलसिले में जागीर सिंह जाट ने भी ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक दरखास्त दी हुई है। चूंकि दोनों cases allied हैं और उन का अभी तक फैसला नहीं हुआ इस लिये गवर्नमैण्ट इस के मुतअल्लिक कोई राय नहीं दे सकती ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या चीफ पार्लीयामेंट्री सैक्रेटरी साहिब बतायेंगे...............

**अध्यक्ष महोदय** : जब आप सवाल पूछने के लिये उठें तो पहले 'supplementary question' के अलफ़ाज़ कह दिया करें ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : Supplementary question, Sir. मैं यह definite तौर पर मालूम करना चाहता हूं कि जो पंचायत ने थानेदार के रवैये के खिलाफ Resolution पास कर के शिकायत की थी क्या वह मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है कि आया बेइज्ज़ती की गई है या नहीं या और कोई दूसरा मुकद्दमा अदालत में चल रहा है ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस सवाल का आप अलहदा नोटिस दें ।

**पंडित श्री राम शर्मा**: On a point of order, Sir. सवाल के part (b) में दरियाफ्त किया गया था कि क्या यह अमर वाकया है कि जलालाबाद की पंचायत ने rotest किया था कि थानेदार ने पंचों और दूसरे लोगों के साथ बेइज्ज़ती का रवैया

इख्तियार किया था । इस का जवाब दिया गया है चूंकि यह case *sub judice* है इस लिये इस का जवाब नहीं दिया जा सकता है । मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि क्या यही case ज़ेरेसमाअत है कि थानेदार का सलूक लोगों और पंचों के साथ insulting था या कोई और मुकद्दमा ज़ेरेसमाअत है ?

**चीफ़ पार्लीयामैंण्ट्री सैक्रेटरी** : जैसे सवाल के part (b) में जवाब दिया गया है कि पूरन सिंह थानेदार के रवैये के खिलाफ पंचायत ने एक रैज़ोल्यूशन पास किया था इसी तरह से एक अलहदा case जागीर सिंह ने उसी थानेदार के खिलाफ अदालत में दायर किया हुआ है । अगर इसी नौईयत का case अदालत में चल रहा हो तो गवर्नमैण्ट पंचायत के रैज़ोल्यूशन पर कोई फैसला कर दे तो उस case पर असर पड़ने का एहतमाल है । जब तक अदालत में उस case का फैसला नहीं हो जाता तब तक गवर्नमैण्ट पंचायत के रैज़ोल्यूशन पर कोई फैसला नहीं कर सकती ।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

**Mr. Speaker** : This question does not arise.

**पंडित श्री राम शर्मा** : इस बात के पेशे नज़र कि जागीर सिंह ने इसी मतलब के लिए अदालत में एक दरख्वास्त दी हुई है जिस का ज़िक्र किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि महकमाना तौर पर इस रैज़ोल्यूशन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप ने यह सवाल दूसरी शक्ल में दरियाफ्त किया है जिस का जवाब वह दे चुके हैं ।

**ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ** : ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस का जवाब दिया जा चुका है ।

---

## FIRING BETWEEN INDIAN AND PAKISTAN POLICE

***3466. Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Chief Minister be pleased to state whether any firing between the Indian and the Pakistan Police took place on the West Indo-Pakistan Border in the second week of April ; if so, its details ?

**Chief Parliamentary Secretary** (Shri Prabodh Chandra) : Yes. There was a long drawn out firing on the Amritsar Border between the Indian and the Pak. Border Police on the 9th/10th April, 1954, as a sequel to the Pak-Border Police attempts to encroach on 60/70 acres of Indian land falling within the revenue limits of village Jhugian Nur Mohd. A patrol of

**[Chief Parliamentary Secretary]**
The Pak-Border Police was noticed in this land on the morning of 8th April, 1954, who, on being challenged not to trespass into Indian territory, withdrew from the spot. However, during the night they dug a few morchas and collected some reinforcements. This was noticed by our observation post on the morning of the 9th April. The Head Constable in charge of our picket rushed to the spot, with a party of 8 F. Cs, and seeing the Pak-Border Police standing on Indian soil, he asked them to withdraw forthwith. Instead of doing so, the Pakistan Patrol claimed sovereignty over the entire area of 60/70 acres lying across Dhan Khakha Nullah, referred to above. The Head Constable replied that he had no authority to enter into any negotiations with them and that if they had any claim over the land, they had better prefer the same through their civil authorities. He again warned them that in case they failed to withdraw from Indian territory, they shall do so at their own risk. Thereupon, the Pakistan Border Police men retreated a few paces and went into their dug-up positions. Simultaneously, our P. A. P. Party was fired upon by another party of Pak-Border Police. Fortunately, no one on our side was injured. Our men also took up positions and returned the fire.

The information about firing was immediately sent to the Border Inspector, who collected whatever forces he could and rushed to the spot. A message was also sent to Amritsar wherefrom more reinforcements arrived later.

The Senior Superintendent of Police and Superintendent of Police, Border-Amritsar, also reached the spot and made strenuous efforts to contact the Pak Border Police Officers on telephone, to bring about a cease-fire, but without any success. Meanwhile, firing continued. The Pakistanis directed their bren-gun firing on our picket building itself, which was damaged.

Finally, Senior Superintendent of Police, Amritsar, was able to contact Additional Superintendent of Police, Kasur, at 2 a.m., on 10th April 1954, and a meeting was held that morning and a cease-fire was brought about by 8 a.m. Thus the Pakistani designs were thwarted by the timely action of the P.A.P. A strong protest has since been lodged with the Pakistan Government by the Government of India.

**श्री बाबू दयाल** : मै यह जानना चाहता हूं कि इस clash में कुल कितने आदमी injure हुए और कितने मरे ?

**चीफ़ पार्लीयामेंट्री सैक्रेटरी** : इस का हमें पता नहीं है ।

---

### VISITS OF FOREIGNERS

***3486. Shri Ram Kishan** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Foreigners who visited the Hilly Districts of Kangra and Simla during the year 1953 ;

(b) whether any missionaries also came with these Foreigners and indulged in any undesirable activity ;

(c) the names of different countries from where these Foreigners came ?

**Chief Parliamentary Secretary** (Shri Prabodh Chandra) : (a) The total number of Foreigners who visited the Hilly Districts of Kangra and Simla during the years 1953 and 1954 was 70 and 21, respectively.

(b) The number of foreigner missionaries who visited these districts during the period was 30, but none of them came to notice indulging in any undesirable activity.

(c) The foreigners came from America, Austria, Australia, Belgium, Britain, China, Czechoslovakia, Holland, Denmark, France, Germany, Italy, Iran, Ireland, Japan, Norway, Poland, Switzerland, Sweden, Spain, Afghanistan and Ethopia.

**श्री राम किशन** : Foreign missionaries का इन इलाकों को visit करने का मकसद क्या था ?

**चीफ़ पार्लीयामेंट्री सैक्रेटरी** : इस सवाल में पूछा गया है कि कितने foreigners ने इन ज़िलों को visit किया ? इस का जवाब दिया गया है कि 30 आए और ऐसी कोई बात नोटिस में नहीं आई जिस से पता चले कि उन्होंने अपने आप को किसी undesirable activity में engage किया हो। अगर आप उन के आने का मकसद जानना चाहते हैं तो और सवाल पूछिये ।

**श्री बाबू दयाल** : जो missionary वहां गए उन में से कितने बरतानिया के थे, कितने हालैंड के और कितने फ्रांस के ?

**Mr. Speaker** : It does not arise, the hon. Member should give a separate notice for that.

**श्री राम किशन** : क्या चीफ़ पार्लीयामैण्ट्री सैक्रेटरी बतायेंगे कि जितने दिन वह foreign missionary वहां रहे क्या उन की activities के बारे में पुलिस ने कोई रिपोर्ट (report) सरकार को भेजी थी और अगर भेजी थी तो वह क्या है ?

**चीफ़ पार्लीयामैण्ट्री सैक्रेटरी** : यही रिपोर्ट (report) आई है कि उन की कोई undesirable activity नहीं देखी गई ।

**श्री राम किशन** : इन foreign missionaries के अलावा जो कई और foreigners भी आए तो उन के बारे में सरकार को क्या रिपोर्ट (report) आई है ?

**चीफ़ पार्लीयामेंट्री सैक्रेटरी** : आप नोटिस दें तो इत्तलाह पहुंचा दी जायगी ।

---

PUNITIVE POLICE POST AT VILLAGE TANGWALI, DISTRICT FEROZEPORE

*3495. **Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that village Tangwali, Sub-Tehsil Nathana, district Ferozepore, has had a punitive police post for more than two years ; if so, the total amount already realised for the said punitive post and the amount yet to be realised ;

(b) the detailed reasons for which the said post was established ?

**Chief Parliamentary Secretary** (Shri Prabodh Chandra) : (a) Yes, punitive police was posted on village Tungwali, district Ferozepore, for the periods from 1st November, 1950 to 31st October, 1952 and from 15th June, 1953 to 14th June, 1954. A sum of Rs 6,707-7-6 has been realised from the village for the period from 1st November, 1950 to 31st October, 1952, and a sum of Rs 171-8-6 is still recoverable for this period. No amount has so far been realised for the period from 15th June, 1953 to 14th June, 1954. The amount to be realised from this period from the inhabitants of this village is yet to be worked out.

(b) A statement is given below.

*Reasons for the posting of punitive police on village Tungwali, P. S. Nathana, District Ferozepore.*

Village Tungwali was found to be in a disturbed state and the conduct of its inhabitants demanded an increase in the number of the Police.

Figures given below show the state of crime in this village during the years 1947 to 1953 :—

| *Year* | | *Cases reported from the village* |
|---|---|---|
| 1947 | .. Murder | .. 1 |
| | Attempt to murder | .. 1 |
| | Thefts | .. 3 |
| | Excise Act | .. 3 |
| | Arms Act | .. 3 |
| | Hurt | .. 1 |
| | Total | .. 12 |
| 1948 | .. Murder | .. 1 |
| | Attempt to murder | .. 1 |
| | Grievous hurt | .. 1 |
| | Theft | .. 1 |
| | Canal cut | .. 1 |
| | Arms Act | .. 6 |
| | Excise Act | .. 2 |
| | Opium Act | .. 5 |
| | House-trespass | .. 1 |
| | Total | .. 19 |
| 1949 | .. Robbery | .. 1 |
| | Thefts | .. 4 |
| | Burglary | .. 1 |
| | Canal cut | .. 1 |
| | Excise Act | .. 4 |
| | Arms Act | .. 2 |
| | Telegraph Act | .. 1 |
| | Total | .. 14 |

| Year | | Cases reported from the village |
|---|---|---|
| 1950 | Murder | 1 |
| | Attempt to murder | 1 |
| | Theft | 2 |
| | Cheating | 1 |
| | Burglary | 1 |
| | Arms Act | 1 |
| | Opium Act | 2 |
| | Excise Act | 2 |
| | Total | 11 |
| 1951 | Murder | 1 |
| | Attempt to murder | 2 |
| | Canal cut | 2 |
| | Burglary | 3 |
| | Trespass | 1 |
| | Arms Act | 5 |
| | Excise Act | 1 |
| | Gambling | 1 |
| | Total | 16 |
| 1952 | Murder | 2 |
| | Attempt to murder | 1 |
| | Arms Act | 6 |
| | Opium Act | 5 |
| | Excise Act | 1 |
| | Total | 15 |
| 1953 | Robbery | 1 |
| | Arms Act | 7 |
| | Opium Act | 4 |
| | Excise Act | 5 |
| | Total | 17 |

[Chief Parliamentary Secretary]

| *Year* | | | *Cases traced to the Village* |
|---|---|---|---|
| 1947 | .. Dacoity | | .. 1 |
| | Robbery | | .. 1 |
| | Theft | | .. 1 |
| | | Total | .. 3 |
| 1948 | .. Attempt to murder | | .. 5 |
| | Dacoity | | .. 1 |
| | | Total | .. 6 |
| 1949 | .. Dacoity | | .. 3 |
| | Thefts | | .. 3 |
| | | Total | .. 6 |
| 1950 | .. Burglary | | .. 1 |
| | Theft | | .. 1 |
| | | Total | .. 2 |
| 1951 | .. Robbery | | .. 3 |
| | Burglary | | .. 2 |
| | Theft | | .. 1 |
| | | Total | .. 6 |
| 1952 | .. Burglary | | .. 2 |
| | Theft | | .. 2 |
| | | Total | .. 4 |
| 1953 | .. Robbery | | .. 1 |
| | Burglary | | .. 1 |
| | Theft | | .. 3 |
| | | Total | .. 5 |

The village has been notorious for the murderous tendencies of its inhabitants. It witnessed 4 murders during the last 3 years. Apart from the gruesome murders, the incidence of other crime has also been heavy. One, Nikka, a condemned escapee, assisted by one, Ballo, of this village, formed a gang of desparadoes and committed broad-day light murders in the village. These murders were committed to wreak vengeance in old feuds and this gang was assisted and harboured by the interested parties of the village.

The inhabitants displayed a non-co-operating attitude towards the administration. This Nikka-Ballo gang is still at large.

There are 10 B. C.s under surveillance in this village.

Tungwali is situated at a distance of 12 miles from the Police Station with no kucha or pucca road connecting it ; this renders control from the Police Station extremely difficult.

**पंडित श्री राम शर्मा :** यह statement जो मुझे दिया गया है इस में यह बयान किया गया है कि चूंकि उस गांव के दो आदमी ऐसे हैं जो absconders हैं और उन्होंने एक gang बनाया हुआ है इस लिये वहां punitive post बिठाई गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन दो मफ़रूरों की वजह से वहां पर police post रखी गई है या इस लिये कि वहां के लोग उन की मदद कर रहे हैं । अगर वे उन की मदद कर रहे हैं तो इस बारे में सरकार के पास क्या इत्तलाह है ?

**चीफ़ पार्लीयामेंट्री सैक्रेटरी :** जिन दो मफ़रूरों का ज़िक्र आया है उन के अलावा सारे गांव की tendency ऐसी है । The village has been notorious for the murderous tendencies of its inhabitants.

**पंडित श्री राम शर्मा :** इस statement में लिखा है "One Nikka, a condemned escapee, assisted by one Ballu of this village, formed a gang of desperadoes and committed broad-day light murders in the village." क्या गवर्नमैण्ट के पास कोई सबूत है कि गांव के लोग उन के मददगार हैं ?

**चीफ़ पार्लीयामेंट्री सैक्रेटरी :** Statement में लिखा है कि "The inhabitants displayed a non-co-operating attitude towards the administration." इस से साफ़ ज़ाहिर है कि उन्होंने गवर्नमैण्ट की मदद नहीं की।

**पंडित श्री राम शर्मा :** इस statement में लिखा है "This gang was assisted and harboured by the interested parties of the village." गांव के कौन आदमी उन की मदद कर रहे हैं और इस बारे में सरकार के पास क्या इत्तलाह है ?

**चीफ़ पार्लीयामेंट्री सैक्रेटरी :** लोगों का general attitude non-co-operative है । अगर खास आदमियों का पता हो तो गवर्नमैण्ट उन के ख़िलाफ़ action ले सकती है ।

---

## NASRALA CHO

***1790. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) whether he is aware of the fact that as a result of the embankment built in April, 1950, to protect the Nasrala Railway Bridge, the water of Nasrala Cho was diverted towards village Meghowal, district Hoshiarpur ;

(b) whether he is further aware of the fact that as a result of the diversion referred to in part (a) above a large number of houses of village Meghowal were destroyed and lands of this village rendered unfit for cultivation ; if so, whether any compensation was given by the Government to the residents of village Meghowal for the losses they suffered, together with the details thereof;

[Sardar Chanan Singh Dhut]

(c) whether it is a fact that the residents of the said village have been pressing for compensation equal to their losses ; if so, the steps Government proposes to take in the matter ?

**Chaudhri Lahri Singh** : The answer to this Assembly Question is not yet ready. The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ**: On a point of order, Sir. ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 1952 ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਖਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ?

**ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ** : ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ force ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਜਦੋਂ information ਇੱਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

**पंडित श्री राम शर्मा**: क्या आप के पास या हाऊस के पास इस बात का कोई इलाज है कि अगर किसी सवाल का जवाब न दिया जाए तो उस का जवाब मांगा जाये ?

**अध्यक्ष महोदय**: इस का कोई इलाज नहीं है ।

---

FALSE AND INCORRECT GIRDAWARIS IN THE STATE

***2002. Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of false and incorrect Girdawaris in the State brought to the notice of the Government during the year 1953 ;

(b) the number of cases in which the Girdawaris have been corrected during the period mentioned in part (a) above district-wise ;

(c) the action, if any, taken by the Government against the landlords and officials for making false entries of Girdawaris ?

**Sardar Partap Singh Kairon** : The information is being collected and will be supplied to the Member, as soon as possible.

**श्री श्री चन्द**: On a point of order, Sir. Procedure यह है कि अगर कोई मंत्री किसी सवाल का बिला-वजह जवाब न दे या इस को टालने की कोशिश करे तो Chair कह सकती है कि उस का जवाब इतने अरसे के अन्दर जरूर दिया जाए । मंत्रियों को खुली छुट्टी नहीं कि वे किसी सवाल का जवाब दें या न दें । Chair उन्हें जवाब देने पर मजबूर कर सकती है ।

**अध्यक्ष महोदय**—यह तो तब हो सकता है जब कोई मंत्री जवाब देने से इनकार करे । उन्होंने तो केवल यही कहा कि information इकट्ठी की जा रही है । इस लिये force करने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

**ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ** : Information ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਕਠੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ– The total number of cases in which girdawaries have been corrected ? ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਊਸ prorogue ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ information ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ?

**श्री देव राज सेठी** : On a point of order, Sir. पिछले सैशन और उस से पहिले अक्तूबर सैशन में जिन सवालों के जवाब इस बिना पर नहीं दिये गये थे कि information इकट्ठी की जा रही थी, उन के बारे में स्पीकर साहिब ने हुक्म किया था कि उन के जवाब मैम्बर साहिबान को डाक के ज़रिये भेज दिये जायें । लेकिन इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं भेजे गये हालांकि उस वक्त गवर्नमैंट ने मान लिया था कि इन के जवाबात in due course भेज दिये जायेंगे । लोक सभा के स्पीकर केंद्रीय विज़ारत को कई बार इस सिलसिले में warning दे चुके हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप point of order raise कर रहे हैं या तकरीर कर रहे हैं ?

**श्री देव राज सेठी** : मैं अपने point of order की मज़बूती के लिये कुछ वाकियात जनाब को बता रहा था ।

**ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਜਦ House prorogue ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ notice lapse ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : On a point af order, Sir. ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ information ਇਕਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਾਕਿਆ ਹੈ—1950 ਦਾ—

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाईये ।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਗਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੌ ।

**Mr. Speaker** : The hon. Member may please resume his seat. This is no point of order. (*Cries of order, order.*)

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

**अध्यक्ष महोदय** : Order, order. स्पीकर मंत्रियों को जवाब देने के लिये force नहीं कर सकता । यह उन की मरज़ी है कि किसी सवाल का जवाब किस वक्त दें ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : On a point of order, Sir. जब मंत्री किसी सवाल के जवाब देने का वायदा करें और उसे पूरा न करें तो इस मामला में Chair हाऊस की किस हद तक मदद कर सकती है ? महीनों तक अगर यह कहा जाए कि information collect की जा रही है, तो वज़ीरों की ऐसी कार्यवाहियों के खिलाफ़ आप क्या कर सकते हैं ? मैं इस मामला पर आप की ruling चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक वायदा कर के सवालात के जवाब न देने का ताल्लुक है, मैं आप के point of order को appreciate करता हूं । इस के मुतअल्लिक मैं सोच रहा हूं और इस सम्बन्ध में कोई procedure बनाने की तजवीज मेरे जेरेग़ौर है ।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ :** On a point of order, Sir. (*Interruptions*).

**Minister for Development** : Keep quiet now.

**पंडित श्री राम शर्मा** : मैं जनाब की इस बात पर ruling चाहता हूं कि क्या सभा का कोई मैम्बर किसी और मैम्बर को 'keep quiet' कह सकता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे लिये अब आप के points of order का जवाब देने का काम ही तो रह गया है । (हंसी) ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : अगर कोई मैम्बर unparliamentary words का इस्तेमाल करे, तो क्या वे withdraw नहीं किये जाने चाहियें ?

**अध्यक्ष महोदय** : अगर आप खाह मखाह interruptions करें, तो दूसरे भी कुछ न कुछ कह जाते हैं । इस लिये अगर आप किसी का कोई remark नहीं सुनना चाहते, तो किसी को interrupt ही न किया करें ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : मैं इस बात पर protest करता हूं कि मेरे point of order raise करने को स्पीकर साहिब मदाखलत का नाम दे रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आप की तरफ reference नहीं किया था । मैंने तो कहा था कि कोई भी मैम्बर किसी और को interrupt न करे । आप हर बात को अपनी तरफ मनसूब कर लेते हैं ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : I want to raise a point of order. I have a right to raise any point of order. इस House में अगर कोई मैम्बर दूसरे को 'keep quiet' कहे, तो क्या यह चीज unparliamentary नहीं है और withdraw नहीं की जानी चाहिये ?

(*Mr. Speaker rose in his seat but Pandit Shri Ram Sharma kept standing.*)

**Mr. Speaker** : Order, please sit down.

(*Cries of sit down from Treasury Benches*).

**Pandit Shri Ram Sharma** : I don't take orders from any Minister or any other member except the Speaker.

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे ख्याल में चूंकि बाहर गर्मी ज्यादा है, इस लिये हाऊस में भी गर्मी पैदा हो रही है । पंडित जी ने जो कुछ कहा है मैं उसे protest के तौर पर नहीं ले रहा हूं । मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हाऊस में गर्मी पैदा करना कोई अच्छी बात नहीं ।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : On a point of information, Sir. ਤੁਸੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ interruption ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ 'keep quiet' ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप तशरीफ रखिये ।

TENANTS IN THE STATE

*2172. **Shri Wadhawa Ram** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of tenants of land-owners having holdings of 30 acres or less than 30 acres district-wise ;

(b) the total area of land district-wise under the tenants referred to in part (a) above ?

**Sardar Partap Singh Kairon** :

| | | | (a) | (b) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hissar | .. | 18,616 | 389,486 |
| 2. | Rohtak | .. | 23,073 | 128,567 |
| 3. | Gurgaon | .. | 31,121 | 163,596 |
| 4. | Karnal | .. | 4,169 | 20,869 |
| 5. | Ambala | .. | 63,531 | 219,097 |
| 6. | Simla | .. | 72 | 126 |
| 7. | Kangra | .. | 1,77,093 | 255,773 |
| 8. | Hoshiarpur | .. | 134,717 | 185,590 |
| 9. | Jullundur | .. | 162,366 | 163,443 |
| 10. | Ludhiana | .. | 29,375 | 73,952 |
| 11. | Ferozepore | .. | 71,215 | 443,136 |
| 12. | Amritsar | .. | 30,715 | 201,739 |
| 13. | Gurdaspur | .. | 32,549 | 192,854 |

CONFIRMATION OF STAFF WORKING IN DEPUTY COMMISSIONERS' OFFICES

*2433. **Sardar Khem Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) whether Government servants with 10 years' service at their credit in all the Deputy Commissioners' Offices in the State have been confirmed ; if not, the reasons therefor ;

(b) the minimum period of service required in the offices of the Deputy Commissioners for confirmation ?

**Sardar Partap Singh Kairon** : The information is being collected and it will be supplied to the member.

## TACCAVI LOANS TO SCHEDULED CASTES

***2435. Sardar Khem Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state the number of persons in the State belonging to Scheduled Castes to whom Taccavi Loans have been granted by the Government during the period from 17th April, 1952 to March, 1953 ?

**Sardar Partap Singh Kairon** : 28,101.

---

## DAMAGE CAUSED BY FLOODS IN RIVER JAMUNA

***2490. Sardar Bachan Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of villages affected by floods in river Jamuna in District Karnal during the years 1951, 1952 and 1953; and

(b) the extent of damage caused each year along with the action, if any, taken by the Government to protect these villages from floods in future?

**Sardar Partap Singh Kairon** : The information is given below.

(a) The total number of villages affected by the floods in river Jamuna in Karnal District during the years 1951, 1952 and 1953 is as under :—

| *Year* | | *Number of Villages* |
|---|---|---|
| 1951 | .. | 101 |
| 1952 | .. | 101 |
| 1953 | .. | 74 |

(b) Damage caused during the years in question is as below :—

| *Year* | | *Rs* | *Acreage of damaged areas* |
|---|---|---|---|
| 1951 | .. | 62,000 | 1,242 acres. |
| 1952 | .. | 82,000 | 1,265 acres. |
| 1953 | .. | 38,000 | 730 acres. |

(c) Babail bund to protect 27 villages in Tahsil Panipat was built in the year 1953 by voluntary labour of villagers. A sum of Rs 14,600 was also distributed as seed taccavi to the affected cultivators during the year 1952. No relief was issued during the years 1951 and 1953 as the damage to the extent of Rs 62,000 and Rs 38,000 was spread over a number of villages and no case of relief was made out.

---

## DAMAGE CAUSED BY FLOODS IN DISTRICT FEROZEPUR

***2491. Sardar Bachan Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state whether it is a fact that floods have been destroying crops in ilaqa Bet of Tehsil Zira of District Ferozepur during the years 1947, 1948, 1950, 1951, 1952 and 1953; if so, the damage to crops done by the floods each year and the steps, if any, taken by the Government to prevent the recurring of such floods together with the relief, if any, given by the Government to the sufferers each year ?

**Sardar Partap Singh Kairon** : Yes. There was damage to crops in the years 1947 and 1950 due to floods.

| | | 1947 | 1950 |
|---|---|---|---|
| Damage to crops (Acres) | .. | 13,010 | 19,738 |
| Estimated loss in Maunds | .. | 116,889 | 150,624 |
| Relief by Government | .. | Nil Gratuitous relief. | Rs 1,33,304 Taccavi loans Rs 9,49,800 |

*Other steps taken by Government*

A bund has been constructed which has minimized the further chances of damage by floods.

---

WASTE LANDS IN THE STATE

***2494. Shri Wadhawa Ram** : Will the Minister for Development be pleased to state :—

(a) the total area of waste land in acres in the State which the Government has so far given to the Landless Tenants for cultivation purposes ;

(b) the total area of such land, so far given to the landless tenants which belongs to (i) the landlords, and (ii) the Government, respectively;

(c) the total amount so far collected by the Government on account of sale through auction of this waste land together with the amount which yet remains to be realized in isnstalments ;

(d) the area of waste land district-wise, owned by the Government or private persons which has not so far been given by either to any one else ;

(e) the number of persons out of the landless persons district-wise in the State who did not own any land during the current year, together with the number of persons who are unemployed and have not been able to acquire land even as tenants ?

**Sardar Partap Singh Kairon** :
(a) 46,627 acres.
(b) (i) 45,304 acres.
(ii) 1,323 acres.

[Sardar Partap Singh Kairon]

(c) (i) Rs 1,32,098-6-6 .. Amount collected.

(ii) Rs 1,41,074 .. Amount yet to be realized.

(d) and (e) .. The statement giving the requisite information district-wise is enclosed.

STATEMENT

| | AREA OF WASTE LAND WHICH HAS NOT SO FAR BEEN GIVEN TO ANY ONE ELSE | | Number of landless persons | Number of unemployed landless persons |
|---|---|---|---|---|
| | Private land Acres | Government land Acres | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hissar .. | 337,245 | 16 | 53 | 50 |
| Rohtak .. | .. | 570 | 29,641 | .. |
| Gurgaon .. | .. | 10,817 | 18,058 | 33,421 |
| Karnal .. | 86,003 | 658 | 7,393 | 6,006 |
| Ambala .. | 31,733 | .. | .. | .. |
| Simla .. | 63 | 36 | .. | .. |
| Kangra .. | 92,578 | .. | 846 | 58,970 |
| Hoshiarpur .. | | Not available | | |
| Jullundur .. | 23,086 | .. | 3,488 | 83,823 |
| Ludhiana .. | 37,737 | .. | .. | 2,311 |
| Ferozepore .. | 46,286 | | Not available | |
| Amritsar .. | 39,940 | .. | 47,978 | 40,579 |
| Gurdaspur .. | 1,486 | .. | .. | .. |

**ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

**Mr. Speaker** : No, please. This is not a supplementary question.

RESTORATION OF TENANCIES

***2627. Shri Wadhawa Ram** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of tenancies district-wise in the State who applied for the restoration of their tenancies after the enforcement of the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953 ;

(b) the total number of tenants, district-wise, so far ejected by the landlords since August, 1947, in each year separately;

(c) the total number of tenants district-wise who have actually been restored their lands so far after the enforcement of the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953 ;

(d) the total number of applications for the restoration of land so far rejected together with the number of applications still pending in each district ?

**Sardar Partap Singh Kairon** : The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

GOVERNMENT CULTURABLE LAND

***2712. Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total area of Government culturable land auctioned during the years 1952 and 1953 district-wise in the State ;

(b) the total number of persons who received such lands after auction district-wise in the State together with the number of Harijans amongst them ?

**Sardar Partap Singh Kairon** : A statement giving the requisite information is given below :--

| —— | Gurdaspur | Amritsar | Kangra | Hoshiarpur | Jullundur | Ludhiana | Ferpozepore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) The total area of Government culturable land auctioned during the years 1952 and 1953 district-wise in the State. | During 1952 and 1953—279 Kanals 5 Marlas | No Government land has been leased out in this district | During 1952 and 1953—324 Kanals and 5 Marlas | No culturable Government land was auctioned during the year 1952 in this district but in 1953 159 Kanals 7 Marlas of land was auctioned for Rs 420 in favour of Shri Harcharn Singh, son of Shri Sadhu Singh, caste Saini of Chhaunni Kalan | During 1952—213 Kanals and 3 Marlas<br>During 1953—213 Kanals and 3 Marlas | During 1952—353 Acres<br>During 1953—343 Acres | During 1952-53—1,324.73 Acres.<br>During 1953-54—1,054.73 Acres |
| (b) The total number of persons who received such lands after auction district-wise in the State together with the number of Harijans amongst them. | Two persons but none of them was Harijan | Nil | 5 persons but none of them was Harijan | One person but he was not Harijan | 5 persons in 1952 and 6 persons in 1953. None of them was Harijan | 1952—73 Other 1 Harijan<br>1953—70 Other 1 Harijan | 79 persons. None of them was Harijan. |

| Hissar | Rohtak | Gurgaon | Karnal | Ambala | Simla |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) (i) During 1952-53— | During 1952— | During 1952— | 1952— | .. | 1 Bigha 17 Biswas. |
| 945 Acres .. | 1,400½ Acres .. | 13.91 Acres .. | 219 Acres | | |
| (ii) During 1953-54— | During 1953— | During 1953— | 1953— | 539 Acres of Government culturable land was given on lease. | .. |
| 991 Acres .. | 1,049½ Acres .. | .. | 257 Acres | | |
| (b) The total number of persons is 147 and the number of Harijans amongst them is 16 | Total number of persons is 111 but out of them 7 are Harijans | One person but he was not Harijan | Total 52 persons but none of them is Harijan | 60 persons out of them 4 were Harijans | One person but he was not Harijan |

## EJECTMENT OF TENANTS IN CERTAIN VILLAGES OF GURDASPUR DISTRICT

***2805. Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of ejectment notices served on tenants by the landlords during the year 1953 in the villages Narot Jaimal Singh, Kathlor, Tibri and Kirikhurd of Tehsil Pathankot, District Gurdaspur ;

(b) whether it is a fact that the tenants in these villages have already been declared to be ejected by the Revenue Officer and the Deputy Commissioner of the said district ; if so, the reasons therefor ?

**Sardar Partap Singh Kairon** :—

| (a) *Name of village* | | *Number of ejectment notices served on tenants* |
|---|---|---|
| Narot Jaimal Singh | .. | 52 |
| Kathlor | .. | 4 |
| Kiri Khurd | .. | 16 |
| Tibri (Tahsil Gurdaspur) | .. | 2 |

(b) No.

**ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ** : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਚਲ ਕਰ ਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਢੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਜੇ ਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

---

## CASES AGAINST TENANTS AND KISAN WORKERS IN DISTRICT GURDASPUR

***2806. Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of cases against tenants and Kisan workers tried in the court of Revenue Assistant, Gurdaspur, during the years 1952 and 1953 ;

(b) the number of cases decided in favour of the tenants ;

(c) the number of cases still pending and the period for which they have remained pending ?

**Sardar Partap Singh Kairon** : (a) 35.

(b) 14.

(c) Only one case is pending since 19th November, 1953.

---

CASES OF NON-PAYMENT OF RENT IN DISTRICT GURDASPUR

*2807. **Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) the total number of cases instituted by the landlords in courts in district Gurdaspur during the year 1953 regarding non-payment of rent by the tenants ;

(b) whether it is a fact that receivers have been appointed in cases of non-payment of rent who have taken over possession of all the crops in such cases, even though the value of the crops is made which is more than what is claimed by more than the claim of the landlords ; if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by the Government in the matter ?

**Sardar Partap Singh Kairon** : (a) 277.

(b) Receivers were appointed in ten cases only to take possession of the sufficient produce of a particular harvest to satisfy the decree prayed for. The value of the crop in excess of the value of the decree was refundable.

Government regret they cannot intervene in such *sub judice* cases.

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ (cases) ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ Receivers ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੇਸ (case) ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਇਹ supplementary question arise ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ Receivers ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ?

**Minister** : Does this supplementary question arise, Sir?

**Mr. Speaker** : No please. It does not arise.

---

WILD BIRDS AND ANIMALS

*3465. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Development be pleased to state whether there are any special varieties of wild birds and animals in the Punjab Forests ; if so, the steps taken by the Government to prevent their extinction ?

**Sardar Partap Singh Kairon** : The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

---

CLOSING DOWN OF CANAL PASSING THROUGH VILLAGES KANAHLI TO ROHAD, DISTRICT ROHTAK

*3496. **Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that the canal passing through villages Kanahli to Rohad, district Rohtak, is being closed and in its place canal water is proposed to be diverted through newly-dug canal from Bhalaut Head to Rohad *via* Rurki Pakasma ; if so, the reasons therefor and the advantage for this change along with the cost of new construction ?

**Chaudhri Lahri Singh** : There is no such proposal.

---

ROTATION OF WATER FLOW IN CANALS OF HARYANA DIVISION

***3497. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the rotation of water flow in the canals of the Haryana Division during the last winter before the rains ;

(b) the quantity of water proposed to be increased in the Bhalaut Distributary after the Beri and Jhajjar Canals are made perennial ;

(c) the names of extensions made on the two canals referred to above ?

**Chaudhri Lahri Singh** : (a) Rotation of flow of water, i.e., full supply for 8 days in 24 days was the same as on other channels of Western Jumna Canal.

(b) 360 cusecs during Rabi and none in Kharif.

(c) Extensions made are :—

(i) Extension of Jasrana Minor.

(ii) Bakra Extension.

(iii) Jehangirpur Minor.

(iv) Mattenhale Minor.

(v) Surkhpur Minor.

---

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या पानी की जो मात्रा बढ़ाई गई है काफी रहेगी ?

**Minister** : Does this supplementary arise, Sir?

**पंडित श्री राम शर्मा** : जनाब मेरा मतलब यह है कि Beri और Jhajjar canals को perennial बनाने के बारे में जो मिकदार पानी की Bhalaut Distributary में बढ़ाई गई है क्या गवर्नमैण्ट ने इस बारे में पूरी तसल्ली कर ली है कि पानी सब को पूरा मिलेगा ? और ऐसी बात तो नहीं होगी कि किसी को कम मिले और किसी को ज्यादा मिले ?

**Minister** : Does this supplementary arise, Sir ? The original question reads :—

> 'the quantity of water proposed to be increased in the Bhalaut Distributary after the Beri and Jhajjar Canals are made perennial'.

My answer is that : 360 cusecs during Rabi and none in Kharif. I have nothing more to say.

**पंडित श्री राम शर्मा** : यदि गवर्नमैण्ट के पास इस का जवाब तैयार है तो वज़ीर साहिब कृपया बतायेंगे कि extension के लिये जो पानी बढ़ाया गया है क्या वह काफी समझा गया है । और यदि यह जवाब तैयार नहीं तो हम इस बारे में further notice दे सकें ।

**ਮੰਤ੍ਰੀ :** ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ original question ਵਿਚ 'ਕਾਣੀ' ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਬਲਕਿ extension ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਦੀ information ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਕੇ ਦਸਣਗੇ ।

---

## SALE OF EVACUEE RESERVE LAND

***2013. Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Government has sold or intends to sell and allot the Evacuee Reserve Land with the Government ;

(b) whether it is a fact that the tenants have so far been cultivating the Government Reserve Lands on "CHAKOTA" ; if so, the number of tenants thus cultivating during the years 1949, 1950, 1951, 1952 and 1953, respectively;

(c) whether it is a fact that after the sale or allotment of the Government Reserve Land, the tenants who have been cultivating these lands are liable to be ejected ; if so, the total area of the land already disposed of by the Government and the number of tenants ejected so far ;

(d) the action, if any, Government proposes to take to protect the tenants cultivating the Government Reserve Lands ?

**Sardar Ujjal Singh** : (a) Government have neither sold nor intends selling any Evacuee Reserve Land. As regards allotment of such land, Government reserved some land for the Jail, Agricultural and Forest Departments for extension, seed farms and nursery plantation respectively, which will be allotted to displaced land-holders as and when released by the Departments concerned.

(b) Some land in Ludhiana, Ferozepore and Hissar Districts had been and is being cultivated by tenants on " CHAKOTA ". A list showing their year-wise number is given below.

(c) Yes. After such allotment, the tenants who are cultivating these lands will be liable to ejectment.

Only 146 acres of such land has been disposed of in Hissar District and 15 tenants were ejected.

(d) So far the above 15 ejected tenants have since been absorbed elsewhere. As regards the tenants who are cultivating these lands and are liable to ejectment, Government will endeavour to allow them to continue cultivating these lands under the new allottees or they will be absorbed against some other land.

*Year-wise List of tenants who have been cultivating Government Reserved Lands on "CHAKOTA"*

| District | | YEAR-WISE NUMBER OF TENANTS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |
| Ludhiana | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| Ferozepore | .. | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| Hissar | .. | 15 | 15 | .. | .. | .. |

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (reserve) ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ off hand ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ hon. member ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

**श्री श्री चन्द** : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जो ज़मीन सरकार ने केंद्रीय सरकार से evacuee property में से ली है उस की कोई कीमत दी है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਕੋਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਲਈ ਹੈ।

**श्री श्री चन्द** : क्या कोई किराया हमारी सरकार Government of India को इस ज़मीन के लिये दे रही है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ?

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਹਨ ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।

**श्री देव राज सेठी** : सैंकड़ों एकड़ ज़मीन seed farming के लिये गवर्नमैण्ट से ली हुई है। क्या उस के लिये कोई rent या allowance money जमा कराया गया है या नहीं ?

**Mr. Speaker** : It does not arise out of the main question.

**चीफ़ पालियामेंट्री सैक्रेटरी**: क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि आया गवर्नमैण्ट ने यह फ़ैसला किया हुआ है कि जहां कहीं भी waste land है वहां मुज़ारों को जल्दी से जल्दी बसाया जाए और इस तरह उन्हें कहीं भी बगैर ज़मीन के न रहने दिया जाए ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ**: ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੱਤਲਵਸਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।

**श्री राम चन्द्र कामरेड**: On a point of order, Sir. मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चीफ़ पालियामैण्ट्री सैक्रेटरी गवर्नमैण्ट से सवालात के सम्बन्ध में कोई supplementary questions पूछ सकते हैं ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ**: ਜੀ ਹਾਂ ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ**: ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਗਾਹ ਤੋਂ ਕਡੇ ਜਾਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੀਹ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਆਵਾ ਜਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ**: ਮੈਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ । ਫੇਰ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਅਸੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀ ਤਕਰੀਬਣ ੫੦,੦੦੦ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਖ਼ਤਲਿਫ਼ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ**: ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ....

**ਮੰਤ੍ਰੀ**: ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ । ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ—੫੦,੦੦੦ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ—ਅਗੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ waste land ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ position ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ available ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

**श्री राम चन्द्र कामरेड**: जो ज़मीन अब तक दी गई है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह कितने अरसे के लिए दी गई है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਮੈਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ੧੫ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪਟੇ ਪੁਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : वज़ीर साहिब ने फ़रमाया है कि गवर्नमैण्ट यह फ़ैसला कर चुकी है कि जिन मुज़ारों को बेदखल किया जायेगा उन्हें अगर एक जिला में नहीं तो दूसरे ज़िला में ज़रूर दोबारा ज़मीन दी जायगी । क्या मैं जान सकता हूं कि आया इस स्कीम पर अमल होना शुरू हो गया है ? क्या गवर्नमैण्ट ने किसी को इस तरह बसाया है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਸ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਏਕੜ unallotted evacuee land ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, allot ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ—ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ—ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय कामरेड राम चन्द्र जी ने अभी अभी एक प्वाइंट आफ़ आर्डर (point of order) उठाया था । क्या वह मेहरबानी कर के उसे दोहरायेंगे ?

**श्री राम चन्द्र कामरेड** : मैंने यही पूछा था कि आया चीफ़ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी गवर्नमैण्ट से सवालात पर कोई supplementary information दरियाफ्त कर सकते हैं ? मेरे कहने का मतलब यह है कि आया चीफ़ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी जो हाऊस में सरकार की ओर से सवालात का उत्तर देते हैं क्या उन्हें यह हक हासिल है कि वह इस हाऊस में से supplementary questions करें और इस तरह से गवर्नमैण्ट से कोई information दरियाफ़्त करें ?

**अध्यक्ष महोदय** : सवाल यह है कि आया चीफ़ पार्लियामैण्ट्री सैक्रेटरी floor of the House पर कोई सवाल पूछ सकते हैं या नहीं ? चूंकि वह इस हाउस में गवर्नमैण्ट के ख़ास रुकन हैं और गवर्नमैण्ट की तरफ़ से कई मामलों पर खुद House को information supply करते हैं इस लिये वह इस तरह सवालात नहीं पूछ सकते । यही मेरी इस प्वाइंट (point) पर रूलिंग है । (*Cheers*)

**चीफ़ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी** : गुस्ताखी मआफ़ । क्या मैं जान सकता हूं कि कौन से रूल के मातहत आपने यह रूलिंग दी है ? चीफ़ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी और चीफ़ विप (Chief Whip) का यह हक है कि गवर्नमैण्ट की पालिसी को वाज़ेया करने के लिये वज़ीरों से सवालात पूछ सकें ।

**अध्यक्ष महोदय** : अगर आप वाज़िया तौर पर रूलिंग चाहते हैं तो मैं कल सुबह बता दूंगा । लेकिन वैसे भी advisable यही है कि खुद सवालात पूछने की बजाए चीफ़ विप किसी दूसरे मैम्बर से वह सवाल करा दिया करें । खुद न करें ।

---

ALLOTMENT OF HOUSES TO GOVERNMENT SERVANTS

***2434. Sardar Khem Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the number of applications received by the Government for allotment of houses in urban areas from Government servants during the period from 1st April, 1952 to 31st March, 1953, together with the number accepted and the number rejected ;

[ Sardar Khem Singh ]

(b) in the case of those applications which were rejected, the grounds for rejection ;

(c) the number of persons belonging to Scheduled Castes ejected from evacuee houses in rural areas during the period from 7th April, 1952 to March, 1953, together with the grounds on which their ejectments were effected ?

**Sardar Ujjal Singh** : (a) 5,192. Out of these only 1,870 were accepted and the remaining 3,322 were rejected.

(b) (i) There were more than one applicants for a single unit in many cases. Applications were decided on merits and the cases of less deserving applicants were rejected.

(ii) Applications of Government servants for allotment of houses previously allotted to non-Government servants were also generally rejected, as Government servants were entitled to allotment of only such houses as were occupied by Government servants.

(c) 114. These persons were evicted as they were in unauthorised possession of evacuee property or were in possession of houses belonging to evacuee land-owners and as such were to be allotted to the displaced land-owners.

**ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ** : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਨਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਨ ਹੈ ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪਟਵਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ—ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਕੱਮੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

**श्री श्री चन्द** : क्या यह सत्य है कि जो ग़ैर-मालकान की ज़मीन है वह मालकान की लिख दी गई है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ।

**ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ** : ਕੀਹ ਕੱਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

**Mr. Speaker** : This question does not arise.

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜਿਜ਼ (Model villages) ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤਿਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ fresh notice ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਪੂਰ ਸਿੰਘ** : ਕੀ ਪਨਵਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ । ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਵੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਕੰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।

**श्री मूल चन्द जैन** : On a point of order, Sir. क्या किसी section of the public को 'कम्मीं' जैसे नफरत-आमेज़ अलफ़ाज़ से पुकारना proper है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਹੀ ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

**ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ proprietors and non-proprietors ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ proprietors ਦੇ ਮਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ non-proprietors ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ non-proprietors ਦੇ ਮਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ proprietors ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਉਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਰਹਾਂਗੇ ।

---

## BUILDING OF TENEMENTS IN THE STATE

*3464. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total amount received by the State Government from the Union Government as loan and subsidy for building tenements in the Industrial areas of the State during the years 1952, 1953 and 1954 respectively ;

(b) the total number of tenements built so far in each industrial centre in the State along with the area covered by each tenement and the accommodation thereof ;

(c) the method of allotment of the tenements to the workers ; together with the rate of rent being charged by the Government for these tenements ?

**Chaudhri Sundar Singh** : The reply is as follows :—

(a) State Government have taken Rs 3.26 lacs from the Union Government as loan and Rs 2,01,680 as subsidy under the Subsidized Industrial Housing Scheme during the year 1953-54. Nothing was taken in the preceding years.

(b) So far only 200 tenements have been completed at Amritsar.

**Minister** for Labour]

*Area covered by each tenement*

Plinth area .. 293 s. ft. exclusive of bathing platform and latrine which are 3'×4' each.

Accommodation .. Room 12'×10'.
Verandah 12'×6' including kitchen 8'×5' portion projecting.

Size of Plot .. 13½'×45'.

(c) A committee consisting of equal number of representatives of employers and employees drawn from the industrial area of Amritsar with the Labour Inspector as *ex officio* Chairman has been appointed for allotment of quarters to the workers employed in the various registered factories at Amritsar.

The rent fixed by the Government of India for each such tenement is Rs 10 per mensem per quarter exclusive of electricity and water charges.

---

## ADMISSION TO REFUGEE CAMPS

***3549. Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the name of the final authority who allows admission to the refugee camps ;

(b) the powers of the Advisory Committee appointed by the Government in connection with admissions to the Refugee camps ?

**Sardar Ujjal Singh** : (a) The Government of India in the Ministry of Rehabilitation finally allows admissions into the Homes/Infirmaries. The State Government is only a recommending authority.

(b) The Advisory Committees appointed by Government scrutinize the admission applications and record their recommendations on the basis of which the cases are referred to the Government of India for final orders.

**श्रीमती सीता देवी** : मिनिस्टर साहिब ने सवाल के जवाब में यह कहा है कि पंजाब गवर्नमैण्ट ने एक advisory कमेटी बनाई है जो applications मांग कर उन पर अपनी सिफारिशें गवर्नमैण्ट के पास भेजती हैं और जो फिर Government of India को भेजी जाती हैं। तो मैं उन से पूछती हूं कि क्या यह सच है कि यह कमेटी नया procedure अपना रही है कि वह अपनी सिफ़ारिशें कर के सीधा भारत सरकार के पास भेज देती है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ information ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

**श्रीमती सीता देवी** : तो क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि पिछले तीन महीनों में कितनी अर्जियां कमेटी ने recommend कर के पंजाब सरकार के पास भेजी हैं।

**ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਸਵਾਲ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦ ਇਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।**

पंडित श्री राम शर्मा : मेरी बहिन श्रीमती सीता देवी ने मिनिस्टर साहिब से नये procedure के बारे में दरियाफत किया है और उन्होंने recommend की गई अर्जियों की तादाद नहीं पूछी । क्या मिनिस्टर साहिब procedure के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

---

WIDOW HOMES IN THE STATE

*3550. **Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total number of women so far admitted in the widow homes in the State along with the total number of such women who have received training in these camps and have been rehabilitated ;

(b) the total number of women who received vocational training and the names of vocation taught ;

(c) the total number of women who received training in nursing and teaching respectively ;

(d) the total number of women who were given grants and the amount of grant allowed in each case ?

**Sardar Ujjal Singh** : (a) The total number of women admitted so far in the Women Homes is 16,622. This number includes 3,173 women recovered from Pakistan and handed over to their relatives and 66 orphan girls received from Pakistan who were married.

1,716 women have, so far, received training in the various Training-cum-Production Centres. Of this number 1,125 have been rehabilitated.

(b) 1,716 women have received training in the following vocations :—

Tailoring, Weaving, Machine Embroidery, Hand Embroidery, Plastic and Leather Works, Khajji-work, Nala Making , Pickle Making, Chakki Work, Hosiery, Spinning, Basketry, Calico Printing Durrie-making, Knitting, Niwar-making and Soap-making.

(c) 178 women received training as Midwives, Nurses and Nurse Dais and 157 received training in J. T., J. S. T., and Basic Teachers training courses.

(d) 1,125 have been given rehabilitation grants at the rate of Rs 250 each.

**श्रीमती सीता देवी** : माननीय मिनिस्टर साहिब ने सवाल के (b) और (c) भाग के जवाब में कहा है कि तकरीबन १,८०० स्त्रियों ने कैम्पस (camps) में training ले ली है । तो मैं जानना चाहती हूं कि जिन स्त्रियों ने training ले ली है क्या वह rehabilitate हो गई हैं या सब की सब कैम्पस (camps) में ही रहती हैं ।

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਸ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,125 ਔਰਤਾਂ rehabilitate ਹੋ ਚੁਕਿਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ।

श्रीमती सीता देवी: क्या गवर्नमैण्ट ने उन के लिए कुछ rules भी बनाए हैं कि जो स्त्रियां किसी न किसी काम की training ले चुकी हैं वह training लेने के बाद इतने समय तक के लिए कैम्प ( camp ) में रह सकेंगी और बाद में उन्हें वहां नहीं रहने दिया जायगा ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या मैं मिनिस्टर साहिब से यह पूछ सकता हूं कि गवर्नमैण्ट के ख्याल में उन स्त्रियों के rehabilitate होने का क्या मतलब है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ training ਲੈ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ confidence ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 250 ਰੁਪਿਆ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਲਈ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा: मिनिस्टर साहिब के कहने के मुताबिक उन स्त्रियों की rehabilitation का क्या यही मतलब होगा कि जिस स्त्री को confidence हो गया उस को २५० रुपया दे दिया गया और कैम्प से बाहर भेज दिया गया ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ training ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ confidence ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਿਆ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ: ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ refugee camps ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ own ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ?

ਮੰਤਰੀ: ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲਈ ਭੈਣ ਜੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਤਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ।

श्री मूल चन्द जैन : माननीय मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि १,१२५ स्त्रियां rehabilitate हो गई हैं जब कि 1,716 को vocational training दी गई है और ७८ उन १५८ स्त्रियों में से rehabilitate हुई हैं जिन्हें nursing के काम में training दी जा चुकी है। तो क्या वह बतायेंगे कि जो स्त्रियां trained हो चुकी हैं वे अभी तक rehabilitate क्यों नहीं हुई और कैम्पस (camps) में क्यों रह रही हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ confidence ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ rehabilitate ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ confidence ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

श्री मूल चन्द जैन : इस बात के पेशेनजर कि उन को training दी जा चुकी है और वे आप कमा कर गुजारा करने के काबल हो गई हैं क्या मिनिस्टर साहिब इस बात के लिये policy बनाने को तैयार हैं कि.........

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ (policy) Central ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ State ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।

---

## WORKERS IN GOVERNMENT TRANSPORT DEPARTMENT

*3435. **Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of and the names of the workers employed in the Government Transport Department who were discharged from service during the years 1952 and 1953 together with the reasons therefor in each case ;

(b) the total number of accidents that occurred during the years 1952 and 1953 in which the workers were involved and the compensation, if any, paid by the Government in each case ;

(c) the maximum hours of duty of a workman per day and period of weekly rest or recreation , if any, provided by the Government to the said workers ?

**Shri Jagat Narain** : (a) 31 workers were discharged from service in Government Transport Services during the years 1952 and 1953. Their names and reasons for discharge are given below :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Shankar Dass, Conductor | .. | Unauthorised absence from duty. |
| 2. | Harjit Singh, Conductor | .. | Ditto |
| 3. | Sudha Singh, Driver | .. | Ditto |
| 4. | Darshan Singh, Driver | .. | Ditto |
| 5. | Jalmeja Singh, Conductor | .. | Ditto |

[Minister for Education]

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Gurdev Singh, Conductor .. | Alleged fraud and misappropriation of Government money. |
| 7. | Krishan Gopal, Conductor .. | Ditto |
| 8. | Satya Paul, Conductor .. | Ditto |
| 9. | R. C. Jeoki, Conductor .. | Ditto |
| 10. | R. S. Mittal, Conductor .. | Ditto |
| 11. | Ghanisham Singh, Conductor .. | Ditto |
| 12. | Harcharan Singh, Conductor .. | Ditto |
| 13. | Ranbir Singh, Conductor .. | Ditto |
| 14. | Jamna Dass, Conductor .. | Ditto |
| 15. | Kartar Singh, Conductor .. | Ditto |
| 16. | Narain Dass, Conductor .. | Ditto |
| 17. | Babu Ram, Driver .. | Acceptance of illegal gratification from the public. |
| 18. | Brij Mohan Mahajan, Conductor | Unauthorised absence, excess of Cash while on Government duty and refusal to associate with enquiry. |
| 19. | Makhan Singh, Driver .. | Declared medically unfit for Government service. |
| 20. | Pritam Singh, Driver .. | Ditto |
| 21. | Tehal Singh, Driver .. | Ditto |
| 22. | Rakha, Sweeper .. | For pilferage and theft of Government Stores etc. |
| 23. | Gurnam Singh, Cleaner .. | Ditto |
| 24. | Gurbachan Singh, Cleaner .. | Ditto |
| 25. | Avtar Singh, Welder .. | Ditto |
| 26. | Teg Bahadur, Chowkidar .. | For negligence of duty and dishonesty. |
| 27. | Kundan Singh, Chowkidar .. | For unsatisfactory work. |
| 28. | Mulagar Singh, Welder .. | Misconduct for being previous convict. |
| 29. | Lakhbir Singh, Fitter .. | For unauthorised absence. |

| | | |
|---|---|---|
| 30. Mohan Lal, Sweeper | .. | Misconduct for being previous convict. |
| 31. Kishan Lal, Cleaner | .. | For unsatisfactory work. |
| (b) Total number of accidents | .. | 48. |
| Compensation paid | .. | Nil. |
| (c) Maximum hours of duty | .. | 9 hours in a day or 54 hours a week in case of Drivers and Conductors and 8 hours a day in case of technicians and others. |

(In case of Drivers employed on vehicles covering over 200 miles daily two off days are given in a week).

FEE CONCESSION TO HARIJAN STUDENTS IN HIGH SCHOOL, MANDI JAKHAL, DISTRICT HISSAR

***3437. Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state the total number of Harijan students studying in High School, Mandi Jakhal, District Hissar, at present and the number out of then who enjoy full fee concessions ?

**Shri Jagat Narain** : There is no High School at Jakhal Mandi. There is, however, a D. B. Middle School at this place. Twenty-eight Harijans students are studying in the school and 24 are enjoying full fee concession. The remaining 4 students belong to Pepsu.

MATERNITY AND CHILD WELFARE SERVICES SCHEME

***3485. Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Education be pleased to state whether the Government has received any scheme from the Central Health Ministry for the expansion of Maternity and Child Welfare Services in the rural areas of the State ; if so, the gist of the circular and the scheme so received and the action Government has taken or intends to take for implementing the scheme ?

**Shri Jagat Narain** : Yes. A draft scheme relating to the extension of Maternity and Child Welfare Services in the State, particularly in rural areas, with financial assistance from the Central Government is under consideration of the State Government. A copy of the Government of India's original communication on the subject is appended.

*Copy of letter No. F-2—4/53-P, dated the* 14*th December*, 1953, *from the Under-Secretary to the Government of India, Ministry of Health, New Delhi, to the State Governments of Bombay, Madhya Pradesh, Madras, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Assam, Orrisa, Madhya Bharat, Pepsu, Rajasthan, Saurashtra, Himachal Pradesh, Hyderabad, Delhi and Kutch*

......

*Subject.*—Training of Health personnel for the Community Development Programme.

......

I AM directed to refer to this Ministry's letter No. F-2-4/53-P, dated the 14th November, 1953, on the subject mentioned above, and to say that the Government of India have since drawn up a scheme for the training of Health personnel for the Community Development Programme which is explained in the following paragraphs.

[Minister for Education]

The Planning Commission has approved a programme of 600 Community Blocks in various States for the Plan period. For this programme the requirements of the variou: categories of health personnel are expected to be of the follwoing order :—

| | | |
|---|---|---|
| (*a*) Doctors | .. | 600 |
| (*b*) Compounders | .. | 600 |
| (*c*) Sanitary Inspectors | .. | 600 |
| (*d*) Lady Health Visitors | .. | 600 |
| (*e*) Mid-wives | .. | 2,400 |

After taking into consideration the existing facilities available and the additional requirements, it is considered that so far as Doctors, Compounders and Sanitary Inspectors are concerned there will be no difficulty in getting the requisite number for the programme. For the training of Lady Health Visitors and Mid-wives, however, the existing facilities are inadequate and it is necessary to take steps to expand the training facilities for these categories of personnel. In addition, it is considered necessary to provide for the training of certain auxiliary personnel who may be called 'Auxiliary nurse and mid-wife' and who will, to some extent, bridge the gap in respect of Lady Health Visitors whose number cannot be increased sufficiently for another 2 or 3 years.

LADY HEALTH VISITORS

3. At present there are the undermentioned nine health schools which turn out Lady Health Visitors—

(1) Health School, Bombay.

(2) Health School, Khed.

(3) Health School, Nagpur.

(4) Health School, Madras,

(5) Health School, Ludhiana.

(6) Silver Jubilee Health School, Lucknow.

(7) Sir John Anderson Health School, Calcutta.

(8) Niloufer Health School, Hyderabad.

(9) Lady Reading Health School, Delhi.

These Schools together can train normally about 150 health visitors but their annual output is only about half that number. It is proposed to expand the existing facilities at these schools so that they could train the 600 health visitors required for the Community Projects.

Training as health visitors is, at present, given to registered mid-wives who hold a senior certificate in mid-wifery and who have attained the Matriculation standard. The duration of the training is 18 months in most of these schools, and is one year in some of them. The candidates thus have 2½ years to 3 years training after completing their school education (1½ year mid-wifery and 1 to 1½ years health visitors training). Since the basic educational qualification prescribed for the health visitors' course is higher than that required for candidates who take up mid-wifery training only, considerable difficulty is being experienced in recruiting trained mid-wives with adequate school education.

To ensure that the required number of health visitors are trained and posted in the project area as soon as possible and within the Plan period, it is proposed to conduct the following two courses at each of the nine health schools :—

(*i*) One course of 18 months training for candidates who possess necessary school education and mid-wifery training, and

(*ii*) a regular integrated 2½ years training as recommended by the Indian Nursing Council to provide mid-wifery and health visitors training for candidates recruited immediately after passing Matriculation.

The mid-wifery part of the training for a period of 18 months will be conducted in co-operation with established hospitals attached to these schools.

Sixty students will be admitted for these two courses at each school except the Lady Reading Health School which will turn out about 120 health visitors in these two courses during the period of the Plan.

Financial assistance is proposed to be given for the expansion of the existing schools for :—

(*a*) additions and alterations to the existing buildings,

(*b*) additional staff and equipment,

(*c*) stipends to the trainees.

No assistance is proposed under this scheme for the Lady Reading Health School as the expansion of this school has been provided for separately under the Five-Year Plan. Appendix I to this letter gives the details of the expenditure involved on the training of the Lady Health Visitors.

MID-WIVES

4. Training facilities are mostly concentrated in Part 'A' and some of the Part 'B' States. Leaving aside States like Bombay, Madras and West Bengal the other States are short of this personnel. As the training of mid-wives is conducted locally in local languages it will be desirable to have training facilities in the local area itself. It is, therefore, proposed that States which do not have adequate facilities for training may be given assistance in the form of stipends to trainees and the provision of additional equipment, furniture and other training facilities. It is proposed to organise 10 centres for the purpose one in each of the States of Madhya Pradesh, Bihar, Assam, Orissa, Pepsu, Madhya Bharat, Rajasthan, Saurashtra, Himachal Pradesh and Kutch to cater to the needs of the States as well as of the adjoining States.

The period of training prescribed for mid-wifery by the Indian Nursing Council is 18 months of which approximately one year is spent in the hospital and six months training in domiciliary mid-wifery service is given in the field. At each of these centres 10 candidates would be admitted every six months. Thus before the end of the Plan period about 100 trained mid-wives would have come out of these centres and another 200 would be under training. Appendix II to this letter gives the details of the expenditure involved on the training of mid-wives.

5. In so far as the financial arrangements are concerned, it is proposed that the Central Government should bear the entire non-recurring expenditure and the recurring expenditure for the initial period of six months beginning from the 1st January 1954, 66-2/3 per cent of the recurring expenditure for the next one year, 50 per cent of the recurring expenditure for the next following year and 33-1/3 per cent of the recurring expenditure for the remaining months in 1956-57 ; while the State would contribute the balance of the recurring expenditure in each of the years mentioned. The total period of Central financial assistance will thus be three complete years.

AUXILIARY NURSE MID-WIVES

6. A scheme for the training of Auxiliary Mid-wives is under preparation and a further commumuication will follow.

7. I am to suggest that if the State Government agree to the scheme, steps may kindly be taken to start the training of Lady Health Visitors and Midwives with effect from the 1st January, 1954. The Government of Indian would be glad to receive a reply indicating the State Government 's concurrence in the Scheme and the action being taken by them by the 25th December, 1953.

[Minister for Education]

## APPENDIX I

**Estimated expenditure for re-organisation of Lady Health Visitors Training Schools**

| | | |
|---|---|---|
| (A) (1) *Courses to be organised*:— | | |
| (a) Integrated course for 2¼ years | .. | One Course during Plan period. |
| (b) Short-term course for 1½ years | .. | Ditto |
| (2) Number of trainees in each course | .. | 30 |
| (3) Total number to be trained as L.H.V. during the Plan period at 8 centres :— | | |
| (a) Trained mid-wives | .. | 240 |
| (b) Matriculate girls | .. | 240 |
| Total | .. | 480 |

(*Note*.—The remaining 120 V.L.H. will be trained at Lady Reading Health Centre)

(B) *Average expenditure per centre for reorganisation*—

(1) *Nonrecurring* :—

| | | Rs |
|---|---|---|
| (a) Additions and alterations to existing buildings | .. | 50,000 |
| (b) Equipments including F.F. | .. | 20,000 |
| Total | .. | 70,000 |

(2) *Recurring* :—

| (a) *Additional staff* | | *Annual expenditure including allowances* Grade Rs | Rs |
|---|---|---|---|
| (i) Sister tutor to work in attached Hospital, one | .. | 250—25—400 *plus* Dearness Allowance, etc. | 4,200 |
| (ii) Assistant Superintendent, two | .. | 150—10—250 *plus* D. A., etc. | 6,000 |
| (b) Other establishments | .. | .. | 2,000 |
| Total | .. | .. | 12,200 |
| (c) Contingencies :— | | | |
| (i) For schools | .. | 3,000 | .. |
| (ii) For attached Hospital | .. | 1,000 | .. |
| Total Recurring Expenditure per year | .. | .. 4,000 | 16,200 |

(3) Stipends :—

| | | |
|---|---|---|
| For 60 trainees for 12 months at Rs 50 per mensem | | 36,000 |
| Total | .. | 52,200 |

*Pattern of expenditure.* For one School :—

| | | *Central Government's share* | *State Government's share* |
|---|---|---|---|
| Non-recurring | .. | 70,000 | .. |
| Recurring— | | | |
| First 6 months | .. | 26,000 | .. |
| Next 12 months at 66-2/3 per cent | .. | 35,000 | 17,000 |
| Next 12 months at 50 per cent | .. | 26,000 | 26,000 |
| Next 6 months at 33⅓ per cent | .. | 8,650 | 17,350 |
| Total | .. | 95,650 | 60,350 |

## APPENDIX II

**Estimated expenditure for the training of Mid-wives in existing established Hospitals**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (A) (a) Course to be organised | .. | Regular course of 1½ years | |
| (b) Number of trainees in each course | .. | 30, to be taken up in 3 sections | |
| (c) Total number to be trained during the Plan period at 10 centres | | (i) Fully trained mid-wives | 300 |
| | | (ii) Girls having completed 6 months training | 100 |
| | | (iii) Girls having completed one year's training | 100 |

(B) *Average expenditure per centre.* (1) Non-recurring :—

| | | Rs |
|---|---|---|
| (a) Additions to existing buildings, equipments, furniture, etc. | .. | 5,000 |

| | | *Grade* | *Annual expenditure including allowance* |
|---|---|---|---|
| (2) Recurring | | Rs | Rs |
| (b) Additional staff :— | | | |
| (i) Sisters (2) | .. | 125—5—150-10—200 *plus* 100 all allowances | 5,400 |
| (ii) Trained staff nurses (2) | .. | 100—5—185 *plus* 100 all allowances | 4,800 |
| (iii) Contingencies | .. | | 1,000 |
| Total recurring expenditure per year | .. | | 11,200 |

(3) Stipends :—

(a) Total Stipends :—

| | | Rs |
|---|---|---|
| (a) Total stipends for 30 trainees for 12 months at Rs 50 per mensem | | 18,000 |
| Total | .. | 29,200 |
| or say | .. | 30,000 |

[Minister for Education]

(D) *Pattern of expenditure.* For one centre—

| | | Central Government's share | State Government's share |
|---|---|---|---|
| | | Rs | Rs |
| Non-recurring | .. | 5,000 | .. |
| Recurring— | | | |
| First six months | .. | 15,000 | .. |
| Next 12 months at 66 2/3 per cent | .. | 20,000 | 10,000 |
| Next 12 months at 50 per cent | .. | 15,000 | 15,000 |
| Next 6 months at 33⅓ per cent | .. | 5,000 | 10,000 |
| Total | .. | 55,000 | 35,000 |

LOCAL BODIES CONFERENCE AT AMBALA

*3487. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether any Punjab State Local Bodies Conference was held at Ambala during the third week of February, 1954 ; if so, the details of the decisions arrived at by the Conference and the action Government proposes to take on each such decision ?

**Sardar Gurbachan Singh Bajwa** : Yes, a Conference consisting of delegates from all the Local Bodies in the State as also representatives of their employees was held at Ambala from the 18th to 20th February, 1954, and it passed a number of important resolutions which are in the nature of recommendations to Government. A copy of the proceedings* of the Conference is enclosed. Government are examining each recommendation. No decision has so far been taken on any recommendation because the time-lag has been too brief.

ARRESTS OF WORKERS AND TRADE UNIONISTS IN THE STATE

*2220. **Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Minister for Labour be pleased to state —

(a) the total number of workers and trade unionists arrested in connection with strikes in different centres in the State during the years 1952 and 1953 ;

(b) the total number of workers arrested under section 7 of the Criminal Law Amendment Act in different industrial centres in the State during the years 1952 and 1953 together with the reasons therefor in each case and the number of persons arrested in each strike ;

(c) the total number of cases against workers and trade unionists filed under section 7 of the Criminal Law Amendment Act in which the Courts convicted the accused, acquitted the accused respectively and the number of cases relating to 1952 and 1953 separately which are still pending ?

*Kept in the library.

**Chaudhri Sundar Singh** : (a) 1952 : 161
1953 : 273

(b) 1952 : 161—

44 were arrested for taking out a procession forcing open the door of the Oriental Carpet Factory, Chheharta and asking the workers to go on strike ;

8 persons were arrested as they encroached on P. W. D. land by pitching tents in front of Government Central Workshop with a view to ask the workers to go on strike ;

109 persons were arrested for picketing the gate of Pearl Hosiery, Ludhiana, with regard to the wages of workers in batches of 76, 7, 18 and 8 on four different dates.

1953 : 84 :—

49 persons were arrested for picketing the office of the Development Board, New Township, Faridabad ;

3 were arrested as they incited the labourers working in the Hindustan Embroidery Mills, Amritsar, to abstain from working ;

10 persons were arrested for picketing the gate of Guru Narak Oil Mills, Khanna, on account of a dispute with regard to wages of workers ;

22 were arrested for picketing the gate of Khalsa Nirbhai Transport Company, Ludhiana, on account of wage dispute in batches of 13 and 9.

| | | *1952* | *1953* |
|---|---|---|---|
| (c) Conviction | .. | 4 | 50 |
| Discharged | .. | 157 | 34 |
| Pending | .. | Nil | Nil |

## SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS

### REPRESENTATION FROM MUNSHI RAM, HARIJAN CHAMAR OF VILLAGE BHAWAR, DISTRICT ROHTAK

***3582. Shri Maru Chand** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that one Munshi Ram, Harijan Chamar of village Bhawar, district Rohtak, repeatedly reported to the district authorities against his being unlawfully beaten by the Assistant Sub-Inspector of Police, Ajmer Singh ;

(b) whether any enquiry was held by the district authorities on the repeated complaints of the said Munshi Ram ; if so, to what result ?

**Chief Parliamentary Secretary** (Shri Prabodh Chandra) : (a) Yes. Two applications, dated 22nd November, 1953 and 15th January, 1954, were received from Munshi Ram, Harijan of Village Bhawar, against Assistant Sub-Inspector Ajmer Singh.

(b) Necessary enquiries were made by the District Inspector but the allegations made against the Assistant Sub-Inspector were found to be false and baseless. Munshi Ram himself also deposed before the District Inspector, Gohana, that he had made false allegations against the Assistant Sub-Inspector and that he may be pardoned.

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या मैं दर्याफ्त कर सकता हूं कि मुन्शी राम ने जो शिकायत की वह मालबन यह थी कि उसे पुलिस ने पीटा। क्या उस की तहकीकात के लिये कोई अफसर मौका पर भेजा गया ? क्या मुन्शी राम को हाजिर होने का मौका दिया गया ?

**चीफ पार्लीयामैण्ट्री सैक्रेटरी** : इस मामले में तहकीकात करने के लिये District Inspector Gohana गए। सब से पहले मुन्शी राम को बुलाया गया। उस ने बताया कि जो शिकायत उस ने की है वह झूठी है। इस पर बाकायदा तफ़तीश की ज़रूरत नहीं समझी गई।

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या मुन्शी राम ने दोबारा शिकायत की कि उस की पहली शकायत की बिना पर A.S.I. ने उसे दोबारा बुला कर पीटा है ?

**चीफ पार्लीयामैण्ट्री सैक्रेटरी** : इस के लिये माननीय सदस्य नोटिस दें।

**पंडित श्री राम शर्मा** : सवाल में पहिले ही पूछा है कि क्या उस ने शिकायत की थी कि उसे बार २ पीटा गया और इस बारे सरकार की तरफ से क्या action लिया गया है ?

**चीफ पार्लीयामैण्ट्री सैक्रेटरी**: मैं तो पहले बता चुका हूं कि उस ने तो कह दिया था कि शिकायत ही बेबुनियाद है।

**श्री श्री चन्द** : क्या गवर्नमैण्ट को इस बात की इत्तलाह है कि उस ने इस बिना पर दोबारा शिकायत की थी कि उसे पहली शिकायत करने पर पीटा गया है ?

**चीफ पार्लीयामैण्ट्री सैक्रेटरी** : माननीय सदस्य इस के लिये notice दें।

**श्री श्री चन्द** : गलत शिकायत करने पर उस के ख़िलाफ क्या action लिया गया ?

**चीफ पार्लीयामैण्ट्री सैक्रेटरी** : माननीय सदस्य इस के लिये भी notice दे दें।

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या मुन्शी राम की शिकायत पुलिस के दफतर में मौजूद है, अगर है तो क्या वह गवर्नमैण्ट के नोटिस में आई है ?

**चीफ पार्लीयामैण्ट्री सैक्रेटरी** : जी हां, गवर्नमैण्ट के नोटिस में आई है। तभी तो ज़िला इन्स्पैक्टर को तफ़तीश के लिये मुकर्रर किया गया था और मुन्शी राम को मौका दिया गया था कि वह अपना case बयान करे, मगर उस ने आकर कह दिया कि शिकायत ही बेबुनियाद है।

**श्री मूल चन्द जैन** : क्या यह अमर वाक्या नहीं है कि District Inspector of Police के पास उस के बयान होने के बाद मुन्शी राम ने फिर शिकायत की कि उस का बयान गलत लिखा गया है ?

**चीफ़ पार्लीयामैण्ट्री सैक्रेटरी** : इस के लिये नोटिस चाहिये ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : मुन्शी राम ने District Inspector of Police के सामने यह ब्यान दिया बताया गया है कि उस की शिकायत गलत थी, क्या वह शिकायत गवर्नमैण्ट के पास मौजूद है और क्या इसे table पर रखा जा सकता है ?

**चीफ़ पार्लीयामैण्ट्री सैक्रेटरी** : यह इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : अगर अब इस मामले की तहकीकात की जाए और पहली तहकीकात पर Inspector की report गलत निकले तो क्या उस के खिलाफ गवर्नमैण्ट कोई कार्यवाही करने को तैयार है ।

**चीफ़ पार्लीयामैण्ट्री सैक्रेटरी** : ऐसी कोई वजह दिखाई नहीं देती कि Inspector के खिलाफ़ कोई कार्यवाही की जाए ।

---

NATIONAL PLAN LOAN

***3561. Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) whether the State Government has received any instructions from the Union Government regarding the National Plan Loan collections ; if so, the details of such instructions and the total collections made by the State Government in this connection to date ;

(b) the steps, if any, taken or intended to be taken for these collections ?

**Sardar Ujjal Singh** : (a) Yes. It will not, however, be in public interest to disclose these instructions. The figures are not available and the time and labour involved in collection of data would not be commensurate with any benefit that may accrue. The relevant figures regarding total collections in the Punjab will in due course become available from the Government of India when the acceptance of contributions to the loan is stopped.

(b) The appeal issued by the Prime Minister for contributions to the National Plan Loan has been suitably brought to the notice of all officers of Government and the people of the State, and they have been invited to contribute liberally to the loan. Officers of Government have also been permitted to associate themselves with organizations for the promotion of contributions to the loan. Women's organizations in the State have also been approached to extend their fullest help and co-operation in the matter.

**श्री राम किशन** : क्या Finance Minister साहिब बतायेंगे कि क्या सिर्फ सारी जथेबन्दियों को कह देने से ही यह काम चल जाएगा ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ੨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਕ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ । ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ।

**श्री राम किशन** : क्या कोई और steps भी इस बारे में गवर्नमैण्ट की तरफ़ से लिए जा रहे हैं ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਸਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ।

**श्री राम किशन** : क्या सरकार collections बढ़ाने के लिये और तरीके भी सोचेगी ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਜੋ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, associations, chambers of commerce ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਬਾ ਪਾਏ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਦੇਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਉਥੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦਾ ਭੀ ਹੈ ।

**श्री राम किशन** : गवर्नमैंट ने बड़े २ industrialists और ज़मींदारों से national loan के लिये धन प्राप्त करने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ loan ਲਈ collections ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦਸਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਨਾਵਾਂਗੇ ।

**श्री राम किशन** : क्या इस सिलसिला में services को कोई circular जारी किया गया है कि वह भी जितना रुपया इस कर्ज़े के लिये दे सकते हैं दें ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ advance ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

**श्री राम किशन** : क्या यह फैसला Local Government के मुलाज़मीन पर भी लागू होगा या कि केवल सरकारी मुलाज़मों तक ही महदूद रहेगा ।

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

**श्री राम किशन** : क्या वित्त मंत्री साहिब फरमायेंगे कि National Plan Loan की स्कीम को publicity देने के लिये गवर्नमैंट ने क्या २ इन्तज़ाम किये हैं ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । Prime Minister ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਛਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਤਕਰੀਰ broadcast ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ ਤਕਰੀਰ broadcast ਕੀਤੀ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ purpose ਦਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ publicity ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या वज़ीर साहिब बराये मेहरबानी फरमायेंगे कि National Plan Loan की फराहमी के बारे में Union Government ने जो instructions State Governments को दी हैं कि इस काम के लिये सरकारी machinery को पूरे तौर पर utilize किया जाए, उस में जो 'तरगीब' की item है उस का क्या मतलब है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : "ਤਰਗੀਬ" ਦਾ ਅਰਥ "ਪਰੇਰਨਾ" ਹੈ । "ਸਰਕਾਰੀ" ਮਸ਼ੀਨਰੀ (machinery) ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵਣ ਦੂਜੇ ਵਡੇ ਅਫ਼ਸਰ preside ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਵ ਦਸਣ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਖੁਲੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿਉ ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या मैं मिनिस्टर साहिब से दरयाफत कर सकता हूं कि Red Cross के कर्जे और इस National Plan Loan की वसूली के तरीकों में कोई फर्क है ?

**Mr. Speaker** : This question does not arise.

**पंडित श्री राम शर्मा** : मैं Red Cross की बात को वापिस लेता हूं और एक और supplementary पूछता हूं । क्या कौमी कर्जे को तर्ग़ीब देकर इकट्ठा करने और इस से पहले अंग्रेजों के ज़माने में कर्जा इकट्ठा करने के तरीकों में कोई फर्क है ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ । ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੀ ।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ State Governments ਨੇ ਅਗੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ।

**ਮੰਤ੍ਰੀ** : ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਪਲਾਨ (plan) ਤਾਂ ਬਨਾਣੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨਾ loan ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ :** ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ (policy) ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ National Plan Loan ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਣ।

**Mr. Speaker :** This does not arise.

**ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਂਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜਬਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੌਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

**श्री राम किशन :** क्या वित्त मंत्री साहिब बतायेंगे कि Union Government ने इस National Loan की कोई खास limit मुकर्रर की है ?

**ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ :** ਜੀ ਨਹੀਂ।

**श्री राम किशन :** आपका target क्या है ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਸਾਡਾ target ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ National Loan ਇਕਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

**श्री मूल चन्द जैन :** क्या वज़ीर साहिब फरमायेंगे कि जो गैर-सरकारी लोग इस National Loan को इकट्ठा करने के लिये देहाती इलाकों में जाना चाहें तो क्या उन के लिये ट्रांसपोर्ट ( Transport ) का प्रबन्ध किया जाएगा ?

**ਮੰਤ੍ਰੀ :** ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ

**ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਤਸਾਹ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

**ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ :** ਉਤਸਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ :** ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ?

**ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ :** ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਲਸੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ National Loan ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣ।

CLASSICAL TEACHERS

*3576. **Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) whether the classical teachers are pressing the Government for acceptance of their demands ; if so, the nature of their demands and the action Government proposes to take thereon ;

(b) the present position of the classical teachers regarding their pay and grades as compared with the English teachers before the year 1942 and at present ?

**Shri Jagat Narain** : (a) Yes, their present demands are :—

(i) Better start .. not less than Rs 80 per mensem

(ii) Better rate of increment .. not less than Rs 5 per mensem in third grade Rs 8 per mensem in the second grad and Rs 10 per mensem in the first grade.

(iii) Higher maximum .. not less than Rs 250.

(iv) Benefit of service in the matter of refixation of pay in the proposed new scales.

These demands are under examination.

(b) A statement showing the comparative position is given below.

*Statement showing the grades of pay of teachers (Men) before and after 1st April*, 1931

| | | Men's Branch |
|---|---|---|
| | | Rs |
| *Prior to 1st April*, 1931 | | |
| Anglo-Vernacular .. | Class I .. | 200—10—250. |
| | Class II .. | 140—10—190. |
| | Class III .. | 110—5—135. |
| | Class IV .. | 80—4—100. |
| | Class V .. | 55—3—70. |
| Vernacular .. | Class I .. | 140—10—190. |
| | Class II .. | 110—5—135. |
| | Class III .. | 80—4—100. |
| | Class IV .. | 55—3—70. |
| | Class V .. | 35—3—50. |

*Grades on 1st April*, 1931

| | | |
|---|---|---|
| Anglo-Vernacular .. | As stated above .. | Less 15 per cent cut. |
| Vernacular .. | Ditto .. | Less 15 per cent cut. |

[Minister for Education]

*Grades as on 1st April*, 1937

| | | Rs | |
|---|---|---|---|
| Anglo-Vernacular .. | Class I | .. 200—10—250. | |
| | | 150—8—190 | (New entrants). |
| | Class II | .. 140—10—190. | |
| | | 105—7—140 | ,, |
| | Class III | .. 110—5—135. | |
| | | 80—4—100 | ,, |
| | Class IV | .. 80—4—100. | |
| | | 65—3—80 | ,, |
| | Class V | .. 55—3—70. | |
| | | 45—2—55 | ,, |
| Vernacular .. | Class I | .. 140—10—190 | |
| | | 110—5—135 | ,, |
| | Class II | .. 110—5—135 | |
| | | 80—4—100 | ,, |
| | Class III | .. 80—4—100 | |
| | | 65—3—80 | ,, |
| | Class IV | .. 55—3—70 | |
| | | 45—2—55 | ,, |
| | Class V | .. 35—3—50 | |
| | | 30—2—40 | ,, |

*Grades as on 1st April*, 1942

| | | |
|---|---|---|
| Anglo-Vernacular | | .. As on 1st April, 1937. |
| | | Rs |
| Vernacular .. | Class I | .. 140—10—190. |
| | Class II | .. 105—7—140. |
| | Class III | .. 40—3—70-P/2—3—85-P/1—4—105. |

*Grades as on 1st April*, 1946

| | | |
|---|---|---|
| Anglo-Vernacular .. | Class I | .. 230—10—270/10—300. |
| | Class II | .. 150—10—190/10—220. |
| | Class III | .. 90—5—150. |
| Vernacular .. | Class I | .. 140—10—220. |
| | Class II | .. 105—7—140. |
| | Class III | .. 50—3—80/4—100. |

**पंडित श्री राम शर्मा** : गवर्नमैण्ट ने आज मुझे जो figures दी हैं उन की बिना पर मैं पूछना चाहता हूं कि यह figures उस वक्त की हैं जब अंग्रेज़ों का राज्य था। अंग्रेज़ी टीचरों और वर्नेकुलर टीचरों की तन्खवाहों में २½, गुना का फर्क था और अब यह फर्क बढ़ा कर double से ज़्यादा हो गया है। इन टीचरों के ग्रेडों (grades) में २½ गुना का फर्क था जो आज और ज़्यादा हो गया है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अब जब कि अंग्रेज़ी की वह importance नहीं रही इन को क्यों हिंदी पंजाबी टीचरों पर preference दी जा रही है ?

**मंत्री** : मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इस बात पर गौर हो रहा है।

**ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ** : ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ "ਗ਼ੌਰ ਕਰਣ" ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਹੈ।

**पंडित श्री राम शर्मा** : मैं शिक्षा मंत्री जी से यह मालूम करना चाहता हूं कि यह जो गौर किया जा रहा है अब जब कि अंग्रेज़ी राज्य में अंग्रेज़ी ज़रूरी थी......

**अध्यक्ष महोदय** : आप सवाल को repeat कर रहे हैं।

**पंडित श्री राम शर्मा** : मैं तो यह कह रहा था कि वज़ीर साहिब ने अभी फरमाया है कि मामला ज़ेर-गौर है। लेकिन यह fact है कि अंग्रेज़ी और Vernacular टीचरों में disparity दिन बदिन बढ़ती जा रही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार अब किस बात पर गौर कर रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : इसी बात का जवाब तो उन्होंने दिया है।

---

## GRANT-IN-AID TO PRIVATE COLLEGES IN THE STATE

***3585. Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the total grant-in-aid proposed to be given by the Government to private Colleges in the State during the year 1954-55 ;

(b) whether the Government has laid down any principles regarding the disbursement and utilization of the said grant ; if so, what ?

**Shri Jagat Narain** : (a) 5 lacs.

(b) The rules for its distribution are under preparation.

**श्री राम किशन** : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि grants के बारे में rules बनाये जा रहे हैं। क्या grants देते वक्त गवर्नमैण्ट की तरफ से कोई ऐसी instructions दी गई हैं कि इन को किस तरह इस्तेमाल किया जाए ?

**मंत्री** : मैंने तो यह अर्ज़ किया है कि पहले दो लाख रुपया दिया जाता था, अब उस में ३ लाख बढ़ा कर ५ लाख कर दिया गया है और इस सिलसिले में Principals' Union और Professors' Union वालों से पूछा है कि आप सोच विचार करके बताएं कि इन grants को किस तरीके से दिया जाए।

**श्री राम किशन :** वज़ीर साहिब ने कहा है कि ५ लाख की grants दी गई हैं।....

**मंत्री :** दी नहीं गईं, अभी देनी हैं।

**श्री राम किशन :** क्या Private Colleges की तरफ से कोई मांग की गई है कि उन्हें इस तरीके से grants दी जाएं ?

**मंत्री :** हमने Principals' Union और Professors' Union से पूछा है कि दोनों मिल कर हमें बतायें कि किस तरीके से उन्हें grants दी जायें।

**श्री राम किशन :** क्या University Senate ने इस बारे में कोई resolution पास किया था और University Committee ने 1949 में कोई recommendations भी की थीं ?

**मंत्री :** इस सवाल के लिये तो ताज़ा नोटिस चाहिये।

**श्री मूल चन्द जैन :** क्या मैं वज़ीर साहिब से पूछ सकता हूं कि क्या वह grants मनज़ूर करते वक्त Backward इलाकों का ख़ास ख़्याल रखेंगे ?

**मंत्री :** मैं अर्ज़ कर चुका हूं कि इन दोनों Unions वालों से कहा गया है कि हमें इस बारे में अपनी स्कीम दें। आप उन लोगों से मिलें ताकि वह इस चीज़ का अपनी स्कीम बनाते समय विशेष ख़्याल रखें।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ :** ਕੀ recognised ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਰਰਾ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

**मंत्री :** उन का ख़र्च और घाटा देख कर grants दी जाती हैं।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ recognised ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ permanent aid ਉੱਤੇ ਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

**मंत्री :** Permanent aid का क्या मतलब है ?

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ :** ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ permanent ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਮੁਕੱਰਰਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ?

**मंत्री :** यह रकम तो सब कालजों के मुतअल्लक पेश होने वाली स्कीम के मुताबिक दी जायेगी।

**श्रीमती सीता देवी :** वज़ीर साहिब ने कहा है कि Principals' Union और Professors' Union वाले मिल कर स्कीम तैयार करेंगे, क्या उन में Women's Colleges वाले भी शामिल हैं ?

**मंत्री :** जी हाँ।

**श्रीमती सीता देवी :** क्या ऐसे College भी हैं जिन को permanent aid मिल रही है ?

**मंत्री :** Aid हासिल करने का सब कालजों को हक है।

**प्रोफैसर शेर सिंह** : यह जो पांच लाख की grant है इस में से किस को कितना देना है। क्या इस बारे में Professors' Union ने कोई hint दिया है ?

**मंत्री** ; पहले Private Colleges को सिर्फ २ लाख दिया जाता था। Principals' Union वाले हमारे पास आए और कहा कि इसे बढ़ाकर 6 लाख कर दी जाए। हमने सब बातों पर गौर कर के 5 लाख देने का फैसला किया और उन से कहा कि वे कोई स्कीम पेश करें जिस के मुताबिक सब को uniform grant दी जा सके। फिर उन से यह भी कहा गया कि Professors' Union से भी बात कर लें और दोनों मिल कर स्कीम पेश करें।

**प्रोफैसर शेर सिंह** : क्या गवर्नमैण्ट ने कोई सिद्धांत बनाया है जिस के मुताबिक grants दी जायेंगी ?

**मंत्री** : हमने Union वालों से कह दिया है कि जो स्कीम वह पेश करेंगे उस के मुताबिक अमल किया जायेगा।

**प्रोफैसर शेर सिंह** : अलग अलग कालाजों को funds allocate करने के लिये कैसे पता चलेगा कि किसे कितनी ज़रूरत है ? इस बारे में सिद्धांत क्या है ?

**मंत्री** : Grant दो तरीकों से दी जा सकती है। एक तो कालिज की आमदन और खर्च देख कर उस का घाटा मालूम कर लिया और उस की बिना पर grant दे दी। दूसरे staff और उस का खर्च देख कर घाटा पूरा कर दिया। अब Principals' Union ने कहा है कि वह line of action बतायेंगे। पस अगर वह staff की बिना पर कहेंगे तो हम staff की list मंगायेंगे और salaries वगैरा का हिसाब देख कर *pro rata* grants दे देंगे। और अगर उन्होंने आमदन और खर्च की बिना पर कहा तो खर्च की list मंगवा कर उस की बिना पर grants *prorata* दे दी जायेंगी।

## ADJOURNMENT MOTION

**अध्यक्ष महोदय** : सरदार चानन सिंह की तरफ से एक *Adjournment Motion आई है। अगर यह motions इसी रफतार से आती रहीं तो हमें इस बारे में कोई तरीका सोचना पड़ेगा। इन का मुद्दा यह है कि पंजाब में दफ़ा 144 लगाने और ज़िला गुरदासपुर में मुज़ारों पर जो सखती हो रही है उस पर बहस की जाये। मैं दफ़ा 144 के बारे में 3 दिन से rulings देता रहा हूं। पहली बात तो यह थी कि इस बारे में motions पहले ही दिन आनी चाहियें थीं। अगले दो दिनों में फिर identical motions आईं उन के बारे में भी यही कहा गया। फिर यह ऐसा मसला है जो ordinary law से ताल्लुक रखता है।

*Sardar Chanan Singh, M. L. A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the serious situation arising out of imposition of Section 144 and other repressive measures resorted to by the Police and Revenue officials in order to help the land lords in the large scale evictions of the tenants in the districts of Gurdaspur, Ferozepore and Hissar.

[अध्यक्ष महोदय]

इसके अलावा मैं एक नया point पेश करता हूं। यह दफा 144 लगाने का order एक Executive order नहीं होता बल्कि Judicial होता है और इसे अदालत में challenge किया जा सकता है। इस लिये इस बारे में adjournment motion पेश नहीं हो सकती।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ opposition ਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

**विकास मंत्री** : हरगिज़ नहीं।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मेरे ruling पर comment नहीं कर सकते।

---

*(At this stage the members of the Communist Party walked out of the House)*

---

## LEAVE OF ABSENCE

**Mr. Speaker** : I have received the following application from Shri D. D. Puri, M.L.A.

"I came abroad on business for a short stay but am having to prolong it on grounds of health. I understand a Session of the Assembly has been summoned for the 17th instant. Please excuse my absence from this Session."

Question is—

That the leave asked for be granted.

*The leave was granted.*

---

## RESOLUTIONS

### AMENDING OF EAST PUNJAB UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 1948, TO EXTEND TO SHASTRIS THE RIGHT TO VOTE AT ELECTIONS TO THE PUNJAB UNIVERSITY SENATE

**Shri Rala Ram** (Mukerian) : Sir, I beg to move—

This Assembly recommends to the Government that the East Punjab Universitys (Amendment) Act, 1948, be further amended so as to extend to all Shastri the right to vote at elections to the Punjab University Senate.

अध्यक्ष महोदय ! संस्कृत ही हमारी एक ऐसी प्राचीन भाषा है जिस के द्वारा हमारी तमाम regional languages की पालना हुई है और अब भी यही भाषा उन को बेहतर बना कर उन्नति की तरफ ले जा सकती है । यदि हम चाहते हैं कि पंजाबी एक अच्छी भाषा बने तो हमें संस्कृत से फायदा उठाना चाहिये । बंगला, महाराष्ट्रय, गुजराती, तामिल आदि सब भाषाओं ने संस्कृत के द्वारा ही उन्नति प्राप्त की है । यह सब भाषाएं संस्कृत पर आधारित हैं । इस लिये अब जब कि भारत स्वतन्त्र हो गया है संस्कृत पढ़ाने वालों को वह मान प्राप्त होना चाहिये जो अंग्रेज के राज्य में अंग्रेज़ी पढ़ाने वालों को दिया जाता था । अंग्रेज को यह बात अच्छी लगती थी कि अंग्रेज़ी का बोल बाला हो और अंग्रेज़ी पढ़े हुए लोगों का मान हो । अंग्रेज़ी पढ़े हुए लोगों की अजारादारी के कारण 100 साल से कोई संस्कृत पढ़ा हुआ शास्त्री सिंडीकेट तो क्या सनेट के दरवाजे तक पहुंच नहीं पाया हालांकि कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि एक शास्त्री को बहुत ज्यादा research करनी पड़ती है । लेकिन चूंकि उस पर अंग्रेजी की मुहर नहीं होती वह सनेट में शामल नहीं हो सकता है । हैरानी यह है कि स्वतन्त्र भारत में भी यह हालत है । मैं समझता हूं कि संस्कृत पढ़ाने वालों का दरजा (status) अवश्य ऊंचा किया जाना चाहिये । यह दो तरीकों से हो सकता है । पहला तो यह है कि हमारे स्कूलों, कालेजों और यूनिवर्सिटियों में संस्कृत पढ़ाने वालों को वही वेतन मिले जो दूसरों को मिलता है । लेकिन इस समय मैं इस सवाल में नहीं जाना चाहता ।

दूसरा कारण यह है कि हमारे देश की educational policy बनाने में संस्कृत पढ़े हुए लोगों का हाथ अवश्य होना चाहिये । मैं मानता हूं कि पश्चिमी शिक्षा बहुत ज़रूरी है । क्योंकि हम वैज्ञानिक शिक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकते । लेकिन बात यह है कि सारी शिक्षा को भारतीय रूप देना बहुत आवश्यक है । इस लिये हमें उन लोगों का दर्जा जिन्होंने संस्कृत की हमेशा रक्षा की है और जिन्होंने भारतीय संस्कृति को सदैव कायम रखा है ऊंचा करना चाहिये । यह तब हो सकता है कि यदि अंग्रेजी पढ़े लिखों की अजाण्दारी को खत्म किया जाये और शास्त्रियों को सैनेट की elections में मताधिकार मिले जैसे B. A. वालों को होता है । अध्यक्ष महोदय ! मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जहां तक literary culture का सम्बन्ध है मैं दावे से कह सकता हूं कि शास्त्री में एक Graduate की अपेक्षा literary taste कहीं ज्यादा होता है । वह जानता है कि रस क्या है और literary standards क्या होते हैं । शास्त्री की डिगरी लेने से पहले उसे बहुत सी शिक्षा प्राप्त करनी होती है । पहले मेरा ख्याल था कि इस प्रस्ताव में प्रभाकर और ज्ञानी भी शामिल कर लूं । लेकिन उन्हें मैंने इस लिये शामिल नहीं किया क्योंकि पांच जमायतें ही पास करने के बाद यह इम्तहान दिये जा सकते हैं । शास्त्री के बारे में यह नहीं कहा जा सकता । शास्त्री की डिगरी लेने में 10 या 12 साल लग जाते हैं और step by step चलना पड़ता है । शास्त्री से पहले विशारद का इम्तहान पास करना होता है ।

वक्त आयेगा कि जब ज्ञानी और प्रभाकर को भी अधिकार देना होगा लेकिन मैं समझता हूं कि वह समय थोड़ी देर के बाद आयेगा । शास्त्री जो हैं उन का literary standard होता है और उन्हें इस सम्बन्ध में काफी training होती है इस लिये अगर हम

[श्री रला राम]

उन्हें मत अधिकार दे दें तो हम किसी प्रकार से पंजाब यूनिवर्सिटी को खतरे में नहीं डालते। हां, अध्यक्ष महोदय, यह बात ज़रूर है कि संस्कृत पढ़े हुए चालाक नहीं होते और सरल वृत्ति होना कोई पाप नहीं है। यह लोग नाजायज़ फायदा कम उठाते हैं, और कोई दोष उन में नहीं होता। इस बात को समझते हुए कि वह अंग्रेज़ी पढ़े हुए व्यक्तियों की अपेक्षा चालाक कम होते हैं मैं समझता हूं कि यह वोट न देने की disqualification नहीं होनी चाहिए। यदि आप इस बात को देखें कि जिन्होंने शास्त्री पास की है, अध्यक्ष महोदय, उन का ऋण हमारे कंधों पर है। किन हालात में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा सूखे टुकड़े खा कर हासिल की जब अंग्रेज़ उस पर एक पाई भी खर्च नहीं करना चाहते थे।

जैसे कि यहां पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से इस से पहले टंडला में शास्त्री पढ़ाने की institution थी। संस्कृत में M.A. जिन्होंने करना होता था वे अवश्य वहां जाते थे। अध्यक्ष महोदय यह बात मैं आप के द्वारा मंत्रिमंडल के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो लोग संस्कृत में M.A. पास करते थे वे महसूस करते थे कि जब तक वे शास्त्री न होंगे उन में संस्कृत समझने की काबलियत नहीं आ सकती। मेरे पास इस सिलसिले में कई मिसालें हैं। श्री दीना बन्धु जिन्होंने M.A. संस्कृत में record beat किया उन्होंने महसूस किया कि शास्त्री की परीक्षा पास करनी चाहिये। जहां उन्होंने M.A. संस्कृत की फिर उन्होंने शास्त्री की परीक्षा पास की। इस लिये संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने के लिये अंग्रेज़ों ने लोगों को अंधकार में रखा था हमारा उन के प्रति कर्तव्य भी है कि अब हम उन को मान का दर्जा दें जिस के वे अधिकारी हैं। इस लिये मैं समझता हूं कि काबलियत के लिहाज़ से, सेवा के लिहाज़ से संस्कृत जानने वाले अंग्रेज़ी जानने वालों का ही दर्जा रखते हैं। अध्यक्ष महोदय आप को मालूम ही है कि पंजाब के खाते पीते लोग अपने लड़के लड़कियों को संस्कृत की तरफ जाने नहीं देते थे। हमारे शिक्षा मंत्री के पूज्य पिता की मिसाल exceptional थी। वह समझते थे कि वह व्यक्ति जो अच्छे खाते पीते थे उन के दिल में यह ख्याल है कि अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। उन जैसे व्यक्तियों ने संस्कृत को इस देश में जीवित रखा। या संस्कृत को जीवित रखा उन लोगों ने जिन्होंने सूखे टुकड़े खा कर शास्त्री आदि की परीक्षाएं पास कीं और संस्कृत का प्रचार किया। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और मुझे आशा है कि हाऊस इस छोटी सी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। मैं समझता हूं कि जब शास्त्री पास व्यक्ति literary attainment के लिहाज़ से किसी तरह भी B.A. से कम नहीं हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी सैनेट में अलैक्शन में मत अधिकार का अवसर मिलना चाहिये जैसा कि graduates को मिलता है।

**Mr. Speaker** : Motion moved—

This Assembly recommends to the Government that the East Punjab University (Amendment) Act, 1948, be further amended so as to extend to all Shastris the right to vote at elections to the Punjab University Senate.

There is an amendment to this Resolution which stands in the name of Sardar Achhar Singh Chhina. I call upon him to move it.

**Sardar Achhar Singh Chhina** (Ajnala) : Sir, I beg to move—

That in line 3, between the words "Shastris" and "the right" the words "and Gianis" be inserted.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜਕਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਬੀ. ਏ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਪਾਸ' ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ'' ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਬਨਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਇਸ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ।

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That in line 3, between the words " Shastris " and " the right " the words " and Gianis " be inserted.

The main resolution and this amendment will now be discussed together.

**श्री राम किशन** (जालन्धर शहर उत्तर पश्चिम) : स्पीकर साहिब ! मेरे माननीय दोस्त प्रिंसिपल रला राम ने जो प्रस्ताव पेश किया है में उस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह प्रस्ताव बिल्कुल बेज़रर है और में समझता हूं कि जो rules and regulations और procedure अंग्रेजी राज में चलते थे आज वही स्वतन्त्र भारत में चल रहे हैं और जगह जगह पर उन्हें बदले हुए हालात के मुताबिक तबदील करने की जरूरत है। आज जब कि हम foreign language पढ़े हुए graduates को University Senate में वोट देने का हक देते हैं तो ऐसी language के जानकारों को जिसे mother of all languages कहते हैं —(मेरा इशारा संस्कृत की तरफ है) यानी जो शास्त्री पास हैं उन को हक न मिलना एक तरह से इस language के साथ धक्का करने के तुल्य होगा।

कुछ दिन हुए जालन्धर में संस्कृत का एक महा सम्मेलन हुआ था और वहां बड़े बड़े पंडित इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन में संस्कृत के बारे में कई प्रस्ताव पास किये गये। पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर श्री भीम सैन सच्चर वहां तश्रीफ लाये थे। उन्होंने वहां announcement की कि पंजाब में कुरुक्षेत्र में हम संस्कृत की यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। हमारे Home Minister, Government of India, डा. कैलाश नाथ काटजू और दूसरे बड़े बड़े नेता हिंदुस्तान में संस्कृत को ऊंचा स्थान देना चाहते हैं। हमारे Prime Minister पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 'Discovery of India' में संस्कृत को बहुत उच्च कोटि

[श्री राम किशन]

का दर्जा दिया है। इस से ज़ाहिर होता है कि संस्कृत के जानने वालों को Senate के निर्वाचन में मताधिकार मिलना चाहिये। आप को मालूम है कि हिंदुस्तान में संस्कृत को वह हक हासिल नहीं है, जो आज से 2,000 वर्ष पहले था। जितने बड़े बड़े Historian यहां आये उन्होंने इस बारे में लिखा है कि हिंदुस्तान में तक्षशिला में और नालिदा में यूनिवर्सिटियां थीं जहां संस्कृत की तालीम मिलती थी और बड़े बड़े देशों से लोग administrative training के लिये यहां आया करते थे।

आज जब कि हिंदुस्तान स्वतन्त्र हो चुका है, सारे देश में छोटी छोटी सब भाषाओं को तरक्की दी जा रही है। इन हालात में अगर संस्कृत टीचरज़ को जो हर तरह से योग्य हैं यूनिवर्सिटी सैनेट के चुनाव में वोट का हक भी न दिया जाए तो यह उचित न होगा और फिर सारे पंजाब में शास्त्रियों की कुल गिनती २।। या तीन हज़ार है। अगर उन की इस छोटी सी मांग को पूरा कर दिया जाए तो इस से संस्कृत भाषा को सहायता मिलेगी। मुझे आशा है कि पंजाब सरकार इस मांग को पूरा कर देगी और इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रिंसिपल रला राम के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री देव राज सेठी** (रोहतक शहर) : अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल रला राम ने यह प्रस्ताव हाऊस के सामने रख कर पंजाब गवर्नमैण्ट को इम्तहान में डाल दिया है। इस से इस बात का पता मिलेगा कि अंग्रेज़ के वक्त में अंग्रेज़ी तालीम की डिगरियों की जो कदर होती थी और इस शानदार भाषा संस्कृत से सौतेली मां वाला ही नहीं बल्कि कसाई वाला व्यवहार होता था, आया आज भी हमारी सरकार वही व्यवहार जारी रखेगी या इसे बदलेगी। पिछले पचास साठ सालों में इस बीसवीं सदी में संस्कृत के विद्वानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिंदी और संस्कृत को दबाए रखने के लिये सरकार ने संस्कृत के विद्वानों के रास्ते में बहुत सी मुश्किलात और रुकावटें पैदा कर रखी थीं। उन को वज़ीफ़े नहीं दिये जाते थे। उन की बाकायदा पढ़ाई का कोई इन्तज़ाम नहीं था और पढ़ाई का standard ऊंचे से ऊंचा रखा हुआ था। इसी लिये बहुत से विद्यार्थी संस्कृत के इम्तहान में फेल होते थे। दूसरे इम्तहानों के मुकाबले में उन में फ़ेल होने वालों की तादाद ज्यादा होती थी। परन्तु इन तमाम मुश्किलात के बावजूद संस्कृत के विद्यार्थी शास्त्री का इम्तहान देते रहे। मगर उस विदेशी राज में उन की फिर भी कदर न हुई। वे अंग्रेज़ीदान ग्रेजुएटस के मुकाबले में किसी लिहाज़ से भी कम नहीं हैं। वे basic sciences के लिहाज़ से, ट्रेनिंग और culture के लिहाज़ से और राए बनाने की शक्ति के लिहाज़ से दूसरे ग्रेजुएट्स से कम नहीं हैं। अगर यह बातें हैं तो हमारी सरकार उन को खुशी से क्यों यह हक नहीं देती है कि वे भी यूनिवर्सिटी सैनेट के चुनाव में वोट दे सकें। Registered Graduates की कुल तादाद इस समय दस, ग्यारह हज़ार के करीब है और अगर दो तीन हज़ार शास्त्री उन में शामल हो जाएं तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सैनेट के उम्मीदवारों को उस हालत में केवल बीस पच्चीस फी सदी वोट ज्यादा लेने पड़ेंगे। जिन लोगों के साथ हमेशा बेइनसाफ़ी हुई है आज अगर हम उन को यह हक दे दें तो यह कोई बड़ी बात नहीं। आखिर हम उन्हें कोई पैनशनें तो दे नहीं रहे हैं। यह कोई ऐसी रियायत नहीं जिस के लिये बहुत सोच की ज़रूरत हो। इस लिये सरकार को यह प्रस्ताव बिला ताअम्मुल मनज़ूर कर लेना चाहिये।

**श्री तेग राम** (खुइयां सरवर) : प्रधान जी, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक ऐसा अच्छा प्रस्ताव इस विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है जो पंजाब के लोगों की बड़ी पुरानी मांग थी। एक विद्वान का कथन है कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर आज़ादी भी चली जाए तो कोई बात नहीं परन्तु अगर किसी जाति का साहित्य चला जाये तो वह जाति बर्बाद हो जाती है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में संस्कृत भाषा हज़ारों साल पुरानी है। दुनिया में सब से उच्च कोटी का साहित्य इस भाषा में है। हमारे शास्त्र और हमारा पवित्र ग्रंथ गीता इसी भाषा में हैं। अगर हम से हमारा संस्कृत साहित्य छीन लिया जाये तो यह हानी उस हानी से भी अधिक होगी जो ऐटम बम्ब गिर जाने से होगी। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का प्राचीन साहित्य हमारे ऋषियों और मुनियों ने सैंकड़ों सालों की तपस्या से रचा। अगर यह साहित्य हम से छिन जाए तो हमारा सब कुछ चला जायेगा। इन संस्कृत के विद्वानों ने कई कई साल संस्कृत व्याकरण के रट्टे लगा लगा कर संस्कृत साहित्य की रक्षा की। इस तरह से उन्होंने हमारे वेदों की रक्षा की। अगर हम उनका यह थोड़ा सा सम्मान भी नहीं करेंगे कि वह यूनिवर्सिटी सैनेट के लिये अपना वोट दे सकें तो मैं समझता हूं हम उन का घोर अपमान करेंगे।

जब प्राचीन ज़माने में प्रेस नहीं होता था तो विद्वान पुश्त दर पुश्त रट रट कर संस्कृत साहित्य की रक्षा करते थे। वह विद्वान भूकों मर मर कर वेदों तथा शास्त्रों की रक्षा करते थे और उन को याद रखते थे। अब इस साहित्य को शास्त्री की परीक्षा पास करने वाले देश के सामने रखते हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन का मान करें।

हिंदी के युग प्रवर्तक महाकवि भार्तेन्दु हरिश्चन्द्र ने ठीक कहा है—

निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के खिलत नहीं हिय को फूल।

कोई भी देश या जाति तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस की भाषा तरक्की न करे। भाषा के ज्ञान के बग़ैर मनुष्य के हृदय का फूल नहीं खिलता। हमारी उन्नति तब होगी अगर हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी तरक्की करेगी और उस की जननी संस्कृत है।

*(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair amidst cheers)*

संस्कृत साहित्य ज्ञान का एक अक्षय भंडार है जिस में संसार का सब ज्ञान मौजूद है। कौन सा विषय है जो वेदों में, अर्थ शास्त्र में, दर्शनों में आयुर्वेद, आदि में नहीं है? सब विषयों का ज्ञान संस्कृत साहित्य में भरा पड़ा है।

हम देश के सामने और देश की जनता के सामने इस ज्ञान के भंडार को भली भांति तभी रख सकते हैं जब हम विद्वानों का सम्मान करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में संस्कृत पढ़ाएं। संस्कृत के स्नातकों का मान करने से ही हम इस प्राचीन भाषा की उन्नति कर सकते हैं और इसे देश के हर कोने में रहने वाले लोगों तक पहुंचा सकते हैं।

इस प्रस्ताव का समर्थन करने पर मुझे प्रबल मान है। हमें चाहिये कि हम इसे शीघ्र ही पास करें ताकि उन लोगों को जिन्होंने कठोर तपस्या कर के संस्कृत साहित्य की रक्षा की है उनको अधिकार मिलें जिन के वे योग्य हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्रीमती सीता देवी** (जालन्धर शहर दक्षिण पूर्व) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैंने भी इसी प्रस्ताव का नोटिस दिया था। वह भी ballot में चौथे नम्बर पर आया हुआ है। मैं इस के समर्थन में अभी बोल देती हूं ताकि शिक्षा-मंत्री को केवल एक ही बार जवाब देना पड़े।

यह प्रस्ताव इतना आवश्यक है कि इस के महत्व से कोई भी इनकार नहीं कर सकता लार्ड मैकाले एक किताब में लिखते हैं कि 'हम हिंदुस्तानियों को इस प्रकार की तालीम देना चाहते हैं कि वेष-भूषा में तो वे हिंदुस्तानी रहें परन्तु विचारों में बिल्कुल 'दास' बन जायें। यह अंग्रेज़ों की दी हुई तालीम का ही असर है कि स्वतन्त्रता आ जाने के बाद भी हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे भाइयों में गुलामी की मनोवृत्ति पाई जाती है और वे B.As और M.As को ही योग्य समझते हैं और शास्त्री और प्रभाकर की परीक्षाओं को पास करने वालों को उन के बराबर अधिकार देने के लिये तैयार नहीं। ऐसे भाई University में भी हैं और Government में भी, जो संस्कृत, हिंदी और पंजाबी के सनातकों को अंग्रेज़ी पढ़े ग्रेजुएट्स के बराबर दर्जा नहीं देना चाहते। ऐसे सनातकों की Services में भी कोई कदर नहीं होती। इन को घटिया समझ कर तन्ख्वाह भी कम दी जाती है। अंग्रेज़ों के शासन काल में उन के साथ ऐसा सलूक किये जाने पर हैरानी नहीं हो सकती थी परन्तु अब जब कि भारत स्वतन्त्र हो चुका है और हम अपनी प्राचीन सभ्यता की महिमा करते नहीं थकते, यह बात बड़ी आवश्यक है कि हम अपनी भाषाओं के विद्वानों का मान करें। कितनी खेदजनक बात है कि जब हम ने अपनी प्राचीन सभ्यता को भुला कर संस्कृत भाषा की उपेक्षा की, तो जर्मनी और दूसरे देशों के विद्वानों ने या बनारस के 'चोटी', धोती' वाले ब्राह्मणों ने इस की रक्षा की।

इस प्रस्ताव में की गई मांग को मनवाने के लिये हम तीन चार सालों से लड़ रहे हैं। उत्तर देते समय शिक्षा मंत्री शायद यह कहेंगे कि 'यह University का मामला है, Senate में पेश किया जाये'। चूंकि उन के उत्तर देने के बाद हम नहीं बोल सकेंगे, इस लिये मैं उन को अभी बता देना चाहती हूं कि प्रिंसिपल साहिब और मैं Senate के सदस्य हैं, वहां पर हार कर हमें यह प्रस्ताव विधान सभा में पेश करना पड़ा है। मुझे Senate का सदस्य होते हुए यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं कि वहां पर जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन के दिमाग़ उसी तरह चलते हैं जिस तरह लार्ड मैकाले ने कहा था और सोचा था। वे शास्त्री, प्रभाकर और ज्ञानी की परीक्षाओं को पास करने वालों को Fellows के चुनने का अधिकार नहीं देना चाहते। हमने वहां पर कई बार प्रस्ताव रखने की कोशिश की परन्तु असफल रहे। यह भी सौभाग्य की बात है कि यह प्रस्ताव ballot में पहले नम्बर पर निकल आया है। Senate के मैम्बरों को चुनना एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि Senate ही सारे पंजाब में चलने वाली शिक्षा-प्रणाली और परीक्षाओं के लिये जाने के तरीकों का फैसला करती है। Senate के पास बड़ी ताकत और अधिकार हैं। उस के Fellows के निर्वाचन में शास्त्री, हिंदी और ज्ञानी के सनातकों को वोट देने का हक ज़रूर मिलना चाहिये। कोई वजह नहीं कि हमारी भाषाओं के विद्वानों को वही स्थान और दर्जा न दिया जाए जो अंग्रेज़ी के ग्रेजुएट्स को दिया जाता है।

में शिक्षा मंत्री के विचारों को अच्छी तरह जानती हूं । मुझे पता है कि वह भी ऐसा करने के लिये बड़े उत्सुक हैं । जहां तक इन का बस चलेगा वह अपनी भाषाओं के सनातकों को यह अधिकार दिलाने के लिये यत्न करने से संकोच नहीं करेंगे । वह जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, progressive measures लेते रहे हैं ।

उतर प्रदेश के अन्दर हिंदी और संस्कृत की अलग Universities हैं । आगरा यूनिवर्सिटी ने इन की degrees को recognize कर लिया है और Fellows चुनने का अधिकार दे दिया है। अगर उत्तर प्रदेश यह कदम उठा सकता है और वहां की Universities शास्त्री पास लड़कों और लड़कियों को सीधा M. A. की परीक्षा में बैठने की आज्ञा दे सकती हैं तो क्या वजह है कि पंजाब सरकार इस चीज़ के लिये कोशिश न करे। मैं शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि वह जब तक ऐक्ट में संशोधन नहीं करवायेंगे तब तक यह चीज़ होने वाली नहीं। Senate में इस को मनवाने के लिये हम बहुत यत्न कर चुके हैं। मौजूदा Senate तो इस को मानने वाली नहीं। नये चुनाव होंगे, कोई नई Senate आयेगी तो शायद इस प्रस्ताव में की गई तजवीज़ को मान लिया जायेगा मगर मैं समझती हूं कि उस से पहिले University Act में संशोधन की अति ज़रूरत है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय जो कि बड़े उदार-हृदय वाले हैं ऐसे संशोधन के पेश करने में देर नहीं करेंगे ताकि हमारे प्रान्त में शास्त्री, प्रभाकर और ज्ञानी पास लोगों को वही अधिकार मिल सकें जो ऐसे विद्वानों को दूसरे प्रान्तों में मिल चुके हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

**मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह)**: श्रीमान् जी, मैं बहुत खुश हूं कि प्रिंसिपल साहिब ने आज एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव सभा के सामने रखा है । जहां तक मैं समझ पाया हूं इस प्रस्ताव के पीछे दो या तीन बातें ही हो सकती हैं । एक यह की हम अपनी प्राचीन सभ्यता की भाषा अर्थात् संस्कृत को फलता, फूलता देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जिन्हों ने शास्त्री तक विद्या प्राप्त की है उन को भी वही दर्जा और अधिकार मिलें जो B. As को मिले हुए हैं और वे भी Senate में लोगों को भेज सकें और जा सकें । यह बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि 'शास्त्री' पास करने वाले का दर्जा B. A. पास करने वाले से किसी तरह कम नहीं ।

मैं बहिन सीता देवी की भी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बड़े विशाल हृदय के साथ भारत की सरकारी ज़बान हिंदी की 'प्रभाकर' की परीक्षा पास करने वालों के लिये भी उन्हीं अधिकारों की मांग की है जो 'शास्त्री' पास करने वालों को मिलने चाहियें ।

बहिन सीता देवी ने पंजाबी ज़बान के ज्ञानियों को भी वोट देने के अधिकार के लिये अपील की है । पंजाबी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिस पर उन को, मुझ को सब को, और हमारी सरकार को भी फख्र है । इस लिये मैं उन के सुझाव की ताईद करता हूं । लेकिन, स्पीकर साहिब, इस के साथ साथ मैं आप को यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि चूंकि हमारी State एक Secular State है । इस के पेशेनज़र यूनिवर्सिटी ने कुछ दूसरी ज़बानों के इमतिहान पास करने की इजाजत दे रखी है। उस इजाज़त से फायदा उठा कर लोग अदीब फाज़िल

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

मुन्शी फाज़िल और मौलवी फ़ाज़िल के इमतिहान पास करते हैं। तो मेरी अर्ज़ यह है कि अगर सरकार इस मामले पर विचार करना चाहती है तो उस का फर्ज़ है कि जहां उस ने अंग्रेज़ी पढ़े हुए ग्रेजूएटों को मौका दिया है कि वे अपने नुमाइंदे Senate में भेज सकें तो उन ज़बानों के ग्रेजूएटों को भी, जिन के इमतिहानों की इजाज़त हमारी यूनीवर्सिटी ने Secular State होने के कारण दे रखी है, वोट देने का हक दे। मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब सरकार जब भी इस मसले पर ग़ौर करेगी तो इस बात का ध्यान रखेगी कि उन दूसरे लोगों को भी वोट देने का पूरा पूरा मौका दिया जाये जिन्होंने कि यूनिवर्सिटी की हिदायतों के मुताबिक सख्त मेहनत करके तालीम हासिल की है। स्पीकर साहिब, इस में शक नहीं कि संस्कृत की जितनी महिमा की जाए कम है, पंजाबी के जितने गुण गाये जायें कम हैं, पंजाब सरकार और भारत सरकार का जितना यश किया जाए उतना ही कम है लेकिन इस के साथ ही साथ मैं यह भी दर्खास्त करता हूं कि जिन ज़बानों को यूनिवर्सिटी ने Secular State होने के कारण बराबर का दर्जा दिया हुआ है उन के पढ़ने वालों को भी वोट देने का पूरा पूरा अधिकार दिया जाये।

**श्री कन्हैया लाल बुटेल** (पालमपुर): अध्यक्ष महोदय, संस्कृत का जन्म भारतवर्ष में हुआ। संस्कृत पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्वान जर्मनी, अमरीका, चीन, जापान आदि देशों से हज़ारों मील का सफर तय करके और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपये खर्च कर के भारतवर्ष में आते थे। और यहां पर आ कर संस्कृत सीखते थे। यहां के गरीब लोग, जिन को न तो सरकार ही कोई सहारा देती थी और न ही वे अपनी दरिद्रता के कारण पढ़ने लिखने का खर्च ही बर्दाश्त कर सकते थे, बड़ी मुश्किल से संस्कृत सीखते रहे। बावजूद इन तमाम कठिनाइयों के न सिर्फ उन्होंने संस्कृत ही सीखी बल्कि उन्होंने शास्त्री बन कर ऐसे २ कार्य अपने कठोर परिश्रम के द्वारा किये जिस से न केवल भारत के नाम को ही जीवित रखा बल्कि भारतवासियों की शान को भी जीवित रखा। जब वे लोग गुरुकुलों में से शास्त्री बन कर निकलते थे तो सरकार की तरफ से उन को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता था। उन के गुज़ारे का कोई ज़रिया ही नहीं होता था। उन को दफतरों में नौकरी भी नहीं दी जाती थी। परन्तु इस बात का श्रेय उन को जाता है कि वे लोग बावजूद इन घोर कठिनाइयों के हौसला नहीं हारते थे। उन लोगों ने बड़े बड़े और हर प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन किया, हर प्रकार के अनुसंधान और विशलेषण किये और जहां तक कि उन्होंने स्वयं भी विविध प्रकार के ग्रंथों की रचना की। उन विद्वानों ने अपने आप को कष्टों में डाल कर अपने अखिल और भरसक प्रयत्नों द्वारा ज्योतिष और आयुर्वेदिक आदि विद्याओं और विज्ञानों को जीवित रखा और इस प्रकार हमार देश और देशवासियों की सेवा की और उन पर बड़ा उपकार किया। आज जो हमारी प्राचीन विद्यायें, हमारी संस्कृति और सभ्यता हमारे सामने जीवित मौजूद हैं यह सब उन संस्कृत के विद्वानों की घोर तपस्या का ही परिणाम है। वे भूखे रहते थे, अपना जीविन दरिद्रता में बिताते थे लेकिन उन में आत्म गौरव अवश्य था वे लोग नाम मात्र ट्यूशनें लेकर लोगों को संस्कृत पढ़ाते रहे कथा वार्ता का आश्रय लेकर रामायण, महाभारत आदि महा ग्रंथों की कथा लोगों को सुना कर अपना निर्वाह और बच्चों का निर्वाह करते रहे। और इस प्रकार उन्होंने इन ग्रंथों को भी जीवित

रखा। शास्त्रों, उपनिषदों और दूसरे धार्मिक ग्रंथों से लोगों को वाकिफ किया। और उन के कानों को पवित्र किया। यदि संस्कृत के विद्वान् न होते तो आज कल ये सब ग्रंथ हमारे दृष्टिगोचर न होते इन का नाम तक लोगों को भूल जाता। इन लोगों ने भाषा के क्षेत्र में गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं कीं। अंग्रेजी के ग्रेजुएटों को जब नौकरी नहीं मिलती तो उन के संमुख बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाती है, वे लोग रोटी नहीं कमा सकते। इस के विपरीत संस्कृत के विद्वानों और शास्त्रीयों को आत्म-अभिमान होता है, वे लोग कष्ट उठा कर भी अपना निर्वाह करते हैं और साथ २ देशवासियों पर उपकार भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों के अन्तर्गत कोई कारण नहीं हो सकता कि ऐसे लोगों को अपना मत देने का अधिकार न दिया जाये। अब जब कि हमारा देश स्वतन्त्र हो चुका है इन लोगों को इस अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। इस के साथ ही यदि हिंदी के प्रभाकर और पंजाबी के ज्ञानियों को भी यह अधिकार दे दिया जाये तो मुझे और भी प्रसन्नता होगी।

*(At this stage the Speaker occupied the Chair)*

**ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ** (ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲਿਆਏ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ 'ਗਿਆਨੀ' ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਉਪਰ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਉ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲਾਆਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਨਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਐਡੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਿਮ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ

[ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ]

ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਗਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਅਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੈਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਚਿਆਂ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਰਾ ਇਤਨੀ ਔਖੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਅਤੇ 'ਸਨਸ਼ੋਧਨ' ਵਰਗੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਫਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ।

एक सदस्य: यह इस लिए किया जाता है ताकि आप के अन्दर हिन्दी सीखने का जज़बा पैदा हो।

**ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ:** ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਯਤ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਉਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਓ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫਜ਼। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ ਹੀ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਨਿਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਲੀ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਲੀ।

**श्री जगत राम भारद्वाज** (होशियारपुर): स्पीकर साहिब, मैं समझता हूं कि प्रिंसिपल रला राम जी ने यह प्रस्ताव पेश करके सूबे की एक बड़ी भारी सेवा की है। इस के इलावा जितने भी माननीय मैम्बरों ने इस पर स्पीचें की हैं उन सब ने इस को support ही किया है।

इस सम्बन्ध में एक बात बिल्कुल साफ है और वह यह कि अगर हमारी कौम और हमारा देश अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सब से पहले हमें अपने तालीम के निज़ाम और तरीके को ठीक करना होगा। जब तक हमारी तालीम दुरुस्त नहीं होती तब तक हम

कौमीयत के रंग में नहीं रंगे जा सकते। आज हम यह देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की सेनिट के अन्दर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वे लोग मगरबी रंग के अन्दर इस कदर रंगे हुए हैं कि वे अपनी निजी सभ्यता और संस्कृति से कोसों दूर हैं। नतीजा यह होता है कि हमारे उन बच्चों पर भी जो कि यूनिवर्सिटी शिक्षा लेकर बाहर निकलते हैं, वही रंग चढ़ा हुआ होता है। तालीमी इदारों मे से निकल कर न तो वे घर के किसी काम के रहते हैं और न अपने आप को दूसरी जगहों पर adjust कर सकते हैं सिवाए इस के कि कोट पतलून पहन कर वड़ी टीप टाप से इधर से उधर और उधर से इधर घूमते फिरते हैं। इस के मुकाबिले में आप शास्त्री, ज्ञानी, प्रभाकर पास वगैरा लोगों को देखें तो आप को दोनों प्रकार के graduates में ज़मीन आसमान का फर्क नज़र आयेगा। जब वे लोग हमारे पास आकर बैठते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वाकई इन में हिंदुस्तानीयत है। इन के अन्दर आप को बहुत कम लोग ही ऐसे नज़र आएंगे जो मगरबी रंग में रंगे हों। इस लिये मैं यह ज़रूरी समझता हूं कि अगर हमारी कौम ने तरक्की करनी है, सदियों से गुलाम रहे हिंदुस्तानियों के अन्दर कौमीयत की नई रूह फूंकनी है तो यह आवश्यक है कि हमारे जो भाई शास्त्री, प्रभाकर, ज्ञानी वगैरा हैं उन्हें भी तालीमी इदारों के अन्दर प्रतिनिधित्व दिया जाये। अगर इन लोगों को भी सैनेट के मैम्बर बना दिया गया और मैम्बर चुनने का हक दे दिया गया तो यकीनन मैं समझता हूं कि हमें अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को फिर से जीवित करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है कि सारे का सारा हाऊस इस प्रस्ताव की ताईद करेगा और हमारे शिक्षा मंत्री जो इस रैज़ोलयूशन को दल से कबूल किये हुए हैं ज़ाहिरा तौर पर भी इसे कबूल फरमाएंगे।

**ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਨੂਰਮੱਹਲ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਿਲਨ ਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭੜੂਾਕੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਣ ਵਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਡੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਮੁਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਵਾਂਗੂ ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਚਮੁਚ ਇਹ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ 20 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 40, 40, ਅਤੇ 50, 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਇਕ ਐਮ. ਏ. ਪਾਸ ਤੋਂ ਘਟ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ—ਉਹ ਇਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸੁਖਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਭਾਖਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚੱਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਨਦਾ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਸ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂੰਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ nationalism ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਨਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ—ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ novelist ਨੂੰ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਚਮੁਚ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼, ਇਕ ਨਵੀਂ ਟੀਸ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ-ਫਾਜ਼ਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੂਜੇ graduates ਨੂੰ Senate ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਨ ਸਕਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਨ।

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕ ਵਡਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ—ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ spirit ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ political ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਗੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ characteristic ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਾਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ approach ਅਤੇ request ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

**श्री बनारसी दास गुप्ता** (थानेसर) : स्पीकर साहिब, मैं इस रेजोल्यूशन को जो कि प्रिंसिपल रला राम जी ने पेश किया है support करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि चूंकि यह एक बहुत अच्छी spirit को ले कर पेश किया गया है, इस लिये इस हाऊस का कोई भी माननीय मैम्बर इस से इख्तिलाफ नहीं कर सकता।

मैं समझता हूं कि भाषा एक ऐसा मजबूत साधन है कि जिस के ज़रिये किसी कौम की सभ्यता और संस्कृति जीवित रह सकती है। यही वजह थी कि ज्यूंही अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कदम रखा, उन्होंने अपने रंग को यहां फैलाने के लिये हर जगह अंग्रेज़ी को फैलाया।

जगह जगह पर स्टेशनों, होटलों, दफ़तरों और दूसरे अदारों में अंग्रेज़ी का ही इस्तेमाल किया गया ताकि लोग अंगरेज़ी पढ़े और उन के सिद्धांतों और विचारों को अपना लें और अपनी सभ्यता को बिल्कुल भूल जायें।

लेकिन आज तो अंग्रेज़ सदा के लिये भारतवर्ष को छोड़ कर चले गय हैं। आज तो हम आजाद देश हैं। इसलिये क्यों हम अब भी उन की जबान की गुलामी में चलते रहें? मैं समझता हूं कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद आज हमें हिंदुस्तान में एक नया जीवन पैदा करना है—कौमीयत का नया और कभी न मिट सकने वाला रंग भरना है, अपने हरेक भाई और बहिन के दिल और दिमाग म। आज हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि बड़ी तेज़ी के साथ अपनी उन्नति कर रहा है। आज हिंदुस्तान उन गल्तियों और तकलीफों को जो कि अंग्रेज़ों के राज्य में हुईं, दूर करने के लिये प्रयत्न कर रहा है।

मैं समझता हूं कि शास्त्री संस्कृत का जो सब से बड़ा इमतिहान है वह अंग्रेज़ी के M.A. क equivalent परीक्षा है। भारत म जितनी भाषाएं हैं, जैसे हमारे पंजाब में हिंदी और पंजाबी भाषाएं बोली जाती हैं, इन सब की mother language संस्कृत है। अगर किसी को अच्छी संस्कृत नहीं आती है तो उस को अच्छी हिंदी या पंजाबी नहीं आ सकती। मैं समझता हूं कि संस्कृत को सर्वोत्तम स्थान मिलना चाहिए। अगरचि हिंदी को हमारी नैशनल language का स्थान मिल चुका है और संस्कृत को national language नहीं माना गया लेकिन किसी को हिंदी अच्छी तरह नहीं आ सकती है जब तक कि वह संस्कृत नहीं जानता। आप ने देखा है कि अभी अभी जालन्धर में जो संस्कृत का सम्मेलन हुआ है उस में भारत के कोने कोने से बड़े बड़े आदमियों ने अपने सन्देश भेजे थे। अब अफ़गानिस्तान में भी संस्कृत पढ़ाई जाने लगी हैं। यह सिर्फ भारत की भाषाओं की mother language नहीं है बल्कि दुनिया की languages की माता समझी जाती है। मैंने संस्कृत पढ़ी है और मैं समझता हूं कि संस्कृत का जो साहित्य है वह अंग्रज़ी से किसी हालत में कम नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ की पालिसी की वजह से इस को नीचे लाया गया और इस को वह दर्जा हासिल नहीं हो सका जो इस को दिया जाना चाहिये। हम देखते हैं कि शास्त्री पास को २५ से ५० रुपये माहवार तक वेतन पर नौकर रखा जाता है जब कि अंग्रेजी के graduate को १५० रुपये तक की नौकरी मिल जाती हैं बल्कि पहले तो इस से कहीं ज्यादा की मिल जाती थी। आज हमें इन गलतियों को हटाना चाहिये और हमें इस बात का अहिसास होना चाहिये कि किस तरह हम संस्कृत को प्रोत्साहन दें और उस को ठीक दर्जा दें।

एक चीज़ मैं और अर्ज़ करना चाहता हूं। वह यह है कि हिंदी का जो प्रभाकर का इमतिहान है उस को भी वही दर्जा दिया जाना चाहिये क्योंकि जो यह इमतिहान पास करते हैं वह सनातक कहलाते हैं। बम्बई में और उत्तर प्रदेश में इसे वह स्थान प्राप्त हो गया है। प्रधान जी, मैं अर्ज़ करता हूं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो यकीनी तौर पर हम एक कदम और आगे उठायेंगे और अभी तो हम ने और बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। यदि हम यह चीज़ें करनी शुरू करेंगे तो हमें

श्री बनारसी दास गुप्ता]

अहिसास हो जायेगा कि हम दर्जा बदर्जा तरक्की कर रहे हैं। मैं हाऊस का बहुत time लेता हुआ प्रिंसिपल रला राम के प्रस्ताव की ताईद करता हूं कि शास्त्री और प्रभाकर को graduates के equivalent दर्जा दिया जाना चाहिये।

**श्री राम चंद्र कामरेड** (नूरपुर): अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी एक तरह से विद्या मन्दिर है और यूनिवर्सिटी के चलाने वाले लोगों को थोड़ा फ़राख-दिल होना चाहिये और इस में तमाम विद्वानों का एक स्थान होना चाहिए। यह अफ़सोस की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी की सैनिट इस मामले में conservative view ले रही है। हमारी असैम्बली के माननीय सदस्य प्रिंसिपल रला राम और श्रीमती सीता देवी दोनों ही सैनिट के मैम्बर हैं। उन्हें वहां से निराश होकर आखिर असैम्बली में यह प्रस्ताव पेश करना पड़ा है। श्रीमान् प्रधान जी, मैं आप की तवज्जुह स्वर्गीय लाला लाजपत राय के लिखे एक article की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस का heading उन्होंने 'Art of Throwing Bombs' दिया था। लाला जी ने उस article में लिखा था कि हमने सारी चीज़ों को बदलना है, इस के लिये हम किस किस मनुष्य पर बम्ब फेंकेंगे। वह दिन एक बड़े संघर्ष के दिन थे। उन्होंने यह राय दी कि इन सब चीज़ों को बदलने के लिये हमें लोगों के ख्यालात को bomb करना होगा। जो हम लोगों में अहिसास कमतरी है इस के तबदील हो जाने से हर एक चीज़ तबदील हो जायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जब कि हम ने आज़ादी ले ली है तो हमें इस अहिसासे कमतरी पर बम्ब फैंकना चाहिए। मैं तो आशा करता था के आज़ादी के बाद हकूमत इन चीज़ों को आप से आप अपने हाथ में लेगी लेकिन वह कुछ दीगर ज़रूरी चीज़ों में मसरूफ़ होने की वजह से शायद इस तरफ ध्यान नहीं दे सकी। खैर अब श्री रला राम जी ने इस अहसासे कमतरी को हटाने के लिये यह प्रस्ताव असेम्बली के सामने पेश किया है जो कि अंग्रेज़ी हकूमत ने इस ख्याल से हम लोगों में संस्कृत की न्यूनता का विचार पैदा किया था कि इस देश के स्वाभिमान को कुचल दिया जाये और इस का निरादर किया जाये। मैं अर्ज़ करता हूं कि संस्कृत ज़बान आज भी culture के लिहाज़ से इतनी बुलन्द है और इस में इतना सर्मायाँ है कि सारी दुनिया के लोग ज्ञान की खोज में यहां आते हैं और इस का अध्ययन करते हैं। इस लिये हमें चाहियें कि हम ऐसे कदम उठायें जिन से यह सूबा फले फूले। अंग्रेज़ का इस भाषा की तरक्की में रुकावट डालने का एक ही मतलब था कि यहां स्वतन्त्र विचार वाले लोग पैदा न हों। अंग्रेज़ी पढ़े लाज़मी तौर पर संस्कृत, हिंदी और ज्ञानी के विद्वानों से लायक नहीं होते। इन्हें केवल इतनी तालीम दी जाती थी कि विदेशी सरकार के कारिन्दे बन सकें। अकबर इलहाबादी ने इस सम्बन्ध में खूब कहा है।

उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, ज़बान है मेरी बात उन की।
उन्हीं के मतलब की लिख रहा हूं, कलम है मेरा दवात उन की।

अब मौका आ गया है इस अहिसासे कमतरी को हटाने का। इसी लिये यह resolution पेश किया गया है। अंग्रेज़ों ने जहां प्रभाकर को, ज्ञानी को, मौलवी फ़ाज़िल को और मुनशी फ़ाज़िल को अंग्रेज़ी के graduates के बराबर का रुतबा नहीं दे रखा था वहां National University College के graduates को भी सैनिट की election में हिस्सा लेने का हक नहीं दिया था। मैं ने एक बार इस सिलसिले में एक article

भी लिखा था और अब यह प्रस्ताव भी पेश हुआ है। मैं मिनिस्टर साहिबान की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब वह कानून बनायें तो शास्त्री, प्रभाकर, ज्ञानी व उर्दू की डिगरियों के इलावा नैशनल कालेज के graduates को भी चुनाव में voting का अधिकार दें। इन शब्दों के साथ मैं प्रिंसिपल रला राम जी के resolution का समर्थन करता हूं।

**दिवान जगदीश चंद्र** (लुध्याना शहर उत्तरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रिंसिपल साहिब के इस resolution की ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं। इस एवान में इस resolution के बारे में जो तकरीरें हुई हैं, उन्हें मैंने बड़े ध्यान से सुना है। आज़ादी आ जाने के बाद हम ने adult franchise शुरु कर के हर बालग इनसान को वोट का हक दे दिया है। यह खुशगवार तब्दीली अवाम को आज़ादी द्वारा प्राप्त अधिकारों से ही मुमकिन हो सकी है। अवाम की हालत पर यूनिवर्सिटीयों का गहरा असर पड़ता है, इस लिये इन में भी बेहतरी के लिये तब्दीली आनी चाहिये। मैं समझता हूं कि ज़बानें तो महज़ साधन हैं जिन के ज़रिये तालीम या ज्ञान लोगों को दिया जाता है। इस लिये मैं समझता हूं कि अगर वोट देने का हक शास्त्रियों को दिया जाए तो जिन्होंने उर्दू degrees हासिल की हैं, उन्हें भी वोट का हक होना चाहिए। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि अगर कोई चीनी या कोई और भाषा पढ़ा हुआ हो तो उसे भी ऐसा हक मिलना चाहिये। शकुन्तला नाटक जैसे राग संस्कृत में गाए गए और दूसरी ज़बानों में भी ऐसे ही राग गाए गए, मगर मकसद सब का एक ही था। आज इस बदले हुए ज़माने में नई किस्म के राग गाने की ज़रूरत है और वह हैं किसान और मज़दूर के राग, जिन से देश में जागृती पैदा हो। इस लिये मैं कहूंगा कि आज की ज़रूरियात का अहिसास करते हुए इस resolution को इस तरह पास कर दिया जाए कि न सिर्फ academic qualifications वालों को ही Senate में अपने प्रतिनिधि भेजने का हक मिले बल्कि Technicians और Engineers को भी हक मिल जाए ताकि अवाम को तरक्की की तरफ ले जाने और उन की ज़रूरियात को पूरा करने वाले लोग भी यूनिवर्सिटी में पहुंच जायें। मैं अर्ज़ करूंगा कि हमें इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिये। वित्त मंत्री इस बहस का जवाब देंगे और गालिबन यह कहेंगे कि चूंकि इस resolution को हाऊस में इतनी unanimous support मिली है, इस लिये हम इस बात पर विचार कर के तब्दीली करेंगे। तो उस वक्त जहां art और academic qualifications को ध्यान में रखा जाए वहां अवाम की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जाए ताकि अवाम की हालत बेहतर हो और हिंदुस्तान तरक्की करे। जिन लोगों के पास ज्ञान हो उन्हें राय का हक होना चाहिये ताकि तरीकेतालीम, जिस के बारे में रोज़ाना शोर मचाया जाता है, पर अच्छा असर पड़े। इस लिये यूनिवर्सिटी ऐक्ट में तरमीम करते वक्त इस बात को ध्यान में रखें।

**श्री दौलत राम शर्मा** (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल रलाराम जी ने यह प्रस्ताव पेश कर के देश की एक आवश्यकता को पूरा किया है। जब तक देशी भाषाओं का प्रचार अच्छी तरह से नहीं होता मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक Italian author Machiavelli ने एक किताब लिखी है जिस में उस ने हकूमत करने के

[श्री दौलत राम शर्मा]

गुर बताते हैं। उस ने एक गुर यह बताया है कि अगर किसी दूसरे मुल्क पर हकूमत करना चाहते हो तो उस मुल्क की जबान और culture को खत्म कर दो। यही गुर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर लागू किया। उन्होंने यहां की भाषाओं का पढ़ना लिखना बिल्कुल बन्द कर दिया और अंग्रेज़ी भाषा को प्रचलित किया। लेकिन हमें हैरानी तो तब होती है जब हम अपने ही लोगों को अपनी ही भाषा के रास्ते में रोड़े अटकाते देखते हैं। जैसा कि सभी को पता है, कांग्रेस सरकार ने फैसला कर दिया है कि 15 साल के बाद अंग्रेज़ी नहीं रहेगी, इस की जगह हिन्दी ले लेगी। सरकारी कार्य हिंदी में होगा। फिर समझ नहीं आती कि यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता क्यों अंग्रेज़ी से चिपटे हुए हैं और उन का mind हिंदी के मुताल्लिक क्यों prejudiced है। उन्हें ज़माने की रफ़्तार के मुताबिक चलना चाहिये और इस resolution के मुताबिक देशी भाषाओं को ऊपर उठाना चाहिये। इस resolution में पंजाबी, जो पंजाब की भाषा है, की degree 'ज्ञानी' और हिंदी, जो राष्ट्र भाषा है, की degree 'प्रभाकर' को शामिल करना चाहिये ताकि यह भाषाएं प्रचलित हों और लोगों को इन के पढ़ने पढ़ाने में उत्साह मिले और इन भाषाओं का प्रचार हो। संस्कृत बहुत पुरानी जबान है और कम अज़ कम Northern India की सारी भाषाएं तो इस में से निकली ही हैं। जैसा कि पहले एक मित्र ने कहा कि अफ़गानिस्तान की भाषा पश्तो भी संस्कृत से ही निकली है। इसी प्रकार Persian भी इसी में से निकली है।

केंद्रीय सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि हिंदुस्तान में आगे को हिंदी ज़बान रायज होगी। इस के लिये जितने नये इलफ़ाज़ की ज़रूरत पड़ेगी वे सब संस्कृत से ही लिये जायेंगे, उन सब का base संस्कृत ही होगी। इस लिये हमें संकृत को भी प्रचलित करना चाहिए और यह resolution पास करके University Act में तरमीम करनी चाहिये जिस से शास्त्री, प्रभाकर और ज्ञानी पास लोगों को वोट का हक मिले। अंग्रेज़ी तो अब 10 साल और है। उस के बाद तो Syndicate का काम भी हिंदी में होगा इस लिये इस के कार्यकर्ताओं को हिंदी से डरना नहीं चाहिये बल्कि इस की तरफ ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपने स्थान पर बैठता हूं।

*(At this stage the hon. Speaker left the Chair and Dewan Jagdish Chandra a member of the panel of Chairmen, occupied it.)*

**ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਰਮਦਾਸ):** ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ resolution ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ source ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ, recognise ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਸਮਿੱਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ accept ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਡੀ language ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ literature ਅਤੇ ਆਰਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਡੇ ਵਿਚ life ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਾਡੀ ਮਾਤ੍ਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ foreign language ਨੂੰ ਕਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ regional ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰ ਚੁਕਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ resolution ਨੂੰ accept ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਗਿਆਨੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹਕ ਨੂੰ recognise ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਤ੍ਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ studies ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ English Teachers ਵਾਲੇ ਗਰੇਡ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਹ ਆਪਣੀ culture ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ resolution ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ** (ਆਦਮਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ nature ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ diginity ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ culture ਅਤੇ civilization ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਸਲਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੋਰਪ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੋਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ literature ਅਤੇ culture ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ translation ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ culture ਅਤੇ civilization ਕੀ ਸੀ ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਅਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਡੀ ਤੋਂ ਵਡੀ ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਹੈ।

[ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ]

ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਐਮ. ਏ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਰੈਜ਼ੋਲਯੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੀ. ਏ. ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਦਾ root, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ foundation ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲਯੂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦੀਬ ਫਾਜ਼ਲ, ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਾਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਫਾਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਲੈ ਲਵੋ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ language ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਦਬੀ ਤਮੱਦਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰ culture ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਿਰ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Honours in Hindi, Honours in Punjabi ਅਤੇ Honours in Urdu ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਾਜ਼ਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਯੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਮੌਲਵੀ ਫਾਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ fiction ਹੈ, poetry ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ knowledge ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ Honours in Hindi, Honours in Punjabi ਅਤੇ Honours in Urdu ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਖੇ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਜਾਣਦਾ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਖੇ। ਇਸ ਲਈ Honours ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਉਚਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਘਟੋ ਘਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ, ਮੌਲਵੀ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਚੇ ਮਹਿਨੇ ਵਿਚ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਉਨਤੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ communal ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ non-communal ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਆਲ

ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਮੌਲਵੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰੇਜ਼ੋਲਯੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ** (ਰੋਪੜ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ Honours in Sanskrit ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ Senate ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੇਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਨੇ ਔਖੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ English Teachers ਵਿਚ superiority complex ਆ ਗਿਆ । ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪੜ੍ਹਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਅਤੇ Honours in Punjabi ਪੜ੍ਹਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ inferiority complex ਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ Senate ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ precise ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹੋ ਡਰਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ Shakespeare ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਿਆਰਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਲੀਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਜਹ ਨਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ graduate ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ । ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਕ ਨਵੀ distinction ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ । ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ Honours ਨੂੰ University ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇੱਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ Honours ਦਾ ਵੀ ਇਕੋ ਹੀ ਦਰਜਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ Honours ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Honours ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੋਣ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ Honours ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹੋ ਬੀਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ resolution ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਭ ਦੀ Honours ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ voters ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ inferiority ਯਾ superiority complex ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

[ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ]

ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ resolution ਨੂੰ support ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

**Chief Parliamentary Secretary** : Sir, I beg to move—

That the Question be now put.

**Mr. Chairman** : Question is—

That Question be now put.

*The motion was carried.*

शिक्षा मंत्री (श्री जगत नारायण) : प्रधान जी ! मैंने अपने सब भाइयों की तकरीरों को बड़े गौर से सुना । मुझे आज खुशी भी है और हैरानी भी । हैरानी तो इस बात की है कि आज गैर-सरकारी काम का दिन था । Opposition वालों और दूसरे सब मैम्बरों को इस से फ़ायदा उठाना चाहिये था । मगर आप देखते हैं कि सब बेंच खाली हैं । चंद इने गिने मेम्बर साहिबान यहां रह गये हैं । लेकिन खैर यह तो उन की मरज़ी की बात है । मुझे खुशी इस बात की है कि आज यहां एक बड़ा मसला उठाया गया है । संस्कृत बहुत पुरानी ज़बान है । वेद, गीता, उपनिषद्, पुराण सब इस में लिखे हुए हैं । इन की सारी दुनिया इज़्ज़त करती है और मैं भी बहुत इज़्ज़त करता हूं । बस संस्कृत को श्रद्धा के फूल चढाने में मैं उन के साथ हूं । मगर जब यह सवाल पैदा होता है कि संस्कृत की Honours वालों को बी. ए. के बराबर दरजा दिया जाये तो उस के बारे में मुझे यह अर्ज़ करना है कि University की degree अदीब फ़ाज़िल, मुंशी फ़ाज़िल, मौलवी फ़ाज़िल, प्रभाकर, ज्ञानी और संस्कृत की शास्त्री है । अब सवाल यह है कि Senate के लिये वोट का हक सिर्फ B. A. को क्यों दिया गया । अर्ज़ यह है कि B.A. की degree उस भाई या बहन को मिलती है जो अंग्रेज़ी के साथ दो और मज़मूनों में इमतिहान पास करे मसलन History, Economics, Mathematics, फारसी, संस्कृत वगैरा में से कोई दो मज़मून पास करने पड़ते हैं । संस्कृत, हिंदी, पंजाबी वगैरा की Honours वालों को दो और मज़मून पास करने पर ही B.A. की degree मिलती है ।

अब आपने तो यह मसला यहां आज पेश किया है मगर Punjab Government ने तो बहुत पहले University को लिखा था कि शास्त्री को भी वोट का हक दिया जाए । इस के जवाब में University ने लिखा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता और वजह वही दी जो मैं अर्ज़ कर चुका हूं यानी जब इन ज़बानों की Honours वालों को B.A. की degree लेने के लिये दो और मज़मूनों का इमतिहान पास करना पड़ता है तो फिर उन को B.A. के बराबर कैसे माना जा सकता है ।

बहिन सीता देवी जी जो इस वक्त यहां मौजूद नहीं हैं उन्होंने फरमाया है कि यह बात Senate में जानी है । मेरे भाई प्रिंसिपल साहिब और बहिन सीता देवी दोनों Senate के मेम्बर हैं । मगर चि यह मांग पहले यहां से reject हो चुकी है मगर अब शायद

प्रिंसीपल साहिब इसे फिर पेश करेंगे। और असल में यह मसला पहले वहां University में ही thrash होना चाहिये। बहर-हाल हमने सरकार की तरफ से पहले ही University को इस बारे में लिखा था मगर वहां से जवाब आया था कि ऐसा नहीं किया जा सकता। जहां तक Government का ताल्लुक है हम इस पर फिर गौर करेंगे। आज की तकरीरों से जाहिर होता है कि यह सिर्फ संस्कृत का मामला नहीं रहा बल्कि उर्दू फार्सी, अरबी, पंजाबी और हिंदी वगैरा को भी आप इस के साथ शामिल करना चाहते हैं।

यह मसला वाकई बहुत गौरतलब है। सरकार ने पहले भी इसे यूनिवर्सिटी के notice में लाने की कोशिश की थी और जवाब मांगा था। परन्तु उन्होंने इस सुझाव को माना नहीं था अब यह मामला फिर सैनेट में पेश होने वाला है। मैं House को यकीन दिलाता हूं कि सरकार इस स्वाल पर पूरी हमदर्दी से गौर करेगी और सैनेट से सलाह लेगी। मेरे मित्र इस बारे में तसल्ली रखें। इन हालात में मैं अपने मित्र प्रिंसीपल रला राम जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापिस ले लें।

**श्री रला राम:** श्रीमान् जी, शिक्षा मंत्री जी के विश्वास दिलाने पर मैं अपना resolution वापिस लेता हूं।

**Mr. Chairman** (Dewan Jagdish Chandra) : Since the Resolution has been withdrawn, the question of putting Sardar Achhar Singh Chhina's amendment thereto, to the vote of the House does not arise.

**Sardar Achhar Singh Chhina** : Sir, I request that my amendment may please be put to the vote of the House.

**Minister for Public Works** (Sardar Gurbachan Singh Bajwa) : When the Resolution has been withdrawn, how can the amendment of the hon. Member to it be put to the vote of the House. ? The amendment automatically becomes infructuous.

**Sardar Achhar Singh Chhina** : I am requesting Mr. Chairman and not the hon. Minister. Sir, there is no rule which lays down that if the Resolution is withdrawn, amendments thereto automatically fall through. I would, therefore, request you, Mr. Chairman, to exercise your discretion in my favour and put my amendment to the vote of the House.

**Mr. Chairman** : Very well. I will put the amendment of the hon. Member to the vote of the House.

Question is—

That in line 3, between the words " Shastris " and " the right " the words " and Gianis " be inserted.

*After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Chairman said " I think Noes have it ". This opinion was challenged and Division was claimed. Mr Chairman after calling upon those Members who challenged his decision and supported the claim for a Division to rise in their places, declared that the Division was unnecessarily claimed.*

*The motion was declared lost.*

**Minister for Development** : I would request Shri Rala Ram to withdraw his Resolution.

**Mr. Chairman** : He has already withdrawn his Resolution.

**Minister for Development** : Sir, this is the stage when he should withdraw his Resolution.

**Principal Rala Ram** : Sir, in view of the assurance given by the Minister for Education, I withdraw my Resolution.

*The motion was by leave withdrawn.*

**Mr. Chairman** : Now I call upon Shri Ram Kishan to move his Resolution.

---

## RESOLUTION REGARDING APPOINTMENT OF POLICE REORGANISATION COMMITTEE

**Shri Ram Kishan** (Jullundur City, North-West): Sir, I beg to move —

> This Assembly recommends to the Government that it should appoint a Police Reorganisation Committee to examine in regard to the Police the present system of recruitment and training, the methods of investigation and prosecution and to suggest measures in the light of changed circumstances by which crime may be promptly dealt with and the evil doer brought to book.

चेयरमैन साहिब, यह प्रस्ताव जो मैं ने पेश किया है बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। साल 1949 के आखिर में स्वर्गीय सरदार पटेल भारत सरकार के Home Minister ने सारे देश की States के इन्स्पैक्टरज़-जनरल पुलिस की एक कानफ्रेंस इस मतलब के लिये बुलाई थी कि हिंदुस्तान के बदले हुए हालात के मुताबिक स्वतन्त्र भारत में जहां तक पुलिस का ताल्लुक है मुख्तलिफ cases की investigation और prosecution के तमाम तरीके जो अंग्रेजी राज के ज़माने में बरते जाते थे और जिन से पुलिस स्टेट कायम हुई हुई थी आज के हालात के मुताबिक जब हिंदुस्तान को Welfare State बनाने की कोशिश की जा रही है बदल कर एक अच्छा system कायम किया जाये। आज़ाद मुल्कों में पुलिस scientific तरीकों से सारे cases की investigation करती है जिस पर आम लोगों को पूरा पूरा confidence होता है। हम चाहते हैं कि investigation के पुराने तरीके न बरते जायें जिस से लोगों को torture किया जाता था बल्कि आज के ज़माने के तरीके जिस से लोग समझें कि हमारा देश अब बिल्कुल आज़ाद हो चुका है। स्पीकर साहिब, मैं इस प्रस्ताव को चार हिस्सों पर तकसीम करता हूं। पहला हिस्सा पुलिस की recruitment के मुताल्लिक है। इस सिलसिले में पिछले साल पंजाब सरकार ने एक District Administrative Reorganisation Committee कायम की थी ताकि पंजाब के राज्य में

administration के सिलसिले में बदले हुए हालात के मुताबिक मुनासिब तब्दीलियां की जायें। इस बारे में कमेटी ने रिपोर्ट और सिफ़ारिशें कीं जिन पर अमल दरामद हो रहा है। आज का जमाना judicial reforms का जमाना है। आज के जमाने में देश के हर राज्य के हर हिस्से में और हर जगह पर तबदीली हो रही है। हर तरफ reforms हो रही हैं। इस लिये जरूरी है कि जहां तक पुलिस का ताल्लुक है इस में भी reforms होनी चाहियें। इस सिलसिले में, स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द एक पुलिस Reorganisation Committee बनानी चाहिये जिस में अच्छे अच्छे expert non-officials और officials हों जो सारे system of recruitment पर जो कई सालों से चला आ रहा है गौर करें ताकि educated तबके को इस महकमे के लिये attraction हो। पुलिस का महिकमा हमारे पंजाब और हिंदुस्तान की रक्षा करने वाला महिकमा है। पुलिस में बड़ी reforms की जरूरत है ताकि हिंदुस्तान का हर शहरी इस पर फखर कर सके। इस सिलसिले में Constables, Head Constables और Assistant Sub-Inspectors की भर्ती करने में तबदीली की जरूरत है। मौजूदा recruitment के तरीकों को बदलने की जरूरत है। पुलिस हिंदुस्तान की रक्षा के लिये एक जबर्दस्त संस्था है। इस को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहियें। मैं गुजारिश करूंगा कि उन्हें भी उसी तरह से सब सहूलतें दी जाएं जो हिंदुस्तान की defence forces को मिलती हैं ताकि वे भी महसूस करें कि गवर्नमेंट उन के लिये बहुत कुछ कर रही है। मैं इस सिलसिले में ज्यादा तफ़सील में नहीं जाना चाहता और यह कहूंगा कि पंजाब सरकार पुलिस के recruitment के तरीके को बदल दे ताकि educated तबके को इस महकमे के लिये attraction हो।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह training के मुतअल्लिक है। हम देखते हैं कि पुलिस को वही training दी जा रही है जो अंग्रेजी राज के जमाने में दी जाती थी। इस लिये स्पीकर साहिब! मैं मिनिस्टर साहिब से अर्ज करूंगा कि इस training के system को बदल देना चाहिये। कम से कम हर पुलिस अफसर को यह मालूम होना चाहिये कि Social Service कैसे की जा सकती है। उन्हें पंचायत ऐक्ट पढ़ना होगा और अपने day-to-day फ़रायज जानने होंगे ताकि पुराने तरीके को ज्यादा से ज्यादा बदला जा सके ताकि हर पुलिस अफसर यह महसूस करें कि वह पुलिस अफसर के तौर पर काम नहीं कर रहा बल्कि Peace Officer के तौर पर काम करता है। हर आदमी यह महसूस करे कि पुलिस मेरी distress में काम आ सकती है और इस तरह से पुलिस पर पूरा विश्वास कर सके। स्पीकर साहिब, बदले हुए हालात के मुताबिक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस पर लोगों का विश्वास नहीं है। इस लिये मैं अर्ज करूंगा कि Reorganisation Committee बनाई जाये जो पुलिस की training का system बदले और देखे कि क्या क्या course होना चाहिये और उन का पब्लिक के साथ कैसा behaviour होना चाहिये।

[श्री राम किशन]

तीसरी बात methods of investigation and prosecution के मुतग्रल्लिक है। आज का ज़माना democracy का ज़माना है और मैं समझता हूं कि बदले हुए हालात में all-round तबदीली आने की ज़रूरत है। स्पीकर साहिब, मैं ज़्यादा लम्बी तफसील में नहीं जाना चाहता और सिर्फ दो तीन मिसालें आप के सामने रखूंगा जिन की बिना पर methods of investigation में ज़बर्दस्त तबदीली की ज़रूरत है। आप को मालूम होगा कि हमारे Home Minister डाक्टर कैलाश नाथ काटजू ने महसूस किया कि बदले हुए हालात में हमारे Criminal Procedure Code में कई तरह की तबदीलियों की ज़रूरत है। इस सम्बन्ध में लोक सभा में एक बिल पेश है। इस लिये मैं आप की विसातत से पंजाब सरकार की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि methods of investigation को ज़रूर बदला जाये। इस सिलसिले में जगाधरी की मिसाल हमारे सामने है। इस के इलावा अम्बाला छावनी में भगत सिंह की लड़की को अग़वा करके ले जाया गया। ऐसी कई और मिसालें हैं जिन पर ज़्यादा रौशनी डाली जा सकती है लेकिन मैं आप की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि पंजाब सरकार को मालूम है कि अम्बाला छावनी में 16 महीने हो गये हैं कि भगत सिंह की लड़की को अग़वा किया गया और कई पुलिस अफसर इस case की investigation पर लगाये गये हैं। मुझे मालूम हुआ है कि कई तरह की allegations इन पुलिस अफसरों के खिलाफ लगाई जाती हैं। सब-इन्स्पैक्टर को duty पर तईनात किया गया और फिर आखिर ऐसा वक्त आया कि Sub-Inspector investigation के लिये एक शख्स के साथ जाए। उस बेचारे को रिक्शा का खर्च, टांगे का खर्च और तमाम खर्च बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इस सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट के पास शिकायत की गई कि रिश्वत के तौर सारे खर्च का बोझ घर वालों पर पड़ रहा है। आप को मालूम है कि investigation करने वालों ने खाना भी होटल में खाना होता है। यह तमाम बातें चीफ़ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में आईं तो उन्होंने Assistant Sub-Inspector को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल करने के बाद Giani Lakshmi Narain, Superintendent of Police, को investigation पर लगाया गया और मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने इस के मुतग्रल्लिक क्या रिपोर्ट दी है। बहर-हाल Assistant Sub-Inspector को मुअत्तल किया गया और उस के कुछ दिन बाद वाकियात यूं होते हैं कि Assistant Sub-Inspector के इशारे पर पुलिस वाले वहां जाते हैं और एक आदमी को शराब की बोतल दी जाती है। वह बोतल शराब की होटल में रखी जाती है और उस के बाद पुलिस आ जाती है और उस आदमी को शराब के सिलसिले में गिरफ़तार कर लिया जाता है। उसके बाद यह कोशिश की जाती है कि आपस में compromise कर लिया जाये। पुलिस वालों ने उन्हें कहा कि जो बयान चीफ़ मिनिस्टर साहिब को भेजा गया है वह बदल दो तो फिर compromise हो सकता है।

स्पीकर साहिब, मैं पंजाब की सारी पुलिस के बारे में यह नहीं कहना चाहता। पंजाब की पुलिस में honest आदमी भी हैं। परन्तु एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है।

इसी तरह से एक बुरा आदमी सारे सिस्टम को बदनाम कर देता हैं। मैं नहीं कह सकता कि लक्ष्मी नारायण सिंह की रिपोर्ट का क्या बना। मैं नहीं कह सकता कि उस अगवा का क्या नतीजा निकला। यह एक वाकिया है कि पुलिस ने अपना इलज़ाम छुपाने के लिये एक झूठे तरीके से उस आदमी को फंसाने की कोशिश की। इन हालात में सारे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को महसूस हो कि पुलिस उन की सहायता के लिये हैं। पिछले से पिछले साल जब हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब करनाल गये तो एक बुढ़िया रोती हुई उन के पास आई। उस के लड़के को गिरफ्तार किया गया था। फिर पुलिस ने उस को करनाल के नज़दीक एक पेड़ के साथ बांध कर इतना मारा कि वह मर गया। पुलिस ने रिपोर्ट दी कि वह डाकू था और डाकुओं से लड़ता हुआ मारा गया था। उस की मौत की तहकीकात के लिये श्री लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया। उस तहकीकात में लोगों ने बताया कि वह शख्स अंबाले के एक गांव बराडा में था, वहां से पुलिस उसे पकड़ ले गई और फिर करनाल के नज़दीक उसे मारा गया। इन हालात में पंजाब गवर्नमैण्ट के लिये यह जरूरी है कि वह सारे method of investigation को बदले ताकि लोगों को यकीन हो कि investigation ठीक तरह से हो रहा है।

जगाधरी में लड़कियों के अगवा का वाकिया हुआ। उस की investigation के दौरान में बहुत से पुलिस अफसर एक दूसरे के बाद बदले गये। आखिर एक अफसर था जिस पर लोगों ने कहा कि हमें यकीन है। आखिर पहले अफसर क्यों फेल हुए? इन हालात पर सरकार को गौर करना चाहिए और उन अफसरों के खिलाफ action लेना चाहिये।

एक और case इसी तरह का है। हमारे Finance Minister और Deputy Chief Minister को इस बात का इल्म है कि पट्टी में थोड़ा अर्सा हुआ एक कत्ल हुआ। जो कातिल है उस को किसी ने नहीं पूछा और एक Congress worker करतार सिंह के लड़के को महज़ इस लिये गिरफ्तार कर लिया है कि वह उस शख्स के साथ घोड़ी पर जा रहा था जिस ने fire किया और उस से वह आदमी मर गया। वह case अभी किसी अदालत में नहीं गया। इस लिये मैं यह वाकियात हाऊस में बता रहा हूं। वक्त आ गया है कि इस method of investigation को आज के बदले हुए हालात में इन scientific हालात में इस democratic regime में बदला जाए। मैं समझता हूं कि पंजाब की पुलिस ने कुछ अच्छे काम भी किये हैं। परन्तु इस तरह के वाक्यात जो मैं ने बताए हैं पंजाब गवर्नमैण्ट के democratic regime को बदनाम करने वाले हैं। इस सिलसिले में वक्त आ गया है कि investigation के तरीकों को आज के नये हालात के मुताबिक बदला जाये।

इस के बाद मैं आप का ध्यान prosecution के तरीके की तरफ दिलाना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है कि cases दो दो तीन तीन सालों तक चलते जाते हैं और मुलज़िम पुलिस के रहम पर होते हैं। इन हालात में Prosecution Branch को Watch and Ward Branch से अलहदा करना होगा। आज के scientific और बदले हुए हालात में prosecution के तरीके को

[श्री राम किशन]

बदलने की ज़रूरत है । जिस तरह इंगलैंड में सकाटलैंड यार्ड की पुलिस है और हरेक street में और town में उस का एक information room होता है, उसी तरह से यहां भी information rooms होने चाहिएं । Traffic Police का अलहदा cadre होना चाहिये । इसी तरह Prosecution का अलहदा और Watch and Ward का अलहदा cadre होना चाहिये । यह सारी चीजें करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की जाये जो पिछले दो तीन सालों की police administration को study करे और यह देखे कि कितने murder हुए, कितनी dacoities और दूसरे जुर्म हुए । फिर उन cases को study करके रिपोर्ट दे ? कई जगहों पर पुलिस को अपने cases prove करने के लिये सिवाए touts के कोई आदमी नहीं मिलता । हमें पुलिस को इस तरह reorganise करना चाहिये कि लोगों को उस में confidence हो ताकि एक एक मुहल्ले और गांव में एक एक आदमी यह महसूस करे कि मैं Defence Committee का मैम्बर हूं और मेरा यह फर्ज़ है कि जो case किसी जगह हो तो मैं उस की investigation में शामिल हूं । हमें rules में और procedure में इस तरह तबदीली करनी चाहिये कि investigation ठीक तरह से हो ।

स्पीकर साहिब, मैंने जिस ख्यालात का इज़हार किया है उन को सामने रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी । उस कमेटी ने वाकियात की पड़ताल करके एक रिपोर्ट दी जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अमल करना भी शुरु कर दिया है । इसी तरह मद्रास और बम्बई की सरकारों ने भी कमेटियां बनाई हैं और उन की रिपोर्टों पर अमलदरामद भी हो रहा है । जिस तरह से हम ने District Administration की reorganisation के लिये एक कमेटी बनाई है मुझे आशा है कि पंजाब गवर्नमैण्ट पुलिस के लिये भी एक कमेटी नियुक्त करेगी । पुलिस administration का एक ज़बरदस्त अंग है । इस लिये मुझे आशा है कि इस प्रस्ताव को मनज़ूर किया जायेगा । पुलिस की reorganisation के बाद लोग महसूस करेंगे कि जिस तरह administration के बाकी अंगों में तबदीली आई है उसी तरह से पुलिस में भी तबदीली आई है । तकरीबन ६० फी सदी murder cases में इस वक्त मुलज़िम बरी हो जाते हैं । बहुत से cases में गवाह नहीं मिलते । इन सारे वाक्यात पर वह कमेटी गौर करे और फिर रिपोर्ट दे । फिर पंजाब गवर्नमैंण्ट उस रिपोर्ट को अमली जामा पहनाने का यत्न करे ।

इस तरह से न केवल efficiency के लिहाज़ से और cleanliness के लिहाज से पुलिस स्टेशन बेहतर हों बल्कि जो आदमी वहां पुलिस के office में जाये, पुलिस वाले को अपना समझे । वह यह समझे कि उस में और पुलिस में कोई फर्क नहीं । मैं आशा करता हूं कि जिस स्पिरिट से मैंने यह ख्याल प्रकट किये हैं सरकार उसी से उन को जल्दी से जल्दी अमल में लाने का यत्न करेगी ताकि लोग सुख का सांस ले सकें ।

**Mr. Chairman** : Motion moved—

This Assembly recommends to the Government that it should appoint a Police Reorganisation Committee to examine in regard to the Police the present system of recruitment and training, the methods of investigation and prosecution and to suggest measures in the light of changed circumstances by which crime may be promptly dealt with and the evil doer brought to book.

**श्री राम चन्द्र कामरेड** (नूरपुर) : स्पीकर साहिब, मैं कामरेड राम किशन जी को इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करने पर वधाई देता हूं । It stands for a change in the *status quo* and a change is badly needed. इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मौजूदा निज़ाम और इस के ढांचे में तबदीली की जरूरत है । अंग्रेजों नें जो ढांचा अपनी ज़रूरतों को सामने रख कर बनाया था वह हमारे काम नहीं आ सकता । पुलिस की सारी organisation को भरती और ट्रेनिंग के तरीकों को हमें लाज़मी तौर पर बदलना होगा क्योंकि इस महकमे का लोगों से बहुत ज्यादा ताल्लुक पड़ता है । यह महकमा अभी तक उसी तरह चल रहा है जिस तरह अंग्रेज़ों के शासन-काल में चलता था । मैं मानता हूं कि इस महकमा में बहुत से अच्छे अफसर भी हैं और मैं उन की कदर करता हूं मगर पुरानी organisation और पुराने कायदों और system के होते हुए हम उन की लियाकत का पूरा २ फायदा नहीं उठा सकते । कई दफा जब मुख्य मंत्री जी का ध्यान अत्याचार की घटनाओं की ओर दिलाया जाता है तो उन को कहना पड़ता है 'पुलिस हमारी मदद नहीं कर सकती अगर्चे मैं मानता हूं कि अन्याय हुआ है' ।

(*At this stage Mr. Speaker resumed the Chair.*)

अगर हम महसूस करें कि ज़ुल्म हुआ है मगर इन्साफ न दे सकें, तो मैं कहूंगा 'We have no right to exist. We must change our places.'

**Minister for Development** : Sir, I would submit that we are prepared to hear all due criticism but the hon. Member should confine himself to the resolution before the House. He can suggest changes in the methods of recruitment and investigation but he should not indulge in a condemnation of the police.

**Mr. Speaker** : Please don't say anything irrelevant.

**श्री राम चन्द्र कामरेड** : स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूं कि तफ़तीश और तहकीकात के जो पुराने तरीके हैं उन में तबदीली करने की ज़रूरत है, पुलिस को तालीम देने की ज़रूरत है ताकि पुलिस के आदमी अपने आप को खिदमतगार समझें । आजकल हर एक policeman जो सड़क पर खड़ा दिखाई देता है अपने आप को हाकम समझता है क्योंकि उसे पुरानी training मिली है । उसको अगर ऐसी तालीम दी जाए जैसी policemen को England और दूसरे देशों में दी जाती है तो वह जनता का सच्चा सेवक बन सकता है और हालात सुधर सकते हैं । इस वक्त हालत यह है कि शहरों और ग्रामों में कत्ल होते हैं, डाके पड़ते हैं, मगर अपराधियों का पता नहीं लगता । अगर वे पकड़े भी जाते हैं तो शहादतें न मिलने के कारण छूट जाते हैं । अगवा के cases होते हैं, समाचार पत्रों में खबरें निकलती हैं, हमदर्दी का इज़हार भी किया जाता है मगर अपराधी नहीं पकड़े जाते और तफ़तीश नाकाम रहती है ।

[श्री राम चन्द्र कामरेड]

सपीकर साहिब, हमारी हालत तो ऐसी है जैसी जेबुलनिसा ने अपने इस शेअर में बयान की है।

गरचि मन लैला लिबासम, दिल चूं मजनूं दर खुद अस्त।
मन बसेहरा मे जनम लेकिन चहा जंजीर पा अस्त।

इस का मतलब यह है कि अगर्चे में यहां पर लैला की तरह कपड़े पहिन कर बैठी रहती हूं मेरा दिल मजनूं की तरह सैहरा में फिर रहा है। स्पीकर साहिब, हमारे भी पाओं बन्धे हुए हैं। सरकारी बैंचों पर बैठे हैं। ख्यालात के इज़हार पर भी पाबन्दी है मगर फिर भी मैं कहूंगा— Changes are needed and if we don't introduce them, things will go worse. इस वक्त हालत यह है कि लोगों को पुलिस वालों पर विश्वास नहीं; वे यह नहीं समझते कि पुलिस उन की हिफ़ाजत के लिये है, किसी न किसी वजह से लोगों और पुलिस में तालमेल नहीं है, co-operation की spirit से काम नहीं हो रहा।

इस लिये एक कमेटी का मुकर्रर किया जाना बहुत ज़रूरी है जो इन तमाम बातों पर ग़ौर करे और भरती, training और तफ़तीश, तहकीकात और prosecution के तरीकों को बेहतर बनाने के लिये सुझाव के ताकि पोलिस के सारे ढांचे को बदले हुए हालात के मुताबिक बदला जा सके। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर)** : स्पीकर साहिब, इस Resolution पर mover साहिब ने काफी रौशनी डाली है मगर मिनिस्टर साहिब ने एतराज़ किया है कि इस पर बहिस करते हुए पुलिस पर नुक्ताचीनी न की जाए। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि अगर इस Resolution के ज़रिये पुराने system को improve करना मकसूद है तो इस के नकायिस को बताये बिना improvement के लिये सुझाव कैसे दिये जा सकते हैं। इस लिये ज़रूरी है कि मौजूदा system के pros and cons पर यानी दोनों पहिलुओं पर बहिस की जाए। जहां हमें इस की खूबियां बयान करने से संकोच नहीं करना चाहिये वहां इस की त्रुटियों की उपेक्षा करना एक बड़ी भारी गलती होगी। हकूमत का वकार हमेशा इनसाफ पर मबनी होता है।

पुलिस का महकमा पुराने वक्तों से law and order का custodian चला आता है। जिस देश में ही जुल्म और बेइनसाफी होती है, उस का ज़िम्मेदार यही महकमा होता है। यह वह महकमा है जिस में improvement नहीं हुई, degeneration होती चली गई है। अगर में Shakespeare के यह लफ़्ज़ दोहराऊं तो बेजा न होगा।

"Justice has taken to itself wings and flown away."

When there is no Justice, the rulers are bound to degenerate. The department of law, order and justice is of very great importance,

गुरु नानक जी ने भी बिल्कुल यही बात कही है.—

ਕੋਲ ਬਾਤੀ, ਜਮੇ ਬਸਾਈ,
ਪਰਮ ਪੰਥ ਕਰ ਉਠ ਜਿਹਾ

एक कमजोरी को कमजोरी समझ कर दरुस्त करने में कोई हर्ज नहीं होता। हम फिर शान से कह सकेंगे कि यह वह हकूमत है जिस के शासन-काल में पुलिस में वह तबदीली की गई जिस की वजह से वह लोगों पर जुल्म और जबर करने वाली organisation की बजाए एक सच्ची सेवादार संस्था बन गई। इस में जो नकायस इस वक्त हैं उन पर हमें पर्दा नहीं डालना चाहिये। हमें इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये कि इसे masses को दबाने और कुचलने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। कातिल और डाकू तो छोड़ दिये जाते हैं और बेगुनाह लोगों को फंसाया जाता है। मैं ने Chief Minister साहिब के नोटिस में पुलिस की बदउनवानी का एक केस (case) लाया है आदमपुर का Sub-Inspector of Police एक बड़ा बदमाश है.....

**Minister for Development**: May I request you to kindly give your ruling whether all these things that are being said by the hon. Member opposite are relevant ? Will you kindly read the resolution ? It recommends the appointment of a Committee to examine the present system of recruitment and training, the method of investigation and prosecution etc ?

Will you kindly ask the hon. Member to confine his speech to the subject of the Resolution ?

**Professor Mota Singh Anandpuri** : Sir, I am perfectly relevant. The purport of the Resolution moved by my hon. Friend, Shri Ram Kishan, is that a Reorganisation Committee be appointed to suggest improvements in the Police Department—a Department which is corrupt and which has intolerably degenerated. Sir, I am entitled to point out the excesses and atrocities perpetrated by the Police on the masses of this State. I am quoting these individual cases so that the House may know how the Police Department is functioning ; how its officers misuse the powers conferred on them and how the people are maltreated and manhandled by the Police.

**अध्यक्ष महोदय**: आप ने इस रेज़ोल्यूशन को पढ़ा है। यह जैनरल नहीं है। इस लिये आप इस पर जैनरल बहस न करें। वैसे तो आप काफी दाना हैं फिर भी मैं आप से अर्ज़ करूंगा कि आप रैलेवंट (relevant) होने की कोशिश करें।

**प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी** : स्पीकर साहिब, मैं रेलेवेंसी (Relevancy) को छोड़ने वाला नहीं हूं।

**विकास मंत्री**: कमी लाने वाले भी नहीं हैं।

**प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी** : स्पीकर साहिब, इस रैज़ोल्यूशन में से यह चार प्वाईंटस (points) निकलते हैं। पहला recruitment, दूसरा इनवैस्टीगेशन (investigation), तीसरा है प्रासीक्यूशन (prosecution), और चौथा

[प्रोफसर मोया सिंह]

है पुलिस के अफसरों और दूसरे आदमियों की ट्रेनिंग का मसला । अर्थात् उन को ट्रेनिंग दी जाये कि वे इनसाफ करें, एक पार्टी से रिश्वत ले कर दूसरी पार्टी पर ज़ुल्म न करें। उनको पब्लिक के साथ कैसा treatment करना चाहिये यही मेरा speech करने का objective है । इसी objective को स्पष्ट करने के लिये मैं specific instances जो मेरे knowledge में हैं वे मैं आप के सामने quote कर रहा हूं । वे बातें मैं आप के द्वारा हाऊस तक और हाऊस के द्वारा पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूं। पुलिस का डिपार्टमैंट सब से ज्यादा wretched condition में है और degenerate हो चुका है । इस महकमे को ऊंचा उठाने के लिये यह ज़रूरी है कि कुछ आदमियों की एक खास कमेटी बनाई जाए । तभी इस resolution का मनशा पूरा हो सकता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइये । आप irrelevancy के इलावा repetition भी कर रहे हैं । जो बातें पहले कही गई हैं वे आप दुहरा नहीं सकते ।

**प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी** : मैं यह बात कह कर खत्म करता हूं कि हुकूमत की इज्ज़त को कायम रखने के लिये और अदलो इनसाफ को कायम रखने के लिये कमेटी का मुकर्रर किया जाना ज़रूरी है । इस के साथ ही मैं इस Resolution के mover से यह अर्ज़ करूंगा कि वे पहले Resolution के mover की तरह इसे वापस न ले लेवें ।

**ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ** (ਤਰਨ ਤਾਰਨ] : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਵਜਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੱਪਸ਼ਨ (Corruption) ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਉਪਰ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,— ਇਸ ਲਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਠੀਕ ਗਵਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਇਬਤਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੱਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ

ਝੂਠੀਆਂ ਇਕਤਰਫਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉਪਰ ਲਟਕਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁਦੱਾ ਛਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਹਨ, ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Law and Order ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੋਇਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਡਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ welcome ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਡਾਕੂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਲੋਕ ਵਡੇ ਵਡੇ ਤੁੱਰੇ ਛਡਕੇ ਦਿਲਾ ਖੋਂਦੇ ਖਤਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਅਛੇ ਆਦਮੀ ਭਰਤੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ system ਬਦਲੀਏ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

**श्री मूल चन्द जैन** (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, यह resolution जो House के सामने पेश किया गया है एक खास अहमीयत रखता है। लेकिन इस की support में जो speeches की गई हैं, मैं समझता हूं कि उन में पुलिस के महकमा को खाह-मखाह ज़रूरत से ज्यादा बदनाम किया गया है। अगर हम अपने ज़ाबता फ़ौजदारी और Criminal Law के जो दूसरे कानून हैं उन का मुतालया करें तो हम देखेंगे कि पुलिस बहुत हद तक मजबूर होती है । इस के साथ ही अगर हम दुनिया के दूसरे देशों के इसी किसम के कानूनों का अपने मुल्क के कानून से मुकाबिला करें तो भी हम यही पायेंगे कि हमारी पुलिस कई हालात में बहुत disadvantage में है। इस सिलसिला में मैं सिर्फ़ एक दो मिसालें देना चाहता हूं। आप अपने मुल्क में रायज 'सिट्टे' और 'जूए" की रोकथाम के कानून को ही देखें। यह कानून इतना नाकस है कि जिस से खाह-म-खाह मुफ़्त में पुलिस को बदनाम किया जाता है। मुल्क के हर हिस्सा में "सिट्टा" चलता है। लेकिन अगर आप कानून को देखें तो पता चलता है कि यह offence cognizable नहीं। फ़ौरन ज़मानत हो जाती है। दो चार या पांच रुपये जुर्माना हो जाता है और बस। पुलिस को इस में दखल देने का कोई हक नहीं। और इस तरह जब कानूनी तौर पर पुलिस कोई खास action नहीं ले सकती तो इसे बदनाम किया जाता है।

इसी तरह हमारा Indian Evidence Act है। उस में लिखा है—" confession before the police is inadmissible " पुलिस के सामने जुर्म कबूल नहीं

[श्री मूल चंद जैन]

हो सकता। जहां तक मुझे पता है दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं। एक मामूली से मामूली official के सामने इकबाले जुर्म हो सकता है। लेकिन यहां हमारे देश में क्या हालत है? यहां पर तो Inspector-General Police के सामने भी इकबाले जुर्म नहीं हो सकता।

जिस माननीय दोस्त ने इस resolution को पेश किया है उन्होंने पुलिस पर कई किस्म के charges लगाए हैं। इस के इलावा उन्होंने यह भी फरमाया कि अगर उन का यह resolution मान लिया गया तो पुलिस के set-up में बहुत सुधार हो जायेगा। इस सिलसिला में मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वह आएं और किसी एक थाने या ज़िले के इन्तज़ाम को सम्भाल लें। और दिखाएं कि हालात को किस हद तक बेहतर बनाने में कामयाब हुए हैं। मैं मानता हूं कि उस लगन को सामने रखते हुए जिस से कि वह इस काम को करेंगे 10 प्रतिशत तक improvement हो सकती है लेकिन जैसा कि उन का ख्याल है कि सारे का सारा नकशा ही पलट जायेगा यह बात मुमकिन नहीं।

स्पीकर साहिब, यह कहा गया है कि पुलिस के काम और इन्तज़ाम में बहुत भारी degeneration हो गई है। मैं इस ख्याल से इत्तफ़ाक नहीं करता। दर असल अगर देखा जाए तो हमारे सूबे में जितनी services हैं उन में से अगर किसी ने पिछले कुछेक सालों में कोई improvement की है तो उन में हमें police services ही ऐसी मिलेंगी जो इस कसौटी पर कसी जा सकती हों। यह ठीक है कि कमियां हैं, खामियां हैं और सुधार का काफी scope अभी है लेकिन जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, आज़ादी मिलने के बाद अगर हमारे सूबे में किसी service ने improvement की है तो वह पुलिस ही है। कई लिहाज़ से improvement की है इस महकमे ने। हां! मैं मानता हूं कि अभी काफ़ी कसर बाकी है। यह ठीक है कि उन के काम में और ज्यादा सुधार लाया जा सकता। पुलिस को और ज्यादा efficient and honest बनाया जा सकता है। लेकिन बजाए उस के काम को appreciate करने के, बजाए उस की प्रशंसा करने के अगर यह कहा जाये कि पुलिस degenerate हो गई है, उस के साथ बे-इनसाफ़ी करना है। मैं हरगिज़ यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

मैं भी एक lawyer हूं। मैं यह कह सकता हूं कि पुलिस कानून में कमियां होने की वजह से कई बार झूठी गवाहियां भी पेश कर देती है। लेकिन कई बार हालात ही ऐसे होते हैं कि उन्हें मजबूर हो कर इस तरह की गवाहियां और शहादतें पेश करनी पड़ती हैं। लेकिन यह कहना कि 80 और 90 प्रतिशत मुकद्दमे झूठे बनते हैं, बिल्कुल ग़लत है—gross misrepresentation of facts है। हकीकत यह है कि 89 प्रतिशत मुकद्दमें बिल्कुल सच्चे होते हैं और बाकियों में उन्हें ज़रूरत पड़ने पर कई बार शहादतें बनानी पड़ती हैं। आखिर पुलिस भी क्या करे? कई किस्म की तो हमारे हां वारदातें होती रहती हैं। किसी ने आकर यह रिपोर्ट की कि मेरा बटुवा चुरा लिया गया है तो कोई आकर यह शिकायत करता है कि मेरा साईकल चोरी हो गया है। इन सारी बातों को पुलिस को देखना पड़ता है और जिस आदमी को सजा मिले वह फिर पुलिस को बदनाम करना शुरू कर देता है।

जहां तक, स्पीकर साहिब, इस resolution की हिमायत करने का सवाल है मैं समझता हूं कि यह अभी बिल्कुल premature है। यह सवाल सिर्फ़ हमारे अकेले सूबे का नहीं, all-India question है । इसके इलावा अभी लोक सभा में भी जाबते के कानून को amend किया जा रहा है । यह सवाल वहां अभी ज़ेरे ग़ौर है । अभी तो पता नहीं कि क्या तरमीम होती है और क्या नहीं । हां, अगर लोक सभा किसी amending Bill को पास कर दे और फिर उस के बाद भी अगर कोई ज़रूरत समझी जाए तो उस हालत में किसी Reorganisation Committee को appoint करने में कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर इस वक्त Reorganisation कमेटी बैठा दी जाए और वह कुछ फैसला दे दे और उधर पार्लीमैण्ट (Parliament) में जाबता फौजदारी में कुछ और ही तरमीमें हो जायें तो इस तरह, मैं समझता हूं, कि position कुछ embarrassing सी हो जाएगी । इस लिये जहां मैं इस resolution की spirit से agree करता हूं वहां मजबूर हूं यह कहने के लिये कि अभी इस reorganisation कमेटी को बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हां जब जाबता फ़ौजदारी में कोई तरमीम हो गई तो इस सवाल पर फिर दोबारा ग़ौर किया जा सकता है ।

दर असल, स्पीकर साहिब, एक और बिना पर भी मैं इस चीज़ को पसन्द नहीं करता । इस resolution के ज़रिए पुलिस को single out किया गया है । दर-असल देखा जाए, तो सारी की सारी administration की ख़ामियां हमारे सामने आती हैं । इन में से सब से बड़ी कमी यह है कि administration के अफ़सर लोगों की जहनीयत pro-rich है। जब जब भी किसी जगह पर किसी दो तबकों में—अमीर और गरीब, ज़िमींदार और किसान, मालिक और ग़ैर-मालिकों में—कोई conflict होता है तो administration का कोई भी हिस्सा हो—पुलिस हो या महकमा नहर; पब्लिक वर्कस हो या कोई और 70 या 80 प्रतिशत cases में हाकिम और दूसरे officials अमीर और मालदार असामियों की ही support करेंगे। वे मुकाबलतन एक अमीर आदमी की तरफ होते हैं और गरीब की कोई प्रवाह नहीं करता । इस लिये मैं समझता हूं कि इस resolution के ज़रिए पुलिस को single out किया गया है, जो, दर असल ऐसे नहीं किया जाना चाहिये ।

अब, स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर पुलिस में हम और सुधार करना चाहते हैं तो इस के लिए कुछ तजावीज़ हैं जो मैं आप के सामने रखना चाहता हूं ।

मैं यह महसूस करता हूं कि हरेक थाने में एक जीप होनी चाहिये । आज अगर हम पुलिस की inefficiency के मुताल्लिक कोई शिकायत सुनते हैं तो उन का सब से बड़ा कारण यह है कि उन के पास transport का ख़ातिर-ख़ाह इन्तज़ाम नहीं होता। एक रिर्पोट पुलिस के किसी थाने पर आठ या दस मील के फासले से आती है । थानेदार घोड़े पर सवार होकर उस की तहकीकात करने के लिये जाता है । जब दूसरी तरफ से कोई रिपोर्ट आती है तो वाकई यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक आदमी एक ही वक्त पर दो मौकों

[श्री मूल चन्द जैन]

का मुतालिया करे? इस लिये, speedy action के लिये यह जरूरी है कि means of transport आसान होने चाहिएं। अगर transport speedy होगी तो पुलिस का काम भी बड़ा efficiently होगा। अभी तक तो वही पुराना तरीका चल रहा है कि पुलिस वालों को 80 या 90 रुपया घोड़ा अलाउंस दिया जाता है। इस लिए मैं समझता हूं कि अगर घोड़े की बजाए हरेक थाने में एक एक जीप का इन्तज़ाम किया जाये तो Police की efficiency बहुत हद तक बढ़ जायेगी।

दूसरी तजवीज मेरी methods of investigation के मुताल्लिक है। हिंदुस्तान में तफ़्तीश का तरीका भी वही पुराने जमाने वाला चला आ रहा है। यह बिल्कुल scientific नहीं। Touch और photography का system हमें अपनाना चाहिए। बेशक उस के लिये ज्यादा खर्च की जरूरत होती है लेकिन यह भी administration का एक अहम हिस्सा है। इसलिये मैं सिफ़ारिश करता हूं कि इस मकसद के लिये बजट में काफ़ी provision किया जाए। अगर ये तजवीजें मान ली गईं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी पुलिस में बहुत improvement होगी।

**श्री बनारसी दास गुप्ता** (थानेसर): स्पीकर साहिब, अगर यह resolution आज से दो तीन साल पहले आया होता तो मैं शायद इस की पूरे तौर से support करता। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के बदले हुए हालात में पुलिस ने अपने आप को accommodate करने की पूरी कोशिश की है। मुझे यह कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं कि आज पुलिस में वह corruption नहीं है जिस के मुताल्लिक हम पहले कभी शिकायत किया करते थे। आज investigation के हर केस में पुलिस दिन-ब-दिन ज्यादा लगन से कोशिश कर रही है। स्पीकर साहिब, आप को पता ही होगा कि आज से तीन साल पहले पुलिस को efficient बनाने के लिये एक Police Training Academy खोली गई। वहां से जो लड़के निकलेंगे वे आने वाली पुलिस के अफसर और सिपाही बनेंगे। वहां उन के character का पूरा ख्याल रखा जाता है और उन को ऐसी training दी जा रही है जिस से हिंदुस्तान की और पंजाब की Police efficient बनेगी। उस पर हमारी पंजाब सरकार हज़ारों रुपये सिर्फ इस लिये खर्च कर रही है ताकि आज पुलिस के खिलाफ़ जो इलज़ाम लगाए जाते हैं वे दूर हो जाएं और जो पुलिस के कर्मचारी वे अपने आप को सुधार सकें। पहले हमारी पुलिस में अनपढ़ लोग थे। मैंने देखा है कि सब इन्सपेक्टर तक अनपढ़ या मामूली पढ़े लिखे होते थे। और इस पुलिस के अन्दर ..........

**अध्यक्ष महोदय:** आप Police पर न बोलिये resolution पर बोलिये।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** माननीय स्पीकर साहिब, मैंने resolution को पढ़ा है और उसे पढ़ कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो बातें मैंने कही हैं वह resolution की spirit के मुताबिक हैं । स्पीकर साहिब, मैं समझता हूं कि आज इस बात की जरूरत नहीं है कि कोई reorganisation की जाए क्योंकि आप ने देखा है कि पिछले तीन साल से पंजाब के अन्दर अमन होता गया है और इस की वजह यह है कि पुलिस के रवैया में काफी फर्क आ गया है । आज मैं महसूस करता हूं कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिन के इस्तेमाल से पुलिस काफी improve कर सकती है । मैं उन की तफसील बता सकता हूं पर वक्त थोड़ा होने की वजह से बताना नहीं चाहता । आज पंजाब के अन्दर और मेरे जिला में खास तौर पर डाके पड़ने बन्द हो गए हैं । बहुत सारे डाकू या तो पकड़े गए हैं या मार दिये गये हैं और बाकी State छोड़ गये हैं । इस अरसा में Law and Order में काफी तबदीली आई है । अब मैं पुलिस के बारे में कह सकता हूं कि average तौर पर इस में काम करने वाले आदमी बड़े ईमानदार हैं । हमारे हां जो पुलिस की चौकियां बैठी हुई हैं मैं देखता हूं कि उन में वह पहले वाली आदतें नहीं रहीं । वे पहले जिस तरह से गांव में लोगों से bedding वगैरा मांग लेते थे या रोटी वगैरा का बोझ देहाती लोगों पर डालते थे वह बात अब नहीं रही । मैं यह समझता हूं कि अगर हमारे सारे एम. ऐल. एज़. पुलिस के काम में interest लें तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो सकती । जो कमियां अभी इस के काम में बाकी हैं उन की वजह साफ है और वह यह है कि हमारे जो फौजदारी के कानून हैं उन में कुछ नुक्स हैं । वे जब ठीक हो जायेंगे—उन को Central Government ही दूर कर सकती है और उन्हें ठीक करने के लिये वह कदम उठा रही है—तो यह बाकी खामियां भी अपने आप ही दूर हो जायेंगी । इस लिये मैं महसूस करता हू कि आज किसी किस्म की reorganisation करने के लिये कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है । इस लिये मैं इस resolution की मुखालफत करता हूं ।

**ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) :** ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਕੁਲ ਨਵੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਸਭਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ । ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ recruitment ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਾਈ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ Inspectors-General of Police ਦੀ ਇਕ conference ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ conference ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਆਉਣਗੀਆਂ । ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਾਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ States Inspectors-General of Police ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰਿਪੋਟ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚੇਗੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਸੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਸਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜੰਤਾ ਦਾ ਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਢਾਲਨਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ third degree methods ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇ । ਅਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਦੱਦ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਵੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੁਟ ਕੇ ਝੂਠੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਨਾਂ ਚਲਾਵੇ । ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ efficient ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜਿਸਦਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਣਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਲੇਕਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ services ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ । ਇਹ ਚੀਜ਼ recruitment ਕਰਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤੱਰ ਪਰਦੇਸ਼, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਹਿਰ ਪੁਲਿਸ Scotland Yard ਦੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ

ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਥੋਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਸ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ, ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਚ ਮੁਚ ਉਸ ਵਿਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ murder ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗਲਾਂ ਹਨ । ਮਗਰ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ । Inspectors-General Police ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ training ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ Scotland Yard ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ । ਲੰਡਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ polite ਹੈ । ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਵਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀ ਘੁਮਦੀ । ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੇਜਾ ਰੋਅਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਕ ਖਾਸ ਰਾਜ ਬਨਤਰ ਅਪਨਾਈ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ method of recruitment, training ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । Scotland Yard ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਢੂੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ trace ਹੁੰਦੇ । ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ । ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ । ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਮੁਕਦਮਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਾਹਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਫ਼ਲਾਂ ਫ਼ਲਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਥਾਂ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ । ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ due credit ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । (खान अब्दुल गफार खां—करनाल की

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) । ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੀ ਸੇਵਾ ਸਮਤੀ ਵਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋ ਜਾਣ । ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ trace ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ murder trace ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਮਗਰ ਜੋ crime ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚਲ ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਲਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ credit ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ training ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਚੋ ਸਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਭੀ ਝੂਠ ਨ ਬੋਲੇ । ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ morals ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ । ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਨਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਚੋ ਸਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ । ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚੇਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭੀ । ਜਿਸ ਉਚੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ resolution ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਮੇਟੀ methods of recruitment, training ਅਤੇ prosecution ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਭੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਚੋ ਸਚ ਕਹਿਣ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ resolution ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣ ।

*The Assembly then adjourned till 3 p. m. on Friday, the 21st May, 1954.*

911 PSLA—283—14-2-56—CP and S., Pb., Chandigarh

# Punjab Legislative Assembly Debates

*21st May, 1954*

VOL. II—No. 5

## OFFICIAL REPORT




CONTENTS

*Friday, 21st May,* 1954



CHANDIGARH :

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1955

## PUNJAB LEGISLTIVE ASSEMBLY

**Friday, 21st May, 1954**

*The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 3 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

---

### QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

**Chief Parliamentary Secretary** (Shri Prabodh Chandra) : Sir, I request that the Question Hour be dispensed with in order to make more time available to the hon. Members for the discussion of items entered in to-day's List of Business.

**Mr. Speaker :** If that is the wish of the House, I have no objection. The Question Hour is dispensed with to-day.

### ADJOURNMENT MOTIONS

**Mr. Speaker :** The first adjournment motion of Pandit Shri Ram Sharma is about the scheme of nationalisation of Road Transport by the State Government. This matter is neither urgent nor of recent occurrence. I, therefore, rule this adjournment motion out of order.

**अध्यक्ष महोदय :** सरदार गोपाल सिंह खालसा, Leader of the Opposition ने एक adjournment motion का notice दिया है। वह सरकार के शिरोमणी गुरद्वारा प्रबन्धक कमेटी के elections को मुलतवी करने के फैसले के बारे में है। इस सम्बन्ध में चीफ़ मिनिस्टर साहिब अगर कुछ कहना चाहें तो वह कह सकते हैं।

**मुख्य मंत्री** (श्री भीम सैन सच्चर) **:** स्पीकर साहिब ! मैं आप का मशकूर हूं कि आप ने मुझे शिरोमणी गुरद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अगले चुनाव के बारे में position वाज़ेह करने का मौका दिया है। आप को याद होगा कि एक short notice question के जवाब में हाऊस में यह बताया गया था कि मेरे पास एक representation आई जिस का मकसद यह था कि चूंकि जुलाई में फसलें बोने का मौसम होता है इस लिये elections postpone कर दिये जायें। मैंने सरकार की तरफ से यह वायदा किया था कि वह इस दरखास्त पर हमदर्दी से ग़ौर करेगी।

उस के बाद सरदार गोपाल सिंह खालसा, Leader of the Opposition मुझे मिले। उन्होंने कहा कि elections बहुत देर तक मुलतवी नहीं किये जाने चाहियें। उन का यह ख्याल था कि कोई न कोई खास वक्त मुकर्रर होना चाहिये और अगर यह जुलाई का महीना ठीक नहीं है तो इन elections को सर्दियों में बहुत दूर तक न मुलतवी करें।

[मुख्य मंत्री]
मैंने उन्हें कहा कि आप का ख्याल है कि यह दिसम्बर से आगे न चली जाएं। इस लिये इन elections की dates नवम्बर के आखरी हफ्ते में रखी जाएंगी। इस चीज को मैं फिर दोहरा देता हूं कि इन elections की dates हम नवम्बर से आगे नहीं ले जायेंगे। इन हालात में मैं समझता हूं कि adjournment motion का सवाल ही पैदा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय: जो चीफ मिनिस्टर साहिब ने जवाब दिया है वह काफ़ी तसल्ली बख्श है। इस मामले पर एक सवाल के जवाब में भी काफ़ी रौशनी डाली जा चुकी है। इसके इलावा यह सवाल 19 तारीख को आया था। उस के बाद एक दिन और भी गुजर गया है। इस लिये यह मामला immediate occurrence का नहीं। इस बिना पर मैं यह adjournment motion out of order करार देता हूं।

यह adjournment motions का तरीका मेरे लिये काफ़ी मुश्किल सा बन गया है। बारह बारह adjournment motions के notices आ जाते हैं। इस लिये मैं यह procedure इख्तियार करना चाहता हूं कि जिन motions को मैं देख कर out of order कहूंगा उन के बारे में members को private तौर पर बता दिया जाएगा कि वह किस वजह से out of order करार दी गई हैं।

पंडित श्री राम शर्मा: On a point of order, Sir, दो रोज़ हुए Chair की तरफ से एक ruling दी गई थी और यह ruling लेने में चीफ़ मिनिस्टर साहिब का भी हाथ था। वह यह थी कि जो भी adjournment motions आती हैं वह आप हाऊस में पढ़ कर सुनाएंगे और फिर उन के बारे में आप अपना फैसला देंगे। उस ruling को अब वापस लिया जा रहा है। इस की क्या वजूहात हैं? यह ठीक है कि इन दिनों जो adjournment motions आई हैं उन की तादाद बहुत ज्यादा है। मगर पिछले दो तीन दिनों में जो 15 या 20 adjournment motions के नोटिस आये हैं उन में से एक भी adjournment motion admit किये जाने और हाऊस की आज्ञा के लिये पेश किये जाने के काबिल नहीं समझी गई। इन हालात में यह कोई तअज्जुब की बात नहीं अगर उन की गिनती बढ़ गई है।

**अध्यक्ष महोदय:** इस वक्त मैं हरेक adjournment motion को नहीं पढ़ूंगा। मैं उन का gist बताऊंगा और brief reasons देकर फ़ैसला दूंगा कि उन को क्यों rule out किया गया है। इन पर कोई comments नहीं होंगे, कोई point of order नहीं होगा। आयन्दा के लिये जब पांच से ज्यादा adjournment motions के नोटिस आएंगे और जिन को मैं समझूंगा कि इन को हाऊस के सामने पेश करने से हाऊस का वक्त ज़ाया होगा तो मैं उन के बारे में सम्बन्धित मैम्बर को private तौर पर बता दिया करूंगा कि वह किस आधार पर reject की गई हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : अगर किसी मैम्बर को यह यकीन हो जाए कि उस की adjournment motion बिला वजह reject की गई है, तो उस सम्बन्ध में वह क्या कर सकता है ?

(Members : Order, Order.)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में procedure को बदल देना चाहता हूं। इस लिये मैं ने हाऊस को यह इत्तलाह दे दी है।

(एक सदस्य : यह तो श्रीमान् जी आखरी दिन है।)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अहम दिन है। इस लिये हाऊस का वक्त बचाने के लिये adjournment motions के बारे में procedure को बदलना बहुत ज़रूरी है।

Adjournment motion No. 2 is out of order since the matter is not of urgent nature.

Adjournment motion No. 3 पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से एक आदमी के खिलाफ strictures पास करने के बारे में है। यह एक पुराना case है और इस की public importance कोई नहीं है। इस लिये यह motion भी out of order है।

Adjournment motion No. 4 रैड क्रास के बारे में है। इस का गवर्नमैण्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस लिये यह motion भी out of order है।

Adjournment motion No. 5 एक individual के बारे में है और यह मामला अहम नहीं है। इस लिये यह motion भी out of order है।

---

*1. **Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A.,** to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the bungling of the Government in the policy and the scheme of the nationalisation of Road Transport in the State; which is to land the Government in unneccessary litigation, as threatened by Transport operators.

2. **Sardar Gopal Singh Khalsa, M.L.A.,** to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the postponement of long overdue Gurdwara elections by the Punjab Government against the solemn assurances given by the Government in this regard.

3. **Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A.,** to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the failure of the Government to take necessary action on the strictures of the High Court Punjab, passed against a high official of the Government on the writ No. 75 of 1952, on the false pretext of making an appeal to the Supreme Court against the judgment of the High Court.

[Mr. Speaker]

Adjournment motion No. 6 : इस की कोई importance नहीं है और न ही यह वाक्या हाल ही में हुआ है। इसलिये यह motion भी out of order है।

Adjournment motion No. 7: यह कोई urgent public importance की बात नहीं है। इसलिये यह motion out of order है।

---

4. **Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A.,** to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the lottery (lucky draw) arranged by the Deputy Commissioner, Hoshiarpur for Red Cross Society Hospital in which more than 25 thousand rupees were earned out of which Rs 3,300 were given out as prizes, thereby encouraging a sort of gambling with official influence.

5. **Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A.,** to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the intention of the Education Department in shielding a corrupt official of the Government High and Normal Girls School, Karnal against whom magisterial enquiry was going on, but the department got it stopped on the pretext of undertaking departmental enquiry, which is being over delayed with a view to hush up the matter.

6. **Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A.,** to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the intentional failure of the Irrigation Department to settle the just claims of contractor Om Parkash about allotment and subsequent cancellation of kiln work on Bhakra Main Line, Tohana which is pending since 1952.

7. **Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A.,** to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the failure of the Electricity Department in settling the claims of contractor Ajudhya Nath of Ferozepore, against the department, which is pending since 1949, and about which the Minister concerned had assured in reply to question No. 91, in the Punjab Legislative Council, that it would be done without delay.

8. **Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A.,** to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the most unnecessary condition of absorbing in service the retrenched officials of at least four years continuous standing in the Civil Supplies Department after a test for clerical job through the Subordinate Services Selection Board, as evinced by circular letters sent by District Food Supply Officers.

9. **Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A.,** to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the failure of the Government in making allotment of houses at Chandigarh to several small employees particularly of the Government Press Department whose miserable plight is simply intolerable.

Adjournment motion No. 8: इस की कोई public importance नहीं है। इस लिये यह motion out of order है।

Adjournment motion No. 9: It relates to an individual's case. It has no public importance. Therefore, this motion is out of order.

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**Chief Minister** (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to lay on the Table of the House the notification issued under sub-section (1) of Section 17 of the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1953 as required by sub-section (2) of Section 17 of the said Act.

## EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF THE RULE "SITTINGS OF THE ASSEMBLY"

**Chief Minister** (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of business set out for to-day be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly".

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the proceedings on the items of business set out for to-day be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly".

**श्री सिरी चन्द** (बहादुर गढ़) : साहिबे सदर, यहां पर जो कोई भी चीज़ होती है अजीब होती है। कायदा यह है कि अगर कोई ऐसे खास हालात हों कि कोई बिल उसी दिन पास करने ज़रूरी हों, तो ऐसी motion लाई जाती है ताकि जब तक वे पास न हों जाएं सभा स्थगित न हो। जहां तक British Parliament का ताल्लुक है, May's Parliamentary Practice के पढ़ने से मालूम होता है कि वहां कोई एक हजार साल के अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा 8 sittings ऐसी हुई हैं जिन के सम्बन्ध में ऐसी motion पेश की गई और वे भी ऐसे हालात में जबकि अंग्रेज़ों की किसी दूसरी कौम के साथ बड़ी सख्त लड़ाई हो रही थी और इस लिये किसी legislation का फौरन पास किया जाना निहायत ज़रूरी था। आज पंजाब विधान सभा के सामने या पंजाब में कोई ऐसे हालात नहीं हैं कि इस motion को लाया जाये और यह sitting जब तक के एजंडा पर रखा गया काम खत्म न हो लगातार चलती चले। न तो agenda पर रखा हुआ कोई बिल इतना ज़रूरी है कि अगर वह आज ही पास न किया गया तो सूबे पर आफ़त आ जायेगी और न ही इस बात का कोई सबूत मौजूद है कि opposition dilatory tactics का इस्तेमाल करती रही है या आगे करना चाहती है। ऐसी motions किसी खास हालात में पेश की जानी चाहियें। अगर यह एक normal feature बन जाये तो असेम्बली एक farce बन कर रह जायेगी।

[श्री श्री चन्द]

यहां पर हमेशा British Parliament का procedure follow करने की कोशिश की जाती है । वहां पर अभी तक कुल 8 sittings को non-stop करने के लिए ऐसी motions लाई जा चुकी हैं । यहां पर आम तौर पर देखा गया है कि हर सैशन में ऐसी motion लाई जाती है । न Opposition की ओर से कोई ऐसी कार्यवाही की जा रही है जिस से जाहिर हो कि वह जान बूझ कर delay करना चाहती हो और न ही कोई ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि मेंबर साहिबान सोमवार तक या उस के बाद यहां ठहर कर काम नहीं कर सकते । यह ठीक है कि गवर्नमेंट पार्टी काफी अकसरीयत में है और वह अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे कर सकती है लेकिन अगर हकूमत अपनी majority के बल बोते पर ग़ैर-मुनासिब कार्रवाईयां करने लग पड़ी तो असैम्बली महज़ एक मज़ाक बन कर रह जायेगी ।

**पंडित श्री राम शर्मा** (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, Parliaments और Assemblies के क़वायद में आम rules के इलावा कुछ ऐसे इख्तियारात भी रख लिये जाते हैं जिन का इस्तेमाल बहुत ही नाज़ुक और अहम मौकों पर किया जाता है । हमारी असैम्बली में यह एक रिवाज सा बन गया है बल्कि यह रिवाज ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि जो procedure emergency या खास हालात में adopt किया जाना चाहिये वह आम हालात में भी लागू किया जा रहा है । जैसे मेरे काबिल दोस्त चौधरी सिरी चन्द ने कहा है British Parliament में जहां के तरीकों और रिवाजों के मुताबिक हमारी असैम्बली काम करती है कोई हज़ार साल के अरसे में जिस में हर तरह का ज़माना गुज़रा कुल आठ मौके ऐसे आये कि उन्हें sittings को non-stop जारी रखना पड़ा । हमारी अपनी असैम्बली में partition से बहुत पहले अंग्रेज़ों के वक्त और उस के बाद भी, सिवाए खास हालात के आम तौर पर कभी ऐसी तहरीक पेश नहीं की गई ।

आज इस तहरीक के पेश करने का मतलब यह है कि जब तक यह items जो agenda पर रखी गई हैं dispose of नहीं हो जातीं, यह इजलास जारी रहे, चाहे यह काम खत्म करने में आठ बज जायें, नौ बज जायें दस बज जायें या कल का दिन भी गुज़र जाये । मैं पूछता हूं कि क्या देश या प्रान्त में कोई आफत आ रही है, कोई मुसीबत नाज़ल हो गई है कि list पर रखे गये सारे काम को खत्म किये बिना सभा उठ ही नहीं सकती ? क्या सरकार आज कोई ऐसा बिल पास करवाना चाहती है जो अगर चन्द घंटों में पास न किया गया तो लोगों पर बड़ी भारी मुसीबत आ जाएगी ? एक बिल तो ऐसा है जो Select Committee के सुपुर्द किया जाना है, दूसरे में कुछ verbal charge की जानी है, क्योंकि उसमें council ने कोई तबदीली कर दी है । बाकी रह गये दो बिल । हमारे rules के मुताबिक किसी बिल के agenda में शामिल किये जाने से पहले मेम्बरों को पांच clear days का नोटिस दिया जाना चाहियें । यह दो बिल जिन को पास करना मकसूद है 18 मई के गज़ट में छपे थे । "The above bill was published........"

**अध्यक्ष महोदय**: जब वह बिल सभा के सामने आयेगा, तो उस वक्त यह बहस कीजिएगा।

**श्री राम शर्मा** : स्पीकर साहिब, मैं यह वाज़ेह करना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है। कोई स्पेसीफिक (specific) चीज़ नहीं है। गवर्नमैण्ट के ऊपर कोई मुसीबत आनेवाली नहीं है और सटेट (state) के ऊपर कोई आफत टूटने वाली नहीं है। खुद गवर्नमैण्ट का यह हाल है कि यह बिल 18 मई 1954 को गज़ट ( gazette) में छापा जाता है। इस को गज़ट हुए 5 clear days भी नहीं हुए। मैंबर साहिबान को अपने अमैण्डमैंट (amendment) देने का दो दिन का वकफा, नोटिस देने के लिये भी नहीं मिला और फिर यह कहा जा रहा है कि असेम्बली का इजलास मुतवातर जारी रहे। जब तक यह बिल पास न हो जाए सदन न उठे। क्योंकि इस agenda में यह चीज़ है कि पंजाब में जो Land Revenue लोगों पर लगा हुआ है हमारी गवर्नमैण्ट उस को सवाया करना चाहती है और जिन लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा हैं उन पर Land Revenue $1\frac{1}{3}$ तक बढ़ाना चाहती है। दूसरी बात यह है कि थानों की जगह National Extension Scheme के मातहत territorial units कायम करना चाहती है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता कि यह मामला इतना अहम और emergent नहीं है कि इस को पास करने के लिये यह तरीका कार इख्तियार किया जाए और असैम्बली के इजलास को मुतवातर जारी रखा जाये। हां ; यह बात हो सकती है और होती आई है कि जब कोई emergent और अहम मामला दरपेश हो तो इजलास बगैर ब्रेक (break) के मुसलसिल जारी रखा जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि मालगुज़ारी सवाई हो जाए और थाने territorial units में बदल जाएं और यह सब कुछ आज ही हो जाए। वे इस बिल को बड़ा अहम बता रहे हैं लेकिन जब तक आप इस बात की इजाज़त न दें मुख्य मंत्री इस को पेश नहीं कर सकते। यह तो आप की मेहरबानी और खास निवाज़श का नतीजा है कि आप ने बिना वक्त का ध्यान किये हुए उन को बिल पेश करने की इजाज़त दे दी है। बजाये इस के कि ये लोग इस बात के लिये मशकूर होते कि इतने थोड़े वक्त में बिल पेश करने की इजाज़त मिल गई है ये एक और तहरीक ले आए हैं कि असैम्बली का इजलास मुतवातर किया जाए और इन को पास किया जाए। ये लोग आप की मेहरबानी का नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं। यह तरीका न तो letter में और न ही spirit में जायज़ है। कायदे के खिलाफ है। हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ है, बल्कि दुनियां भर के आईन के खिलाफ है। यह तरीका एक democracy का नहीं बल्कि dictatorship का प्रतीक है। हाऊस का इजलास मुतवातर चलता रहे...

**अध्यक्ष महोदय** : Order, please, order. जब मैं खड़ा होता हूं तो आप बैठ जाया करें। आप मेरी तरफ देखते ही नहीं हैं। आप repetition भी कर रहे हैं। हर दो मिनट के बाद आप वही पुरानी बातें दुहरा देते हैं। आप मुख्तसर तौर पर अपनी argument दें और बहस करें।

**पंडित श्री राम शर्मा** : जनाब एक बात और कह कर मैं अपनी तकरीर को समाप्त करूंगा। मेरा मतलब यह है कि ऐसा मुतवातर इजलास किसी खास और specific business

[पंडित श्री राम शर्मा]

को conduct करने के लिये किया जा सकता है न कि ऐसी मामूली चीज़ों के लिये । यह procedure बिल्कुल गलत और बेकायदा है । स्पीकर साहिब, इन लफजों के साथ मैं इस तहरीक की मुखालफत करता हूं ।

**ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ** (ਨੂਹ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਲਦਾ ਫੁਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਾਂ ਜੁਮਾਂ ਅਠ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਜੇ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨੇ ਤੰਗ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਹਾਊਸ adjourn ਨਾ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਏਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬੈਠੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹੋ ਉਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕਿੰਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਜ਼ਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਖਾਸ ਉਲਝਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਈ ਬੁਲਾਣ ਦਾ ਇਕ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ । ਜੇਕਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ opposition ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ Opposition ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ । ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨਾ adjourn ਹੋਵੇ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ । ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਲਝਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ । ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦਾਨਾ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕਹਿ ਦੇਵੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ adjourn ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਉਲਝਨ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਸੀ ।

**मुख्य मंत्री** (श्री भीम सेन सच्चर) : स्पीकर साहिब, मेरे फ़ाज़िल दोस्तों ने अपने खयालात का इज़हार किया है और यह कहने की कोशिश की है, जैसे कि उन की तकरीरों से ज़ाहिर होता है, कि गोया हम खत्म होने वाले हैं, मंत्री मंडल में उलझनें हैं और गड़बड़ हैं । अगर वे सीधी सादी बात को भी एक बड़ी उलझन समझ लें तो इस में हमारा क्या बस चल सकता है ? मेरे फाज़िल दोस्त पंडित श्री राम शर्मा ने कहा है कि यह agenda अहम और गैरमामूली नहीं है अगर ऐसी ही बात है तो घबराहट क्यों है। यह शाम से पहले खत्म हो जायेगा। और वे लोग गड़बड़ करेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा समय लग जाये। उस हालत में हो सकता है कि आधा घंटा या चालीस मिनट ज़्यादा लग जाएं तो बजाए इस के कि मैम्बर साहिबान का केवल आधे घंटे के लिये कल का दिन भी ज़ाया हो मैं ने मुनासिब यह समझा कि काम खत्म कर के वे रात की गाड़ी चले जायेंगें। अगर २ घंटे भी ज़्यादा लग जाएं तो बेहतर होगा बजाए इस के कि कल का सारा दिन ज़ाया किया जाये। इस लिये जैसा कि मेरे कुछ दोस्तों को खदशा है मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे सामने कोई परेशानी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई उलझन नहीं ।

दूसरे यह बताया गया कि साहिब यह जो बिल है इस का कोई नोटिस नहीं दिया गया। जो मेरी motion है इससे उनका यह एतराज कट नहीं जाता, वह बदस्तूर कायम रहता है। आप बेशक यह एतराज कर सकते हैं कि स्पीकर साहिब इस प्रस्ताव को move करने की इजाजत न दें। यह जो motion अब मैंने पेश की है उस का मकसद तो सिर्फ यही है कि आध घंटा, एक या दो घंटे अगर ज़्यादा लग जायें तो हम लगा लें और इस business को खत्म कर दें। जब तक यह motion न लाई जाए तब तक स्पीकर साहिब मजबूर होते हैं and he must adjourn the House at the appointed hour; कायदे के मुताबिक उन्हें House को मुकर्ररी वक्त पर adjourn करना ही पड़ता है। यह इस लिये भी किया गया है कि अगर खाह-म-खाह मेरे सामने वाले आदमियों का इरादा discussion को लम्बा करने का ––सिर्फ ज़्यादा देर बैठने के इरादे से ही हो तो हमें कोई एतराज़ न हो।

अब दो बातें हैं। एक तो यह कि यह बैठक साधारण तरीके से चल सकती है। अगर साधारण तरीके से चलती रहे तो खदशे की कोई बात नहीं। वक्त पर सारा काम खत्म हो जाएगा। दूसरे अगर इसे साधारण तरीके से न चलने दिया गया और ऐसा करने का कोई खाह-म-खाह का इरादा हुआ तो इस के लिये हाऊस के सामने एक तजवीज़ रख दी गई है। हाऊस यह खुद फैसला करले कि उन के ऐसे ईरादों को कामयाब होने देना चाहिए या नहीं।

मैं अपने फ़ाज़िल दोस्तों का मशकूर हूं कि उन्हें मेरा काफ़ी फ़िक्र और ख्याल है। उन का मशकूर हूं जो उन्होंने कहा कि अगर वक्त आया तो उन की खिदमात मुझे हासिल होंगी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अभी तो खदशे की कोई बात नहीं है और न ही कोई ऐसा खदशा

[मुख्य मंत्री]
पेशेनजर है जिस से मुझे इन बेदार मगज भाईयों की मदद की कोई जरूरत हो (Hear, hear) यह सीधी सादी बात है। मैं हैरान हूं कि उन्होंने क्यों एक हजार वर्ष पहले की Proceedings को quote किया और war, famine और locust वगैरा का झगड़ा खड़ा कर दिया। यह बातें दर असल इस motion से सम्बन्धित ही नहीं।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** : On a point of order, Sir. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ motion ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ item ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲਗ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਕਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ agenda ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ rules ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

**Mr. Speaker** : This is a suggestion and not a point of order.

**Mr. Speaker** : Question is—

That the proceedings on the items of business set out for to-day be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly".

*The motion was carried.*

---

ADJOURNMENT OF THE ASSEMBLY (*sine die*)

**Chief Minister** (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sire die*.

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die*.

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die*.

*The motion was carried*

---

AMENDMENT MADE BY THE PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL IN THE EAST PUNJAB HOLDINGS (CONSOLIDATION AND PREVENTION OF FRAGMENTATION) (AMENDMENT) BILL

**Minister for Development** (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to move—

That the amendment made by the Punjab Legislative Council in the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill, which was passed by the Punjab Legislative Assembly on the 2nd April, 1954, be taken into consideration.

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the amendment made by the Punjab Legislative Council in the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill, which was passed by the Punjab Legislative Assembly on the 2nd April, 1954, be taken into consideration.

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** (ਟਾਂਡਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਹ ਜਿਹੜੀ amendment ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ clarification ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ! ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਿਸਿਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਲ ਅਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ।

Common purpose ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜਕਲ ਦੇ ਬਿਲ ਦੇ working ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ । ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ common land ਵਿਚ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ Consolidation Department ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲਹਿਦਾ ਰਖੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਖੀ ਜਾਵੇ ।

ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ farm ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ; ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਪੰਜ, ਦਸ ਘੁਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ farm ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

**Mr. Speaker** : Question is—

That the amendment made by the Punjab Legislative Council in the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill, which was passed by the Punjab Legislative Assembly on the 2nd April 1954, be taken into consideration.

*The motion was carried*

CLAUSE 2

**Mr. Speaker** : Now the amendment suggested by the Punjab Legislative Council to clause 2 of the Bill is before the House.

**ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ** (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ "residents of the village" ਇਕ indefinite ਜਿਹੀ term ਹੈ । ਕਈ residents ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ individual residents ਦੀ ਬਜਾਇ entire village ਦੇ benefit ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ।

**Mr. Speaker** : Question is—

That in the proposed clause (bb), line 3, between the words "of the " and "Village" the words "residents of the " be inserted.

*The Motion was lost.*

**Minister for Development** (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to move—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill, as originally passed by the Assembly be passed again.

**Mr. Speaker**: Motion moved—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill as originally passed by the Assembly be passed again.

**श्री मूल चन्द जैन** (सम्भालका) : जनाब स्पीकर साहिब ! यह Amendment जो Council ने पास करके भेजी है, मैं इस के बारे में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

**Mr. Speaker** : The hon. Member cannot speak at this stage, because that amendment has already been lost.

**श्री मूल चन्द जैन**: बहुत अच्छा, स्पीकर साहिब ! हाऊस में जो motion move हुई है कि यह बिल जिस शक्ल में originally पास किया गया था, उसे वैसे ही रहने दिया जाए मैं इस की मुखालफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कौन्सल ने......

**अध्यक्ष महोदय**: आप अब इस motion पर एतराज़ नहीं उठा सकते ।

**Mr. Speaker**: Question is—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill, as originally passed by the Assembly, be passed again.

*The motion was carried*

## HOUSE COMMITTEE

**Mr. Speaker** : Under Rule 173 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following Members as members of the House Committee :

(1) Chaudhri Sarup Singh, Deputy Speaker.—*Ex officio Chairman.*

(2) Chaudhri Sri Chand, M.L.A.

(3) Shri Niranjan Dass Dhiman, M.L.A.

(4) Sardar Partap Singh Rattakhera, M.L.A.

(5) Bhagat Guran Dass, M.L.A.

## THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (SECOND AMENDMENT) BILL, 1954.

**Chief Minister** (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to introduce the Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill.

**Chief Minister** : Sir, I beg to move—

That the Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब, यह एक मामूली सी amendment है जो मैं हाऊस के सामने पेश कर रहा हूं। पहले original ऐक्ट में यह प्रबन्ध किया हुआ है कि पंचायतों की नुमाईन्दगी करने के लिये थाना पंचायतें होंगी। लेकिन अब यह जो थाना पंचायत है उस के शब्द 'थाने" की जगह "local area" शामिल कर रहे हैं और इस की वजह यह है कि यह जो अब administrative set-up है इस में एक ही तरह के नामों से गलती पैदा होने का डर है। इस लिये इस खामी को दूर करने के लिये शब्द "थाना" की जगह "local area" करना मुनासिब समझा गया है। यह कानूनगो Circle भी हो सकता है। मुमकिन है कि वही कर दिया जाए। तो यह सिर्फ इस लिये किया जा रहा है ताकि technical एतराज़ न हो सके। एक territorial unit को local area भी कह सकते हैं Development Block भी कह सकते हैं और उसी को कानूनगो Circle भी कह सकते हैं। इस लिये हम ने थाने की जगह Local area कर दिया है ताकि गलती न लगे और इस पर एतराज़ न हो सके। यह एक साधारण सी amendment है। मुझे उम्मीद है कि हाऊस इसे मनज़ूर कर लेगा।

दूसरी चीज़ जो इस बिल में आती है वह यह है कि हम ने पहले ऐक्ट में यह प्रबन्ध किया हुआ है कि population के basis पर हरिजनों की नुमाईन्दगी हो लेकिन कई जगह से शिकायतें आई हैं कि वहां Population के basis गलत हैं। इस लिये हरिजनों को पंचायतों में पूरी representation नहीं मिलती। इस बिल में उन को पूरी representation देने के लिये यह किया गया है कि गवर्नमेंट ऐसी जगह पर उन के कुछ पंच nominate कर दे। मुझे उम्मीद है कि हाऊस इस amending bill को मनज़ूर कर लेगा।

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**पंडित श्री राम शर्मा** (सोनी पत): माननीय स्पीकर साहिब, यह जो तरमीमी बिल हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने पेश किया है इस द्वारा यह original ऐक्ट में दो तबदीलियां करना चाहते हैं। मैं अर्ज़ करता हूं कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि "थाना" की बजाए 'local area' कर दिया जाए तो इस पर मुझे ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं है और न ही पहले था। "थाना" का शब्द यहां उचित मालूम नहीं होता था। इस लिये हमें ऐसा करने में कोई एतराज़ नहीं। "Local area" का शब्द "थाना" की बजाए ठीक रहेगा।

दूसरी तबदीली जो गवर्नमेंट original Act में करना चाहती है वह यह है कि जिस किसी पंचायत के इलाके में गवर्नमेंट अन्दाज़ा लगाएगी कि उस पंचायत में हरिजनों की आबादी के मुताबिक उन्हें representation नहीं मिली जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए थी तो उस पंचायत के लिये गवर्नमेंट कुछ और पंच नामज़द करेगी। मुझे इस पर एतराज़ है। और वह एतराज़ इस नामज़दगी के असूल पर है। और इस नामज़दगी के खिलाफ हम पिछले कई वर्षों से जद्दो-जेहद जारी रखते हुए यह एतराज़

[पंडित श्री राम शर्मा]

करते रहे हैं कि नामज़दगी के ज़रिये सरकार अपने खुशामदपसन्द या हां में हां मिलाने वाले आदमियों को नामज़द कर लेती है जो कि spirit of democracy के सरासर खिलाफ़ है । अगर काम चलाने से ही मुराद है तो बड़ी २ बातें बनाने का क्या फायदा है । हम यह देख चुके हैं कि इस नामज़दगी के असूल को District Boards Committees या Small Town Committees से हटाया जा चुका है मगर आज एक बिल पेश है कि पंचायतों में भी नामज़दगी का हक गवर्नमैंट को दिया जाए । ऐसा मालूम होता है कि ज्यों २ हम आज़ादी मिलने के दिन से आगे बढ़ते जा रहे हैं, त्यों त्यों उस ग़लत असूल को जिसे हम थोड़ा बहुत छोड़ने की तरफ मायल हुए थे फिर उसे किसी न किसी बहाने से वापिस लाने का यत्न कर रहे हैं । इस तरमीम के ज़रिये यह बात किया चाहते हैं कि अगर गवर्नमैण्ट को पता चले कि कहीं हरिजनों की आबादी के लिहाज़ से पंचायतों में कम नुमायंदगी दी गई है तो यह नहीं कि वहां पर चुनाव कराये जाएं बल्कि गवर्नमैण्ट यह इख्तियार चाहती है कि वह हरिजन नुमायंदों को खुद उस पंचायत में नामज़द कर के इस कमी को पूरा कर दे। यह एक गलत, खतरनाक और democracy के असूल के खिलाफ बात है । असूली और अमली तौर पर ठीक बात नहीं है । जिस आदमी को आप नामज़द करेंगे या अफसर मुकर्रर करेंगे वह आम तौर पर हर मौके पर आप की हां में हां मिलाएगा । जिस से साफ ज़ाहिर है कि ऐसे पंचों की राय आम जनता की राय नहीं होगी । जिस का नाम ही पंचायत राज हो, पंचों का राज, गांव के बड़े बूढ़ों का राज, वहां पर नामज़दगी की गुंजायश ही कहां रहती है ? ऐसी पंचायतों में पिछले दरवाज़े से लाकर किसी आदमी के बिठाए जाने को मैं बिल्कुल नाकाबिले बरदाशत बात समझता हूं । बाकी इस बात में ज़रा भी शक नहीं कि आप अपनी majority की बिना पर किसी भी गलत बात को हाऊस से पास करवा सकते हैं । आप के पास 'Ayes' कहने वाले बहुत मैम्बर हैं । मगर Opposition का यह फर्ज़ है कि हाऊस को, मुल्क को हर गलत बात से खबरदार करे कि यह चीज़ खतरनाक है और इस तरमीम में नुकसान दिखाई देता है । अब तरमीम यह है कि अगर गवर्नमैण्ट को पता चल जाए कि हरिजनों की आबादी के आदादोशुमार गलत हैं तो नामज़दगी होगी । अगर गलती हो तो ऐसा करने वाले को सज़ा दी जानी चाहिये मगर वह न करके अपना ही मतलब पूरा किया जा रहा है कि वज़ीर साहिब को इख्तियार मिल जाए कि अपनी ही मर्ज़ी के लोगों को पंचायतों में नामज़द कर सकें । असूल और कानून का ख्याल नहीं । यह चीज़ गलत है ।

दूसरे हमें इस बात पर हैरानी होती है कि किसी गांव में population का basis क्या लिया जा रहा है । आम तौर पर Census को ऐसी बातों के लिये basis लेते हैं । आखिर इसी पर elections होती हैं और इन्हें कोई पटवारी तो नहीं बनाता । अगर गिनती में कोई एक आध गलती रह भी जाती है तो भी सरकार को यह हक नहीं होना चाहिये कि वह हरिजनों की आज़ादी का फैसला गलत तरीके पर करे । किसी की भी satisfaction, Census की figures पर ही हो सकती है और अगर गवर्नमैण्ट कह दे कि Census गलत है तो यह बड़ी परेशानकुन बात है । मगर Census में गलती का इमकान बहुत कम है और अगर

इस तरह Census को harijan population का basis मान लिया जाए तो गवर्नमैंण्ट को हरिजनों की नुमायंदगी को nomination से पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा ।

दूसरी जो थानों की बजाए इलाके के मुकर्रर किए जाने वाली बात है उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं और न ही किसी और को होगा। मगर जो नुमायंदगी के असूल को दाखिल किया जा रहा है, कि फलां २ आदमी को nominate करते हैं, यह एक असूली तौर पर और अमली तौर पर गलत बात है और मैं इस की पूरे ज़ोर के साथ मुखालफत करता हूं।

श्री रिज़क राम (राय) : साहिबे सदर, जहां तक कानून का ताल्लुक है मैं कह सकता हूं कि जो तरमीम पेश की गई है वह बिल्कुल कानून के मुताबिक है और उस में कोई खामी नहीं। तरमीम यह है कि अगर किसी पंचायत के हलके की हरिजन आबादी के जो आदादोशुमार हैं उन के मुतअल्लिक गवर्नमैंण्ट को पता चल जाए कि वह गलत हैं-फिर वह चाहे किसी वजह से गलत हों और उसी हिसाब से पंचायत में हरिजनों की नुमायंदगी कम हो तो उस की कमी को पूरा करने के लिये और हरिजनों को उनका हक दिलाने के लिये गवर्नमैंण्ट और पंचों को नामज़द कर सकेगी। मैं समझता हूं कि नुमायंदगी को पूरा करने में किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जहां तक नामज़दगी का ताल्लुक है इस का misuse नहीं होगा। फिर एतराज़ किया गया कि आबादी में गलती कैसे हो सकती है। Census तैयार होता है Electoral Rolls बनते हैं, और जब यह सब कुछ गवर्नमैंण्ट तैयार करवाती है तो गलती कहां हो सकती है ? सवाल इस बात का नहीं कि गलती हो सकती है या नहीं बल्कि बात यह है कि अगर यह साबित हो जाए कि गलती हुई है और वाकई आबादी में कुछ फर्क है तो नामज़दगी होगी, वरना नहीं होगी। इस बारे में मिसालें मौजूद हैं। सोनीपत तहसील में ही ऐसा हुआ। Elections के दिनों में पता चला कि एक गांव का record गलत है। दरखास्तें दी गईं। तहकीकात हुई और यह साबित हुआ कि वाकई record में हरिजनों की आबादी कम दिखाई गई है। आखिर में अगर कहीं गलती साबित हो जाए तो क्या ऐसी जगह पर जहां कि single constituency हो, एक community को representation के हक से महरूम कर दिया जाये ? यह तो बड़ी भारी बे इनसाफी होगी। तो इस बेइनसाफी को दूर करने के लिये क्या फिर से elections कराई जाएं और सारा खर्च और इन्तज़ाम एक बार फिर से किया जाए ? क्या यह बेहतर न होगा कि इस बे-इनसाफी को दूर करने के लिए गवर्नमैंण्ट किसी को नामज़द कर दे। इस से कौनसा पहाड़ टूटता है। फिर किस वजह से इस की मुखालफत की जाती है ? Members के नोटिस में यह चीज़ आई होगी कि ऐसी गलतियां कई गांवों में हुई हैं। ऐसी जगह पर एक community को अपने हक से महरूम तो नहीं करना चाहिए। Election में खर्च और दूसरे झंझट बहुत हैं और नामज़दगी के सिवा और कोई तरीका नहीं जिस से कि community को इस का हक दिलाया जा सके। मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में पंचायतों में नामज़दगी करना कोई बुराई नहीं और इस में कोई बेकायदगी नहीं। इस लिए इस तरमीम की मुखालफत करने का कोई फायदा नहीं।

**श्री श्री चंद** (बहादुरगढ़) : साहबे सदर, दरअसल मुझे तो अब यह मालूम होता है कि District Boards के elections अब नज़दीक आ रहे हैं और सरकार ग़ालबन यह elections पंचायतों की मार्फत करवाना चाहती है। अब सरकार को elections जीतने की फिक्र है। गवर्नमेंट यह चाहती है कि इस बिल को पास करवा कर पंजाब की हरेक पंचायत में दो दो या तीन तीन मैम्बर nominate कर दे ताकि elections में कामयाबी हो। नहीं तो जब elections होती हैं तो पहले rolls तैयार होते हैं। और फिर एतराज होते हैं उस में यह कहा जाता है कि इस में कुछ खामियां रह गई हैं और साबत भी कर दिया जाता है लेकिन कितने elections इस तरह से *null and void* हो जाते हैं। अब सरकार को खतरा है कि census गलत हैं और उन के सम्बन्ध में जो figures दी गई हैं वह गलत हैं। अब सरकार यह जानना चाहती है कि गांवों में scheduled castes की तादाद क्या है। गवर्नमेंट कहती है कि census की तहकीकात कराई जाएगी और अगर census की figures को ग़लत पाया गया तो मैम्बर नामज़द कर दिये जाएंगे। पर सरकार का यह तरीका ग़लत है। मैं तो कांग्रेस से अपील करूंगा कि वह इस संस्था को बदनाम न करें। जिस बात का यह पिछले ३० साल से ढंडोरा पीटते चले आ रहे हैं उस को तो पूरा करें। अगर यह बिल न लाया गया तो क्या गज़ब हो जायगा। कांग्रेस के इस असूल को तो पूरा करो कि nominations का तरीका बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। आप तो कांग्रेस के असूलों को पाओं तले रौंदते चले जा रहे हैं।

इस बिल को लाने का मतलब यही है कि इस तरीके से पंचायतों में 200—400 आदमी अपनी मर्ज़ी के दाखिल कर दिए जाएंगे। और गवर्नमैण्ट को तसल्ली हो जाए कि जब ज़रूरत पड़े अपनी majority बना ली जाए। अगर किसी पंचायत में पांच मैम्बर हैं और तीन गवर्नमेंट के खिलाफ हैं तो सरकार nomination के ज़रिए उस पंचायत में अपनी majority कायम कर सकती है। आप तीस साल से कहते चले आ रहे हैं कि हम nomination के system को खत्म कर देंगे क्योंकि नामज़द मैम्बर गवर्नमैण्ट के पिट्ठू होते हैं। इन्हीं असूलों पर कांग्रेस लड़ रही है, और कहती है कि nomination नहीं होगा। हमने nomination को खत्म कर दिया है। पंचायतें कायम कर दी हैं और उन्हें पूरा इख्तियार दे दिया है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने घंटा भर उछल उछल कर तकरीर की कि हम लोगों के हाथों में power दे रहे हैं। पंचायतों को सब powers और इख्तियार दे दिये हैं और अपने पास कोई powers और authority नहीं रख रहे। अब उन दिये गये इख्तियारात को वापस क्यों लिया जा रहा है ? अब भी आपने सरकारी पिट्ठू एक या दूसरी शक्ल में रखे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं फिर nomination की क्या ज़रूरत है। अगर ऐसा ही करना है तो डींग मारने से क्या हासिल कि हमने पंचायतों को पूरे तौर पर powers दे दी हैं। इस लिये मैं इस बिल के पेश किये जाने की मुखालिफत करता हूं।

**प्रोफेसर मोता सिंह आनन्दपुरी** (आदमपुर): Gram Panchayat Act के पास करने के बाद हर एक को उम्मीद हो गई थी कि अब पंजाब में powers decentralize होने लगी हैं। लेकिन यहां तो decentralize के मायने ही और लिये जाते हैं। इन की dictionary में decentralization के मायने over centralisation हैं। क्यों इस लिए कि आप कहते थे कि power को decentralise करने के लिए पंचायतें बना दी गई हैं। अब गांव की units republics बन गई हैं। पंचायतों के बन जाने के बाद गवर्नमेंट को फिक्र है कि इस तरह से गवर्नमेंट अपनी ताकत खो बैठेगी। इस ताकत को फिर से हासिल करने के लिए गवर्नमैंट ने adviser मुकर्रर कर दिये हैं। गवर्नमेंट को adviser मुकर्रर करने की क्या ज़रूरत थी। आपके पास तो और भी अफसरान हैं जो पंचायतों को हिदायतें जारी करते हैं। वह वक्त पर directive भी देते हैं, Inspection करते हैं। फिर अगर adviser मुकर्रर कर दिये गए हैं तो इन्हें पंचायतों के अन्दर जब कि पंचायतें काम कर रही होती हैं क्यों जाने दिया जाता है? इन के वहां बैठे रहने से पंचायतों का काम पूरी आजादी से नहीं चल सकता। देहाती लोग जब इन अफसरों को पंचायतों में बैठे हुए देखते हैं तो वह डरते हैं कि अगर कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ कह दी तो वह इन्हें पंचायतों से निकलवा देंगे।

आज हम क्या देखते हैं कि पंचायतों के 80 फीसदी चुने हुए मेंबरों को निकाला जा रहा है। आप ने डिप्टी कमिश्नरों को पहले ही भारी ताकत दे रखी है जब Director को पहले से ही काफी इख्तियारात दिये गए हैं तो फिर अब नामज़दगी का तरीका क्यों लागू किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार फिर अपने तमाम इख्तियारात सारी पंचायतों से वापस लेना चाहती है। यह nominations का तरीका लोक राज्य के विरुद्ध है। अगर सरकार democratic system को कायम करना चाहती है तो उसे चाहिए कि वह ऐसे बिल हाऊस के सामने पेश न करे। आप तो 1893 के हालात इस वक्त पैदा करना चाहते हैं। Local-Self Government को कायम रखने के लिए nomination का तरीका बिल्कुल out of date है और nominations के दस्तूर को खत्म करने के लिये ही तो कांग्रेस हमेशा संघर्ष करती आई है। इस लिए इस बिल को पेश करने से पहले इस पर दुबारा गौर किया जाए और ऐसा बिल लाया जाए जो कि democratic असूलों के मुताबिक हो।

**मुख्य मंत्री** (श्री भीम सेन सच्चर): स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार खाहमखाह किसी पंचायत के मामले में दखल नहीं देना चाहती। पंचायतों को अपना काम करने में पूरी आज़ादी है। पहले rolls तैयार होते हैं फिर उन के आधार पर एतराज़ होते हैं तो बाद में जब Opposition की तरफ से और इधर के बैंचों से कहा जाता है कि फुलां जगह पर representation कम है और जब हमें कोशिश करने के बाद भी तसल्ली न हो कि किसी खास जगह पर हरिजनों की नुमायंदगी पूरी है तो यह तरीका इख्तियार करना पड़ता है। अगर census में या census के basis में कोई गलती रह गई हो और इस गलती के नतीजे से representation में कमी हो गई हो तो उस को पूरा करने के लिये nomination की

[मुख्य मंत्री]

जाएगी । यहां पर मैं एक offer आप को दे देना चाहता हूं कि जब कभी कोई ऐसी representation में कमी की बात गवर्नमेंट के नोटिस में आएगी कि किसी जगह population के basis पर गलत नुमायंदगी की गई है तो उस की एक नकल Leader of the Opposition को भी भेज दी जाएगी ताकि उन्हें पता लग सके कि किसी पंचायत में nomination क्यों की जा रही है।

**पंडित श्री राम शर्मा:** On a point of information, Sir, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या census के अन्दर कोई गलती रह गई है या figures के बारे में जो रिपोर्ट दी गई है वह गलत है ?

**मुख्य मंत्री:** गवर्नमेंट को यह बात कहां पसन्द हो सकती है कि हर शख्स आए और कहे कि यह basis गलत है वह गलत है वगैरा । लेकिन इनसाफ का क्या किया जाए ? जहां कोई कमी रह जाए वहां इनसाफ तो करना ही पड़ेगा । अब उस का तरीका क्या है ? जहां जहां ऐसी गलती नज़र आए वहां सारे election को भी रद्द नहीं किया जा सकता इस से भी बड़ी तकलीफ होगी । इस लिये nomination ही ऐसे हालात में सब से अच्छा तरीका रह जाता है । हमें nomination का नाम सुनते ही घबरा जाना मुनासिब नहीं । Central Government ने भी बाज़ खास लोगों के लिये खास हालात में nomination का तरीका रखा हुआ है । विदेशी हुकूमत की nomination और चीज़ थी उस का मकसद कुछ और होता था और वह हमारे मुल्क के खिलाफ जाती थी । इस लिये हम उस की मुखालिफत करते थे मगर यहां यह बात नहीं है । और फिर मैंने तो offer पेश कर दी है कि इस किस्म का जो case आयेगा उस की copy हम Leader of the Opposition को भेज दिया करेंगे ताकि वह भी देख लें कि Government जो कुछ कर रही है वह ठीक है या नहीं ।

यह तो ठीक है कि आप हमें जिस किस्म के चशमे से देखेंगे हम वैसे ही नजर आयेंगे मैं आप से सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम बुरे ही सही पर इतने बुरे भी नहीं हैं कि ऐसे मामलों में गोल माल करें या मुनासिब मौके पर move ही न हों पस जैसा कि मैं ने कहा है मेरी offer मौजूद है । आप इसे स्वीकार करें । इस का मतलब यह है कि आप की इतिलाह के बगैर कोई काम न होगा ।

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2.

**Mr. Speaker :** I call upon Shri Maru Singh Malik to move his amendments to Clause 2.

**Shri Maru Singh Malik** (Sampla) : Sir, I beg to move—

In the proposed proviso, lines 1-2—
for "Government is of the opinion" substitute "on reference to Census record it is found".

In the proposed proviso, line 9—

for "nominate" substitute "order the election of".

In the proposed proviso, line 11—

between the words "panches" and "and" insert "to be held".

In the proposed proviso, line 12—

for "nomination" substitute "election".

At the end of the proposed proviso,

add "The number of the Panches so increased and their term of office shall cease to have any effect after the next election of the Gram Panchayat concerned, when the number of Panches of that Gram Panchayat shall be determined afresh under sub-section (2) of this Section."

स्पीकर साहिब, ग्राम पंचायत एक्ट, सन् 1953 में पास हुआ था। इस पर एक amendment तो पिछले Budget Session में आई थी और दूसरा Amending Bill यह अब आ रहा है। इस की clause 2 में एक खामी रह गई है, इस लिये अगर इसे ऐसे ही पास कर दिया गया तो मुमकिन है अगले Session में फिर एक और amendment लानी पड़े।

एक बात तो यही है कि इस में यह नहीं बताया गया कि nominated पंचों का tenure of office कितना होगा।

**अध्यक्ष महोदय:** आप की पांच amendments हैं। सब पर अभी बोल लीजिये।

**श्री मारू सिंह मलिक:** इस में यह कहीं नहीं बताया गया कि वह कितनी देर रहेंगे। मेरी तजवीज़ यह है कि उन का tenure अगले elections तक रखा जाए।

दूसरी बात यह है कि sub-section (2) के मातेहत जो नम्बर determine किया गया हो उसे increase करने के बाद फिर अगले election पर वह बढौतरी खत्म हो जाए और नम्बर नये सिरे से determine किया जाए।

तीसरी गुज़ारिश मेरी यह है कि नम्बर बढ़ाना हो तो nomination से न बढ़ाया जाए बल्कि election होनी चाहिए। एक दोस्त ने फरमाया है कि election कराने की सूरत में सब record और electoral rolls वगैरा दोबारा तैयार करने पड़ेंगे और सब झमेला करना पड़ेगा। मेरी अर्ज़ यह है कि ऐसा तो हर bye-election पर करना पड़ता है। अगर कोई पंच छोड़ जाये या हटा दिया जाए या मर जाए तो आप क्या करेंगे। दोबारा election ही करायेंगे। फिर यहां भी nomination की जगह election रखने में क्या हर्ज है ?

[श्री माड़ू सिंह मलिक]

इस के बाद clause के शुरु में लिखा है कि " If Government is of the opinion" इस के बारे में मैंने अर्ज़ किया है कि जहां मरदुम शुमारी की figures से मालूम हो कि हरिजनों को आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी नहीं मिली वहां elections करा लिये जाएं । nomination मुनासिब नहीं । यह तजवीज़ें सीधी सादी हैं । इन से खामियां दूर हो जाएंगी ।

**Mr. Speaker** : Motion moved—

In the proposed proviso, lines 1-2—

for "Government is of the opinion" substitute "on reference to Census Record it is found".

In the proposed proviso, line 9—

for "nominate" substitute "order the election of".

In the proposed proviso, line 11—

between the words "panches" and "and" insert "to be held".

In the proposed proviso, line 12,—

for "nomination" substitute "election".

At the end of the proposed proviso,

add "The number of the Panches so increased and their term of office shall cease to have any effect after the next election of the Gram Panchayat concerned when the number of Panches of that Gram Panchayat shall be determined afresh under sub-section (2) of this Section.

**Sardar Darshan Singh** (Tarn Taran) : Sir, I beg to move—

In the proposed proviso, line 9,—

for "may nominate", substitute "shall elect",

In the proposed proviso, line 12,—

for "nomination," substitute "election".

ਜਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ elections ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸਾਂ Assembly ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਦਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ elections ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ certificate ਲੈਣੇ ਸਨ। ਉਹ certificate ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੂਲ੍ਹੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ reject ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ. ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦ-ਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ? ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ amendment ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਥਾਂ election ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ election ਉਤੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ election ਕਰਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ Scheduled Castes ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੋ ਇਕ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਚਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ amendment ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

**Mr. Speaker** : Motion moved—

In the proposed proviso, line 9,—

for "may nominate", substitute "shall elect".

In the proposed proviso, line 12—

for "nomination", substitute "election".

These two amendments and those that have been moved by Shri Maru Singh Malik will be discussed together.

**पंडित श्री राम शर्मा** (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, जो तरमीम मेरे दोस्त श्री मारू सिंह मलिक ने पेश की है मैं उस की ताईद करता हूं। बात यह है कि इस clause में जो दो लफ़्ज़ आते हैं basis और opinion इनमें गड़बड़ की गुंजायश है। यह ठीक है कि मेरे दरियाफत करने पर Chief Minister साहिब ने बतलाया है कि basis of population का मतलब यह न होगा कि census गलत है या सही। उन के विचारानुसार इस का यह मतलब है कि जिस बिना पर census determine की गई है वह गलत है या सही। परन्तु मैं कहता हूं कि हर मौका पर जब अफसरों ने फ़ैसला करना होगा वहां उन्हें सलाह देने के लिये न Chief Minister साहिब होंगे और न ही Opposition। वे तो लफ़्ज़ों का मतलब लेंगे। clause में लिखा है—

Provided further that if Government is of the opinion that the basis of population adopted for the purpose of determining the representation of members belonging to the scheduled castes for any particular Gram Panchayat is incorrect........

इस का मतलब यह है कि अगर basis incorrect हों तो हरिजनों और गैर-हरिजनों का तनासुब ठीक नहीं रहता। census के बगैर और कोई चीज नहीं जिस से इस

[पंडित श्री राम शर्मा]

तनासुब का पता चल सके। जब ही सरकारी अफ़सरों की राय में census गलत ख्याल की जायेगी वे कह देंगे कि basis of population ग़लत है। जहां वे देखेंगे कि दो हरिजन elect होने चाहिये थे परन्तु हुआ एक है वहां एक आदमी नामज़द कर देंगे। उन के लिये तो basis बना बनाया census ही है। Census ग़लत हो सकता है। फर्ज़ कीजिये कि census में हरिजनों और गैर-हरिजनों का तनासुब १:२ है। सरकारी अफ़सरों के ख्याल में यह तनासुब ३:४ है। वे अमूमन इस फ़ैसले पर पहुंचेंगे कि basis of population ग़लत है यानी census ग़लत है। और फिर आबादी में तो थोड़ी बहुत कमी बेशी होती ही रहती है। कभी दो चार पैदा हो गये और कभी दो चार मर गए। basis of population मुसल्लमा तौर पर census ही ख्याल किया जा सकता है। हमारी Assemblies और Councils वगैरा की वोटों का इनहसार इसी पर तो है। यह कह देना कि census गलत है और इस लिये तनासुब [रा करना है अन्धेर गर्दी के बगैर कुछ नहीं। यह तो धड़ेबन्दी की बात है। और अगर ऐसा नहीं तो कम से कम यह तो ज़रूर है कि basis of population का मतलब बहुत vague है।

दूसरी बात यह है कि बिल में लिखा है—

"Provided further that if the Government is of the opinion."

मुझे opinion के लफ़ज़ पर एतराज़ है। सरकार की opinion पर भरोसा नहीं किया जा सकता और न ही इनसाफ़ की उम्मीद की जा सकती है। मैं यह बात केवल इस सरकार के बारे ही नहीं कहता। तमाम Party Governments में यही होता है।

जब भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में वसीह इख्तियारात लिये हैं उन्होंने तकरीरों में हमेशा यही यकीन दिलाया कि यह इख्तियारात बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन होता है इस के बिल्कुल बरअक्स। आज जब हमारे मंत्री यह कह रहे थे कि ऐसे इख्तियारात को इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश नहीं तो इन इलफ़ाज़ से हू बहू मुझे सर सिकन्दर हयात खां याद आ रहे थे वह भी बात हू बहू इसी लहजे में किया करते थे। इस लिये कांग्रेस सरकार हो या और कोई गवर्नमेंट हमारी यही राये है कि जो कहा जाता है उस पर अमल नहीं किया जाता। मुझे इस सिलसिले में ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। मैं कदम कदम पर, बात बात पर, आईटम आईटम पर यह बात साबत कर सकता हूं कि गवर्नमेंट ने जब कभी वसीह इख्तियारात हासिल किये तो उंगली पकड़ने के बहाने लोगों का दामन पकड़ लिया। गवर्नमेंट census वगैरा की परवाह नहीं करेगी और जैसे ही उसे suit करेगा वैसे ही कारर्वाई वह करेगी और उन की मर्ज़ी बाज़ औकात party considerations की बिना पर खूब ज़ोर शोर से चलेगी। जैसे आप देखेंगे कि पंचायतों की election की जाये तो कोई दिन नहीं होता जब पंच suspend न होते हों। मैं मानता हूं कि ऐसी कारर्वाई तब ही की जाती होगी जब वह वाकई suspend होने के काबिल होते होंगे मगर अगर ऐसी रौ चल पड़े और रोज कोई न कोई पंच मुअत्तल हो जाये तो हर एक को फिकर पड़ जाता है कि मैं safe नहीं हूं। यह पंच पंचायतों की आम राये से चुने जाते हैं। स्पीकर साहिब, अगर गवर्नमैण्ट को इख्तियार दे दिये जायें तो आप देखेंगे कि दो तिहाई पंच ज़रूर suspend हो जायेंगे। मैं

पूछता हूं कि क्या वह पंच इस लिये suspend किये गये कि पुलिस ने उन पर मुकद्दमे चलाये थे ? मैं नहीं कहता कि वह गलती की वजह से suspend किये गये। वाकई वह suspend होने के काबिल होंगे लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है उस की बिना पर मैं कहता हूं कि इस तरह से गवर्नमेंट की opinion basis of population के मुतअल्लिक बनेगी । और फिर गवर्नमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक पंच nominate कर देगी। अगर कोई हरिजन मैम्बर हट जाये या मर जाये तब भी तो गवर्नमेंट election कराती है क्योंकि पंचायत ऐक्ट में election कराने का provision है। इस लिये गवर्नमेंट को चाहिये कि वह population के लिहाज से election करा दे । इस बात को आप मानिये कि opinion भी census के basis पर form करेंगे और census को basis समझ कर इस क्लाज़ को correct कीजिये कि बजाये nominate करने के elect करेंगे तो इस के बाद कोई शिकायत नहीं रहती । मगर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इस बात पर रज़ामंद नहीं होगी । अगर इसी तरह से बिल पास किया गया तो बिल का मकसद मफ़कूद हो जायेगा । इस लिये मैं गवर्नमेंट से गुज़ारिश करूंगा कि वह इस provision को बिल्कुल definite बनाये और basis, census और nomination इन तीन चीज़ों को बिल्कुल clear किया जाये । मैं समझता हूं कि यह political game है और यह सब कुछ अपने interest के लिये किया जा रहा है ।

**सिंचाई मंत्री** (चौधरी लहरी सिंह) : साहिबे सदर ! इस amendment से कुछ माननीय मेम्बरों के दिलों में खदशात पैदा हो गये हैं और उन के ख्याल के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की election होनी है इस लिये उसे मुख रखते हुए हम पंचों की तादाद बढ़ा कर अपनी पोज़ीशन मज़बूत करना चाहते हैं । दूसरे यह ज़िक्र किया गया था कि गवर्नमेंट दिन-ब-दिन ज़्यादा इख्तियार लेने के बाद पंचायतों को कुचलना चाहती है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह बहुत simple मामला है । Voters list हर साल तैयार होती है लेकिन इस में जात का ज़िक्र नहीं होता और यह पता नहीं लग सकता कि कौन हरिजन है। पंचायत ऐक्ट में यह प्रबन्ध किया गया है कि हरिजनों की seats population के आधार पर reserve होंगी । voters' list में और मर्दम-शुमारी की list में ज़ात बरादरी का ज़िक्र नहीं होता। अगर voters' list में ज़ात बरादरी दर्ज हो तो कोई मुश्किल दरपेश न हो। अगर voters list में ज़ात बरादरी न हो तो उन की population कैसे determine की जाये । मर्दम शुमारी की list जो होती है उस में भी ज़ात बरादरी नहीं लिखी जाती इस के इलावा village register होता है जिसे पटवारी तैयार करता है और वह 10 साल के बाद तैयार होता है। अगर दस साल के अरसे में हरिजनों की population बढ़ कर दुगनी हो जाती है तो हमे कैसे पता लग सकता है कि किसी गांव में scheduled castes लोगों की कितनी आबादी है। Village register हर साल तैयार नहीं होता वह 10 साल क बाद तैयार होता है । अगर इस अरसे के अंदर आबादी बढ़ जाती हो तो बताईए इस का क्या

(सिंचाई मंत्री)

इलाज है। मैं नहीं समझता कि इस amending measure में क्या खराबी है। Village register तो 10 साल के बाद तैयार होता है लेकिन act यह provide करता है कि population on the date when election is held or when the panchayat list is prepared। अगर गवर्नमेंट के पास शिकायतें आयें जिस से साबत हो कि वाकई आबादी बढ़ गई है तो उस वक्त सिवाए इस के गवर्नमेंट additional members को nominate कर दे और क्या हो सकता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि election करवाएं। क्या उन का यह मतलब है कि फिर सारी पंचायतों की elections हों? अगर 6 मैम्बर additional रखने हों तो सारी पंचायत की दोबारा election कराई जायें।

**पंडित श्री राम शर्मा:** क्या by-elections नहीं होतीं?

**सिंचाई मंत्री:** जो bye-elections होती है वह तो एक मैम्बर की होती है, मगर जहां गलती पाई जाये कि scheduled castes का representation ठीक नहीं तो मेरे दोस्त कहते हैं कि सारी पंचायत की election होनी चाहिये। जब कसूर भी किसी का न हों क्योंकि Village register 10 साल के बाद तैयार होता है तो वहां क्या किया जाये।

सो यह circumstances हैं जिन में यह बिल लाया गया है। इस में किसी की गलती नहीं है।

**Mr. Speaker**: I would request Pandit Shri Ram Sharma to sit properly.

**Pandit Shri Ram Sharma**: I think, I am not sitting improperly.

**अध्यक्ष महोदय:** आप सीट पर घुटने उठा कर बैठे थे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि माननीय मैम्बर हाऊस में ठीक तरह से बैठा करें।

**सिंचाई मंत्री:** हमारी Constitution में यह provided है कि population के basis पर हरिजनों के लिये seats reserve की जाएं। हरिजनों की आबादी का न तो voters' list से पता लगता है और न ही village register से क्योंकि वह दस साल पहले तैयार किये गए थे।

**Sardar Ajmer Singh** Sir, it is all repetition.

**सिंचाई मंत्री** : I am repeating my arguments, because you don't follow them easily। मैं कह रहा था कि village register दस साल पहले तैयार किये गए थे। उस वक्त गांव में हरिजनों की आबादी का ठीक पता नहीं था। ऐसे cases काफ़ी तादाद में हमारे notice में आए हैं जिन में हरिजनों को पंचायतों में उन की आबादी के लिहाज़ से कम representation मिली

है। अब उन को पूरी नुमायंदगी देने के लिये यह nomination का प्रबन्ध किया गया है। अगर इस मकसद के लिये election हो तो फिर सारी पंचायत का election करना पड़ेगा। ऐसा करने से बड़ी difficulties पैदा हो जायगी। इन हालात में मैं अर्ज़ करता हूं कि यह बिल ठीक है और यह तरमीम मन्ज़ूर की जानी चाहिये।

**ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ** (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾਂ ਪੈਰ (ਹਾਸਾ) ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਕ ਐਧਰ ਓਧਰ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ (ਹਾਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਉ। ਪਰ ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾਂ ਇਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾਂ ਪੈਰ (ਹਾਸਾ)। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਂ census ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨ village register ਤੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

सिंचाई मंत्री : आप को क्या पता है village register क्या होता है ?

**ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ** : ਮੈਨੂੰ village register ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਾ 323 ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। (Cheers from the Opposition benches) (*Intruptions*).

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की बातें न कीजिये।

**ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ** : ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ census report ਤੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੋੜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ census ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨ ਲਿੱਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਉ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਉ, ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਲੈ ਲਵੋ। ਜੇ ਹਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਉ। ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਇਹ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ?

[ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ]

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੱਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਉ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਲਵੋ ।

**ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ** (ਨੂਹ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ clause ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ census report ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਰੀਜਨ ਹਨ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਥੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੂੰ? ਇਕ ਸਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ? ਅਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਝਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਮਾਗ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਦਸਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਛਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਛਡਦਾ" ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਕ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ representation ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ nominate ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Antwerp ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਭੋਲਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ੨੩ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸੁਟੋ ।

ਪਾਨੀ ਪਾਨੀ ਕਰ ਗਈ ਮੁਝ ਕੋ ਕਲੰਦਰ ਕੀ ਯਿਹ ਬਾਤ,
ਜਬ ਝੁਕਾ ਤੂ ਗ਼ੈਰ ਕੇ ਆਗੇ ਨਾ ਮਨ ਤੇਰਾ ਨਾ ਤਨ ।
ਮਨ ਮੇਂ ਆਪਨੇ ਡੂਬ ਕਰ ਪਾ ਜਾ ਸੁਰਾਗ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਤੂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਨਤਾ, ਨਾ ਬਨ ਆਪਣਾ ਤੋ ਬਨ ।

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ** (ਸਮਰਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Ministry ਲਈ ਉਸ nomination ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜ ਤਕ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਜ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ community ਦੇ

ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ representation ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਹਿਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ nomination ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Ministry ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ulterior motive ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ। ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਗਲਤ line ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ register ਦੇਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ population ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈ Delimitation Commission ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਪੂਰੀਆਂ figures ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਵੀ information ਸੀ ਕਿ scheduled castes ਦੀਆਂ concentrations ਕਿਥੇ ਸਨ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ Ministry ਉਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ Opposition ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ nomination ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ import ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

**मुख्य मंत्री** (श्री भीम सैन सच्चर) : स्पीकर साहिब, कोई नई चीज़ तो कही नहीं गई जिस का जुवाब दिया जाए। श्लोक का जवाब श्लोक में देना तो मुझे आता नहीं, इस लिये उस बात को छोड़ देता हूं। मैं हाऊस को यकीन दिलाता हूं कि यह मामला किसी अफसर के पास नहीं जायेगा, बल्कि गवर्नमेंट खुद इस का फैसला करेगी। इस फैसले को लागू करने से पहिले से Leader of the Opposition को communicate कर देंगे ताकि किसी को यह शक न हो कि कोई 'गोलमाल' हुआ है।

बहुत वावेला किया गया है कि nominations की तजवीज़ एक बहुत retrograde step है। मैं अर्ज़ करूं कि यह कोई नई चीज़ नहीं है। हम पहले ही इन्हीं lines पर चल रहे हैं।

Section 13 of the Panchayat Act reads as follows :—

"If for any reason a Sarpanch or a sufficient number of Panches or Adalti Panches are not elected, or a casual vacancy is not filled within the time prescribed, the prescribed authority may appoint the necessary number of duly qualified persons as a Sarpanch or Panch or an Adalti Panch, as the case may be, and any such person shall hold office for the unexpired portion of the term for which the person in whose place he was appointed would have otherwise continued in office".

'Appointment' का असूल हाऊस पहले ही मान चुका है। अगर हरिजनों के लेने के लिये सारी elections नये सिरे से कराई जायें तो कहा जायेगा कि सरकार लोगों को अपने काम ही नहीं करने देती। फिर election petitions शुरू हो जायेंगी और गांव वालों के काम में हर्ज होगा। हर वक्त लोगों को तंग करना भी ठीक नहीं। पंचों की appointments पहले भी होती रही हैं। कोई नई बात नहीं है।

[मुख्य मंत्री]

स्पीकर साहिब, यह सारी amendments इकट्ठी ली जा रही हैं, इस लिये मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि मैं चौधरी माडू सिंह की तरमीम को कबूल करता हूं क्योंकि यह हमारे मतलब को स्पष्ट करती है। जो आदमी इस तरह मुकर्रर किये जायेंगे अगले elections तक ही पंच बने रहेंगे।

**Mr. Speaker** : Question is—

In the proposed proviso, lines 1-2—

for "Government is of the opinion" substitute "on reference to Census Record it is found "

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

In the poposed proviso, line 9—

"for nominate" substitute "order the election of".

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

In the proposed proviso, line 11—

between the words "panches" and "and" insert "to be held".

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

In the proposed proviso, line 12—

for "nomination" substitute "election".

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

At the end of the proposed proviso,

add "The number of the Panches so increased and their term of office shall cease to have any effect after the next election of the Gram Panchayat concerned, when the number of Panches of that Gram Panchayat shall be dete.-mined afresh under sub-section (2) of this Section.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker** : Question is—

In the proposed proviso, line 9—

for "may nominate", substitute "shall elect".

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

In the proposed proviso, line 12—

for "nomination", substitute "election."

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

CLAUSE 3

**Mr. Speaker** : Sardar Achhar Singh Chhina and others have given notice of an amendment to this Clause. Any one of them may move it.

**Sardar Achhar Singh Chhina** (Ajnala) : Sir, I beg to move—

That the clause be deleted.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ; ਇਸ clause ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ intentions ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ local area ਰੱਖ ਕੇ Ministry gerry-mandering ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ pclitical considrations ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਇਕ administrative unit ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ control ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ Panchayat Unions ਨੂੰ unit ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਹਲਕਾ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਸੌ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ; ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ units ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੱਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ progressive ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਕੇ ਨਾ ਬਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਢਕੇ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਆਪਣੀ ਵਲ ਖਿੱਚੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਵਲ। ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ constituencies ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ gerrymandering ਕੀਤੀ ਹੈ।

**Chief Minister** : On a point of order, Sir. I would like to inform the hon. Member that it is the Delimitation Commission and not the State Government that has fixed the boundaries. ਇਹ constituencies ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆਂ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਇਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ progressive ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਬਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the Clause be deleted.

**मुख्य मन्त्री** (श्री भीम सेन सच्चर) : स्पीकर साहिब, अगर तो मेरे दोस्तों ने हकीकत को कबूल करना है तो मेरे जवाब देने का फायदा है और अगर वे जान बूझ कर हकीकत से इनकार करें तो मेरे जवाब देने का कोई फायदा नहीं। मैं ने पहले भी अर्ज़ किया है और अब फिर अर्ज़ करता हूं कि National Extension Scheme के मुताबिक एक village को unit बनाया जाएगा। फिर 100 गांवों को मिला कर एक Development Block बनाया जायगा और मुख्तलिफ Development Blocks मिला कर एक तहसील बन जाएगी। अब तो 100 villages को मिला कर एक Development Block बनाया जा रहा है लेकिन एक थाने में लाज़मी तौर पर 100 village नहीं होते। इस तरह तो एक Development circle बन जाएगा, एक Revenue circle हो जाएगा और एक थाने का circle अलहदा हो जाएगा। फिर स्पीकर साहिब, थानों में बड़ी दिक्कतें आती हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि एक थाने की हदूद एक ही तहसील के अन्दर हो। अब हम ने एक ही तहसील को unit बना कर उस के अन्दर ही रखना है। पहले कई स्थानों पर एक थाने में एक जगह एक तहसील का हिस्सा है और दूसरी जगह पर दूसरी तहसील का हिस्सा है। लोगों को आराम की बजाए तकलीफ होती है। इसी लिये अब हम थाने को छोड़ कर Local area बना रहे हैं। Local area में मुख्तलिफ तहसीलों के गांव नहीं होंगे। नज़दीक नज़दीक और पास पास के होंगे। मेरे दोस्त कहते हैं कि रावी को बियास के साथ मिला दिया जाएगा। शुक्र है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि जेहलम, चिनाब और अटक को मिला दिया जाएगा। हमारा तो ख्याल यह है कि revenue recognised circle को एक unit समझ लिया जाए फिर उस को एक Development Block की शक्ल दे दी जाए और वही एक area हो जाएगा। लोगों की local conditions होती हैं वे अपने area के एक दूसरे लोगों को समझते हैं। उन को आराम हो जायगा। आपस में मेल मिलाप बढ़ जाएगा। लोगों की हालत बेहतर हो जाएगी। हम administrative set up को सुधारना चाहते हैं। Main चीज़ यह है कि हम गांवों की administration गांव वालों के अपने हाथ में देना चाहते हैं। उस area को एक regular compact area बना देना चाहते हैं ताकि गांव वालों की जिम्मेदारी उन के अपने ऊपर वाबस्ता हो जाए उन की तकलीफें कम हों, उन के दरमियान मेल मुहब्बत बढ़े। इस लिये मैं आप के द्वारा अपने Opposition वाले दोस्तों से कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल साफ चीज़ है इस में confusion न डालें और इसे मंजूर करें।

CLAUSE 3

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Clause be deleted.

*The motion was lost.*

**Mr. Speaker** : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

*After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker, said, "I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.*

*The motion was declared carried.*

CLAUSE 4.

**Sardar Achhar Singh Chhina** (Ajnala) : Sir, I beg to move—

That the Clause be deleted.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ; ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ amendment ਉਹੀ ਹੈ ਜੇਹੜੀ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ ਤਿੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ । ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ, ਪੰਜਾਹ, ਤੇ ਸੋ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਹ ਕੋਈ reasoning ਨਹੀਂ ।

**Chief Minister** : On a point of order, Sir. The hon. Member is trying to negative the decision which the House has just now taken on Clause 3. He should be asked to refrain from doing so.

**अध्यक्ष महोदय**: कलाज़ नं. 4 में जो amendment लाई गई है वह एक consequential nature की है जिस का principle पहले कलाज़ नं. 3 में मन्ज़ूर कर लिया गया है । इस लिये अब दोबारा उसी चीज़ पर कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं । Now I will put the clause to the vote of the House.

**ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾਂ** : On a point of order, Sir. ਤੁਸੀਂ ਇਸ amendment ਨੂੰ admit ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ amendment ਤੇ vote ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਸੀ original clause ਤੇ vote ਲੈਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ procedure ਠੀਕ ਹੈ ?

Mr. Speaker : I declare this point of order out of order.

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ** : ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਜਿਹੜੀ amendment admit ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇ ਆਇਆ ਉਸ ਉਤੇ vote ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

**Mr. Speaker** : This question has already been decided. बार बार वही point of order क्यों raise किया जाता है ?

**Mr. Speaker** : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

CLAUSE 1

**Mr. Speaker** : Question is—

That Class 1 stand part of the Bill

*The motion was carried.*

TITLE

**Mr. Speaker** : Question is—

That Title be the title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Chief Minister** (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Gram Panchayat Second (Amendment) Bill be passed.

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill, be passed.

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ** (ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੈ; ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ support ਦਿਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ amendments ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ amendment ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ original ਬਿਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ ਸਹੀ ਮਹਿਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ subsequent amending Bills ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ democracy ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, checks ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ?

ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ powers ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਈ ਜਗਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਉਲਟ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ interest ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, suspend ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ suspend ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪੰਚ ਨੂੰ suspend ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਫਲਾਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ suspend ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਤਕ ਕਈ ਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ suspend ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ action ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਦੀਦ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ suspend ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ progressive ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ; ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ representation ਘਟ ਹੋਵੇ; ਉਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ democracy ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ nominations ਦਾ ਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪੰਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ suspend ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਗਾਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ majority ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲਣਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਸਪਿਰਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ manifesto ਵਿਚ public ਅਤੇ platform ਉਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ commitments ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਲਉ। ਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ concession ਇਸ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ argument ਹੈ ! ਜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹਲ ਕਰੋਗੇ ? ਕੀਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ nominated ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿਉਗੇ ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ! ਕਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ census ਦਾ। ਕਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ argument ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਆਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਠੂ ਹੋਣਗੇ nominate ਕਰਨਗੇ।

ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਾਏ nomination ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ elections ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ? nominations ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ nominations ਹੋਣਗੀਆਂ ? ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਹਦੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲਉ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉੜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਫੇਰ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਬਾਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹੇ ਸਨ।

ਦੂਜਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥਾਣੇ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਬਨਾਉਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਸ ਪਿੰਡ ਰਖਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ

ਘਟ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵਧ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ reorganise ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ reorganise ਕਰਦੇ । ਇਹ ਅਜੀਬ ਗਲ ਹੈ ਥਾਣੇ ਵਖ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਖ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਸੀਲਾਂ ਵਖ ਨੇ ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਸਭਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਅਜ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ । ਇਹ ਮਹਿਕਮਾਂ ਇਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ suspend ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਨੂੰ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ elections petitions ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਟੁਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਇਹ nominate ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਚ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ democracy ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਗੀਆਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਇਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ formula ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਰੀਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मैम्बर ने जो "धोखा देने के लफज़ इस्तेमाल किए हैं वह unparliamentary हैं इस लिये वह यह लफ़ज वापस लें ।

**ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ :** ਮੈਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।

**अध्यक्ष महोदय :** कुछ माननीय मैम्बर clause 4 के बारे में तकरीर करना चाहते हैं और उन्होंने इस clause के लिए amendments भी दी है । इस बारे में मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि clause 4 जो है वह clause 3 की consequential clause है । अगर यह delete कर दी जाए तो इस का negative result होता है । इस लिये रूल No. 72 की sub-clause के मातहत इन amendments को move करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती ।

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं हैरान हूं कि मेरी आवाज़ दूर बैठे मैम्बरों को तो सुनाई दे रही है आप को क्यों सुनाई नहीं दे रही ?

**मौलवी अबदुल गनी डार :** स्पीकर साहिब हमें आप का हर हुक्म मन्ज़ूर है लेकिन गुज़ारश है कि अगर हम clause 4 के लिये amendments move नहीं कर सकते तो क्या हम इस clause की मुखालफत करने के लिये तकरीरें भी नहीं कर सकते ?

**अध्यक्ष महोदय :** जो चीज़ admissible ही नहीं उस पर कैसे बहस की जा सकती है।

**पं. श्री राम शर्मा** (सोनीपत) : माननीय स्पीकर साहिब इस बिल की हर एक clause पर तरमीमें भी पेश हुई और तकरीबन वह सब की सब नामन्ज़ूर हो गई हैं। इस बिल में हमने यह चाहा है कि इस में जो भी बुराईयां हैं दूर हो जाएं और अगर वह सब दूर न हो सकें तो कम हो जाएं। देखना यह है कि ऐसी सूरत में पंचायतों के काम करने के कौन से बेसिज़ (basis) होंगे। आज इस बिल पर बहस के दौरान में एक अजीब सी बात हमारे सामने आई है। यह बिल आखरी reading में जिस शक्ल में हमारे सामने है उस में इस बात को जानना जरूरी है कि इस का अंदाज़ा किस basis पर लगाया गया है या लगाया जाना है कि हरिजनों की किसी पंचायत में proportion ठीक है या नहीं। मेरा ख्याल है कि यह basis हमेशा उस जगह की मर्दमशुमारी की figures के मुताबिक ही होते हैं। यह figures हमेशा ज़ाहिर करते हैं कि किसी गांव की कुल आबादी कितनी है; कौन कौन लोग वहां रहते हैं और उन की कितनी कितनी गिनती है। या इस के basis वहां की voters list हो सकती है। बल्कि हिंदुस्तान भर में सब जगह यह proportion मुकर्रर होती है और इस proportion को मुकर्रर करने के लिये वहां की census की figures को basis माना जाता है। अगर यह माना जाए कि Census की बिना पर मुकर्रर की गई proportion ही ठीक नहीं है तो पंचों की नुमाइन्दगी की एक भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। माननीय चौधरी लहरी सिंह ने ख्याल जाहिर किया है कि census का इस में सवाल ही पैदा नहीं होता। इन के ख्याल में माननीय मुख्य मंत्री को जिन का और मेरा एक विचार था, भी इस मामले में मुगालता लगा है। वह फरमाने लगे थे कि पंचायतों के पंचों की elections में हरिजनों और दूसरे लोगों की proportion मुकर्रर करने के basis वहां की Census के figures नहीं हैं बल्कि एक register होता है जो हर गांव के लिए होता है। उस की पड़ताल भी हर दस साल के बाद होती है। उस से यह पता चलता है कि उस गांव में हरिजनों की कितनी तादाद है। वह रजिस्टर हर गांव के लिये अलग अलग होता है और वह पटवारी के पास रहता है। उन्होंने यह भी फरमाया है कि उस register में दी गई हरिजनों की तादाद सही नहीं होती और उस से पंचायतों की elections के

अन्दर सही तौर पर नुमायंदगी नहीं होती। उन के कहने के मुताबिक आबादी साल के साल तो क्या रोजाना बढ़ती जाती है। अगर उन की यह बात मान ली जाए जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि Census के basis भी गलत हो जाते हैं और village register भी out of date हो जाता है क्योंकि उस की पड़ताल दस साल के बाद होती है तो मैं पूछता हूं कि जब इन के ख्याल में village register में दी गई गिनती भी गलत होती है और Census की figures भी नहीं मानी जा सकती तो गवर्नमेंट इन की आबादी का अन्दाज़ा किस चीज़ से लगाना चाहती है। अगर वह इस के लिये कोई staff रखे जो उन की गिनती रोज बरोज करे तो कितना खर्च होगा और इस काम के लिये उसे कितना वसीह महकमा कायम करना पड़ेगा।

इस बात का डर नहीं कि गवर्नमेंट को कोई महकमा खोलना पड़ेगा। बेशक महकमा खोला जाए, हरिजनों की हर रोज़ गिनती की जाए और उन की proportion निश्चित की जाए। इस बात की उसे बिल्कुल पूरी आज़ादी होगी। मगर पंचायतों में हरिजन मेंबरों की कमी कितनी देर तक रह सकती है ? कहीं साल 6 महीने के बाद एक आध मेंबर की कमी रह सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि जहां कहीं proportion में कमी हुई वहां पर अगर elections करानी पड़े तो कितना बखेड़ा हाथ में लेना पड़ेगा इस लिये नामज़दगी अच्छी रहेगी। elections के इतने बड़े काम को हाथ में लेन बेकार है। पंचायत राज के बारे में यह एक बेमिसाल बात है।

रजिस्टर की बात कही गई है। यह रजिस्टर हर दस साल के बाद तबदील किया जाएगा यह एक बिल्कुल नई बात है और यह सूबे के लिये एक अज़ाब साबित होगा। आबादी की figures का basis, Census होना चाहिए न कि रजिस्टर।

कहा गया कि चूंकि इस कमी को पूरा करने के लिये election करानी पड़ेगी इस की जगह पर nomination क्यों न कर दी जाए। मैं पूछता हूं कि elections से क्या तकलीफ है और क्या मुसीबत है। डेढ़ दिन से ज़्यादा वक्त इस काम के लिये नहीं लगता। अगर जनरल elections 15 दिन में हो सकती हैं तो एक गांव में elections के $1\frac{1}{4}$ दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। By-elections कराने से सरकार को क्या तकलीफ होती है ? मुमकिन है कि पहले कोई खामी रह गई हो जो दोबारा elections होने पर सही हो सकती है। मैं इस बिल की मुखालिफत एक तो इस बिना पर करता हूं कि आबादी जानने का basis गलत है। दूसरी बात यह है कि सरकार elections से बचना चाहती है। कहते हैं कि सारे गांव में elections करनी पड़ेगी। किसी ने दरखास्त दी कि कोई गलती रह गई है तो आबादी का अन्दाज़ा लगाया जाएगा और सौ झमेले करने पड़ेंगे इस से तो nomination का तरीका ही अच्छा रहेगा। मैं कहता हूं कि यह तरीका जहां परेशानकुन है वहां खतरनाक भी है

फिर Chief Minister साहिब ने फरमाया कि nomination का असूल तो माना जा चुका है। Council of States और Upper House की मिसाल हमारे सामने है। Nomination का असूल उस वक्त बुरा था जब

[पंडित श्री राम शर्मा]

यहां पर अंग्रेजों की हकूमत थी मगर अब जब हम आजाद हो चुके हैं तो फिर यह कौन सी बुरी बात है ? उन्होंने निहायत आराम से कह दिया कि अब जब कि हुकूमत अपनी है और पहली Ministry भी नहीं, तो nomination में क्या बुराई है ! पहली Ministry के अहद में जिस असूल के हम सब इतने critic रहे हैं, जब कि हमने District Boards, Municipalities...... (चौधरी लहरी सिंह. Section 13 पढ़िए ।) आप सबर से सुनिए और खामोश अपनी जगह पर बैठे रहिए। औरों की बात सुनने की आप में हिम्मत नहीं है, I will not give way.

स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर रहा था कि जिस वक्त आज़ाद होने के बाद Ministry बनी, तो nomination का असूल उड़ाने की हिमायत सब वज़ीर साहिबान करते थे और हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने अगर गर्मागर्म तकरीर नहीं की तो कम से कम बैंच को तो खूब ज़ोर से बजाया होगा। तब उस Ministry ने nomination के इस असूल को उड़ा दिया और District Boards, Municipal Committees या Small Town Committees में nomination बन्द हो गई। इसी तरह हमारे unionist भाईयों की regime में गवर्नर तो nomination नहीं करता था। जब कभी कोई ऐसी बात होती थी तो सभी बड़े ज़ोर से उस की मुखालिफत करते थे और कहते थे कि यह जमहूरियत की जड़ों को खोखला करने वाली चीज है। मगर कहते हैं कि चूंकि अब राज हमारा है और गैर मुल्की लोग यहां से चले गये हैं। इस लिये इस में कोई बुराई नहीं। चीफ मिनिस्टर साहिब ने House of Lords की मिसाल दी। उस के मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं कि House of Lords के इख्तियार ही क्या हैं और जो हैं उन्हें छीन लेने की भी तहरीक है। फिर Council of States की मिसाल दी गई कि वहां माहिरों को नामजद किया जाता है। देखने में आया है कि वहां भी अब artist या workers को nominate नहीं किया जाता बल्कि कुछ ऐसे ही आदमियों की तसल्ली की जाती है। अगर House of Lords में birth की वजह से seat मिलती है तो उस House का administration में भी दखल कम है। हमारी Council of States में जहां कुछ तजरुबेकार और माहिर डा. राधा कृष्णन जैसे लोग हैं वहां ज्यादातर seats पार्टीबन्दी के लिये fit लोगों को ही मिलती हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** आप किसी House पर reflection cast न करें।

**पंडित श्री राम शर्मा:** मैं reflection नहीं कर रहा। अगर Chief Minister साहिब nomination का असूल खड़ा न करते..........

**अध्यक्ष महोदय:** सवाल nomination के हक में या उस के खिलाफ बोलने का नहीं। आप को motives impute नहीं करने चाहियें।

**पंडित श्री राम शर्मा:** मैंने कोई undesirable बात नहीं कही। मैं तो सिर्फ अपने बयान को elaborate कर रहा था कि यह असूल सही है या गलत

मैं तो यह कहता हूं कि nomination, democracy या असली पंचायत के लिए ठीक बात नहीं है । यह असली democracy को function करने से रोकता है । जिसका नाम ही पंचायत है यानी पंच लोग जिन्हें लोगों ने पसन्द किया हो तो वहां पर नामज़दगी का क्या मतलब । पंचायतों में nomination का असूल दाखिल करना तो किसी दरख्त की जड़ों को तेल देने के बराबर है । अगर इस ईवान के अन्दर नामज़दगी होती और कोई मेम्बर नामज़द हो कर यहां आता तो मैं उस की भी मुखालिफत करता । पंचायतों के अन्दर शुरु में ही यह चीज़ नहीं होनी चाहिए ।

दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा कि इस में झगड़े की कोई बात नहीं । जो Leader of the Opposition लिख कर दें उसी के मुताबिक अमल हुआ करेगा । क्या यह कानूनी तौर पर ठीक बात है ? और फिर अखबारात में आपने पढ़ा होगा कि Leader of the Opposition पिछले साल में कम से कम 4 दफा तो जेल हो आए हैं । फिर लिखेगा कौन और अगर लिख भी दिया तो जब आप के मातहत अफसरान उन्हें जेल में बन्द करते रहते हैं तो क्या वे उन की बात मानेंगे ।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यहां पर कोई guarantee नहीं है । कानून के मुताबिक अखबार वालों की कमेटी बनी हुई है । कहा जाता है कि किसी अखबार वाले पर मुकदमा चलाने से पहले इस कमेटी को बताया जायगा लेकिन होता क्या है ? अखबार वालों को पकड़ा जाता है । मुकदमा चलाया जाता है और वह विचारे शोरो गुल्ल मचाते रह जाते हैं । हर जगह पार्टी बाज़ी और बेकानूनी है । दूसरा आदमी क्या कर सकता है ।

फिर बात आ गई कि जब nomination करेंगे तो Leader of the Opposition को लिख कर भेज देंगे । Leader of the Opposition क्या करेगा । आपके पास मशीनरी है, ताकत है, अफसरान हैं, information मिलने के sources हैं । Leader of the Opposition को क्या पता चल सकता है कि कांगड़ा में क्या हो रहा है और बाकी जगहों में क्या हो रहा है । यह तो सरकार खुद ही देख सकती है । मैं इस लिये इस बिल की मुखालिफत करता हूं । अगर यह बिल पास हो गया और nomination के तरीके को रायज कर दिया गया तो पंजाब का निज़ाम ज़्यादा भदा, बेकार और निकम्मा हो जाएगा ।

**सिंचाई मंत्री :** क्या पंडित जी Section 13 पर रोशनी डालेंगे ?

**पंडित श्री राम शर्मा :** इस पर मेरा कोई और भाई रोशनी डालेगा ।

दिवान जगदीश चंद्र (लुध्याना शहर, उत्तरी) : स्पीकर साहिब, इस बिल के मुतअल्लिक हमारे Opposition बैंचों पर बैठे हुए दोस्तों ने इस amending Bill पर एतराज़ करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया है कि जहां पर गवर्नमेंट को पता लगे कि किसी पंचायत में हरिजनों को नुमाईन्दगी मुनासिब नहीं मिली तो वहां दोबारा elections कराए जाएं । लेकिन नामज़दगी न की जाए । साहिबे सदर जैसा कि इन बैंचों की तरफ से कहा गया है कि पंचायत राज कायम हो गया है । तो मेरी समझ में नहीं आता कि मुनासिब जगहों पर हरिजनों की नामज़दगी करने में और जैसा कि Leader of the House ने कहा है कि ऐसी

दीवान जगदीश चंद्र]

हालत में Opposition के लीडर को इस्तलाह दी जाएगी, राम राज्य में और लोक राज्य में क्या खराबी पैदा हो जायगी। इस से राम राज्य कैसे खत्म हो जाएगा। हमारे Constitution में, हमारे विधान में जिस की बिना पर कि हमारे राज्य चल रहे हैं कई जगह नामजदगी के लिये provisions हैं। Legislative Council में नामजदगी है। गवर्नर नामजदगी करता है। अगर यह नामजदगियां मुनासिब हैं और अगर इन पर हमें एतराज नहीं है तो......

**श्री अब्दुल गनी डार:** On a point of order. Sir ! अगर इन नामजदगियों के खिलाफ़ नहीं कहा जा सकता तो क्या इन के हक में कहा जा सकता है? आपने पंडित श्री राम शर्मा को नामजदगियों की बुराई करने से रोक दिया था।

**अध्यक्ष महोदय:** उन्हों ने Upper House की नामजदगियों पर इस तरह एतराज किया था कि वह उस हाऊस पर एक reflection था। इस के साथ ही उन्होंने नामजद किए मेम्बरों की काबलियत और अहलियत पर भी एतराज किया था। वह इस हाऊस में ऐसा नहीं कर सकते।

**श्री अब्दुल गनी डार:** On a point of order. Sir, आपने यह फरमाया है कि बुराई नहीं की जा सकती तो क्या उस के हक में कहा जा सकता है?

**Mr. Speaker:** This is no point of order.

**दीवान जगदीश चंद्र:** इसी तरह म्युनिसिपैलिटियों में और शहरों में जहां कहीं जरूरी हो और जहां पर permanent तौर पर election करके आदमी न रखे जा सकें गवर्नमेंट नामजदगियां करती है, और ऐसे नामजद किए गए मेंबर शहरों में अगर अच्छा काम करते रहते हैं तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गांवों में क्यों नहीं कर सकते। गांवों में तो जरूरी है कि हम हरिजनों की नामजदगी करें। हरिजनों के मुफाद के लिये, साहिबे सदर, इस हाऊस ने हमेशा कोशिश की है। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि कैसे पिछड़े हुए लोगों को गांवों के इन्तजाम में हिस्सा दिया जाये ताकि वे बढ़ चढ़ कर गांव के नजाम में हिस्सा ले सकें और पंचायतों के काम में हाथ बटा सकें। मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह जमहूरियत का कैसे खातमा हो जाएगा?

इस के इलावा साहबे सदर, हम Gram Panchayat Act पास कर चुके हैं। इस में इस बात को तसलीम किया गया है कि अगर कोई casual vacancy हो तो उस को नामजदगी से पूरा किया जा सकता है और वह नामजदगी अगले election तक कायम रहेगी। ऐक्ट की Section 13 को मैं पढ़ कर सुनाता हूं:—

> "If for any reason a Sarpanch or a sufficient number of Panches or Adalti Panches are not elected, or a casual vacancy is not filled within the time prescribed, the prescribed authority may appoint the necessary number of duly qualified persons as a Sarpanch or Panch or an Adalti Panch, as the case may be, and any such person shall hold office for the unexpired portion of the term for which the person in whose place he was appointed would have otherwise continued in office".

यह जो बिल अब पेश है इस में यह प्रबन्ध किया गया है कि अगर पंचायत की term खत्म होने से पहले कोई contingency arise हो और समझा जाए कि हरिजनों की नुमाईंदगी पूरी नहीं तो elections की जगह नामजदगी करादी जाए। यह कहा जा सकता है कि नामज़दगी की जगह ऐसी हालत में elections कर ली जाए। इस के लिये मैं अर्ज़ कर दूं कि elections के लिए भी कुछ अरसा दरकार होता है। हर रोज़ गांवों में elections नहीं कराए जा सकते। अगर हर रोज़ गांवों में elections कराए जायें तो गांव वाले इसी काम में ही लगे रहें और सोचते रहें कि किस के खिलाफ वोट दिए जाएं और किस के हक में दिए जाएं। इस लिए नामज़दगी की एक बेज़रर तजवीज़ पेश की गई है। मैं समझता हूं कि इस तरह करने से गांवों के काम में रुकावट न होगी और गांवों को ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी।

दूसरा इतराज़ यह किया गया है कि पंचायतों के area को local area क्यों बनाया जा रहा है। इस की ज़रूरत और मुनासिबत ऐसी नहीं जैसी कि Opposition के भाइयों ने बयान की है। क्योंकि गांवों को ऊंचा उठाने का काम हो रहा है। Extension Service Blocks बन गए हैं और एक एक सौ गांवों के लिये units बनाई जा रही है.........

**अध्यक्ष महोदय**: आप इस बिल पर बोलिए।

**दीवान जगदीश चंद्र**: साहिबे सदर, इस एक्ट में पहले थानों को रखा गया था अब Extension Schemes के मातहत Basic Territorial Units बनाई जा रही हैं इस लिए 'local area' नाम रख दिया गया है ताकि देहाती भाइयों को सहूलियत हो और वह तरक्की कर सकें। इस लिए मैं समझता हूं कि यह बिल जो हमारे सामने है पास कर देना चाहिए।

**मौलवी अब्दुल ग़नी डार** (नूह): स्पीकर साहिब, मैं इस बिल की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वजह यह है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने जिस ढंग से यह बिल पेश किया उस को देख कर फिर उन की ताईद करने वालों ने जिस ढंग से ताईद की उस की वजह से हम झमेले में पड़ गये हैं। एक भाई ने nominations के हक में ज़ोर लगाते हुए कह दिया कि Municipalities में nominations किये गए और वह नामज़दगियां बहुत अच्छी साबित हुईं। स्पीकर साहिब इसे कहते हैं (मनचि मे सरायम व तंबूरा एमनचि मे सरायद)। मिनिस्टरी कुछ कह रही है और उस का तंबूरा कुछ और कह रहा है।

**Dewan Jagdish Chandra**: Sir, my hon. Friend has just now uttered some words which are highly objectionable. He should be asked to withdraw them.

**मौलवी अब्दुल गनी डार**: मैं अपने अज़ीज़ दोस्त को यकीन दिलाता हूं कि मैं ने उन्हें तंबूरा नहीं कहा। स्पीकर साहिब जब हम democracy के नाम पर विदेशी राज और विदेशी technique के खिलाफ जद्दोजिहद कर रहे थे तो हमारा एक नारा यह भी था कि वह हुकूमत nominations करती थी और इस तरह हमारे

[मौलवी अब्दुल ग़नी डार]

जमहूरी हक़ूक़ पर छापा मारती थी। अब मैं नहीं समझता कि चीफ मिनिस्टर साहिब जिन्होंने Local Government के वजीर से इस महकमे को चलाने का हक छीन लिया हुआ है और जो यह दावा करते थे कि हम पंचायतें बना कर लोगों को मौका देना चाहते हैं कि जिस तरह चाहें काम करें अब वह नामजदगियों का बिल कैसे ला रहे हैं।

मेरे दोस्त श्री सिरी चन्द ने फरमाया कि Chief Minister साहिब उछल उछल कर दावे करते रहे कि हम लोगों को यह इख्तियार दे रहे हैं, वह इख्तियार दे रहे हैं, मेरी अर्ज़ है कि वह मेरी तरह कद के छोटे हैं जिस तरह मुझ को स्पीकर साहिब की आंख catch करने के लिये उछलना पड़ता है इसी तरह अगर वह भी उछल लें तो इस में कोई हरज नहीं। (*Laughter*)

स्पीकर साहिब, आप को याद होगा कि हम सब जिन में Chief Minister साहिब और खुद आप भी शामिल थे इस तरीके के खिलाफ जद्दोजिहद करते रहे हैं। फिर अब हमारे Chief Minister साहिब चुनाव के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? हम देहात में, शहरों में हर जगह elections और bye-elections करा रहे हैं। अब हम जून जुलाई की सख्त गरमियों में अमृतसर में election करेंगे। इस लिये यह कहना ठीक नहीं कि इस सिलसिले में बहुत झमेला करना पड़ेगा। पस जहां हरिजनों को आबादी के तनासुब से कम नुमाइंदगी मिली हो वहां elections करवा लिये जाएं nominations की क्या ज़रूरत है?

फिर जनाब, दूसरी बात यह है कि "थाना" तो एक पक्की बात थी सब जानते हैं कि थाना क्या होता है। मगर अब यह कहते हैं कि local areas बनायेंगे उस में भी अगर यह कहते कि मसलन चार जैल या ऐसा ही कोई मुकर्रर रकबा रखेंगे तब भी कोई बात थी मगर यहां तो जैसा कि छीना साहिब ने फरमाया है "कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भान मती ने कुंबा जोड़ा", जहां जिस गांव को चाहा वहीं मिला दिया। Chief Minister साहिब ने फरमाया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर मैं कहता हूं कि जब "थाना" का पक्का और टकसाली लफ़्ज़ मौजूद है तो आप उस की जगह local area जैसा vague लफज़ क्यों ला रहे हैं। मैं दरखास्त करता हूं कि वह ऐसा न करें। ताकत के घमंड में आदमी किसी की बात कम सुनता है। जैसा कि कहा है:—

ताकत के नशे में चूर हैं वह कब बात किसी की सुनते हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** आप हर बात में शेअर पढ़ते हैं। बार बार वही बात न करें।

**पंडित श्री राम शर्मा:** मैं आप की ruling चाहता हूं कि क्या मौके के मुताबिक शेअर पढ़ना नामुनासिब है।

**अध्यक्ष महोदय:** वह मौका के मुताबिक नहीं था, मैंने इसी लिये टोका है।

**मौलवी अब्दुल ग़नी डार:** मैं आप के द्वारा यह कह रहा था कि Chief Minister साहिब इस vague बिल को वापिस ले लें। लेकिन यह बात अगर उन के कानों से आगे जाकर दिल तक न पहुंच सके तो इस में उन का कसूर नहीं। ताकत के नशे में आदमी किसी की नहीं सुनता। वह गांधी जी के नाम पर राम राज्य के दावे करते रहते हैं मगर अब

कहते हैं कि इस एक बात से राम राज्य को क्या नुकसान पहुंच सकता है । मैं अर्ज़ करता कि एक ही मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है । मैं सहे को नहीं रोता पहे को रोता हूं अगर आप अपनी पार्टी को मज़बूत करना चाहते हैं तो जितने Deputy Minister और Parliamentary Secretary आप का जी चाहे मुकर्रर कर लें मगर इन बेचारे हरिजनों पर रहम करें ।

**मुख्य मंत्री** (श्री भीम सेन सच्चर) : स्पीकर साहिब, यह जो बहस की गई है इसके मुतअल्लिक मैं कुछ खास कहना नहीं चाहता । लेकिन यह सही है कि या तो हम समझा नहीं सके या वे समझना नहीं चाहते ।

**सरदार अजमेर सिंह** : आप समझा नहीं सके ।

**मुख्य मंत्री** : अगर यह बात है तो कोई फिक्र नहीं । मैं फिर अर्ज किये देता हूं । मेरे मित्र जानते हैं कि census कुछ खास मियाद के बाद होती है । इस की figures आम तौर पर आबादी का basis बन जाती है । लेकिन आप को यह भी मालूम है के Assembly और Parliament के लिये Electoral Rolls होते हैं । इन Electoral Rolls को साल बसाल revise किया जाता है । Census से तो सारी population का पता चलता है और उस की बिना पर States में जितनी seats होती है मुकर्रर कर दी जाती हैं । लेकिन हरेक Constituency की figures census के मुताबिक एक सी हमेशा नहीं रहती । यह साल बसाल revise होती रहती हैं और जो भी कोई ग़लती हो निकाल दी जाती है । साल का अरसा एक मौज़ू अरसा है । हर मिन्ट का हिसाब तो रखा जा ही नहीं सकता । अब Census की figures बहुत देर के लिये एक सी रहती हैं । यह register साल बसाल revise नहीं होता जैसे Electoral Rolls revise होते हैं । अगर कुछ हरिजन मर जाते हैं तो register को तो ठीक ही नहीं किया जाता इन हालात में कई बार यह बताना मुश्किल हो जाता है कि किसी गांव में कितने हरिजन हैं । Census के register पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बदलता नहीं जैसे कि Electoral Rolls बदलते रहते हैं । कई बार ऐसे हो सकता है कि किसी खास गांव के हरिजन किसी के रोब में आकर एक गांव छोड़ देते है और किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं । दूसरे गांव की आबादी नुमायां तौर पर बढ़ी हुई नज़र आयेगी । परन्तु census के register के हिसाब से आबादी में कुछ फर्क न होगा । Census का register तो उस वक्त बनाया जाता है जब census होती है । उस के बाद उस में कोई तबदीली नहीं की जाती ।

**श्री श्री चन्द** : On a point of information, Sir. जब elections होंगी उस वक्त हरिजनों की तादाद ली जायेगी या जब कि उन की आबादी बढ़ी हुई मालूम होगी ।

**मुख्य मंत्री** : मैं Opposition को अर्ज़ करता हूं कि इस बिल में कोई मायने पढ़न की कोशिश न करें इस में कोई और मायने निकलते ही नहीं । हम इन powers को लेकर इस तमाम चीज़ को examine करवायेंगे और जो भी statement तैयार होगी हम उसे House के Table पर रख देंगे । हम किसी एतराज की गुंजायश न

[मुख्य मंत्री]

रहने देंगे और इन powers का बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे । हम चाहते हैं और हम समझते हैं कि तमाम House की यह खाहिश है कि उन special rights को जो हरिजनों को दिये गये हैं recognise करके implement किया जाये। यह powers हम इस extra consideration के लिये ले रहे हैं। मैं House को यकीन दिलाता हूं कि इन powers को नेक नियती से इस्तेमाल किया जायगा। मैं इस सारे सवाल को examine करवाऊंगा और जो basis evolve होगा उस के बारे में House को confidence में लूंगा। हम यह बात Opposition को तंग करने की नियत से या धड़ेबन्दी की खातिर नहीं कर रहे। मेरे मित्र प्रोफैसर मोता सिंह जी ने elections के बारे में कहा। परन्तु मेरी गुज़ारिश है कि बहुत कम हालात में ही हमें इन powers का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस लिये इन के बारे elections का सिलसिला खड़ा करना ठीक नहीं। फिर यह है कि जो नये मेंम्बर होंगे वे तो additional होंगे ।

**मौलवी अब्दुल ग़नी डार:** Additional तो क्या होंगे जो पहले चुने गये हैं उनको भी suspend किया जा रहा है ।

**मुख्य मंत्री:** हां जो लोग चुनाव के standard के मुताबिक नहीं होते उन्हें suspend कर दिया जाता है। मैं House को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमें किसी को निकालने से खुशी नहीं होती। परन्तु क्या किया जाये जब कोई हद से ही बढ़ जाये। और हालात ही ऐसे पैदा कर दे तो उसे निकालना ही पड़ता है। खैर जो कुछ भी है मैं फिर अर्ज़ करता हूं कि हमारा मनशा balance इधर उधर करने का नहीं। हम इस चीज़ को examine करवायेंगे और जो असूल कायम होगा उस पर अमल किया जायेगा ।

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill be passed.

*The motion was carried.*

---

## THE PUNJAB CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL, 1954.

**Minister for Irrigation** (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Co-operative Societies Bill.

**Minister for Irrigation** : Sir, I beg to move—

That the Punjab Co-operative Societies Bill be referred to a Joint Select Committee consisting of —

(1) Sardar Gurbachan Singh Bajwa, Minister for Public Works.

(2) Shri Lajpat Rai, M.L.A.

(3) Shri Ram Kishan, M.L.A.

(4) Shri Nahnoo Ram, M.L.A.

(5) Chaudhri Mohd. Yasin Khan, M.L.A.

(6) Shri Sadhu Ram, M.L.A.

(7) Shri Jagat Ram Bhardwaj, M.L.A.

(8) Shrimati Dr. Parkash Kaur, M.L.A.

(9) Shri Mehar Singh, M.L.A.

(10) Sardar Mohan Singh, M.L.A.

(11) Sardar Shamsher Singh, M.L.A.

(12) Bawa Bhag Singh, M.L.A.

(13) Sardar Chanan Singh Dhut, M.L.A.

(14) Shri Rizaq Ram, M.L.A.

(15) Shri Dev Raj Sethi, M.L.A.

(16) Shri Samar Singh, M.L.A.

(17) Rai Raghuvir Singh, M.L.A.

(18) Shri Ram Chandra Comrade, M.L.A ; and

(19) Chaudhri Lahri Singh, Minister-in-Charge.

and 7 M.L.C.s to be nominated by the Punjab Legislative Council; and the Report be made by 1st of September, 1954.

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the Punjab Co-operative Societies Bill be referred to a Joint Select Committee consisting of—

(1) Sardar Gurbachan Singh Bajwa, Minister for Public Works.

(2) Shri Lajpat Rai, M.L.A.

(3) Shri Ram Kishan, M.L.A.

(4) Shri Nahnoo Ram, M.L.A.

(5) Chaudhri Mohd. Yasin Khan, M.L.A.

(6) Shri Sadhu Ram, M.L.A.

(7) Shri Jagat Ram Bhardwaj, M.L.A.

(8) Shrimati Dr. Parkash Kaur, M.L.A.

(9) Shri Mehar Singh, M.L.A.

(10) Sardar Mohan Singh, M.L.A.

(11) Sardar Shamsher Singh, M.L.A.

(12) Bawa Bhag Singh, M.L.A.

(13) Sardar Chanan Singh Dhut, M.L.A.

(14) Shri Rizaq Ram, M.L.A.

(15) Shri Dev Raj Sethi, M.L.A.

(16) Shri Samar Singh, M.L.A.

[Minister For Irrigation]

(17) Rai Raghuvir Singh, M.L.A.

(18) Shri Ram Chandra Comrade, M.L.A. ; and

(19) Chaudhri Lahri Singh, Minister-in-Charge.

and 7 M.L.C.s to be nominated by the Punjab Legislative Council ; and the Report be made by 1st of September, 1954.

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Punjab Co-operative Societies Bill be referred to a Joint Select Committee consisting of—

(1) Sardar Gurbachan Singh Bajwa, Minister for Public Works.

(2) Shri Lajpat Rai, M.L.A.

(3) Shri Ram Kishan, M.L.A.

(4) Shri Nahnoo Ram, M.L.A.

(5) Chaudhri Mohd. Yasin, Khan, M.L.A.

(6) Shri Sadhu Ram, M.L.A.

(7) Shri Jagat Ram Bhardwaj, M.L.A.

(8) Shrimati Dr. Parkash Kaur, M.L.A.

(9) Shri Mehar Singh, M.L.A.

(10) Sardar Mohan Singh, M.L.A.

(11) Sardar Shamsher Singh, M.L.A.

(12) Bawa Bhag Singh, M.L.A.

(13) Sardar Chanan Singh, Dhut, M.L.A.

(14) Shri Rizaq Ram, M.L.A.

(15) Shri Dev Raj Sethi, M.L.A.

(16) Shri Samar Singh, M.L.A.

(17) Rai Raghuvir Singh, M.L.A.

(18) Shri Ram Chandra Comrade, M.L.A ; and

(19) Chaudhri Lahri Singh, Minister-in-Charge.

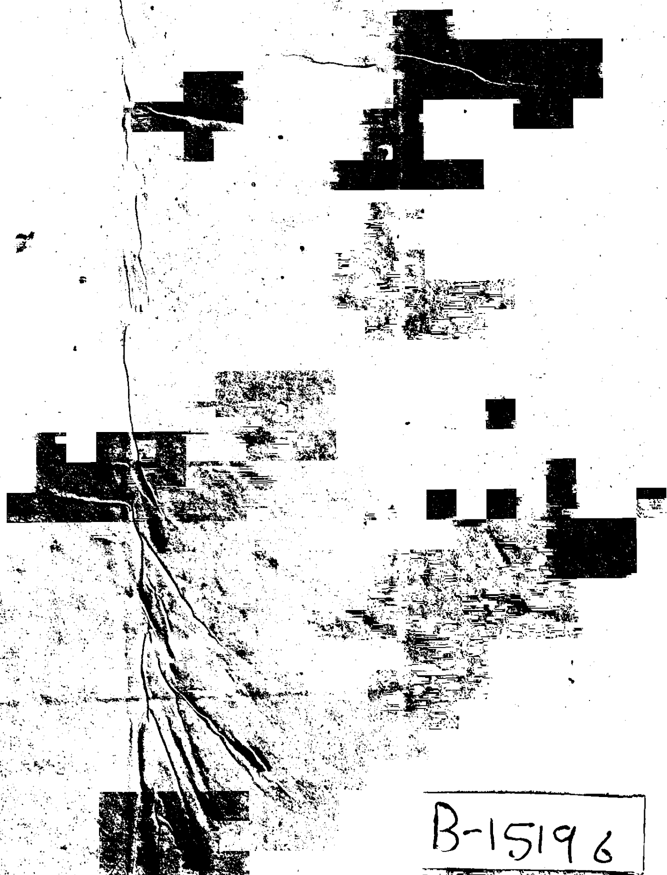
and 7 M.L.C.s to be nominated by the Punjab Legislative Council; and the Report be made by 1st of September, 1954.

*The motion was carried.*

---

*The Assembly then adjourned* sine die.

926 PSLA—283—20-7-56—CP S. Punjab, Chandigarh.


B-15196